विजया बैंक
VIJAYA BANK
A friend you can bank upon

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2010 -2011

मंडल के निदेशक
Board of Directors

श्री एच एस उपेन्द्र कामत
Shri. H S Upendra Kamath
Chairman & Managing Director

श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
Smt. Shubhalakshmi Panse
Executive Director

श्री एल के मीणा
Shri. L K Meena

श्रीमती सुमा वर्मा
Smt. Suma Varma

श्री श्रीधर चेरुकुरी
Shri. Sridhar Cherukuri

श्री अशोक कुमार शेट्टी
Shri. Ashok Kumar Shetty

श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)
Shri. Ashok Kumar, I.A.S. (Retd.)

श्री एस अनंतन
Shri. S Ananthan

श्री रंजन शेट्टी
Shri. Ranjan Shetty

श्री बी इब्राहिम
Shri. B Ibrahim

श्री सुरेश कामत
Shri. Suresh Kamath

इस वर्ष पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक
Board of Directors who demitted office this year

श्री आल्बर्ट तावरो (से.नि.)
Shri. Albert Tauro (Retd.)

श्री जी बी सिंह
Shri. G B Singh

श्री के वेंकटप्पा
Shri. K Venkatappa

श्री पी शांताराम शेट्टी
Shri. P Shantaram Shetty

श्री निशांक कुमार जैन
Shri. Nishank Kumar Jain

विषय–वस्तु	पृष्ठ सं	CONTENTS	Page No.
निष्पादन वैशिष्ट्य 2010-11	2	Performance Highlights 2010-11	101
निष्पादन की एक झलक	3	Performance at a Glance	102
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	4	Message from the Chairman & Managing Director	103
सूचना व टिप्पणियां	6	Notice & Notes	105
निदेशकों की रिपोर्ट	10	Directors' Report	109
कंपनी शासन पर निदेशकों की रिपोर्ट	24	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	123
कंपनी शासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	47	Auditors' Certificate on Corporate Governance	146
तुलन पत्र	48	Balance Sheet	147
लाभ व हानि लेखा	49	Profit & Loss Account	148
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा के साथ संलग्न अनुसूचियां	50	Schedules of Balance Sheet and Profit & Loss Account	149
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2010-11	58	Significant Accounting Policies 2010-11	157
लेखों पर टिप्पणियां	65	Notes on Accounts	164
नकदी प्रवाह विवरण	81	Cash Flow Statement	180
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	83	Report of the Auditors	182
बेसल II (स्तंभ 3) प्रकटीकरण	84	Basel II (Pillar 3) Disclosures	183
निदेशकों का चुनाव	94	Election of Directors	194
ईसीएस प्रारूप	201	ECS Format	202
नामांकन फार्म	203	Nomination Form	204
घोषणा–पत्र	205	Declaration	206
प्रॉक्सी फार्म	207	Proxy Form	208

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
मेसर्स आर बंसल एण्ड कं. M/s. R.Bansal & Co. मेसर्स एम पी चिताले एण्ड कं. M/s. M P Chitale & Co. मेसर्स पी चंद्रशेखार M/s. P Chandrasekar मेसर्स कांट्रेक्टर, नायक व किशनाडवाला M/s. Contractor, Nayak & Kishnadwala मेसर्स एस. विश्वनाथन M/s. Viswanathan मेसर्स राव ऐसोसिएट्स M/s. Rao Associates	मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड M/s Link Intime India Private Limited सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपउंड C-13, Pannalal Silk Mills Compound एल बी एस रोड, भंडुप (पश्चिम) L B S Raod, Bhandup (West) मुंबई - 400 078 MUMBAI - 400 078 फोन : 022-25963838 फैक्स : 022-25946969 ई–मेल E-mail: mumbai@linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office, No.41/2, एम जी रोड M.G. Road, बेंगलूर Bangalore - 560 001

फोन Phone: 080 - 2558 4066 [20 लाईन lines] फैक्स Fax: 080 – 2559 8040

वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

निष्पादन वैशिष्ट्य : 2010-11

कारोबार वृद्धि

- वर्ष के दौरान कुल कारोबार ₹ 122470 करोड हो गया (वर्ष-दर-वर्ष 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए).
- औसतन 'प्रति कर्मचारी कारोबार' की दृष्टि से उत्पादकता ₹ 9.30 करोड से बढ़कर ₹ 11.05 करोड हो गयी.
- प्रति शाखा कारोबार मार्च 2010 को दर्ज ₹ 90 करोड से बढ़कर ₹ 102 करोड हो गया.
- कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के 18.3% की वृद्धि के साथ ₹ 61932 करोड से बढकर ₹ 73248 करोड हो गयी.
- बचत बैंक जमाराशियां 24.3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ ₹ 13330 करोड हो गयी.
- सकल अग्रिम 17.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 49222 करोड हो गए.
- संरचनात्मक अग्रिम 8% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2010 के ₹ 10445 करोड से बढकर मार्च 2011 को ₹ 11277 करोड हो गए.
- आभूषण ऋण क्षेत्र को बढावा देने के लिए, 10 केन्द्रों में आभूषण ऋण शॉपी आयोजित की गई.

प्राथमिकता क्षेत्र परिचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 14671 करोड हो गया, जिसमें कृषि अग्रिम ₹ 4969 करोड होता है.
- बैंक ने विभिन्न कृषि कलापों के अधीन 69704 नए किसानों को ₹ 648 करोड संवितरित किया. भारत सरकार के अनुसार प्रति ग्राम व अर्ध शहरी शाखा में न्यूनतम 100 नए किसानों के प्रति वित्तपोषित नए किसानों की औसत संख्या 131 है.
- एमएसएमई क्षेत्रों को अग्रिम 24.5% की वृद्धि के साथ ₹ 6768 करोड रहा.
- कमजोर वर्ग को अग्रिम बढकर ₹ 3808 करोड हो गया जो एएनबीसी का 9.1% है.
- शिक्षा ऋण ₹ 603 करोड रहा जिसमें खातों की संख्या 31191 है.
- बैंक 377 गाँवों को शामिल करने के लिए पेन इंडिया आधार पर वित्तीय समावेशन योजना लागू कर रहा है. 75 गाँव के लक्ष्य के प्रति पहले से ही कर्नाटक एवं केरल राज्यों में 113 गाँवों को शामिल किया गया है.
- वर्ष 2010-11 के दौरान जोडे गए स्व-सहाय दल की संख्या ₹ 248 करोड का संवितरण करते हुए ₹ 25774 करोड हो गयी (अब तक बैंक द्वारा 144031 एसएचजी को वित्तपोषित किया गया है).
  वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक को कर्नाटक में वाणिज्यिक बैंकों के बीच अधिक हिस्से का एसएचजी कारोबार करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

इन्फोटेक प्रगति

- वर्ष के दौरान 110 नए एटीएम संस्थापित किए गए जिससे एटीएम की कुल संख्या बढ़कर 545 हो गयी.
- डेबिट सह एटीएम कार्ड आधार की संख्या पिछले वर्ष के 11.35 लाख से बढकर 15.27 लाख हुआ है.
- बैंक के ग्राहक अब नेशनल फाइनांशियल स्विच (एनएफएस) के अधीन जुडे देश भर में फैले 70000 से भी अधिक एटीएम का प्रयोग कर सकते है.
- जुलाई 2009 में शुरु की गई वित्तीय लेनदेनों के लिए एसएमएस/ ई-मेल अलर्ट के संबंध में पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या 6.93 लाख को पार किया है.

लाभ एवं लाभप्रदता

- निवल लाभ पिछले वित्त वर्ष के ₹ 507 करोड की तुलना में ₹ 524 करोड रहा.
- जमा लागत में 35 बीपीएस की गिरावट के साथ 6.21% से 5.86% हो गया
- निवल ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 34.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1449.08 करोड से बढकर ₹ 1946.77 करोड हो गयी. निवल ब्याज मार्जिन 50 बीपीएस की वृद्धि दर्ज करते हुए 2.54% से बढकर 3.04% रहा.

पूंजी पर्याप्तता

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II) भारतीय रिजर्व बैंक के 9% मानदंड के प्रति 13.88% रहा.
- टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.88% रहा जबकि टियर II पूंजी पर्याप्तता अनुपात 4.00% रहा.

निष्पादन की एक झलक

(राशि ₹ करोड़ों में)

प्रमुख मानदंड	2008-09	2009-10	2010-11
शाखाओं की संख्या	1101	1158	**1200**
पूंजी	934	934	**1673**
आरक्षिति और अधिशेष	2216	2542	**3144**
निवल संपत्ति	2226	2513	**3258**
सकल लाभ	899	1057	**1047**
निवल लाभ	262	507	**524**
कुल जमाराशियां	54535	61932	**73248**
वृद्धि %	13.73	13.56	**18.27**
कासा जमाराशियां	13085	15225	**18480**
वृद्धि %	0.48	16.35	**21.38**
कुल जमाराशियों का %	24.02	24.62	**25.25**
सकल ऋण	35875	41935	**49222**
वृद्धि %	12.04	16.89	**17.38**
कुल कारोबार	90410	103866	**122470**
वृद्धि %	13.05	14.88	**17.91**
सकल एनपीए	699	994	**1259**
सकल एनपीए (%)	1.95	2.37	**2.56**
निवल एनपीए	292	582	**741**
निवल एनपीए (%)	0.82	1.40	**1.52**
निवेश	17388	21107	**25139**
एएनबीसी के प्रति %	13450	14553	**14671**
कुल कर्मचारी	42.00	40.57	**34.98**
कुल कर्मचारी	11975	11565	**11415**
प्रति कर्मचारी कारोबार	7.85	9.30	**11.05**
जमा लागत	7.56	6.21	**5.86**
अग्रिम पर आय	11.09	10.26	**10.25**
निवल ब्याज मार्जिन	2.04	2.54	**3.04**
आस्तियों पर आय	0.59	0.76	**0.72**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल II)	13.15	12.50	**13.88**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

मैं सहर्ष वर्ष 2010-11 के लिए आपके बैंक के निष्पादनों की विशेषताओं को आपके साथ बाँटना चाहता हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2010-11 भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौतियों से भरा था. आर्थिक परिदृश्य में, 2010-11 में जीडीपी में 8.6% की सबसे अधिक वृद्धि हुई. जबकि पिछले दो वर्षों में विश्व वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो जाने के कारण वृद्धि साधारण हो गयी थी. परंतु 2010-11 के दौरान कृषि व उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों में पोषित स्तर की वृद्धि का प्रतिगमन प्रतिबिंबित हुआ. तथापि, पूरे वर्ष में मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि आंशिक रूप से दबी रही. मार्च 2011 के अंत में 8.98% मुद्रास्फीति ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अब तक हुए अच्छे निष्पादन को निष्प्रभावी कर दिया.

मुद्रा के क्षेत्र में, चूंकि मुद्रास्फीति 2010-11 में प्रक्षेपित स्तर से अधिक ही रही, मौद्रिक नीति पूरे वर्ष के दौरान कसी हुई रही. संपूर्ण उद्योग के क्षेत्र में, वर्ष में ऋण विस्तार सूचित स्तर से अधिक रहा हालांकि वह उत्तरार्द्ध में मध्यम रहा. जमाराशि के क्षेत्र में वृद्धि ऋण विस्तार से कम रही, 2010-11 की चौथी तिमाही में जमा ब्याज दर में वृद्धि के कारण इसमें गति आयी. वर्ष के अधिकांश महीनों में तरलता की स्थिति कसी हुई रही जो अंतिम तिमाही में कुछ शिथिल हुई.

इस पृष्ठभूमि में, मैं संक्षेप में कुछ विशेष क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिसमें हमारा निष्पादन उत्कृष्ट रहा. सबसे पहले, वर्ष के दौरान हमने कोर अर्जन में सुधार किया. वर्ष के लिए, एनआईआई की वृद्धि 34% रही जिसके कारण निवल ब्याज मार्जिन 3.04% रहा, जो मार्च, 2010 की स्थिति से 50 बीपीएस अधिक है. ब्याज लागत को नियंत्रित करने के हमारे लगातार प्रयास के फलस्वरूप एनआईआई में वृद्धि हुई. वर्ष के लिए हमारी ब्याज आय में 12.4% की वृद्धि हुई,जबकि हमारे ब्याज लागत में 3.9% की मार्जिनल वृद्धि हुई. वर्ष के दौरान, जमा लागत में 35 बीपीएस की गिरावट आयी जबकि अग्रिमों पर आय पिछले वर्ष के लगभग 10.25% स्तर पर बनी रही. उसी प्रकार, जबकि निधि पर आय में 14 बीपीएस की वृद्धि हुई, निधि पर लागत में 33 बीपीएस की गिरावट हुई, जिससे कीमत-लागत अंतर में 47 बीपीएस का सुधार हुआ. वर्ष 2010-11 के लिए, आपके बैंक ने ₹ 1047 करोड का परिचालन लाभ अर्जित किया.

वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 524 करोड रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 3.3% वृद्धि दर्शाता है. इसके कारण थे, पेंशन के लिए दूसरे विकल्प के कारण कर्मचारी लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान तथा उपदान की सीमा में ₹ 301 करोड की वृद्धि तथा एनपीए के लिए ₹ 413 करोड का प्रावधान. अन्यथा बैंक ने निवल लाभ मे और अधिक वृद्धि कर सकता था.

अब मैं वृद्धि के शीर्षस्थ एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं. हमने वर्षांत में 18% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 122470 करोड का कुल कारोबार हासिल किया. हमारे कारोबार की मात्रा में ₹ 73248 करोड (18%) की जमाराशि तथा ₹ 49222 करोड (17.4%) के अग्रिम शामिल हैं. कुल जमाराशि की तुलना में 2010-11 के दौरान कासा जमाराशियों के प्रतिशत में नाममात्र की वृद्धि हुई अर्थात 24.6% से 25.3%. अग्रिम के क्षेत्र में, बैंक ने खुदरा क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की योजना पर ध्यान दिया है. हालांकि, हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है. 31 मार्च, 2011 को बकाया खुदरा अग्रिम में 7.4% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 10041 करोड था. अधिकृत प्राथमिकता क्षेत्र में परिचालन के संबंध में इन क्षेत्रों में दिए गए अग्रिम कुल ₹ 14671 करोड थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 40% मानदंड के प्रति 34.9% है. प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, एमएसएमई तथा कमजोर वर्ग के अग्रिम में क्रमश: 25% तथा 10% की वृद्धि दर्ज हुई जो राष्ट्रीय प्राथमिकता मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है. शैक्षिक ऋण, जो हमारा एक प्राथमिकता क्षेत्र है, में 13% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 603 करोड की कुल बकाया राशि थी.

विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा ऐसे में हमने मूलभूत पहलुओं पर ध्यान दिया जैसे शाखा विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम विस्तार, नए उत्पादों का सृजन आदि. बैंक ने वर्ष के दौरान उच्च मूल्य के ग्राहकों के आधार तथा कार्पोरेट जमाराशि में सुधार करने के लिए 'वी-प्लेटिनम चालू खाता' एक नई जमा योजना शुरू किया. उसी प्रकार, उदारीकृत शर्तों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए विजया सेक्यूर्ड ओवरड्राफ्ट योजना (वीएसओडी)नामक एक नई खुदरा उत्पाद शुरू किया. बैंक 'वित्तीय समावेशन' क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहा. वित्तीय समावेशन के अधीन 75 गाँवों के लक्ष्य के प्रति बैंक ने 31.03.2011 को कर्नाटक व केरल राज्यों में 113 गाँवों को शामिल किया. यह प्रस्ताव है कि शेष 264 गाँवों को वित्तीय समावेशन के अधीन निर्धारित तारीख अर्थात् 31.03.2012 के काफी पहले शामिल किया जाए.

शुल्क आधारित आय सुधारने के लिए बैंक ने ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कार्पोरेट एजेंसी व्यवस्था की. बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं के सामूहिक कवरेज हेतु मेसर्स

बजाज अलायन्स लिमिटेड के साथ करार भी बनाया है. इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान कई नए पहल की हैं, जैसे, धन अंतरण सेवाओं के लिए 'मनीग्राम' व 'एक्सप्रेस मनी' के साथ गठबंधन, निधि का आनलाइन अंतरण के लिए 'टाइम्स आफ मनी' के साथ गठबंधन आदि.

वर्ष के दौरान 42 नई शाखाएं तथा 110 अतिरिक्त एटीएम खोले गए जिससे हमारी शाखाओं तथा एटीएम की संख्या बढ़कर क्रमश: 1200 तथा 545 हो गयी है. वर्ष के दौरान वी-नेट, बैंक द्वारा प्रदत्त इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल का उन्नयन किया गया जिसमें प्रौद्योगिकी समर्थ ग्राहकों के लिए नए मूल्यों की सुविधा दी गयी. पिछले वर्ष के दौरान शुरु की गई मोबाइल बैंकिंग सेवा, अच्छी प्रगति कर रही है तथा मार्च 2011 के अंत में, इसके 22545 पंजीकृत प्रयोक्ता रहे. साथ ही, ग्राहकों को प्रदान की गई एसएमएस अलर्ट सेवा तुरंत हिट रही जिसमें मार्च 2011 को पंजीकृत प्रयोक्ता की संख्या 693726 से अधिक रही.

संदर्भाधीन वर्ष की शुरुआत से ही फिसलन प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती रही. इस दिशा में बैंक ने कई उपाय किए अर्थात्, क्षीण होने के संकेत दर्शाने वाले खातों को पहचानना, उन्हें विशेष निगरानी खाते के रुप में मानना व उन पर सख्त निगरानी रखना, दुराग्रही चूककर्ता के प्रति कठोर वसूली उपाय करना आदि. एनपीए में नकद वसूली व उन्नयन पिछले वर्ष के ₹ 425 करोड व ₹ 163 करोड के प्रति वर्ष 2010-11 के दौरान क्रमशः 659 करोड व 332 करोड रहा. इन प्रयासों के फलस्वरूप,हम एनपीए अनुपात को प्रगामी रूप से कम करने में काफी सफल रहे हैं, हालांकि समग्र एनपीए में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. यथा मार्च 2010 को बैंक के कुल अग्रिम प्रतिशत के प्रति कुल गैर-निष्पादक आस्ति 2.56% रहा जबकि निवल एनपीए अनुपात 1.52% रहा.

वर्ष 2011-12 के लिए वर्ष-दर-वर्ष 25% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1,53,000 करोड का कारोबार हासिल करना हमारा लक्ष्य है जिसमें जमाराशि के अधीन ₹ 90000 करोड तथा अग्रिम के अधीन ₹ 63000 करोड होगा. चालू वर्ष के दौरान हम अतिरिक्त 100 शाखाएँ व 205 एटीएम खोलने का प्रस्ताव रखते हैं. वर्ष 2011-12 में बैंक का मुख्य ध्यान 'रिटेल व रिकवरी' होगा तथा मुझे यकीन है कि बैंक खुदरे कारोबार से अपनी मुख्य शक्ति प्राप्त करते हुए वित्तीय निष्पादन में और उँचाइयों को छूएगा.

आगे कदम बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2012 बैंकों के सम्मुख कई चुनौतियाँ व अवसर प्रदान करेगा. कुछ मुख्य चुनौतियों में से लगातार बढ़ती हुई मुद्रास्फीति है जिससे प्रदत्त ब्याज दर में लगातार बढ़त हो सकती है. जबकि बैंक अग्रिम के ब्याज दर को बढ़ाते हुए इसे ग्राहकों के ऊपर डाल देगा, पिछले वित्तीय वर्ष से लगातार अधिक मुद्रास्फीति के कारण जमाकर्ताओं के लिए वास्तविक ब्याज दर लाभदायक नहीं रहेगा. अत: इससे बैंक को अपना जमा दर भी बढ़ना ही पडेगा. आगे, बचत बैंक क्षेत्र में एक मुख्य परिवर्तन हो रहा है, भा.रि.बैं. द्वारा जल्द या बाद में बचत बैंक ब्याज दर को विनयमित करते हुए, बैंक को अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए अधिक मुश्किल का सामना करना होगा, जबकि कम लागत जमाराशि वास्तव में कम लागत नहीं रहेगी, हालांकि आनुपातिक रुप से न होते हुए, इसे उधारकर्ता ग्राहक को देने से ऋण की वृद्धि पर असर होगा, इस प्रकार, बैंकों को ऐसी परिस्थिति में, अपनी लाभप्रदता सुधारने के लिए, अपने गैर-ब्याज आय सुधारने पर गहराई से ध्यान देना होगा, इसके सकारात्मक पहलू में, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो 8.0% के ऊर्ध्वगामी जीडीपी में वृद्धि हासिल करने पर तुली है, जिसके कारण स्वत: व्यापक एवं बहुत बड़े कारोबार अवसर प्राप्त होंगे, अगली पीढ़ी की बढ़ती संख्या भी बैंकिंग कारोबार की दिशा में हो रहे परिवर्तनों का सामना करेंगे, जबकि ये कुछ आनेवाली प्रवृत्ति व परिस्थितियां हैं, जिसमें आपके बैंक को अपना कारेबार करना होगा, मुझे यकीन है, आपके शर्त रहित समर्थन से, बैंक आनेवाले समय में कारोबार निष्पादन में और अधिक ऊंचाइयों को छूएगा.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हेच.एस.उपेन्द्र कामत

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर – 560 001

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली 2003 के नियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011 को प्रातः 10.15 बजे** मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर – 560 001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

मद सं.1 : 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा एवं 31 मार्च, 2011 तक के बैंक के तुलन-पत्र, लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

मद सं.3 : बैंकिंग विनियम अधिनियम,1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (जिसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भ किया गया था) की धारा 9 (3) (i), और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1980 जिसे "योजना" के रूप में संदर्भ किया गया था और विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 जिसे अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में "विनियम" के रूप में संदर्भ किया गया था, के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों से तीन निदेशकों का चुनाव करना और निम्न संकल्प पारित करना:-

"यह पारित किया जाता है कि योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) व उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों से तीन निदेशकों का चुनाव किया जाता है और उन्हें एतद्द्वारा 08.08.2011 से कार्यभार संभालने हेतु बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है. वे इस प्रकार कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरा होने तक कार्यभार संभालेंगे."

ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के सिलसिले में और शेयरधारकों को अंतिम लाभांश, यदि हो तो प्राप्त कराने के लिए व तीन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में नामित करने, चुनाव लडने या वोट करने के लिए शेयरधारकों की पंजी एवं बैंक की शेयर अंतरण बही मंगलवार, 21 जून, 2011 से शनिवार 25 जून, 2011 तक बंद रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते विजया बैंक

(के. गोपालकृष्णन नायर)
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 31.05.2011

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की जरूरत नहीं है. तथापि, ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् **2.00 बजे शनिवार, 23 जुलाई, 2011** को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर - 560 001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय को, जो बैंक का शेयरधारक हो, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की एक ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् **2.00 बजे शनिवार, 23 जुलाई, 2011** को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर - 560 001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह **"प्रॉक्सी"** है या **"प्राधिकृत प्रतिनिधि"**.

4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना

विजया बैंक के विनियम 2003 (शेयर व बैठक) के खंड 12 के अनुसार ग्यारहवें वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में तथा अंतिम लाभांश,यदि

कोई, पाने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण करने तथा तीन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए नामित, चुनाव लडने व मत देने के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तक मंगलवार, 21 जून 2011, से शनिवार 25 जून 2011 (दोनों दिनों सहित) बंद रहेगा.

5. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार अगर कोई लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित किया गया हो तो घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) जो एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 20 जून, 2011 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक है.

ख) जो 25 जून, 2011 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत शेयरधारक है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट नेशनल इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 29 अगस्त, 2011 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

6. लाभांश वारंट/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) में बैंक खाते के विवरण – (एनईसीएस) :

लाभांश का वितरण करते समय शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण लाभांश वारंट पर दर्शाना तथा जहां कहीं उपलब्ध है राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के प्रयोग को सेबी ने अनिवार्य किया है. यह आदेश सभी सूचीबद्ध कंपनियों व बैंकों पर लागू है. कुछ केंद्रों में एनईसीएस सुविधा की अनुपस्थिति में तथा शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार की सुविधा न लिए जाने की स्थिति में बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंटों पर मुद्रित करेगा.

मूर्त रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपने बैंक अधिदेश के विवरण विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में स्थित शेयर प्रभाग तथा निवेशक शिकायत कक्ष को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को अपने अभिलेखों को अद्यतित करने के लिए प्रेषित करें.

शेयरधारक जो अमूर्त रूप में अपने शेयर रखे हुए हैं अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ संपर्क करें ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके. वार्षिक रिपोर्ट में एनईसीएस/बैंक अधिदेश का प्रपत्र संलग्न है.

7. दावा नहीं किया गया लाभांश, कोई हो तो

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, उनसे अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ताकि अनुलिपि लाभांश वारंट/तारीखों का पुनर्वैधीकरण किया जा सके.

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते "वर्ष..... के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता" में अंतरण कर दिया जाएगा.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान से नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) व वित्तीय संस्थागत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006,के जरिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उपरोक्त अधिनियम की शुरुआत पर पूर्व वर्षों के अदत्त/दावा रहित लाभांश खाते तथा "अदत्त लाभांश खाते" में उक्त अधिनियम लागू होने के बाद लाभांश को अंतरित करना है.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की नयी धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 205सी की उप-धारा (1) के अधीन संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा जिसे कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 205सी में उल्लिखित रूप से तथा प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा इसके बाद न बैंक अथवा न आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा किया जा सकता है.

8. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

9. शेयरों का अमूर्तीकरण

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

10. पते में परिवर्तन अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना दें. भारत सरकार द्वारा कंपनी शासन में हरित पहलुओं के चलते सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता, यदि कोई हो तो, सूचित करें ताकि हम उन्हें पत्र/रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सके.

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी को.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस रोड, भांडुप (प), मुंबई - 400 078 को.

11. फोलियो का समेकन

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि उसी नाम क्रम में शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

12. स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटाने पर निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

13. व्याख्यात्मक विवरणी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी)(जिसे आगे से अधिनियम कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2000 में आईपीओ बनाया तथा वर्ष 2003 में बाद में सार्वजनिक निर्गम लाए. 28.03.2011 को, बैंक ने बैंक के टियर 1 पूँजी में 367,99,99,984/- ₹ निवेश करने के प्रति अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 84रु. प्रति शेयर (94 ₹ प्रति शेयर का निर्गम मूल्य) के प्रीमियम पर 10 ₹ प्रति शेयर के 3,91,48,936 ईक्विटी शेयर आबंटित किए. यथा 31.03.2011 को भारत सरकार को छोडकर, शेयरधारक बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूँजी का 42.31% हिस्सा रिखते हैं. अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार, इस तथ्य के अनुसार कि जनता बैंक के कुल प्रदत्त पूँजी के 32% से अधिक रखते हैं, बैंक केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन निदेशकों से अधिक का चयन नहीं कर सकते हैं.

बैंक ने केन्द्र सरकार को छोडकर शेयरधारकों में से 25.07.2008 को तीन निदेशकों का चयन किया है, जिनकी तीन वर्ष की अवधि 07.08.2011 को समाप्त हो रही है. अतः अब बैंक तीन सेवानिवृत्त होनेवाले निदेशकों के स्थान में तीन निदेशक चुनने का प्रस्ताव रखता है. उक्त रिक्ति की पूर्ति करने वाले निदेशकों द्वारा क 08.08.2011 से कार्यालय का कार्यभार संभालना समझा जाएगा.

राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान)की योजना 1980 के संशोधन के अनुसार, इस प्रकार चुने गए निदेशक, तीन वर्ष के लिए कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे तथा पुनःचुनाव के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि कोई भी निदेशक छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए निरंतर कार्यालय का पद नहीं सभालेंगे.

शेयरधारक निदेशक को छोडकर कोई भी निदेशक, जो पुनः चुनाव के लिए पात्र हैं,कारोबार के पूर्वोक्त मद में अलग-अलग रूप से इच्छुक या संबंधित हैं.

14. नामांकन फार्म की प्रस्तुति

केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक, घोषणा फार्म(इस नोटिस के साथ संलग्न) के साथ अपना नामांकन तथा संबद्ध प्रलेख महा प्रबंधक,विजया बैंक,मंडल सचिवालय,प्रका, 41/2, एमजी रोड, बेंगलूर-560001 को एजीएम के लिए निर्धारित तारीख से 14 दिन पूर्व तक किसी भी कार्यदिवस को, अर्थात् शुक्रवार, 15 जुलाई, 2011 तक प्रस्तुत कर सकते है उक्त नामांकन फार्म हर तरह से पूरा हो तथा न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा भरा जाए.

15. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता

शेयरधारकों को चुनाव में प्रतिरोध करने के लिए, विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियम,2003 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की प्रति 27.06.2011 से महा प्रबंधक, मंडल सचिवालय, प्रका, एमजी रोड, बेंगलूर-560001 के पास मौंग ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा इस प्रयोजन के लिए किए जा रहे आवेदन से 50000 ₹ (₹ पचास हज़ार मात्र) के भुगतान के प्रति उपलब्ध होगी.

16. आवेदनों की जाँच

फाइल किया गया नामांकन वापस लेने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी शनिवार, 16 जुलाई, 2011 को या उससे पहले ऐसा कर सकते हैं. नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद आने वाले पहले कार्यदिवस को नामांकन की जाँच की जाएगी अर्थात् 16 जुलाई, 2011 तथा यदि कोई नामांकन अवैध पाया जाता है तो उसके लिए कारण उल्लिखित करते हुए उसे अस्वीकार किया जाएगा.

यदि वैध नामांकन चुनाव द्वारा फाइल किए जानेवाला निदेशकों की रिक्ति की संख्या के समान या कम हो तो, इस प्रकार नामित अभ्यर्थी चुने गए माने जाएंगे तथा उनका नाम व पता चुनागए मानते हुए प्रकाशित किया जाएगा. ऐसे में इस प्रयोजन से आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो, अधिक मत पानेवाले अभ्यर्थी को चुना जाएगा.

17. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार करने के लिए पात्र नहीं होंगे. पुस्तक बंद करने की तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित प्रत्येक शेयरधारक के पास अपना हाथ दर्शाते हुए एक मत रखने का तथा चुनाव की स्थिति में उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक मत रखने का अधिकार होगा. मताधिकार प्राक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए किया जा सकेगा. लेकिन प्राक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा.

18. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते विजया बैंक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 31.05.2011

(के. गोपालकृष्णन नायर)
कंपनी सचिव

निदेशकों की रिपोर्ट 2010-11

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2011 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा सहित, बैंक की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

विश्व की अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दर्शा रही है, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारों की संख्या अभी भी अधिक है तथा पनपते बाजार अर्थव्यवस्था में नए स्थूल आर्थिक नीति जोखिम निर्मित हो रहे हैं. उन्नत अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक मौंग से निजी मौंगें बढ रही हैं, तथा यह चिंता कम हो रही है कि घटती वित्त पालिसी समर्थन से "दुहरी-क्षति" मंदी हो सकती है.वित्तीय स्थिति बेहतर हो रही है हालांकि वे अभी भी असामान्य रूप से संवेनदशील है. कई पनपते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, मौंग अधिक है तथा अति तीव्र अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है. विकासशील अर्थव्यवस्था, विशेषकर उप-सहारा अफ्रीका में भी, शीघ्र व निरंतर संवृद्धि हुई है. सामाजिक व आर्थिक तनाव के अलावा, खाद्य तथा उपभोज्य वस्तुओं की बढती कीमतें विशेषकर मध्य पूर्वी व उत्तरी अफ्रीका में, गरीब जनता के लिए खतरा है.जनवरी 2011 से तेल की कीमतें बढती जा रही हैं तथा उसकी आपूर्ति तथा अतिरिक्त उपलब्धता के संबंध में स्थिति से पता चलता है कि अब तक हुए विध्वंस का आर्थिक गतिविधियों पर थोडा प्रभाव जरूर रहेगा. जापान में हुए भूकंप ने काफी मनुष्यों की जान ली है. स्थूल आर्थिक नीति पर उसका प्रभाव सीमित है हालांकि अनिश्चितता अधिक है. समग्र रूप से, एक तरफ अर्थव्यवस्था में ठोस सुधार होने से, वहीं दूसरी ओर तेल की आपूर्ति में कमी होने से, विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का 2010 के 5 प्रतिशत, 2011 में लगभग 4.5 प्रतिशत व 2012 में कम होने का पूर्वानुमान है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन के संबंध में, केंद्रीय सांख्यकीय संगठन ने हाल ही में वर्ष 2010-11 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.6% होने का अनुमान लगाया है. 2010-11 के दौरान कृषि तथा उद्योग व सेवा कार्यकलापों मे पर्याप्त वृद्धि हुई है. औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के सूचक में समग्र वृद्धि पिछले वर्ष के 10.5% की तुलना में अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान 7.8% थी. अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान छः प्रमुख उद्योगों में पिछले वर्ष के 6.8% की तुलना में 7.4% की वृद्धि हुई.

अप्रैल 2011 के अंत में शीर्षस्थ डब्ल्यूपीआई स्फीति अप्रैल 2010 के 10.99% की तुलना में अप्रैल 2011 में 8.66% रही. विनिर्मित उत्पाद स्फीति अप्रैल 2010 के 6.41% की तुलना में अप्रैल 2011 में 6.18% थी. यथा 07 मई 2011 को खाद्य स्फीति में वर्ष-दर-वर्ष 7.47% की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 22.15% थी.

जबकि 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटों का बजट स्तर मांग के क्षेत्र में कुछ दिलासा देता है, वहीं व्यय पर अधिक दबाव होगा. हालांकि सरकार ने हाल ही में पेट्रोल का दाम बढाया है तथा डीज़ल के दाम भी बढाने का प्रस्ताव है, तेल क्षेत्र की समस्याएँ अब भी खत्म नहीं हुई हैं. तेल परिदान का बोझ वित्तीय घाटे को कम करने के प्रति पेट्रोल के उत्पादों में मार्जिनल वृद्धि से होने वाले किसी भी लाभ को नज़रंदाज़ कर देता है.

हाल ही के मजबूत निर्यात निष्पादन को देखते हुए, वर्ष 2010-11 के चालू खाता घाटा (सीएडी) का अब जीडीपी के 2.5% तक होने का पूर्वानुमान है. जबकि इस साल सीएडी का वित्तपोषण संतोषजनक रहा, वहीं दीर्घावधि घटकों को आकर्षित करने हेतु प्रबल प्रयास करते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सहित पूंजी प्रवाह की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ताकि मध्यावधि में भुगतान-संतुलन (बीओपी) में वृद्धि को और बनाया रखा जा सके.

बैंकिंग परिदृश्य

संपूर्ण उद्योग के लिए, यथा मार्च 2011 में गैर-खाद्य ऋण में 21% की वृद्धि हुई जबकि 2010-11 के दौरान कुल जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष 15.8% की वृद्धि दर्ज हुई.

जैसे ही वित्तीय वर्ष 2012 के लिए, सरकार की उधार लेने की योजना प्रारंभ होगी, आय के अधिक होने की संभावना है. भारी मुद्रास्फीति की चिंताएं आय को और बढा सकती है. मांग अधिक होने के कारण, नए 10 वर्ष के सरकारी बांड के बढने की भी अपेक्षा है. 2010-11 के दौरान चल निधि के मामले में धन की आपूर्ति में, एम3 द्वारा माप के अनुसार पिछले वर्ष के 13.8% की तुलना में 13.6% की वृद्धि हुई. पिछले वर्ष के 17% की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.5% रही.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई,2011 को, 2011-12 के लिए घोषित मौद्रिक नीति विवरणी रिपो दर 50 बेसिस पाइंट बढाकर 7.25% कर दी है. विपरीत रिपो दर, जोकि अभी 100 आधार पाइंट के स्प्रेड से रिपो दर से कम हुई है, स्वतः 6.25% पर समायोजित हुई है. ये उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मुख्य रूप से केन्द्रित है. मुद्रास्फीति में विपरीत जोखिम के रहते, बैंकों को 2011-12 में अपने कारोबार की वृद्धि करने व लाभ कमाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. बचत बैंक दर विनियमन के लिए पूर्वगामी के रूप में देखे गए इस कदम में, भारिबैंक ने बचत बैंक जमाराशि पर ब्याज दर को 50 बेसिस पाइंट द्वारा 4.0% के रूप में वर्धित किया है, एक ऐसा कदम जो अधिकांश बैंकों के एनआईएम को प्रभावित करेगा, जबकि बैंकों ने भारिबैंक के पालिसी दर में वृद्धि के फलस्वरूप अपने आधार दर/पीएलआर को बढाया है, जिससे जमाराशियों के क्षेत्र में परिवर्तन देखे जाएंगे. बचत बैंक ब्याज दर में वृद्धि से, बैंकों को अतिरिक्त ब्याज लागत को कम-से-कम आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए

तरीके ढूँढने होंगे. तथापि, अपनी कम लागत जमाराशि आधार बढाने में अधिकांश बैंकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के रहते यह चुनौतीपूर्ण रहेगा.

दृष्टिकोण

कुछ पनपते तथा कुछ विकासशील अर्थव्यवस्था में चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान जैसी स्थिति, आने वाले वर्ष में अति तीव्र अर्थव्यवस्था विकसित न करे. मुद्रास्फीति का दबाव आगे और बढने की संभावना है चूंकि खाद्य तथा ऊर्जा की कीमत में वृद्धि से बढता उत्पादन क्षमता समस्या की पूर्ति करता है, जो उपभोग क्षेत्र के लिए भारी पडेगा, जिससे उच्च वेतन के लिए मौगें बढेंगी. असली ब्याज दर काफी कम है तथा वित्तीय पालिसीयां संकट के पहले से भी काफी ग्राह्य हैं. चक्रवर्धी व बाह्य स्थिति के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्था में उचित कार्रवाई बदलती रहती है. तथापि, कई पनपते बाजार अर्थव्यवस्था में स्थूल आर्थिक नीति को मजबूत करने की आवश्यकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, समग्र वृद्धि सूचक मिश्रित है. 2011-12 में सामान्य मानसून के आईएमडी द्वारा पूर्वापेक्षा के रहते कृषि की संभावना उत्साहवर्धक है. तथापि,औद्योगिक वृद्धि अभी होना बाकी है. अन्य सूचक , जैसे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर वसूली, व्यापार निर्यात तथा बैंक ऋण से यह सुझाव मिलता है कि वृद्धि के संकेत मौजूद है. सेवा क्षेत्र गतिविधि के लिए संकेत प्रबल भी हैं. तथापि, अधिक ऊर्जा व पण्य वस्तुओं की कीमत का निष्पादन व निवेश क्षेत्र पर प्रभाव पडेगा तथा इससे अधिक वृद्धि बनाए रखने में मुश्किल आएगी.

2010-11 के दौरान निर्यात में सुधार से चालू खाता घाटा (सीएडी) पर नियंत्रण हुआ है. तथापि,यदि तेल व अन्य पण्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि रहती है तो सीएडी 2011-12 में बढ जाएगी. इससे अधिक बाह्य वित्तपोषण की आवश्यकता पडेगी.

उच्च मुद्रास्फीति के कारण, 2011-12 की अधिकांश अवधि में ब्याज दर में वृद्धि होती रहेगी. जबकि वृद्धि जोखिम में गिरावट हो रही है, मुद्रास्फीति में जोखिम बढ रही है तथा यह और थोडे से समय के लिए बढता रहेगा.

वर्ष 2010-11 में विजया बैंक का निष्पादन

कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2010-11 के लिए बैंक द्वारा दर्ज निवल लाभ 2009-10 के ₹ 507 करोड की तुलना में 3.26% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 524 करोड रहा, जबकि वर्ष 2010-11 के लिए परिचालन लाभ 2009-10 के ₹ 1057 करोड के मुकाबले ₹ 1047 करोड रहा. जमाराशियों के संदर्भ में जमाओं की औसत लागत 2009-10 के 6.21% से घटकर 2010-11 में 5.86% हो गई, जिसका कारण बेहतर संविभाग प्रबंधन रहा. 2010-11 में अग्रिमों पर आय (10.25%) लगभग पिछले वर्ष 7 के समान (10.26%) ही है.

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृत्ति तथा महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शायी गई है :

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	आय – व्यय शीर्ष	2009-10	2010-11	वार्षिक वृद्धि (%)
1	ब्याज आय	5201	5844	12.36
2	ब्याज खर्च	3752	3897	3.87
3	निवल ब्याज आय (1-2)	1449	1947	34.36
4	गैर ब्याज आय	680	533	(-21.62)
I.	निवेशों की बिक्री पर लाभ	283	118	(-58.30)
II.	अन्य गैर ब्याज आय	397	415	4.53
5	निवल कुल आय (3+4)	2129	2480	16.49
6	परिचालन खर्च	1072	1433	33.68
I.	स्टाफ खर्च	706	1010	43.06
II.	अन्य परिचालन खर्च	366	423	15.57
7	परिचालन लाभ	1057	1047	(-0.95)
8	परिचालन लाभ (खजाना लाभ को छोडकर)	774	929	(-20.03)
9	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	550	523	(-4.91)
10	निवल लाभ	507	524	3.26

प्रमुख लाभप्रदता अनुपात (%)

क्रम सं.	मद	2009-10	2010-11
1	निधि पर प्रतिफल	7.89	8.03
2	निधि लागत	5.69	5.36
3	ब्याज विस्तार (1-2)	2.20	2.67
4	अग्रिम पर प्रतिफल	10.26	10.25
5	जमा लागत	6.21	5.86
6	निवेश पर प्रतिफल - कुल लाभ को छोडकर - कुल लाभ सहित	 6.67 7.05	 6.50 6.97
7	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.56	0.58
8	लागत–आय अनुपात	50.34	57.79
9	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	1.07	1.38

लाभांश

समग्र लाभप्रदता की स्थिति पर गौर करते हुए निदेशक मण्डल ने वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले ईक्विटी शेयर के लिए प्रति शेयर ₹ 2.50 का लाभांश घोषित किया है जो कि लाभांश कर सहित ₹ 137.34 करोड बनता है.

पूंजी पर्याप्तता

31.03.2011 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.88% रहा जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक का मानदंड 9% है. बैंक की टायर-I पूंजी ₹ 4458 करोड तथा टायर-II पूंजी ₹ 1806 करोड है.

शाखा नेटवर्क

वर्ष 2010-11 के दौरान 42 शाखाओं को खोलने के साथ कुल शाखाओं का नेटवर्क पिछले वित्तीय वर्ष के 1158 स्तर से 1200 हो गया. वर्ष 2010-11 की शुरूआत में 47 विस्तार काउंटर तथा 2 सेटलाइट कार्यालय थे. वर्ष के दौरान बैंक ने 2 विस्तार काउंटर (ईसी) खोलें जिससे कुल ईसी तथा सेटलाइट कार्यालयों की संख्या 51 हो गयीं अर्थात 49 विस्तार काउंटर तथा 2 सेटलाइट कार्यालय.

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियां, ₹ 61932 करोड से बढकर ₹ 73248 करोड हो गयी यानी 18.27% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई. कासा जमाराशि में 21.33% की वृद्धि दर्ज हुई, जो कुल जमाराशि की 25.25% बनती है. कासा जमाराशि में वृद्धि बचत बैंक जमाराशि में 24.3% की वृद्धि से प्रभावित हुई जो कि वर्ष के दौरान ₹ 13330 करोड रही.

वर्ष 2010-11 के दौरान औसत सकल जमाराशि वर्ष 2009-10 के ₹ 56702 करोड की तुलना में ₹ 62104 करोड रही. बैंक ने वर्ष के दौरान वी-प्लैटिनम चालू खाता जमाराशि योजना की शुरूआत की ताकि एचएनआई ग्राहक आधार तथा कॉर्पोरेट जमाराशियों में सुधार किया जा सके.

ऋण विस्तार

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल अग्रिम 17.38% वृद्धि के साथ ₹ 41935 करोड से बढकर ₹ 49222 करोड हो गया.

बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

अन्य क्षेत्रों में, यथा 31.03.2011 बैंक द्वारा बुनियादी सुविधाओं के लिए ऋण ₹ 11277 करोड रहा जो कि कुल ऋण का 22.91% बनता है. बैंक ने सक्रिय रूप से प्रमुख बुनियादी सुविधा क्षेत्र जैसे बिजली उत्पादन, सडक/हाइवे, पोर्ट, हवाई अड्डे तथा शिक्षा संस्थानों को ऋण देने में भाग लिया. इन मंजूरियों के प्रति वित्तीय वर्ष 2011-12 में महत्वपूर्ण संवितरण देय है. बुनियादी सुविधा क्षेत्र तथा अन्य कोर क्षेत्र जैसे उद्योग, व्यापार तथा सेवाओं के लिए बढती हुई विशाल ऋण आवश्यकताओं के साथ चलते हुए संतुलित ऋण संविभाग को तैयार करने के लिए महत्व दिया गया.

मुंबई महानगर क्षेत्र के सिविल कांट्राक्टरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने "वी-कांट्राक्ट (मुंबई) योजना" नामक नयी योजना की शुरूआत की ताकि उस क्षेत्र में प्रचलित वाणिज्यिक चलन के आधार पर विशेष रूप से उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

खुदरा ऋण

बदलते आर्थिक परिदृश्य तथा सभी स्तरों विशेषकर मध्यम आय वर्ग की जनसंख्या की खरीद शक्ति में अद्भुत वृद्धि के चलते बैंक ने अपनी खुदरा उधार योजनाओं जैसे आवास ऋण, शिक्षा ऋण, आभूषण ऋण आदि को प्राथमिकता देना जारी रखा.

वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋण के अधीन ₹ 4588 करोड का संवितरण किया और मार्च 2011 को बकाया राशि ₹ 10041 करोड रही. खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 20.40% बनता है.

वर्ष के दौरान बैंक ने आवास ऋण के अधीन ₹ 597 करोड, शिक्षा ऋण के अधीन ₹ 129 करोड, वी-व्हील्स के अधीन ₹ 550 करोड तथा आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन ₹ 1158 करोड का संवितरण किया और यथा 31 मार्च 2011, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वी-व्हील्स व आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन बकाया राशि क्रमश: ₹ 4213 करोड, ₹ 603 करोड, ₹ 929 करोड तथा ₹ 902 करोड रही. सडक परिवहन प्रचालक के अधीन वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 157% रही तथा आभूषण ऋण वर्ग के अधीन वृद्धि 58% रही.तीन प्रमुख खुदरा उत्पादों अर्थात विजया आवास ऋण योजना, वी-रेंट योजना तथा स्वर्ण आभूषणों के प्रति अग्रिम में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है ताकि ये अधिक सरलीकृत हो और इनके लिए वित्त प्राप्त करने में अधिक बाधा न आएं. आभूषण ऋण क्षेत्र को बढावा देने के लिए 10 केंद्रों में ज्वेल शॉपी लगायी गयी है.

बैंक द्वारा मुख्यत: सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए उधारीकृत नियमों तथा शर्तों पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विजया सेक्यूर्ड ओवरड्राफ्ट योजना (वीएसओडी) नामक एक नवोन्मेषी खुदरा उत्पाद की शुरूआत की गयी.

आरएसीपीसी को प्रशासनिक रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों से अलग किया गया है और एक पृथक कारोबार इकाई के रूप में स्थापित किया गया है ताकि वे प्रस्तावों का तेज़ी से निपटान कर खुदरा उधारी का तेज़ी से विपणन कर सके.

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक कई वर्षों से प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में उल्लेखनीय निष्पादन दर्शा रहा है. बैंक का कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम बढकर मार्च 2011 के अंत तक ₹ 14671 करोड हो गया.

कृषि वित्त

बकाया कृषि :

बैंक का प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम मार्च 2010 के ₹ 3608 करोड से ₹ 165 करोड बढकर 4.57% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2011 को ₹ 3773 करोड हो गया. कुल कृषि अग्रिम ₹ 4969 करोड रहा (कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त पर 4.50% उच्चतम सीमा के साथ).

कृषि के लिए संवितरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि ऋण संवितरण के संबंध में अच्छा प्रदर्शन किया है. विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन बैंक ने ₹ 6432 करोड के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3961 करोड का संवितरण किया जो कि 61.58% उपलब्धि बनती है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने 21426 विजया किसान कार्ड जारी किए तथा ₹ 256 करोड संवितरित किए. निष्पादन वर्ष के लिए लक्षित 29200 किसान कार्ड का 62.61% बनता है. बैंक ने कृषकों की सुविधा के लिए कुछ चुनी गयी शाखाओं में एटीएम समर्थ किसान क्रेडिट कार्डों का प्रवर्तन किया है.

नए किसानों को शामिल करना

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों के अधीन 69704 नए किसानों को वित्त प्रदान कर ₹ 648 करोड का संवितरण किया. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण व अर्ध-शहरीय शाखा के लिए 100 नए किसानों को वित्त देने के निर्धारित न्यूनतम मानदंड के प्रति बैंक द्वारा औसतन 131 नए किसानों को वित्त प्रदान किया गया.

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) का वित्तपोषण

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को अग्रिम मार्च 2010 के ₹ 5436 करोड से बढकर मार्च 2011 को ₹ 6768 करोड हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 24.50% की वृद्धि दर्शाता है. भा.रि.बैं. के निदेशों के अनुरूप मार्च 2011 तक सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम, एमएसई अग्रिमों का 50% होना चाहिए. बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए 52% की उपलब्धि प्राप्त की. एमएसई के अधीन प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है (24.12.2010 से प्रभावी).

बैंक ने हाल ही में एक नयी योजना "विजया सेक्यूर्ड ओवरड्राफ्ट" शुरू की है ताकि प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन एमएसई वर्ग के अधीन सत्वों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. इस योजना के अधीन बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 345 करोड का विलीयन किया.

कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

मार्च 2011 तक बैंक द्वारा कमज़ोर वर्गों को बकाया अग्रिम ₹ 3808 करोड था जो कि मार्च 2010 से 9.99% की वृद्धि है.

स्व-सहाय समूह (एसएचजी)

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने, 25774 स्व-सहाय समूहों का वित्तपोषण किया और ₹ 248 करोड का संवितरण किया. संचयी रूप से, अब तक बैंक ने 144031 स्व-सहाय समूहों का वित्तपोषण किया और ₹ 511 करोड की बकाया राशि के साथ ₹ 891 करोड का संवितरण किया जिसमें बकाया शेष ₹ 511 करोड है. हमारे बैंक को वर्ष 2009-10 के लिए कर्नाटक राज्य में परिचालित वाणिज्यिक बैंकों में सबसे अधिक एसएचजी कारोबार करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम 2010 के ₹ 2342 करोड से ₹ 442 करोड बढकर मार्च 2011 तक ₹ 2784 करोड रहा जो कि 18.87% की वृद्धि दर्शाता है. महिलाओं को, निवल बैंक ऋण के 5% के निर्धारित न्यूनतम मानदंड ऋण के प्रति बैंक की उपलब्धि 6.64% है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुल अग्रिम मार्च 2010 के ₹ 705 करोड के प्रति मार्च 2011 तक ₹ 807 करोड रहा जो कि वर्ष के दौरान ₹ 102 करोड की बढ़ोतरी के साथ 14.47% की वृद्धि दर्शाता है.

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2011 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की मात्रा ₹ 1411 करोड है और यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 9.62% बनता है जबकि भा.रि.बैं. निर्धारित मानदंड 15% है.

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

बैंक लगातार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने को महत्व देता आ रहा है. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन बैंक की उधारी निम्नानुसार है:

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	लक्ष्य समूह/ योजनाएँ	हिताधिकारियों की संख्या	मार्च 2011को बकाया ऋण राशि
1	पीएमईजीपी	12376	85.89
2	एसजीएसवाई	4557	29.59
3	एसजेएसआरवाई	4237	28.35
4	डीआरआई	3317	6.13

विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा 1985 में स्थापित विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक (वीजीबी), एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अच्छी प्रगति कर रहा है. वीजीबी की कर्नाटक राज्य के मंडया जिले में कुल 30 शाखाएं हैं. 25.08.2010 से वीजीबी पूर्णत: सीबीएस समर्थ है. यथा मार्च 2011 को कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमश: ₹ 242 करोड व ₹ 159 करोड है. वीजीबी की वित्तीय स्थिति काफी उत्साहवर्धक है.

वित्तीय समावेशन

बैंक अखिल भारतीय आधार पर 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 377 गांवों को कवर करने के लिए वित्तीय समावेशन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वित्तीय समावेशन के अधीन 31.03.2011 तक 75 गांवों को कवर किए जाने के लक्ष्य के प्रति बैंक ने कर्नाटक तथा केरल राज्यों में 113 गांवों को कवर किया है. शेष सभी गांवों को निर्धारित दिनांक अर्थात 31.03.2012 से पहले ही वित्तीय समावेशन योजना के अधीन कवर करने का प्रस्ताव है.

बैंक कर्नाटक सरकार की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा अंतरण सेवा (ईबीटी) का भी कार्यान्वयन कर रहा है. एमएनआरईजीएस के अधीन 52178 खाते खोले गए तथा 45028 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए. इसी प्रकार एसएसपी योजना के अधीन 40475 खाते खोले गए तथा 39187 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए.

भा.रि.बैं. की मॉडल योजना के अधीन सिंडिकेट बैंक के साथ संयुक्त रूप से ज्ञान ज्योति साक्षरता तथा ऋण परामर्श न्यास तैयार की गयी है. न्यास ने मंड्या में अपना केंद्र चालू कर दिया है. 2 और केंद्र अर्थात हावेरी तथा धारवाड जल्दी ही क्रियान्वित किए जाएंगे. बैंक ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर बागलकोट में कर्नाटक कृषक संसाधन केंद्र की स्थापना की है ताकि तेजी से ग्रामीण घरों में पहुंचा जा सके.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है. इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार है :

- क्षीण संकेत दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया तथा उन्हें विशेष निगरानी में रखा. जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया ताकि नए फिसलन को रोका जा सके.
- जानबूझकर चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण, लोक अदालत/डीआरटी आदि कानूनी विकल्प सहित कठोर वसूली उपाय तत्काल शुरू किए गए.
- त्वरित वसूली की सुविधा के लिए चूककर्ताओं की देय राशि के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए नियमित रूप से आयोजन किया गया. वर्ष के दौरान ऐसे समझौते के जरिए बैंक ने 3675 खातों से ₹ 46.57 करोड की वसूली की.

मार्च 2011 को सकल गैर-निष्पादन आस्ति 2.56% रहा, जबकि निवल एनपीए अनुपात 1.52% था. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को ₹ 659 करोड की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा ₹ 332 करोड के एनपीए का उन्नयन किया गया. 31 मार्च 2011 को ₹ 213 करोड के अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए ₹ 273 करोड का प्रावधानीकरण भी किया गया. मार्च 2011 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 63.69% रहा. तथापि, भा.रि.बैं. के पत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.87/21.04.048/2010-11 के अनुसार यथा 30.09.2010 को प्रावधान प्रावरण अनुपात 77.95% रहा.

निवेश और निधि प्रबंधन

बैंक का कुल निवेश संविभाग 31.03.2010 के ₹ 21107 करोड से 31.03.2011 को ₹ 25138 करोड तक बढ गया. वर्ष के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल (निवेश की बिक्री पर लाभ रहित) 2009-10 के 6.67% की तुलना में 6.50% है. समीक्षाधीन वर्षभर में बैंक की चलनिधि की स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रही. बैंक ने वर्ष में भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं की पूर्ति लगातार की.

आरटीजीएस और एन ई एफ टी का कार्यान्वयन

बैंक, 14 जून, 2004 को रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली में शामिल हुआ और 12 जनवरी, 2005 से ग्राहकों के लेनदेन कर रहा है. बैंक 7 दिसंबर, 2006 से नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) में शामिल हुआ. एनईएफटी सुविधा सभी आरटीजीएस सक्षम शाखाओं/कार्यालयों को प्रदान कर दी गयी है.

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने मार्च 2009 से बेसल-II मानकीकृत दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया है और 31.03.2011 को सकल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.88% बनता है जो कि निर्धारित न्यूनतम 9% के मानदंड से अधिक है. विकसित दृष्टिकोण में बाधारहित तथा प्रभावी परिवर्तन के उद्देश्य से बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है. बैंक ने पहले ही भा.रि.बैं. से बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) और परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) अपनाने के लिए अनुमोदन हेतु संपर्क किया है.

ऋण जोखिम

बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार की है जिसमें जोखिम निर्धारण, जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रशासन रणनीतियां आदि पहलू शामिल है. बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया विवेकपूर्ण सीमाओं, पर्याप्त जोखिम, अधिमान क्षेत्र वृद्धि रणनीतियां, ऋण

अनुमोदन प्रक्रिया, ऋण समीक्षा तंत्र आदि के निर्धारण के संबंध में विनियामक मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है. वर्ष के दौरान बैंक ने बाह्य रेटिंग कवरेज में सुधार करने हेतु कई पहल की. बैंक के 80% कॉर्पोरेट खाते अब बाह्य रेटिंग के अधीन कवर है. बैंक ने सभी खुदरा तथा गैर-खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण हेतु क्रिसिल से खरीदा गया द्विआयामी ऋण जोखिम निर्धारण साफ्टवेयर लगाया है. बैंक स्ट्रेस टेस्ट पॉलिसी के अनुसार ऋण जोखिम पर स्ट्रेस टेस्ट करता है.

एएलएम व बाज़ार जोखिम

बैंक के एएलएम तथा बाजार जोखिम का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) द्वारा किया जाता है. विभिन्न सांख्यिक खांडों में असमानताओं के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों का प्रबंधन किया जा सके. अल्पावधि चल निधि के बेहतर प्रबंधन के लिए बैंक दैनिक आधार पर एएलएम विवरणियों को तैयार करता है. चल निधि जोखिम प्रबंधन के अंश के रूप में आकस्मिकता निधीयन योजना, विवेकपूर्ण अनुपात/सीमाएं निर्धारित की गयी हैं तथा वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाती है. ब्याज दर जोखिम का निर्धारण जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा अवधि अंतर विश्लेषण (डीजीए) के द्वारा किया जाता है. ब्याज दर जोखिम, चल निधि जोखिम, फॉरेक्स जोखिम, आदि पर त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है. खजाना परिचालन पर मिड-ऑफिस रिपोर्ट दैनिक आधार पर तैयार की जाती है.

व्यापार बही के लिए वीएआर परिकलन तीन तरीकों अर्थात ऐतिहासिक अनुकरण, अंतर-सह-अंतर तथा मांटेकार्लो अनुकरण के अधीन 01.04.2010 से दैनिक आधार पर किया जाता है. आगे, वीएआर मॉडल की स्ट्रेस टेस्टिंग तथा बैक टेस्टिंग भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार मासिक आधार पर की जाती है.

परिचालनात्मक जोखिम

वर्ष के दौरान बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में माइग्रेट करने हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे में सुधार करने के लिए कई पहल किए. बिसनेज लाइन मैपिंग पॉलिसी के अनुक्रम में बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के अधीन परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का परिकलन किया और इसकी जानकारी ओआरएमसी/आरएमसीबी/मंडल निदेशकों को दी.परिचालन जोखिम हानियों की रिपोर्ट ओआरएमसी को नियमित आधार पर दी जाती है. मंडल निदेशकों ने वर्ष 2009-10 के लिए परिचालन जोखिम हानि के डाटा की समीक्षा भी की.

बैंक ने शीर्ष स्तर पर कारोबार निरंतरता प्रबंधन समिति (बीसीएमसी) और प्र.का./क्षे.का./शाखाओं में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का भी गठन किया है जो कारोबार निरंतरता प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों को लागू करता है और उसकी देखरेख करते हैं. ये समितियां/प्रतिक्रिया दल आवधिक आधार पर मिलते हैं.

बेसल II का अनुपालन

बेसल II मानदंडों का अनुपालन करने की दृष्टि से बैंक त्रैमासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूंजी पर्याप्तता के परिकलन पर समानांतर प्रक्रिया भी कर रहा है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को इसके प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ मंडल को भी इसकी जानकारी दे रहा है.

इसके अलावा, बैंक ने चारों दर निर्धारण एजेंसियों जैसे क्रिसिल, आईसीआरए, सीएआरई तथा फिच के साथ भी करार किया है ताकि कॉर्पोरेट ग्राहकों का जोखिम दर निर्धारण कर सके.

प्रकटन नीति तथा आईसीएएपी नीति के अनुसार बैंक ने आवश्यक सूचना का समेकन किया है और मंडल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को इसके प्रकटन तथा प्रस्तुति के लिए गुणवत्ता आश्वासन टीम के द्वारा इसकी जांच करायी है.

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल II ढांचे को सरल तथा प्रभावी ढंग से अपनाने के उद्देश्य से बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है.

आईआरएमएस परियोजना में छः समाधान हैं - जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) ; बाज़ार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ; परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) ; ऋण जोखिम दर निर्धारण समाधान (सीआरआर) (खुदरा व गैर-खुदरा) ; आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एफटीपी) समाधान.

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

यथा 31.03.2011 को बैंक का निर्यात ऋण ₹ 1078 करोड रहा जिसमें से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मात्रा यूएसडी 22.81 मिलियन है. यथा मार्च 2011 को, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार पण्यावर्त ₹ 12854 करोड रहा जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यह ₹ 12530 करोड था.

बैंक छः विनिमय गृहों व मध्य पूर्वी देशों से दो अनिवासी बैंकों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था में भाग ले रहा है. इसके अलावा, खाडी देशों से एनआरआई को भारत में कहीं भी हमारी शाखाओं में उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि विप्रेषण करने हेतु बैंक ने यूएई विनिमय केंद्र एलएलसी तथा अलविन्सारी विनिमय यूएई के लिए "त्वरित विप्रेषण" सुविधा प्रदान की है.

इसके अतिरिक्त बैंक ने यूएसए में रहनेवाले एनआरआई के द्वारा भारत में हमारे बैंक अथवा किसी अन्य बैंक में उनके अपने खाते अथवा अन्य किसी व्यक्ति के खाते में निधि विप्रेषण की सुविधा हेतु एक वेब आधारित ऑनलाइन विप्रेषण सुविधा "वी-रेमिट एक्सप्रेस" शुरू की है.

व्यापारी बैंकिंग व सहायक गतिविधियां

बैंक, श्रेणी I व्यापारी बैंकर के रूप में निर्गम बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, निक्षेपागार भागीदारी के लिए सेबी से पंजीकृत है. ब्लाक की गयी राशि (एएसबीए) योजना द्वारा समर्थित एप्लिकेशनों के अधीन जारी आईपीओ/अधिकार स्वीकृत

करने के लिए "स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक" के रूप में भी बैंक पंजीकृत है.

बैंक, ब्याज/लाभांश/कॉर्पोरेटों का धनवापसी आदेशों के भुगतान के लिए भुगतान बैंकर का कार्य भी करता है. बैंक अपने ग्राहकों को जमा निक्षेपी सेवाएं भी प्रदान करता है. चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑन-लाइन ट्रेडिंग भी शुरू हुई.

सरकारी कारोबार

विभिन्न सरकारी कारोबार के अधीन बैंक अपनी 288 शाखाओं में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर की वसूली भी कर रहा है. बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में करों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है. बैंक की 153 शाखाएं एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाते खोलने के लिए पदनामित है. इसके अलावा, सभी शाखाएं राज्य पेंशन/केंद्रीय पेंशन के वितरण के लिए प्राधिकृत है. केंद्र सरकार पेंशनरों की पेंशन का भुगतान करने के लिए प्र.का. में केंद्रीकृत पेंशन संसाधन कक्ष भी स्थापित किया गया है.

नकद प्रबंधन सेवाएं, भारत में बैंकों के साथ एजेंसी व्यवस्थाएं :

बैंक की अन्य बैंकों के साथ उनके ड्राफ्टों के भुगतान तथा स्थानीय चेकों की वसूली के लिए कार्पोरेशन बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, एचडीएफसी, आईएनजी वैश्या, आईसीआईसीआई, डाइश बैंक तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ टाई-अप व्यवस्था है.

एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी :

ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था की है.

उधारकर्ताओं के लिए समूह बीमा कवरेज :

बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं के सामूहिक कवरेज हेतु मेसर्स बजाज अलायन्स लि. के साथ व्यवस्था की है.

निधि अंतरण सेवाएं (परंपरागत तथा ऑनलाइन) :

बैंक, निधि अंतरण सेवाओं के लिए मनीग्राम तथा एक्सप्रेस मनी का सब-एजेंट है. बैंक ने एनआरआई को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन निधि अंतरण हेतु (रेमिट 2 इंडिया) टाइम्स ऑफ मनी लि. के साथ टाइ अप किया है.

पेमेंट गेटवेज के साथ टाइ-अप :

बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के द्वारा माल तथा सेवाओं की खरीद के लिए ऑन लाइन भुगतान हेतु टाइम्स ऑफ मनी लि. के साथ टाइ अप किया है. इसके अलावा बैंक ने अन्य पेमेंट गेटवे जैसे बिल डेस्क, सीसी एवेन्यू तथा टेक प्रोसेस सालूशन लि. के साथ भी टाइ अप किया है.

वाहन ऋणों के लिए टाइ-अप :

बैंक ने वैयक्तिक उपयोगार्थ वाहन ऋण प्रदान करने के लिए मेसर्स टोयोटा मोटर्स लि., मेसर्स टाटा मोटर्स लि., मेसर्स अशोक लेलैंड लि., मेसर्स महींद्रा एंड महींद्रा लि. तथा मेसर्स ह्युंडाय मोटर्स लि.के साथ टाइ अप किया है.

क्रेडिट कार्ड कारोबार

कार्ड प्रभाग, प्रधान कार्यालय में बिल्लिंग केंद्रीकृत की गयी है तथा प्रभाग से क्रेडिट कार्ड बिल्लिंग में नामे डाले जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक द्वारा जारी कुल कार्ड 148978 है. 31.03.2010 के ₹ 44174 करोड के पण्यावर्त की तुलना में यथा 31.03.2011 को ₹ 43194 करोड का क्रेडिट कार्ड पण्यावर्त है.

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान सूचीबद्ध किए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या 31.03.2010 के 1098 के प्रति 1203 रही. बैंक हमारी कोर बैंकिंग शाखाओं में खाता रखनेवाले व्यापारियों को सीधे भुगतान करता है. कुछ अन्य व्यापारी जिनका अन्य बैंकों में खाता है, को भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एनईएफटी का इस्तेमाल किया जाता है.

डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड जारी करने में अच्छी बढोत्तरी हुई. यथा 31.03.2011 को जारी किए गए डेबिट/एटीएम कार्डों की संख्या वित्तीय वर्ष 31.03.2010 के दौरान जारी 11.35 लाख कार्डों की तुलना में 15.21 लाख कार्ड हैं. डेबिट कार्ड पण्यावर्त 31.03.2010 के ₹ 95 करोड की तुलना में ₹ 169.80 करोड था.

त्वरित व बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए वी-इंस्टेंट डेबिट कार्ड शुरू किए जा रहे हैं जहां ग्राहक खाता खोलने पर तत्काल डेबिट कार्ड उपलब्ध होगा.

विपणन डांचा

बैंक के प्र.का. में विपणन प्रभाग नए उत्पादों को तैयार करने, संभाव्य क्षेत्रों में हमारे खुदरा उत्पादों को प्रचलित करने के लिए विपणन अभियान, मौजूदा उत्पादों की समीक्षा करने तथा उनको बेहतर बनाने, कासा आधार को मजबूती करने के उपायों, विपणन गतिविधियों के लिए पैम्पलेट/पोस्टर/ब्राउशर/मेलर तैयार करने, उच्च प्रबंधन का नजरिया आधारभूत स्तर तक पहुंचाने, बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं पर कार्यशालाएं आयोजित करने और बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली तकनीकी आधारित वैकल्पिक सुपुर्दगी सेवाओं जैसे वी-नेट बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी/वी-मोबाइल बैंकिंग तथा एसएमएस अलर्ट के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है.

नयी पीढी वर्ग, वी-जेन यूथ बचत बैंक खाता तथा विशेष वर्ग वी-प्लेटिनम बचत बैंक खाता के खातेधारकों का पोषण करने के लिए कई पहल की गयी. वी-जेन यूथ बचत बैंक खाते में ₹ 25,000/- तथा उससे अधिक का शेष रखनेवाले खाताधारकों को नीले रंग का वी-जेन यूथ लोगो वाला स्कूल बैग दिया गया था. देशभर में स्कूल के बच्चों के लिए आकर्षक पुरस्कारों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता की गयी थी. उत्पाद का प्रचार करने हेतु अपार्टमेंट कांप्लेक्सों में सभी क्षेत्रों द्वारा बच्चों के लिए वी-जेन यूथ हंगामा प्रतियोगिता की गयी थी. कर्नाटक राज्य के हाईस्कूल के बच्चों के लिए 25वीं वी-जेन यूथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बेंगलूर में आयोजित की गयी थी. अगली पीढी

के लिए वी-जेन यूथ बचत बैंक तथा वी-जेन यूथ उन्नति आरडी उत्पादों के साथ जुड़ी अत्यधिक प्रचलित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विशेष कैलेण्डर घटना बन गयी है.

वी-प्लेटिनम बचत बैंक खाता वर्ग का पोषण करने के लिए खाता शेष के आधार पर खाताधारकों को लैपटॉप बैग, चार ऑडियो सीडी वाला गिफ्ट पैक तथा दो व्यक्तियों के लिए उपहार स्वरूप सिनेमा टिकेट प्रदान किए गए थे. इसके अतिरिक्त इस वर्ग में 20 से 30 वर्ष आयु समूह के युवाओं को "व्हाइल्ड क्राफ्ट" लैपटॉप बैग दिए गए थे. वी-प्लेटिनम चालू खाताधारकों को भारत में धार्मिक स्थानों में की जानेवाली कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखने के लिए डिवाइन कार्ड दिए गए थे.

प्रचार तथा जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान देशभर में बैंक तथा इसके उत्पादों के प्रचार में बढोत्तरी के लिए बैंक ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया में कई प्रमुख प्रचार अभियान किए हैं. बैंक ने विश्व कप क्रिकेट के दौरान रेडियो मिर्ची के 32 स्टेशनों में कॉर्पोरेट/उत्पाद प्रचार अभियान भी किया. इसके साथ-साथ बैंक ने दृश्यता को लक्षित बाह्य प्रचार परियोजनाओं को विभिन्न रेल्वे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर प्रदर्शन के जरिए तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, हाईवे तथा हवाईअड्डों पर विज्ञापन पट्ट लगाकर चालू रखा है.

ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

बैंक में एक सुस्थापित शिकायत निवारण तंत्र है तथा प्रयास किया जाता है कि सभी शिकायतों को समय के अंदर निपटाया जा सके. ग्राहक शिकायतें पूर्णत: ग्राहक संतुष्टि के अनुसार निपटायी जाती है. बैंक ने शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समितियों तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थायी ग्राहक समिति का गठन किया है जिसमें एक ग्राहक सदस्य के रूप में होता है. ये समितियां आवधिक अंतराल पर बैठक आयोजित करती है और ग्राहक सेवा का मूल्यांकन एवं निगरानी करती है तथा उनकी शिकायतों का निवारण करती हैं. मंडल की ग्राहक सेवा समिति भी त्रैमासिक आधार पर ग्राहक सेवा की समीक्षा करती है.

बैंकिंग कूट व भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई के सदस्य के रूप में बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा तैयार की गयी स्वैच्छिक कूट को अपनाया है अर्थात (i) ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कूटा (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताा. बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्गनिर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उसका अनुपालन किया है. मानकों के सही रूप में अनुपालन के उद्देश्य से स्टाफ सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षणों में मानकों के प्रावधानों को समाहित करते हुए ग्राहक सेवा पर एक सत्र को शामिल किया गया है.

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन किया है. आईटीएमएस तथा एचआरएमएस का परिचालन कर उसे कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है. इस मॉड्यूल के सभी प्रमुख परियोजनाएं अब परिचालन में है.

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) :

बैंक ने यथा 28.03.2009 को सभी शाखाओं में केंद्रीकृत डाटा बेस के साथ कोर बैंकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन किया है तथा इसके अधीन 99.98% कारोबार को कवर किया है. केवल जेएनडी मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया जाना बाकी है. सीबीएस के अधीन शाखाओं/कार्यालयों की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

यथा 31.03.2011 को सीबीएस स्थिति

सीबीएस - शाखाएं	1200
सीबीएस में विस्तार काउंटर	44
सेवा शाखाओं सहित कार्यालय	105
कुल	1349

बैंक का डाटा सेंटर प्रधान कार्यालय भवन, बेंगलूर में स्थित है तथा डिसास्टर रिकवरी केंद्र (डीआरसी) मुंबई में स्थापित किया गया है.

वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम

ग्राहकों तथा बैंकों के आपसी लाभ के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम समर्थित प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विपणन कक्ष में कई कार्यकलाप किए हैं. ग्राहकों को मेल भेजे गए जिसमें इंटरनेट बैंकिंग जैसे वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम के लाभ, डेबिट कार्ड का उपयोग, ऑन-लाइन खरीद, आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए निधि अंतरण के लाभ पर प्रकाश डाला गया. कर्मचारी महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन कर्मचारियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम पर एक सत्र चलाया जाता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारी सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है स्टाफ सदस्यों को कार्यशालाओं में इन माध्यमों की जानकारी दी जा रही है.

एसएमएस अलर्ट

हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए त्वरित तथा तकनीकी आधार सेवा प्रदान करने के हमारे लगातार प्रयासों के रूप में बैंक ने जुलाई, 2009 में फिनाकल के माध्यम से वित्तीय लेनदेनों के लिए एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की शुरूआत की. यथा 31.03.2011 को 693726 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे.

वी-मोबाइल

सितंबर, 2009 में शुरू किया गया उत्पाद खाता शेष पूछताछ, लघु विवरणी, निधि अंतरण, बिल भुगतान, मोबाइल मुद्रा चार्जिंग सुविधा, आदि जैसी

सुविधाएं उपलब्ध कराता है. यथा 31.03.2011 को संपूर्ण 21 क्षेत्रों में 22545 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे.

इंटरनेट बैंकिंग

वी-नेट बैंकिंग, बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, अंतर बैंक निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर तथा उपयोगकर्ता बिल का भुगतान, आदि पूर्व सुविधाओं के अतिरिक्त एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अन्य बैंकों के लिए ऑन-लाइन निधि अंतरण, हिताधिकारी का ऑन-लाइन पंजीकरण, सेवा कर, केंद्रीय शुल्क के भुगतान के लिए अद्यतन चालान प्रारूप की उपलब्धता आदि भी उपलब्ध कराता है. कोर बैंकिंग प्लॉटफार्म में सभी शाखाओं के जुडने के साथ बैंक के सभी ग्राहक इस सुविधा का लाभ इंटरनेट के जरिए किसी भी समय, किसी भी स्थान से अपने खाते को देखने तथा लेनदेन करने के लिए उठा सकते हैं. बैंक ने इंटरनेट लेनदेनों के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण(2 एफए)का कार्यान्वयन करने के लिए कदम उठाएँ हैं. अब तक वी-नेट बैंकिंग मॉड्यूल में 68575 खुदरा ग्राहक तथा 8477 कार्पोरेट ग्राहक शामिल हुए हैं.

एटीएम

वर्ष 2010-11 के दौरान 110 अतिरिक्त एटीएम चालू किए गए जिससे मार्च 2011 के अंत तक कुल एटीएम की संख्या 545 हो गयी. इस प्रकार बैंक के ग्राहकों को नैशनल फैनंशियल स्विच (एनएफएस) के अधीन देश भर में जुडे हुए 70000 एटीएम की सुविधा प्राप्त है.

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है. भारतीय रिजर्व बैंक(भारिबैं) ने भारतीय राष्ट्रीय निगम (एनपीसीआई) को चेन्नई में मार्च 2011 तक सीटीएस लागू करने के लिए कहा है. एनपीसीआई की योजना के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्यों के 18 केन्द्रों को कवर करते हुए चेन्नई को हब के रूप में रखते हुए ग्रिड समाशोधन की संभावना पर विचार किया गया है. प्रारंभिक चरण में अप्रेल 2011 तक चेन्नई में सीटीएस परिचालित किया जाएगा. विजया बैंक भी परिचालन के शुरू होने पर सीटीएस में भाग लेने के लिए तैयार है.

मानव संसाधन प्रबंधन

श्रमशक्ति तथा स्टाफ उत्पादकता

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2010 के 11565 की तुलना में मार्च, 2011 में 11415 थी. कुल स्टाफ में से 5048 अधिकारी, 3904 लिपिकीय कर्मचारी, 2127 अधीनस्थ कर्मचारी तथा अधीनस्थ संवर्ग में 336 अंशकालीन कर्मचारी हैं. मार्च 2011 के अंत तक महिला कर्मचारियों की संख्या 2346 थी जिसमें 890 अधिकारी और 1456 एवार्ड स्टाफ हैं जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों का 20.55% है. मार्च 2011 के अंत तक शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग में 203 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 576 कर्मचारी थे.

प्रति कर्मचारी कारोबार मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 9.30 करोड की तुलना में मार्च 2011 में ₹ 11.05 करोड रहा.

भर्ती

वर्ष के दौरान बैंक ने 590 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की. बैंक ने 1/3 वेतनमान में 47 अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती की. बैंक ने सीधे भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न कैंपस भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न श्रेणियों/ वेतनमान में 893 अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उपरोक्त के अलावा बैंक ने नए अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकारों की भर्ती के लिए कैंपस भर्ती प्रक्रिया का भी आयोजन किया है. बैंक ने 235 चपरासियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बैंक 1/3 वेतनमान में 250 अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने की प्रक्रिया में है.

पदोन्नतियां :

वर्ष 2010-2011 के दौरान की गयी पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	से पदोन्नति	तक पदोन्नति	कुल पदोन्नत
1	उ.का.श्रे.वे-VI	उ.का.श्रे.वे- VII	9
2	व.प्र.श्रे.वे-V	उ.का.श्रे.वे-VI	18
3	व.प्र.श्रे.वे-IV	व.प्र.श्रे.वे-V	40
4	म.प्र.श्रे.वे-III	व.प्र.श्रे.वे-IV	142
5	म.प्र.श्रे.वे-II	म.प्र.श्रे.वे-III	269
6	क.प्र.श्रे.वे-I	म.प्र.श्रे.वे-II	395
7	लिपिकीय	क.प्र.श्रे.वे-I	233

प्रशिक्षण

अतिरिक्त एवं सक्षम श्रमशक्ति तथा वर्धित बजट आबंटन के जरिए बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ किया गया है. कर्मचारियों के लिए वर्तमान तथा भविष्य के समनुदेशों को संभालने तथा उच्चतम प्रतिस्पर्धी तकनीकी आधारित ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग वातावरण में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को ठीक से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को पुन: तैयार किया गया है. बैंक अपने कर्मचारियों को कुछ प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेषीकृत क्षेत्रों जैसे खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, फॉरेक्स, मानव संसाधन, विपणन आदि में भी प्रशिक्षण दिलवा रहा है. पिछले वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने 6777 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जो कि कुल कर्मचारियों की 59.40% बनता है. जिसमे से 6175 कर्मचारियों को बैंक की निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया, 602 को समुद्रपारीय संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

मार्च 2011 के अंत तक कुल 11415 स्टाफ में से 1724 अनुसूचित जाति वर्ग के थे और 605 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे. अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित मामलों और उनके सेवा मामलों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए कार्मिक विभाग, प्र.का. में एक अलग अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष का निर्माण किया गया है. अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य कर रहे हैं. प्रत्येक कक्ष में एक पदनामित संपर्क अधिकारी है जो अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करता है. प्र.का. में उच्च कार्यपालक श्रेणी के एक अधिकारी को अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और उनकी सहायता वरिष्ठ अधिकारियों वाला एक कक्ष करता है. मुख्य संपर्क अधिकारी को अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित सभी नीति निर्णयों में शामिल किया जाता है. इसके अलावा, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों व प्रबंधन के बीच तिमाही बैठकें आयोजित की जाती है. अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारी संघ तथा बैंक के बीच संबंध लगातार सौहार्दपूर्ण बने रहे. बैंक नियमित तौर से अ.जा/अ.ज.जा. के लिए भर्ती-पूर्व/पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण सुविधा देता है.

आगे, बैंक ने अन्य पिछडे वर्गों और अल्प संख्यक समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महा प्रबंधक को भी पदनामित किया है. हमारा बैंक अ.जा/अ.ज.जा., ओ.बी. सी.व अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की सभी आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है जिसमें शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं.

स्टाफ संबंध

बैंक द्वारा व्यवहार्य एवं मानवीय दृष्टिकोण रखने के कारण बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और बैंक प्रबंधन तथा बैंक के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से बैंक लगातार प्रगतिशील वृद्धि दिखा रहा है. वातावरण सकारात्मक है तथा इसका परिणाम मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा चौतरफा वृद्धि के रूप में आया. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मधुर रहे. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित मुद्दों के लिए कोई आंदोलन अथवा अशान्ति नहीं रही. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति बैठक तथा समझौता समिति बैठकें हुईं तथा इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित रहें.

खेलकूद गतिविधियां :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक खेलकूद तथा खिलाडियों के व्यक्तित्व को बढावा देने पर जोर देता रहा. बैंक के कई खेलकूद कार्मियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा वर्ष के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया.

बॉस्केटबॉल :

बैंक की बॉस्केटबॉल टीम ने कर्नाटक स्टेट सीनियर डिविजन लीग चैंपियनशिप व सितंबर-अक्तूबर 2010 दौरान बैंगलोर में आयोजित महिन्द्रा एनबीए लीग चैंपियनशिप में भाग लिया तथा विजेता रहे. श्री संजय राज तथा श्रीनिवास नायक ने जनवरी 2011 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए कर्नाटक राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व किया. श्री श्रीनिवास गौडा, श्री बसवराज व श्री श्रीनिवास नायक ने फरवरी 2011 के दौरान रांची में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

क्रिकेट :

श्री आर.विनयकुमार ने वेस्ट इंडिज में आयोजित टी20 विश्व चैंपियनशिप 2010-2011 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए कर्नाटक राज्य टीम के कप्तान के रूप में भी नामित किया गया. श्री सी.एम.गौतम तथा श्री एस.आई.अक्षय ने चेन्नई में आयोजित बुच्चा बाबू टूर्नामेंट में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व किया. श्री आर.विनयकुमार तथा श्री सी.एम.गौतम ने 2010-11 में दिलीप ट्रॉफी तथा देवधर ट्रॉफी चैंपियनशिप के लिए साउथ जोन टीम का प्रतिनिधित्व किया.

कब्बड्डी :

हमारी कब्बड्डी टीम ने बैंगलोर में आयोजित कर्नाटक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लिया तथा विजेता रहे. श्री के.मनोज, बैंक की कब्बड्डी टीम के सदस्य को अक्तूबर 2010 के दौरान एसएआई स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, सोनीपत में आयोजित राष्ट्रीय कब्बड्डी कोचिंग कैंप में भाग लेने के लिए चुना गया.

व्हेट लिफ्टिंग :

श्री एस.प्रकाश, बैंक के व्हेट लिफ्टिंग टीम के सदस्य जोकि वर्तमान में हमारी वाणी विलास रोड शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, ने पुत्तुर में आयोजित राज्य व्हेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया (77 कि.ग्रा. भार श्रेणी में रजत पदक).

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं जैसे कैंटीन अनुदान, वाहन व्यय प्रतिपूर्ति, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, प्र.का. में स्वास्थ्य क्लीनिक, अधिवार्षिता

पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक चिकित्सा सहायता, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति, रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना, मकान किराया प्रतिपूर्ति, बैंगलोर, मैसूर, ऊटी, दिल्ली व मुंबई में हॉलिडे होम, आदि हैं.

बैंक में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अलग कल्याण निधि न्यास भी है अर्थात कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, अस्पतालीकरण व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति, चश्मे के व्यय की प्रतिपूर्ति, मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय, अधिवर्षिता उम्र होने के बाद बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना, आदि.

बैंक, परिवार कल्याण योजना भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है.

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

त्वरित निर्णय लेने तथा प्रधान कार्यालय में केंद्रीयकृत त्रुटिमुक्त कर्मचारी डाटा प्रबंधन तैयार करने के लिए बैंक ने एचआरएमएस (पीपल सॉफ्ट) सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया है.

आंतरिक लेखा कार्य

सभी अंतर बैंक लेनदेनों के संबंध में मिलान 31.03.2011 तक कर दिया गया है. अंतर शाखा बकाया प्रविष्टियों के मिलान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित छह महीनों की न्यूनतम अवधि की तुलना में हमारी वर्तमान स्थिति 3 महीने है. विभिन्न संवेदनशील खातों के अधीन सभी बकाया प्रविष्टियों का तुरंत अनुवर्तन किया जा रहा है. लंबित अदालत मामलों से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़कर अन्य सभी दीर्घकालीन बकाया प्रविष्टियों को समाप्त कर दिया गया है.

आंतरिक निरीक्षण

बैंक ने सुपरिभाषित लेखा परीक्षा नीति लागू की है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति नियमित तौर पर लेखा परीक्षा कार्य के निष्पादन की देखरेख करती है जिसके लिए बैंक की लेखा परीक्षा प्रणाली व आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन व निर्देश देती है.

बैंक नियमित तौर पर जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा करता है. बैंक ने 777 निर्धारित शाखाओं में से 777 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया है.

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 38 फॉरेक्स शाखाओं, 12 सेवा शाखाओं, 29 मुद्रा कोष, 10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के 9 विभागों का निरीक्षण किया गया. आईएस लेखा परीक्षा नीति के अनुसार शाखाओं में आईएस लेखा परीक्षा की जाती है.

बैंक का 77.31% कारोबार सनदी लेखाकारों के बाह्य फर्म द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन है जबकि 16 शाखाओं में हमारे आंतरिक निरीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा की गयी(अर्थात.,प्र.का. के 5 विभागों सहित कुल271). बैंक लेखा परीक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जिसमें जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली (आरबीआईए) में स्वचालन भी शामिल है.

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारक (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम (सीएफटी)

बैंक की "अपने ग्राहक को जानिए" , " धन शोधन निवारक" तथा "आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम" पर पॉलिसी है और प्र.का.स्थित केवाईसी कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में एक पदनामित नोडल अधिकारी द्वारा इसकी देखरेख की जाती है. पॉलिसी मार्गनिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे तथा इनका समय-समय पर अद्यतन किया जाता है.

केवाईसी मानदंडों तथा एएमएल मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की आंतरिक निरीक्षकों तथा समवर्ती लेखापरीक्षकों, सर्तकता निरीक्षकों तथा कार्यपालकों द्वारा शाखा निरीक्षण के दौरान जाँच की जाती है. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शाखाओं में इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी होता है तथा वह मासिक आधार पर केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन की पुष्टि से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है. उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर गतिविधियों से अवगत कराया जाता है.

केवाईसी मानदंड, ग्राहक प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण पर ब्यौरे प्राप्त करने के लिए खाता खोलने के फार्म में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं.किसी भी खाते में चेक बुक जारी करने से पहले केवाईसी अनुपालन के स्तर की जाँच करने के लिए सिस्टम सहायता उपलब्ध करायी जा रही है.

धन शोधन निवारण का कार्यान्वयन:

यूएन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आतंकवादीयों की सूची से ग्राहकों के नाम का मिलान करने तथा प्रत्येक खाते में केवाईसी अनुपालन के स्तर की जाँच करने के लिए एक सिस्टम सहायता उपलब्ध करायी गयी है. धन शोधन निवारकके नियंत्रण के रूप में प्र.का. में विशेषीकृत एएमलॉक साफ्टवेयर के जरिए नकद लेनदेनों की देखरेख की जा रही है.

एएमलॉक साफ्टवेयर के जरिए बड़े मूल्य वाले लेनदेनों की निगरानी, नकद लेनदेन रिपोर्ट, संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट तथा जाली मुद्रा रिपोर्ट उत्पन्न की जा रही है.

शाखाओं तथा मुद्राकोषों को अनुदेश दिया गया है कि जाली मुद्रा प्राप्त होने पर उन्हें केवाईसी कक्ष को उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. प्र.का. में सिस्टम के जरिए सीसीआर उत्पन्न किया जा रहा है तथा एफआईयू-आईएनडी को इसकी प्रस्तुति की जा रही है.

स्टाफ तथा अधिकारियों को केवाईसी,एएमएल तथा सीएफटी पर स्टाफ कर्मचारी महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

सतर्कता

प्रधान कार्यालय में बैंक के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं जोकि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से हैं. सतर्कता विभाग के अधीन धोखाधड़ी निवारण व निगरानी कक्ष भी कार्यरत है. सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप करता है. ₹ 1.00 लाख व अधिक की धोखाधड़ी के मामले मंडल के निदेशकों के समक्ष रखा जाता है तथा इसकी रिपोर्ट भा.रि.बैं. को धोखाधड़ी के पता चलने तथा रिपोर्ट किए जाने पर अग्रेषित किया जाता है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर ₹ 1.00 लाख व अधिक की धोखाधड़ियों की सूचना दी जाती है. भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में ₹ 1.00 करोड व अधिक की उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की समीक्षा मंडल की एक विशेष समिति के द्वारा की जा रही है. पता किए गए धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद बैंक द्वारा निवारक सतर्कता उपाय के रूप में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए उचित अनुदेश जारी किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपाय के रूप में शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी करता है. ये क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं. एक ही प्रकार की धोखाधड़ियों को बार-बार होने से रोकने और निवारक सतर्कता उपायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं.

अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है. अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय में भारत सरकार, भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा दूसरों से प्राप्त विभिन्न संप्रेषण का अनुपालन किया जाता है जिसके लिए संबंधित परिचालनात्मक विभागों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए ऐसे सभी संप्रेषण भेजे जाते हैं. अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो उप महा प्रबंधक स्तर के है.

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है जो 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ. प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित में सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देता है. इसका लक्ष्य प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा इससे प्रासंगिक मामलों में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना है.

क्षेत्रीय कार्यालय के दूसरी पंक्ति के कार्यपालक को सार्वजनिक सूचना अधिकार के रूप में नामित किया जाता है तथा क्षेत्राध्यक्षों को अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है. प्र.का. में उप महा प्रबंधक (ऋ व व) को सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में तथा महा प्रबंधक (ऋ व व) को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है.

अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर दी जाती है. 2010-11 के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक को 586 आवेदन व 47 अपील प्राप्त हुई तथा उनका निपटान किया गया.

सुरक्षा व्यवस्था

बैंक के संगनाठत्मक ढ़ाचें में सुसंस्थापित सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का सुस्पष्ट प्रत्यायोजन किया गया है.

विभाग ने सभी मुद्राकोषों तथा बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा उन्हें मजबूती प्रदान की है. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा इन व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए नियमित आधार पर शाखा निरीक्षण करते हैं. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजन्सियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखते हैं. विद्यमान सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार बैंक में सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्नयन किया गया है.

बैंक सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि वह अधिक प्रभावी, मार्डन तथा बाधा-रहित सुरक्षा प्रणाली हो सके. भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार बैंक के सभी मुद्राकोषों में ऍक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम को मजबूती प्रदान की गयी है. मुद्राकोषों के स्ट्रॉंग रूम में ऍक्सेस का नियंत्रण करने के लिए उचित प्रणाली तथा मुद्राकोष के वॉल्ट रूम में प्रविष्टि/ से बाहर आने का उचित रिकार्ड रखा जा रहा है. ऍक्सेस कन्ट्रोल उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक के सभी मुद्राकोषों में बायोमैट्रिक ऍक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम लगाया गया है.

भा.रि.बैं./भा.बैं.सं. के दिशानिर्देशानुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी जरूरी तथा अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. सभी शाखाओं तथा मुद्राकोषों में सिक्युरिटि अलार्म सिस्टम लगाया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार स्ट्रॉंग रूम 1100 शाखाओं में उपलब्ध कराए गए हैं.

बैंक में 29 (उनतीस) मुद्रा कोष है. 28 मुद्रा कोषों में पुलिस गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. बैंक की भुवनेश्वर मुद्राकोष में चौबीस घंटे की चौकसी के लिए महा निदेशक रिसेटलमेंट (डीजीआर)द्वारा प्रायोजित निजी सुरक्षा एजेंसी उपलब्ध करायी गयी है.

मुद्राकोष/शाखाओं में नियोजित सशस्त्र गार्डों को वार्षिक आधार पर फाइरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण दिया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय

में गठित सुरक्षा समिति सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक आयोजित करती हैं.

खतरे की आंशका, नकदी की मात्रा तथा कीमती सामान तथा लगातार चौकसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में 206 पहचानी गयी शाखाओं में सीसीटीवी सर्विलैंस सिस्टम लगाया गया है. शेष अतिसंवेदनशील शाखाओं में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाएगा.

राजभाषा कार्यान्वयन वर्ष 2010-11

बैंक के कर्मचारियों के मिले-जुले प्रयासों से बैंक, 31.03.2011 को "क" क्षेत्र में 86.61%, "ख" क्षेत्र में 90.02% व "ग" क्षेत्र में 64.35% का हिन्दी पत्राचार का स्तर हासिल कर सका.

बैंक के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र, ग्राहक व स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया. बैंक के 124 कार्यपालकों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गयी. राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार सभी हिन्दी कार्यशालाओं में 'यूनिकोड' प्रशिक्षण दिया जा रहा है. स्टाफ सदस्यों के लिए 77 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयी जिसमें 1350 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. बैंक की द्विभाषी वेबसाइट भी उपलब्ध है तथा समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है.

राजभाषा पर संसदीय राजभाषा समिति (आलेख एवं साक्ष्य समिति) ने कोयंबत्तूर एवं झांसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के साथ विचार-विमर्श किया जिसमें हमारी शाखाएं भी शामिल थी. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची का निरीक्षण किया. उन्होंने बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य की सराहना की.

पुरस्कार

रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में बैंक को "ग" क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ.

वर्ष 2009-10 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बेंगलूर) ने राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गैर-सदस्य कार्यालय श्रेणी में बी.टी.एम. लेआउट शाखा को द्वितीय पुरस्कार, कर्मचारी महाविद्यालय-बेंगलूर को प्रशिक्षण केंद्र श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मंगलूर) ने क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर को द्वितीय पुरस्कार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पुणे) ने सदाशिवपेठ, पुणे शाखा को शाखा श्रेणी में तृतीय पुरस्कार; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (हासन) ने क्षेत्रीय कार्यालय, हासन को सार्वजनिक क्षेत्र बैंक श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली) से क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया.

बेंगलूर शहर में कार्यरत स्टाफ सदस्यों ने नराकास के तत्वावधान में आयोजित अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में भाग लिया. 12 प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और हमारे बैंक को 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ.

बैंक के आंतरिक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में बेहतर निष्पादन के लिए प्रधान कार्यालय विभाग श्रेणी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रथम पुरस्कार, स्टाफ महाविद्यालय-बेंगलूर को द्वितीय पुरस्कार तथा कार्ड प्रभाग को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. क्षेत्र वर्ग के अधीन नागपुर क्षेत्र को प्रथम पुरस्कार, मुंबई क्षेत्र को द्वितीय पुरस्कार तथा चंडीगढ़ क्षेत्र को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

एक जिम्मेदार एवं अनुक्रियात्मक कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते विजया बैंक लगातार समुदाय एवं सामाजिक निवेशों में लगा रहता है.

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने मलनाड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, होन्नावर, उत्तर कन्नड़ा जिला को सीबीएसई स्कूल हेतु भवन निर्माण के लिए ₹ 50,000/- का अनुदान दिया. बैंक ने सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल, बेल्वे, उडुपि जिला के लिए खेलकूद उपकरण की खरीद के लिए भी अनुदान दिया. स्वास्थ सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में बैंक ने कैनरा बैंक राहत व कल्याण सोसाइटी द्वारा प्रबंधित सेवकक्षेत्र अस्पताल, बेंगलूर को 3 मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर उपकरण की खरीद के लिए ₹ 3,00,000/- का अनुदान दिया. बैंक ने नजरत अस्पताल, लखनऊ के गरीब मरीजों को 2 बिस्तरों के लिए बिस्तर प्रभार तथा दवाईयों की लागत उपलब्ध करा निशुल्क चिकित्सा कराने के लिए ₹ 30,000/- प्रति वर्ष भी खर्च किया.

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन (वीआरडीएफ) को विभिन्न प्रशिक्षण, निशुल्क स्वास्थ कैंप, ग्रामीण क्षेत्र के तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभावान शिक्षार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने आदि के लिए ₹ 20.00 लाख का अनुदान दिया.

विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन

बैंक द्वारा वर्ष 1990 में मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन का प्रवर्तन किया गया. वर्ष के दौरान वीआरडीएफ ने विभिन्न विषयों को शामिल करते

हुए 108 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम चलाए जिससे 6360 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ. ग्रामीण गरीब के लाभ के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाए गए.

प्रतिष्ठान ने सरकारी स्कूलों में पढनेवाले तथा गांवों से आनेवाले गरीब योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी. प्रतिष्ठान ने हावेरी, धारवाड तथा मंड्या जैसे जिलों में अपने कार्यकलाप शुरू किए हैं, जिसमें बैंक की अग्रणी बैंक के रूप में जिम्मेदारी है. बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान फाउंडेशन को विभिन्न गतिविधियों तथा अपने सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ₹ 20.00 लाख का अनुदान दिया.

वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान)

बैंक ने कर्नाटक के मंड्या जिले में 1.1.2000 को विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (वीआईबीएसईटीआई) नामक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की. प्रशिक्षार्थियों की आवास सुविधाओं के लिए संस्था का मंड्या में निजी कैंपस है. यह विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/जागरूकता कार्यक्रम तथा उत्पाद विकास कार्यशालाएं चलाती आ रही है. वर्ष के दौरान संस्थान ने 60 कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 475 प्रशिक्षण दिवस थे तथा 3267 हिताधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 3142 स्व-उद्यम/लाभप्रद स्व-रोजगार में लग गए.

बैंक ने हावेरी में 1.9.2003 में एक और वीआईबीएसईटीआई की स्थापना की. वीआईबीएसईटीआई, हावेरी ने 73 कार्यक्रम किए गए जिसमें 284 प्रशिक्षण दिवस थे, 2893 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 2584 विभिन्न स्व-रोजगार उद्यमों में लग गए. चालू वर्ष के दौरान बैंक ने इंदौर में एक और वीआईबीएसईटीआई की स्थापना की जिसने 03.02.2011 से कार्य करना चालू कर दिया है और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया तथा इसमें 14 हिताधिकारियों को लाभ पहुँचा.

मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप-समितियों की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 12 बैठकें, मंडल की प्रबंध समिति की 23 बैठकें, मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 10 बैठकें, निदेशक प्रवर्तक समिति की 4 बैठकें, मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की 7 बैठकें, ₹ 1.00 करोड व अधिक मूल्य की धोखाधडियों की समीक्षा समिति की 5 बैठकें, रेम्यूनरेशन समिति की 1 बैठक, नामांकन समिति की 1 बैठक, ग्राहक सेवा समिति की 5 बैठकें, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की 4 बैठकें तथा शेयर अंतरण समिति की 17 बैठकें, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी अंतिम आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गयी अपील पर विचार करने के लिए 1 बैठक तथा आबंटन समिति की1 बैठक हुई.

निदेशक मंडल

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में नीचे उल्लिखित परिवर्तन हुए :

1. श्रीमती सुमा वर्मा को 30.07.2010 से श्री के.वेंकटप्पा के स्थान पर भा.रि.बैं. निदेशक के रूप में नामित किया गया.
2. श्री जी.बी.सिंह, सरकारी नामिती निदेशक 30.09.2010 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए.
3. श्री एल.के.मीणा को 29.10.2010 से श्री जी.बी.सिंह के स्थान पर सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नामित किया गया.
4. श्री सुरेश कामत को 02.11.2010 से श्री पी.शांताराम शेट्टी के स्थान पर कामगार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
5. श्री निशांक कुमार जैन, गैर-अधिकारी निदेशक, उनके तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 02.01.2011 से बैंक के निदेशक नहीं रहें.

31 मार्च, 2011 को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

i. श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, कार्यकारी निदेशक
iii. श्री एल.के.मीणा, सरकारी नामिती निदेशक
iv. श्रीमती सुमा वर्मा, भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
v. श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.), शेयरधारक नामिति निदेशक
vi. श्री अशोक कुमार शेट्टी, शेयरधारक नामिति निदेशक
vii. श्री एस.अनंतन, शेयरधारक नामिति निदेशक
viii. श्री रंजन शेट्टी, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
ix. श्री श्रीधर चेरुकूरी, गैर-सरकारी निदेशक
x. श्री बी.इब्राहिम, गैर-सरकारी निदेशक
xi. श्री सुरेश कामत, कामगार कर्मचारी निदेशक

निदेशक मंडल, बैंक में निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री के. वेंकटप्पा, श्री जी.बी.सिंह, श्री पी.शांताराम शेट्टी तथा श्री निशांक कुमार जैन की मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करता है.

आभार

निदेशक मंडल, वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक की सर्वांगीण प्रगति में सभी ग्राहकों, शेयरधारकों, स्टाफ सदस्यों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारत सरकार से प्राप्त अमूल्य सहयोग और सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूर
दिनांक : 28 अप्रैल, 2011

एच.एस.उपेन्द्र कामत
अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक

कंपनी शासन पर विजया बैंक के

निदेशक मंडल की रिपोर्ट – 2010 - 11

1. परिचय

स्टॉक विनिमय के साथ सूचीबद्धता संबंधी करार की अनिवार्यता तथा कंपनी शासन पर डॉ.गांगुली समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भी बैंक कंपनी शासन के उच्चतम मानक की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है. बैंक अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य जनता, समाज, संरक्षकों, सरकार तथा विनियामकों समेत सभी हितधारकों की ओर अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है. शासन संहिता का सिद्धांत बैंक के सभी कार्य क्षेत्र में अपनाए गए लक्ष्यों की पूर्ति को उत्साह व उमंग से हासिल करना सुनिश्चित करता है.

2. शासन संहिता पर बैंक के सिद्धांत

कंपनी शासन प्रतीक है, ज़िम्मेदारी व मूल्य जनक प्रबंधन तथा बैंक के नियंत्रण का प्रतीक है व किसी भी संस्था के सुदृढ कार्यनिष्पादन पद्धति के लिए शासन संहिता का होना सुदृढ आधार माना जाता है. बैंक की नीतियाँ व प्रथाएँ न केवल संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप होते है बल्कि जोखिमधारकों के संपूर्ण हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता का सूचक भी है. कोई भी नियंत्रण, पद्धति एवं प्रक्रिया सुदृढ शासन संहिता की जगह नहीं ले सकती है.

बैंक, कंपनी शासन की परिभाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया के रूप में करता है जिसके द्वारा संगठनों को अपनी धन-संपदा उत्पन्न करने की क्षमता को बढाने हेतु निर्देश दिए जाते हैं तथा उनका नियंत्रण किया जाता है. चूंकि कंपनी समाज के संसाधनों को व्यापक मात्रा में नियोजित करती है इसलिए यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग हितधारकों की महत्वकांक्षाओं तथा समाज की उम्मीदों के अनुरूप किया जाए. शासन संहिता के अंग के रूप में बैंक बेहतरीन व्यवसाय-प्रथा को अपनाने का प्रयास करता है जो संस्था को नवोन्मेष एवं उत्पाद व उच्चतर सेवा प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता को बनाए रखने में सहायक होता है.

बैंक के कंपनी शासन सिद्धांत निम्नलिखित व्यापक लोकाचार पर आधारित है :

1. लाभप्रद वृद्धि उत्पन्न करना जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सके. इससे हमारे हितधारकों की संपत्ति अधिकाधिक बढती है.
2. कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा न सिर्फ उच्च स्तरीय पारदर्शिता और प्रकटन स्तर बनाकर प्रमाणपत्र जारी करना.
3. कार्य दल का अनुरक्षण ज्ञान तथा विद्वत्ता के नेटवर्क के रूप में करना. हमारी कंपनी संस्कृति खुला संवाद, आपसी सम्मान, स्पष्ट लक्ष्य तथा निर्णायक नेतृत्व है.
4. एक ऐसा प्रबंधन जो खुला है, पारदर्शी है, अग्रसक्रिय है, गुण आधारित तथा पक्षपात मुक्त है जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित न्याय सुनिश्चित किया जा सके.

अत: बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति, अपने आपको न्यास मानता है तथा शेयरधारकों की संपत्ति को सृजित करना व उसे सुरक्षित रखना अपनी ज़िम्मेदारी समझता है. बैंक इसे प्रभावी कंपनी रणनीतियों, अग्रसक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाता है जिससे नैतिक व वैधिक ज़िम्मेदारियों की पूर्ति की जा सके.

3. निदेशक मंडल

मंडल का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के अनुसार किया गया है, जिससे कंपनी शासन की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है.

3.1 यथा दिनांक 31.03.2011 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यपालक	2
गैर-कार्यपालक	9
कुल	**11**

ये निदेशक, बैंक की प्रगति के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं. मंडल की संरचना, शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करारनामे की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

3.2 निदेशक मंडल के विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक–पद का स्वरूप	पद संभालने की तारीख
1.	श्री आल्बर्ट तावरो *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	02.08.2008 से
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	20.11.2009 से
3.	श्री जी.बी.सिंह *	नामिती – भारत सरकार	गैर – कार्यपालक	20.08.2007 से
4.	श्री एल के मीणा **	नामिती – भारत सरकार	गैर – कार्यपालक	29.10.2010 से
5.	श्री के.वेंकटप्पा ***	नामिती – भारतीय रिजर्व बैंक	गैर – कार्यपालक	27.02.2007 से
6.	श्रीमती सुमा वर्मा ****	नामिती – भारतीय रिजर्व बैंक	गैर – कार्यपालक	30.07.2010 से
7.	श्री पी.शांताराम शेट्टी #	कामगार निदेशक	गैर – कार्यपालक	02.11.2007 से
8.	श्री सुरेश कामत ##	कामगार निदेशक	गैर – कार्यपालक	02.11.2010 से
9.	श्री अशोक कुमार शेट्टी	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
10.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
11.	श्री निशांक कुमार जैन ###	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	03.01.2008 से
12.	श्री श्रीधर चेरुकूरी	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	10.07.2008 से
13.	श्री एस.अनंतन	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
14.	श्री रंजन शेट्टी	अधिकारी – कर्मचारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	09.09.2008 से
15.	श्री बी. इब्राहिम	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	02.03.2009 से

* श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दि. 31.03.2011 को अधिवर्षिता पर बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए.

* श्री जी.बी.सिंह, भारत सरकार की सेवाओं से दि. 30.09.2010 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने के कारण बैंक के निदेशक नहीं रहे.

** श्री एल.के.मीणा को दि. 29.10.2010 की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/9/2009-बीओ.1 के जरिए बैंक के भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

*** श्री के.वेंकटप्पा दि.29.07.2010 को अवधि समाप्त होने पर अब भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक नहीं रहे.

**** श्रीमती सुमा वर्मा को भारत सरकार ने दि. 30.07.2010 की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/2/2007-बीओ.1 के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

\# दि.01.11.2010 को अवधि समाप्त होने के कारण श्री पी.शांताराम शेट्टी, कामगार निदेशक अब बैंक के निदेशक नहीं रहे.

\## श्री सुरेश कामत को भारत सरकार ने दि.02.11.2010 से बैंक के कामगार निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.

\### श्री निशांक कुमार जैन मंडल से दि. 02.01.2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण बैंक के निदेशक नहीं रहे.

3.3 वर्ष 2010-11 के दौरान नियुक्त निदेशकों की रूपरेखा

नाम	**श्रीमती सुमा वर्मा**
जन्म तिथि	05.01.1957
उम्र	54 वर्ष
अर्हता	बी.एससी., पीजीडीएम
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	नामिती-भारतीय रिजर्व बैंक श्रीमती सुमा वर्मा को, दि.30.07.2010 की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/2/2007-बीओ.1 के ज़रिए बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 (सी) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
अनुभव	श्रीमती सुमा वर्मा ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, कोलकाता से मेनेजमेंट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है. में 1982 में रिजर्व बैंक में उनकी भर्ती हुई और उन्होंने विदेशी विनिमय, बैंकिंग परिचालन, मुद्रा प्रबंधन, ग्रमीण आयोजन व ऋण विकास विभाग, आदि विभिन्न केंद्रों में कार्य किया है. वह टॉस्क फोर्स ऑन फिनांशियल सेक्टर प्लैन फॉर सिक्किम की सदस्य सचिवा, फिनांशियल प्रॉब्लेम्स ऑफ जूट इंडस्ट्री के कार्यदल सदस्य सचिवा व अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में सुनामी से त्रस्त उधारकर्ताओं को राहत उपाय देने के प्रस्ताव को गति देने हेतु गठित एम्पावर्ड टॉस्क फोर्स की सदस्य सचिवा भी रहीं. केरल, लक्षद्वीप व गोवे के बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया है. श्रीमती सुमा वर्मा जी आंध्र प्रदेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक भी रहीं. आजकल वे केरल व लक्षद्वीप की क्षेत्रीय निदेशक हैं.

नाम	**श्री एल.के. मीणा**
जन्म तिथि	26.02.1961
उम्र	50 वर्ष
अर्हता	एम.ए.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	नामिती-भारत सरकार श्री एल.के.मीणा को भारत सरकार ने दि.29.10.2010 की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/9/2009-बीओ.1 के ज़रिए बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के खंड (बी) की धारा 9 की उप-धारा (3) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन भारत सरकार नामिती, निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.
अनुभव	श्री एल.के.मीणा राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है. वर्ष 1989 में भारत सरकार में अनुभाग अधिकारी (आईसीएस संबद्ध) के रूप में उनकी भर्ती हुई. वे वर्ष 1995 में पदोन्नति पर रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर सचिव के रूप में तैनात हुए. बाद में वर्ष 2007 में उन्हें उप सचिव के रूप में पदोन्नत कर बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में तैनात किया गया. 2010 में वे बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में पदोन्नत होकर निदेशक बने. श्री मीणा जी, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के निदेशक मंडल में रहे और संप्रति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के वित्तीय विकास निगम में निदेशक है.

नाम जन्म तिथि उम्र अर्हता	श्री सुरेश कामत 15.01.1954 57 वर्ष बी.कॉम.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कामगार निदेशक श्री सुरेश कामत को बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) जो राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 9 के उप-खंड (1) व (2) के साथ पठित है, के अधीन बैंक कामगार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री सुरेश कामत मजदूर संघ गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय हैं और संप्रति विजया बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के कोषपाल है. बैंकिंग तथा ट्रेड यूनियन में उन्हें 36 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है. श्री कामत जी ने बैंक की विभिन्न शाखाओं में काम किया है और आजकल बैंक की रेसिडेंसी रोड शाखा, बेंगलूर में विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं.

3.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 12 बैठकें हुई, जब कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

30.04.2010	05.06.2010	08.07.2010	22.07.2010	31.08.2010	25.09.2010
22.10.2010	27.11.2010	29.12.2010	24.01.2011	22.02.2011	30.03.2011

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं.

3.5 मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
1	श्री आल्बर्ट तावरो	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	हाँ
2	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	हाँ
3	श्री जी.बी.सिंह	01.04.2010 - 30.09.2010	6	3	नहीं
4	श्री एल.के.मीणा	29.10.2010 - 31.03.2011	5	5	नहीं
5	श्रीमती सुमा वर्मा	30.07.2010 - 31.03.2011	8	8	नहीं
6	श्री पी.शांताराम शेट्टी	01.04.2010 - 01.11.2010	7	7	नहीं
7	श्री श्रीधर चेरुकूरी	01.04.2010 - 31.03.2011	12	4	नहीं
8	श्री अशोक कुमार शेट्टी	01.04.2010 - 31.03.2011	12	7	हाँ
9	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	01.04.2010 - 31.03.2011	12	9	हाँ
10	श्री के.वेंकटप्पा	01.04.2010 - 29.07.2010	4	4	नहीं
11	श्री निशांक कुमार जैन	01.04.2010 - 02.01.2011	9	8	हाँ
12	श्री एस.अनंतन	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	हाँ
13	श्री रंजन शेट्टी	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	हाँ
14	श्री बी.इब्राहिम	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	हाँ
15	श्री सुरेश कामत	02.11.2010 - 31.03.2011	5	5	नहीं

4. मंडल की समितियां :

एसईबीआई और भा.रि.बैं. की अपेक्षाओं के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और एसईबीआई व भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुसार निगरानी रखती हैं. मंडल ने नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया :

1. प्रबंध समिति	9. ग्राहक सेवा समिति
2. लेखापरीक्षा समिति	9. पारिश्रमिक समिति
3. शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति	10. नामांकन समिति
4. शेयर अंतरण समिति	11. चयन विवाद निपटान हेतु विशेष समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति	12. अनुशासनिक मामलों में कर्मचारियों द्वारा अपील के निपटान की समिति जहां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनुशासनिक प्राधिकारी है
6. उच्च मूल्य धोखाधड़ी की समीक्षा हेतु समिति	
7. निदेशकों की पदोन्नति समिति	13. शेयर आबंटन समिति

4.1 मंडल की प्रबंध समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड – 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंध समिति का गठन किया गया है. मंडल की प्रबंध समिति के गठन का उद्देश्य है, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना जैसे; नई जमा योजनाएं शुरू करना, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या गैर निधि आधारित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जिसे, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिया जाता है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 23 बैठकें हुईं. वर्ष के दौरान हुईं, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

19.04.2010	29.04.2010	19.05.2010	04.06.2010	25.06.2010	08.07.2010
28.07.2010	16.08.2010	01.09.2010	18.09.2010	25.09.2010	12.10.2010
21.10.2010	09.11.2010	27.11.2010	16.12.2010	29.12.2010	13.01.2011
31.01.2011	14.02.2011	07.03.2011	24.03.2011	29.03.2011	

4.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	23	23
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	23	23
3.	श्रीमती सुमा वर्मा * गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	30.07.2010 - 31.03.2011	16	15
4.	श्री सुरेश कामत ** कामगार – निदेशक	सदस्य	02.01.2011 - 31.03.2011	6	6
5.	श्री श्रीधर चेरुकूरी *** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 24.09.2010	10	4
6.	श्री अशोक कुमार शेट्टी **** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	09.07.2010 - 08.01.2011	11	10

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
7.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) [#1] गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	06.09.2010 - 05.03.2011	11	8
8.	श्री के.वेंकटप्पा [#2] गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 29.07.2010	7	7
9.	श्री निशांक कुमार जैन [#3] गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	25.09.2010 - 02.01.2011	7	5
10.	श्री एस.अनंतन [#4] गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 09.07.2010 व 06.03.2011 - 31.03.2011	9	8
11.	श्री रंजन शेट्टी [#5] अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 05.09.2010	9	9
12.	श्री बी.इब्राहिम [#6] गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	09.01.2011 - 31.03.2011	6	6

* श्रीमती सुमा वर्मा दि.30.07.2010 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/2/2007-बीओ.1 के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने पर समिति की सदस्य बन गयी हैं.

** श्री सुरेश कामत दि.02.11.2010 से समिति के सदस्य बन गए है.

*** श्री श्रीधर चेरुकूरी दि.01.04.2010 से दि.24.09.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

**** श्री अशोक कुमार शेट्टी दि.09.07.2010 से दि.08.01.2011 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#1 श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) दि.06.09.2010 से दि.05.03.2011 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#2 श्री के.वेंकटप्पा दि.29.07.2010 से मंडल से सेवानिवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

#3 श्री निशांक कुमार जैन दि.02.01.2011 से मंडल से सेवानिवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

#4 श्री एस.अनंतन दि.01.04.2010 से दि.09.07.2010 तक तथा दि.06.03.2011 से दि.31.03.2011 तक समिति के सदस्य रहे.

#5 श्री रंजन शेट्टी दि.01.04.2010 से दि.05.09.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#6 श्री बी.इब्राहिम दि.09.01.2011 से दि.31.03.2011 तक समिति के सदस्य रहे हैं.

4.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखा परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के कामकाज के संबंध में भी निर्देश देती है. इसमें शामिल हैं; बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन. कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.

लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी का सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना;
- प्रबंध वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर खास बल देना जैसे; लेखा नीतियां और परिपाटी, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधड़ी का शक हो अथवा अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मजबूत करने के लिए सुझाव देना.

- ❖ वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार- विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.
- ❖ जमाकर्ताओं, शेयरधारकों डिबेंचर धारकों और लेनदारों, को किए जानेवाले भुगतान में काफी हद तक यदि कोई चूक हुई हो तो उसकी वजह जानना.
- ❖ प्रबंध वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- ❖ यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है:
  - क) अंतर शाखा समाबोजन खाते
  - ख) अंतर शाखा खातों और नॉस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गईं प्रविष्टियां
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बकाया बहियों का संतुलन कार्य
  - घ) धोखाधडी और
  - ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें 5 निदेशक हैं जिसके अध्यक्ष के रूप में वित्त की जानकारी रखनेवाले गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं.

भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यत : तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छह बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष को दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 10 बैठकें हुईं.

03.04.2010	30.04.2010	09.07.2010	22.07.2010	26.09.2010
22.10.2010	16.12.2010	28.12.2010	24.01.2011	30.03.2011

4.2.1 एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस.अनंतन शेयरधारक निदेशक - सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	10	10
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	10	10
3.	श्री के. वेंकटप्पा * गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 29.07.2010	4	4
4.	श्री जी.बी. सिंह ** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.09.2010	5	3
5.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)*** शेयरधारक निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	4	3
6.	श्रीमती सुमा वर्मा **** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.07.2010 - 31.03.2011	6	6
7.	श्री एल.के. मीणा # गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	03.11.2010 - 31.03.2011	4	4
8.	श्री बी. इब्राहिम ## गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.09.2010 - 31.03.2011	6	6

* श्री के.वेंकटप्पा दि.29.07.2010 से मंडल से सेवानिवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्री जी.बी.सिंह दि.30.09.2010 से मंडल से सेवानिवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

*** श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) दि.01.04.2010 से दि.22.08.2010 तक समिति के सदस्य थे.

**** श्रीमती सुमा वर्मा को दि.31.07.2010 से समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया.

\# श्री एल.के.मीणा को दि.03.11.2010 से समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया.

श्री बी.इब्राहिम को दि.01.09.2010 से समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया.

4.3 शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनकी रुचि से जुडे हुए मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक/ निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन किया है.

यह समिति, शेयरों के अंतरण, प्रेषण, बैंक द्वारा जारी शेयरों को खंडित करने और समेकित करने तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुई :

04.06.2010	31.08.2010	27.11.2010	24.01.2011

4.3.1 शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री एस.अनंतन गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	31.08.2010 - 31.03.2011	3	3
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
3.	श्री अशोक कुमार शेट्टी गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 30.08.2010	1	1
4.	श्री निशांक कुमार जैन * गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 02.01.2011	2	2
5.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.)*** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	4	3
6.	श्री श्रीधर चेरुकूरी ** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 30.08.2010	1	-
7.	श्री अशोक कुमार शेट्टी *** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	3	1
8.	श्री रंजन शेट्टी **** अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	03.01.2011 - 31.03.2011	1	1
9.	श्री एस.अनंतन गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 30.08.2010	1	1

* श्री निशांक कुमार जैन दि.31.08.2010 से दि.02.01.2011 तक समिति के सदस्य रहे.

** श्री श्रीधर चेरुकूरी दि.01.04.2010 से दि.30.08.2010 तक समिति के सदस्य रहे.

*** श्री अशोक कुमार शेट्टी दि.01.04.2010 से दि.30.08.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के अध्यक्ष रहे.

**** श्री रंजन शेट्टी दि.03.01.2011 से समिति के सदस्य बनें.

श्री के.गोपालकृष्णन नायर, कंपनी सचिव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, शेयर बाजार के साथ करार सूचीबद्ध कराने, कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे हैं.

4.4. शेयर अंतरण समिति

शेयरधारकों/ निवेशकर्ताओं से संबंधित निदेशकों की उप-समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और दो गैर-सरकारी निदेशक हैं. यह समिति, पंद्रह दिनों में एक बार बैठक करती है जिससे कि शेयरों का अंतरण शीघ्रता से हो. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 17 बैठकें हुईं, जिनके ब्यौरे

निम्नानुसार हैं. इसके अलावा कुछ शेयर अंतरणों को सूचियों के रूप में समिति को परिचालित करके अनुमोदित करा लिया गया व बाद में नियमित बैठकों में इन्हें अनुमोदित व अनुसमर्थित करा लिया गया.

19.04.2010	29.04.2010	19.05.2010	05.06.2010	25.06.2010
08.07.2010	22.07.2010	28.07.2010	16.08.2010	31.08.2010
25.09.2010	22.10.2010	27.11.2010	29.12.2010	24.01.2011
22.02.2011	30.03.2011			

4.4.1 शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	17	17
2.	श्री पी.शांताराम शेट्टी * कामगार निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.10.2010	3	3
3.	श्री श्रीधर चेरुकूरी गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	17	7
4.	श्री रंजन शेट्टी ** अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 30.08.2010	9	9
5.	श्री सुरेश कामत *** कामगार - निदेशक	सदस्य	02.11.2010 - 31.03.2011	5	5

* श्री पी.शांताराम शेट्टी दि.31.08.2010 से दि.01.11.2010 तक समिति के सदस्य रहे.

** श्री रंजन शेट्टी दि.01.04.2010 से दि.30.08.2010 तक समिति के सदस्य रहे.

*** श्री सुरेश कामत दि.02.11.2010 से समिति के सदस्य बन गए हैं.

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ.गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रण नीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

समिति के कामकाज :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोगों, पद्धतियों, परिचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिए वित्तीय मानकों को तगडा बनाना और इस्तेमाल की जा रहीं समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 7 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

19.04.2010	19.05.2010	21.07.2010	18.09.2010	09.11.2010	13.01.2011	07.03.2011

4.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	7	7
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	7	7
3.	श्री के.वेंकटप्पा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 29.07.2010	3	3
4.	श्रीमती सुमा वर्मा * गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 30.11.2010	2	2
5.	श्री रंजन शेट्टी #1 अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	4	4
6.	श्री निशांक कुमार जैन #2 गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	3	3
7.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) #3 गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	4	3
8.	श्री एस.अनंतन #4 गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	29.12.2010 - 31.03.2011	2	1
9.	श्री पी.शांताराम शेट्टी #5 कामगार निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	3	3

* श्रीमती सुमा वर्मा दि.31.08.2010 से दि.30.11.2010 तक की अवधि के दौरान समिति की सदस्य रहीं.

#1 श्री रंजन शेट्टी दि.31.08.2010 से समिति के सदस्य बनें.

#2 श्री निशांक कुमार जैन दि.01.04.2010 से दि.22.08.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#3 श्री अशोक कुमार दि.31.08.2011 से समिति के सदस्य बनें.

#4 श्री एस.अनंतन दि.29.12.2010 से समिति के सदस्य बनें.

#5 श्री पी.शांताराम शेट्टी दि.01.04.2010 से दि.31.07.2010 तक समिति के सदस्य रहे.

4.6. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

1 करोड़ य व उससे अधिक रकम के धोखाधड़ी के मामलों पर निगरानी रखने पर खासा ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 5 बार बैठकें, नीचे उल्लिखित तारीखों को हुई:

29.04.2010	31.08.2010	29.12.2010	07.03.2011	30.03.2011

4.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
3.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.)* गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
4.	श्री अशोक कुमार शेट्टी ** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	4	4
5.	श्री रंजन शेट्टी *** अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1
6.	श्री बी.इब्राहिम **** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1
7.	श्री श्रीधर चेरुकूरी #1 गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	4	2
8.	श्री सुरेश कामत #2 कामगार - निदेशक	सदस्य	02.11.2010 - 31.03.2011	3	3
9.	श्री पी.शांताराम शेट्टी #3 कामगार निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 01.11.2010	1	1

* श्री अशोक कुमार दि. 01.04.2010 से दि. 22.08.2010 के दौरान समिति के सदस्य रहे.

** श्री अशोक कुमार शेट्टी दि. 31.08.2010 से समिति के सदस्य बनें.

*** श्री रंजन शेट्टी दि. 01.04.2010 से दि. 22.08.2010 के दौरान समिति के सदस्य रहे.

**** श्री बी.इब्राहिम दि. 01.04.2010 से दि. 22.08.2010 तक समिति के सदस्य रहे.

#1 श्री श्रीधर चेरुकूरी दि. 31.08.2010 से समिति के सदस्य बनें.

#2 श्री सुरेश कामत दि. 02.11.2010 से समिति के सदस्य बनें.

#3 श्री पी.शांताराम शेट्टी दि. 31.08.2010 से दि. 01.11.2010 के दौरान समिति के सदस्य रहे.

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक निक्षेप नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोड़ें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए किस्म के उपाय करें और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें हुई

19.05.2010	28.07.2010	18.09.2010	29.12.2010	07.03.2011

4.7.1 ग्राहक सेवा समिति के निदशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्री के. वेंकटप्पा * गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 29.07.2010	2	2
4.	श्रीमती सुमा वर्मा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	30.7.2010 - 30.11.2010	1	1
5.	श्री बी.टी. रुद्रप्पा ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
6.	श्री रंजन शेट्टी ** अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	सदस्य	31.08.2010 - 31.03.2011	3	3
7.	श्री बी. इब्राहिम *** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.08.2010	2	2
8.	श्री अशोक कुमार शेट्टी **** शेयरधारक निदेशक	सदस्य	01.01.2011 - 31.03.2011	1	1

* मंडल से सेवानिवृत्त होने पर श्री के.वेंकटप्पा दि.29.07.2010 से समिति के सदस्य न रहें.

** श्री रंजन शेट्टी दि.31.08.2010 से समिति के सदस्य बने.

*** श्री बी. इब्राहिम दि.01.04.2010 से दि.31.08.2010 के दौरान समिति के सदस्य रहे.

**** श्री अशोक कुमार शेट्टी दि.01.01.2011 से समिति के सदस्य बनें.

4.8 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति

वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी - वेतन-मान - V और उससे उच्चतर वेतन मान के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा करने के लिए, विजया बैंक(अधिकारी)सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19(2)के नियमों के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. यह समिति, अनुशासनिक मामलों और बैंक के शीर्ष कार्यपालकों (वेतनमान - VII) की पदोन्नति पर निगरानी रखती है.

55 वर्ष की उम्र होने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया. इस समिति में, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें हुईं:

30.04.2010	31.08.2010	27.11.2010	30.03.2011

4.8.1 निदेशकों की पदोन्नति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
3.	श्री जी.बी.सिंह * गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 30.09.2010	2	1
4.	श्री एल.के.मीणा ** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	29.10.2010 - 31.03.2011	2	2
5.	श्री के.वेंकटप्पा *** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 29.07.2010	1	1
6.	श्रीमती सुमा वर्मा **** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	30.07.2010 - 31.03.2011	3	3

उपरोक्त चार तिमाही बैठकों के अलावा, वर्ष के दौरान शीर्ष कार्यपालक श्रेणी VII में पदोन्नति को करने के लिए समिति की बैठकें 12.06.2010 तथा 28.12.2010 को हुई जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक समिति के सदस्य है.

* श्री जी.बी. सिंह दि.30.09.2010 से सेवानिवृत्ति के कारण मंडल में सदस्य नहीं रहें.
** श्री एल.के. मीणा दि.29.10.2010 से समिति के सदस्य बने.
*** श्री वेंकटप्पा के दि.29.07.2010 मंडल से सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे.
**** श्रीमती सुमा वर्मा दि.30.07.2010 से समिति की सदस्या बनी.

4.9 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि. 09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार बैंक निदेशक मंडल ने दि. 30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के यथा 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

वर्ष 2010-11 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक को निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि सहित पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

	श्री आल्बर्ट तावरो (अ.एवं प्र. नि.)	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (का.नि.)	श्री एस.सी.कालिया (भू.का.नि.)
वेतन *	₹ 20,87,200.00	₹ 13,51,547.50	₹ 3,51,000.00
भत्ते	--	--	--
भ.नि. पर अंशदान	₹ 96,000.00	₹ 79,755.00	--
अन्य (छु.कि.रि., आदि)	₹ 99,196.00	--	--
अन्य अनुलाभ	₹ 19,584.00	₹ 18,888.00	--
कुल	₹ 23,01,980.00	₹ 14,50,190.50	₹ 3,51,000.00
स्टॉक विकल्प	--	--	--

* निम्नांकित निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन सहित :

1. श्री आल्बर्ट तावरो (अ.एवं प्र. नि.) - ₹ 7.00 लाख
2. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (का.नि.) - ₹ 1.99 लाख
3. श्री एस.सी.कालिया (भू.का.नि.) - ₹ 3.51 लाख

गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोड़कर कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है.

समिति की समीक्षाधीन अवधि के दौरान 25.09.2010 को बैठक आयोजित की गई.

4.9.1 पारिश्रमिक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी.बी.सिंह गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 30.09.2010	1	1
2.	श्रीमती सुमा वर्मा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	30.07.2010 - 31.03.2011	1	1
3.	श्री बी.इब्राहिम गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	1	1
4.	श्री श्रीधर चेरुवूरी गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 31.03.2011	1	-

4.10. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(आई) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त व उचित स्थिति' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति के निम्न सदस्य होंगे.

1.	सरकार नामिती निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
2.	भारिबैं नामिती निदेशक	:	सदस्य
3.	गैर सरकारी निदेशक	:	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 25.09.2010 को समिति की एक बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार 'उपयुक्त व उचित' हैं.

4.10.1. नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी.बी.सिंह गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2010 - 30.09.2010	1	1
2.	श्रीमती सुमा वर्मा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	30.07.2010 - 31.03.2011	1	1
3.	श्री निशांक कुमार जैन गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2010 - 02.01.2011	1	1
4.	श्री श्रीधर चेरुकूरी गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	03.01.2011 - 31.03.2011	-	-

4.11 चुनाव विवादों का निपटारा समिति

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3)के खण्ड (बी) तथा (सी) के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. इस खण्ड के अनुसार समिति के निम्न सदस्य होंगे :

1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
2.	सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
3.	भारिबैं नामिती निदेशक	:	सदस्य

निपटान हेतु कोई विवाद न होने के कारण वर्ष के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई.

गैर कार्यपालक/शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्री अशोक कुमार शेट्टी	3,900
2. श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.)	100
3. श्री एस.अनंतन	1,200

5. आचार संहिता

बैंक, सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तदनुसार सभी निदेशकों/उच्च प्रबंधन कार्मिकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है.

6. सामान्य बैठक

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
25.07.2008	सुबह 10.15 बजे	मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह विजया बैंक, एम.जी.रोड बेंगलूर
10.07.2009	सुबह 10.15 बजे	
09.07.2010	दोपहर 3.00 बजे	

दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे. इन बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए :

1.	श्री आल्बर्ट तावरो	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे	-	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस अनंतन	-	शेयरधारकों के निदेशक
4.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	-	शेयरधारकों के निदेशक
5.	श्री अशोक कुमार शेट्टी	-	शेयरधारकों के निदेशक
6.	श्री निशांक कुमार जैन	-	गैर-अधिकारी निदेशक
7.	श्री रंजन शेट्टी	-	अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
8.	श्री बी.इब्राहिम	-	गैर अधिकारी निदेशक

श्री आर.एस.बोरा, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का प्रातिनिधित्व करते हुए, प्रेक्षक के रूप में बैठक में उपस्थित थे.

असाधारण सामान्य बैठक

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक की टायर-I पूंजी में ₹ 367,99,99,984/- जोडने के प्रति ₹ 10 के 3,91,48,936 शेयर को ₹ 84 की प्रीमियम दर (अर्थात प्रति शेयर का कुल मूल्य ₹ 94) पर अधिमान्य रूप से जारी करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, दि.22.03.2011 को विजया बैंक, प्रधान कार्यालय के मुल्की सुंदरराम शेट्टी सभागृह में शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक संपन्न हुई.

असाधारण सामान्य बैठक में निम्नांकित निदेशक उपस्थित रहें

1.	श्री आल्बर्ट तावरो	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे	-	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस अनंतन	-	शेयरधारकों के निदेशक
4.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	-	शेयरधारकों के निदेशक
5.	श्री अशोक कुमार शेट्टी	-	शेयरधारकों के निदेशक
6.	श्री रंजन शेट्टी	-	अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
7.	श्री बी.इब्राहिम	-	गैर अधिकारी निदेशक

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, बैठक में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित थे.

7. शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है उन पर विचार किया जाता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से एक महीने के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने, शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए निवेशकर्ता शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में बैठती है और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरख्वास्त दर्ज करना तथा शेयरों को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरख्वास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते हैं:

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : विजया बैंक)
सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपाउंड
एल.बी.एस.रोड , भांडूप (पश्चिम)
मुंबई - 400 078
टेलीफोन: (022) 25963838, 25946570 - 78
फैक्स: (022) 25946969
ईमेल : mumbai@linkintime.co.in और rnt.helpdesk@linkintime.co.in

निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरख्वास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती हैं:

महा प्रबंधक
मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड
बेंगलूर - 560 001
कर्नाटक

टेलीफोन	:	080 25594737
		080 25584066 विस्तार 271 या विस्तार 514
फैक्स	:	080 25594737
ई-मेल	:	sdigc@vijayabank.co.in
वेबसाईट	:	www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे सुनिश्चित करता है.

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, उन्हें बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुनः मूर्तिकरण/विभाजन/पुनः स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध मंडल की शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस प्रयोजनार्थ शेयर अंतरण समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर अयोजित की जाती है. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण, अमूर्तिकरण आदि कर शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंतर्गत उसे विधिवत रूप से अंतरित किया जाता है.

शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 47 के अनुसार आर एण्ड टी अभिकर्ता द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

प्राप्त, निपटायी गयी और लंबित शिकायतों की संख्या

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2010-2011 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2011 को लंबित दरख्वास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	01.04.2010 को लंबित	प्राप्त	निपटाई गई	31.03.2011 को लंबित
क) दरख्वास्तों की संख्या	कुछ नहीं	4217	4217	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	2488	2488	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. यथा 31.03.2011 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरख्वास्त लंबित नहीं थी.

8. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/उनके रिश्तेदारों के साथ बैंक का, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की और बैंक पर, शेयर बाजारों, एसईबीआई, अथवा किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकारियों ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है, न ही कोई अवक्षेप किया है. बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया.

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के जरिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है. शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् www.vijayabank.com के जरिए भी दी जाती है.

वर्ष के दौरान, बैंक के तिमाही/अर्ध वार्षिक/वार्षिक परिणाम, अन्य समाचार पत्रों के अलावा नीचे उल्लिखित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए :

अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	बिजेनस स्टैंडर्ड एण्ड इकानामिक टाइम्स	उदयवाणी	01.05.2010
जून, 2010 को समाप्त तिमाही	बिजेनस स्टैंडर्ड एण्ड इकानामिक टाइम्स	उदयवाणी	23.07.2010
सितंबर, 2010 को समाप्त अर्ध वर्ष	बिजेनस स्टैंडर्ड एण्ड डेक्कन हेराल्ड	उदयवाणी	23.10.2010
दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही	बिजेनस स्टैंडर्ड एण्ड फिनेंशियल एक्सप्रेस	उदयवाणी	25.01.2011

9. अधिदेशात्मक और गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

9.1 बैंक ने, शेयर बाजारों के साथ किए गए सूची बनाने संबंधी करारनामे के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार, समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की.

9.2 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को, कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने का हक होना चाहिए और साथ ही उसे, अपने कर्तव्य निभाने में लगे खर्च की पूर्ति की जानी चाहिए.	बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संभाल रहे हैं और इसलिए यह अपेक्षा लागू नहीं होती है.

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.2	पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जानी चाहिए.	बैंक अपने सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान हुई उल्लेखनीय गतिविधियों सहित सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है. बैंक के त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद समाचार पत्र , स्टॉक एक्सचेंज तथा बैंक के वेबसाईट में प्रकाशित किये जाते हैं.
9.2.3	डाक से प्राप्त मत	बैंक ने, ऐसे किसी भी नाजुक मामलों को, जिसमें डाक से चलाए गए मतों से तय किया जाना पड़े, विचारर्थ नहीं उठाया है.

10. शेयरधारकों की जानकारी के लिए

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में है. वर्ष 31.03.2011 को देशभर में फैली हुई 1,200 शाखाओं के जरिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है.बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है :

1) **बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि.,**
कार्पोरेट रिलेशनशिप विभाग
पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग
फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट
फोर्ट, मुंबई - 400 001
बीएसई कूट : 532401

2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
एक्सचेंज प्लाजा, 5 वां तल
प्लाट सं सी/1, जी ब्लॉक
बांद्रा - कुर्ला कॉम्पलेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
एनएसई कूट : विजया बैंक ईक्यू एई बीई बीटी

3) **बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि.**
पो.बा. सं 27024
51, स्टॉक एक्सचेंज टावर्स
पहला क्रॉस जे.सी.रोड,
बेंगलूर - 560 027

शेयर बाज़ारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2010-2011 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख से पहले अदा किया गया.

10.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए ईक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं. आईएनई705ए01016 आबंटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार तीन शेयर बाज़ारों में किया जाता है इसलिए चल-निधि सामान्य है.

बैंक ने, दोनों निक्षेपियों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए सचिवालयिक लेखा परीक्षा के संबंध में तथा अर्ह कंपनी सचिव द्वारा, एसईबीआई के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में एसईबीआई की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

31.03.2011 को शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	कुल शेयरधारक	कुल शेयर	शेधर धारण का %
अमूर्त			
भारत के राष्ट्रपति	1	23,35,17,800	49.41
एनएसडीएल में अन्य	1,48,689	15,08,19,427	31.91
सीडीएसएल में अन्य	61,396	2,24,72,703	4.75
कुल	**2,10,086**	**40,68,09,930**	**86.07**
मूर्त			
भारत के राष्ट्रपति	1	3,91,48,936	8.28
अन्य	**79494**	**2,67,07,870**	**5.65**
सकल योग	**2,89,581**	**47,26,66,736**	100

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं(ईसीएस)

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस), लाभांश/ब्याज आदि का भुगतान करने की एक अनूठी रीति है, जिसमें निवेशकर्ता को देय रकम, सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी केंद्रों में, बैंक ने, शेयरधारकों को एनईसीएस की सुविधा का लाभ उठाने का मौका दिया है.

एनईसीएस (नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं) संबंधी अधिदेश फार्म, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है जिसे रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के पास भेजा जाए. एनईसीएस के जरिए लाभांश न पाने का विकल्प, शेयरधारक की इच्छानुसार किसी भी समय वापस लिया जा सकता है

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश:

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के संबंध में शेयरधारकों को 25% का लाभांश का भुगतान किया. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.04.2010 को आयोजित मंडल की बैठक में लाभांश के लिए सिफारिश की और दिनांक 09.07.2010 को आयोजित दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में उसकी घोषणा की. वार्षिक सामान्य बैठक और वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए बही बंद करने के लिए दिनांक 06.07.2010 से 09.07.2010 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी. दिनांक 09.08.2010 तक सभी लाभांश वारंटों को प्रेषित किया गया/ईसीएस जमा की गयी.

10.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2E) के अनुसार केंद्रीय सरकार भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है बढा अथवा घटा सकती है और ऐसी बढोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 1,500 करोड से ₹ 3,000 करोड वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी ₹ 3,000 करोड है जिसे ₹ 10/- के 300 करोड पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

भारत सरकार के पास बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 57.69% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. भारत सरकार ने ₹ 84/- (अर्थात कुल निर्गम दर ₹ 94/- प्रति शेयर) के प्रीमीयम पर प्रत्येक ₹ 10/- के 391,48,936 अधिमानी शेयर निर्गम के प्रति ₹ 367,99,99,984 अतिरिक्त ईक्विटी प्रदान की है तथा बैंक ने दि.28.03.2011 को उक्त शेयरों का आवंटन किया. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

	(₹ करोड)
प्राधिकृत पूंजी :	
₹ 10/- के 300 करोड शेयर	₹ 3,000.00
प्रदत्त पूंजी :	
₹ 10/- के 120 करोड शाश्वत असंचयी अधिमानी शेयर	₹ 1,200.00
₹ 10/- के 47,26,66,736 ईक्विटी शेयर	₹ 472.67
कुल प्रदत्त पूंजी	₹ 1,672.67

सारणी 1 : यथा 31.03.2011 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
ए	प्रवर्तक का धारण		
1.	प्रवर्तक		
	- भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार)	27,26,66,736	57.69
	- विदेशी प्रवर्तक	-	-
2.	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति	-	-
	उप-कुल	**27,26,66,736**	**57.69**
बी	गैर-प्रवर्तक का धारण		
	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई	14,86,449	0.31
	ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं , बीमा कंपनियां (केन्द्र व राज्य संस्थाएं/गैर-सरकारी संस्थाएं)	5,01,75,613	10.61
	ग) एफआईआई/एफएमएफ	3,74,82,860	7.93
	उप-कुल	**8,91,44,922**	**18.85**
सी	अन्य		
	क) निजी कार्पोरेट निकाय	1,54,30,397	3.26
	ख) भारतीय जनता	9,12,92,539	19.32
	ग) एनआरआई/ओसीबी	26,25,300	0.56
	घ) अन्य कोई (समाशोधन सदस्य व मार्केट मेकर)	15,06,742	0.32
	ड.) विदेशी नागरीक	100	0
	उप-कुल	**11,08,55,078**	**23.46**
	सकल योग	**47,26,66,736**	**100.00**

सारणी 2 : यथा 31.03.2011 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	- शून्य -	- शून्य -
2	विदेशी प्रवर्तक	- शून्य -	- शून्य -
3	विदेशी संस्थागत निवेशक	3,31,26,109	7.00
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	43,56,751	0.93
5	एनआरआई	26,25,300	0.56
6	विदेशी बैंक	- शून्य -	- शून्य -
7	विदेशी नागरीक	100	0.00
	कुल	**4,01,08,260**	**8.49**

सारणी 3 : यथा 31.03.2011 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयर धारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	27,26,66,736	57.69	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,76,67,005	3.74	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था
3	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस	1,23,45,725	2.61	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था

10.4 विज़िल ब्लोअर नीति :

बैंक ने आंतरिक परिपत्रों के जरिए दोहराया है कि स्टाफ सदस्य संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से असर करनेवाली वास्तविक सूचनाएं, शिकायत/सुझाव के रूप में उचित माध्यम के ज़रिए दे सकते हैं.

यदि अत्यावश्यक/आपात हो तो हिचकिचाहट/भय के बिना समुचित प्राधिकारी के साथ सीधे संपर्क किया जा सकता है. इस तरह स्टाफ सदस्य असली विजिल ब्लोअर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर ऐसा कोई भी विचलन, जिसका सुधार करना है और जो कि संगठन के हित में है, विधिवत रूप से लिखकर व हस्ताक्षर कर प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं.

10.5 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े

अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है:

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड						
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2010	54.75	47.50	**53.65**	30.04.2010	61612866	5278.00
मई 2010	59.35	52.45	**58.95**	31.05.2010	103091417	5086.30
जून 2010	65.90	57.00	**64.55**	30.06.2010	111515704	5312.50
जुलाई 2010	73.00	60.20	**72.50**	30.07.2010	79209450	5367.60
अगस्त 2010	87.85	72.80	**78.95**	31.08.2010	105591595	5402.40
सितंबर 2010	87.50	79.00	**81.50**	30.09.2010	73791131	6029.95
अक्तूबर 2010	113.85	81.90	**106.75**	29.10.2010	251110347	6017.70
नवंबर 2010	115.35	87.25	**96.20**	30.11.2010	87175628	5862.70
दिसंबर 2010	114.50	86.65	**101.80**	31.12.2010	84763811	6134.50
जनवरी 2011	103.50	88.25	**90.65**	31.01.2011	57669195	5505.90
फरवरी 2011	91.50	73.60	**75.80**	28.02.2011	48819791	5333.25
मार्च 2011	81.80	70.20	**79.45**	31.03.2011	48427648	5833.75

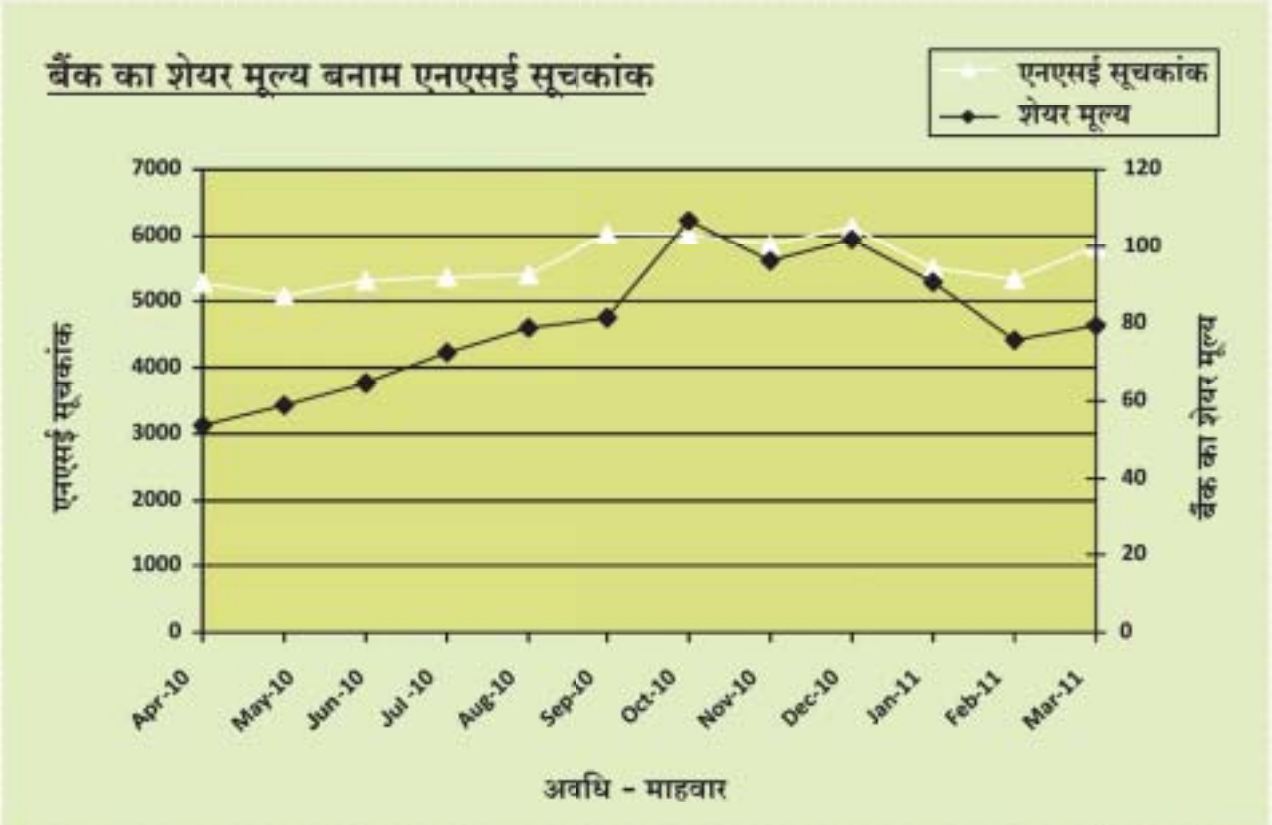

बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)						
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल 2010	54.75	47.60	**53.65**	30.04.2010	11676550	17558.71
मई 2010	59.35	52.20	**59.05**	31.05.2010	22670682	16944.63
जून 2010	65.95	57.80	**64.55**	30.06.2010	23761848	17700.90
जुलाई 2010	73.00	60.50	**72.50**	30.07.2010	17406668	17868.29
अगस्त 2010	87.95	72.70	**79.00**	31.08.2010	23883779	17971.12
सितंबर 2010	86.45	79.10	**81.50**	30.09.2010	11106746	20069.12
अक्तूबर 2010	114.00	82.25	**106.45**	29.10.2010	32085609	20032.34
नवंबर 2010	115.35	87.25	**96.15**	30.11.2010	14963963	19521.25
दिसंबर 2010	108.00	86.70	**101.75**	31.12.2010	14486411	20509.09
जनवरी 2011	103.70	88.15	**90.60**	31.01.2011	9041362	18327.76
फरवरी 2011	91.90	73.80	**75.75**	28.02.2011	8679351	17823.40
मार्च 2011	81.55	70.50	**79.35**	31.03.2011	7881530	19445.22

बैंक का शेयर मूल्य बनाम बीएसई सूचकांक

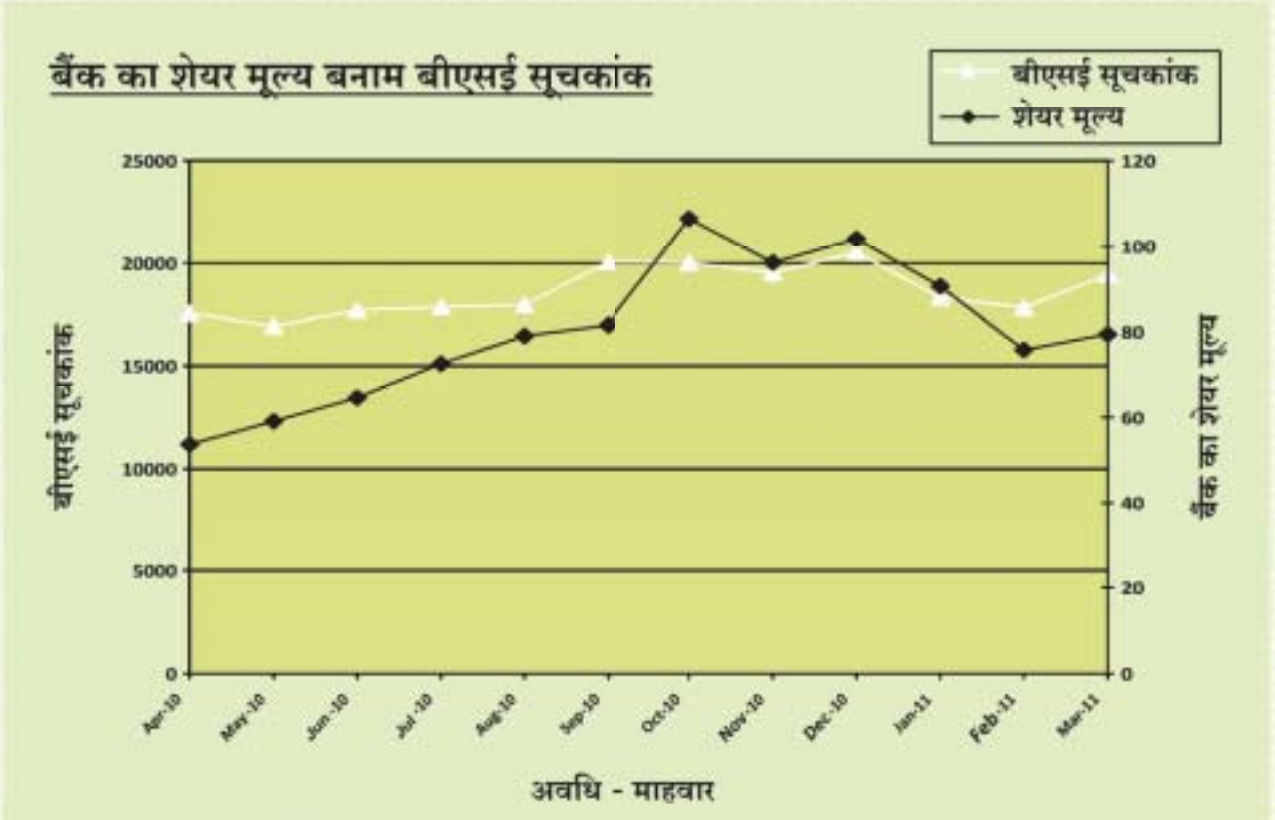

10.6 31.03.2011 को विजया बैंक के शेयरधारण का मूल्य-वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर – ₹	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	₹	प्रतिशत
2500 तक	215276	74.34	235736190	4.99
2501 से 5000	40425	13.96	167685800	3.55
5001 से 10000	23395	8.08	202553980	4.28
10001 से 20000	6707	2.32	101998260	2.16
20001 से 30000	1367	0.47	34995750	0.74
30001 से 40000	696	0.24	25546450	0.54
40001 से 50000	439	0.15	20857620	0.44
50001 से 100000	632	0.22	46428270	0.98
100001 व उससे अधिक	644	0.22	3890865040	82.32
कुल	**289581**	**100**	**472,66,67,360**	**100.00**

एच.एस. उपेन्द्र कामत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

शुभलक्ष्मी पानसे
कार्यकारी निदेशक

एल.के.मीणा
निदेशक

सुमा वर्मा
निदेशक

सुरेश कामत
निदेशक

रंजन शेट्टी
निदेशक

श्रीधर चेरुकूरी
निदेशक

अशोक कुमार शेट्टी
निदेशक

अशोक कुमार
निदेशक

एस. अनंतन
निदेशक

बी. इब्राहिम
निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 28.04.2011

कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :

विजया बैंक के सदस्य.

हमने, शेयर बाज़ार के साथ बैंक के सूचीकरण करारनामे के संबंधित खंड 49 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में, बैंक ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारनामे में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का पालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है

हम उल्लेख करते हैं कि शेयरधारकों और निवेशकर्ता शिकायत समिति द्वारा रखे गए और बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित, अभिलेखों के अनुसार बैंक के खिलाफ निवेशकर्ता की, अधिकतम एक महीने से अधिक कोई शिकायत लंबित नहीं है.

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक के कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(वाई. आर. शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 092691

मेसर्स एम.पी.चितले एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(उल्हास चितले)
साझेदार
सदस्यता सं. 032292

मेसर्स पी. चंद्रशेखर
सनदी लेखाकार

(लक्ष्मी सी.)
साझेदार
सदस्यता सं. 028508

मेसर्स कांट्रेक्टर, नायक व किशनाडवाला
सनदी लेखाकार

(जी.एस. नायक)
साझेदार
सदस्यता सं. 038127

मेसर्स एस. विश्वनाथन
सनदी लेखाकार

(चैल्ला के. राघवेन्द्रन)
साझेदार
सदस्यता सं. 208562

मेसर्स राव ऐसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(जी. सुधीन्द्रा)
साझेदार
सदस्यता सं. 026171

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 28.04.2011

31 मार्च, 2011 तक का तुलन–पत्र

[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2011 की स्थिति	31.03.2010 की स्थिति
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	**1672 66 68**	933 51 78
आरक्षितियां और अधिशेष	2	**3144 33 43**	2541 63 30
जमाराशियां	3	**73248 31 90**	61931 74 55
उधार	4	**2025 37 35**	1938 56 15
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान	5	**1599 92 12**	2861 58 31
जोड़		**81690 61 48**	70207 04 09
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6	**4881 83 86**	4099 57 69
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	**541 72 99**	1449 67 78
विनिधान	8	**25138 57 74**	21107 44 64
अग्रिम	9	**48718 62 65**	41506 67 54
अचल आस्तियां	10	**485 99 37**	493 16 14
अन्य आस्तियां	11	**1923 84 87**	1550 50 30
जोड़		**81690 61 48**	70207 04 09
आकस्मिक देयताएं	12	**13992 66 88**	10764 81 61
वसूली के लिए बिल		**1396 42 18**	1185 37 77
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित लेखाकरण नीतियां एवं अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं

एम. एस. उपेन्द्र कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सुमा वर्मा निदेशक	एल. के. मीणा निदेशक
सुरेश कामत निदेशक	रंजन शेट्टी निदेशक	श्रीधर चेरूकुरी निदेशक	एस. अनंतन निदेशक
अशोक कुमार निदेशक	पी. इब्राहिम निदेशक	अशोक कुमार शेट्टी निदेशक	के. चन्द्रा महा प्रबंधक

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर. बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	मेसर्स एम. पी. चितले एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं. 101851 डब्ल्यू	मेसर्स पी. चंद्रशेखर सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस	मेसर्स कांट्रैक्टर, नायक व किशनाडवाला सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101961 डब्ल्यू	मेसर्स एस. विश्वनाथन सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004770 एस	मेसर्स राव एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई. आर. शर्मा) साझेदार सदस्यता सं.092691	(उल्हास चितले) साझेदार सदस्यता सं. 032292	(लक्ष्मी सी.) साझेदार सदस्यता सं. 028508	(जी.एन.नायक) साझेदार सदस्यता सं. 038127	(चेल्ला के. राघवेन्द्रन) साझेदार सदस्यता सं. 208562	(जी. सुधीन्द्र) साझेदार सदस्यता सं.026171

Place : बैंगलूर
Date : 28.04.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	**5844 06 03**	5200 64 63
अन्य आय	14	**533 18 68**	679 45 19
जोड़		**6377 24 71**	5880 09 82
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	**3897 28 37**	3751 56 60
प्रचालन व्यय	16	**1433 28 23**	1071 56 77
उपबंध और आकस्मिक व्यय		**522 86 26**	549 66 60
जोड़		**5853 42 86**	5372 79 97
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ		**523 81 85**	507 29 85
जोडे. : आगे लाया गया लाभ		**853 76 60**	750 46 67
जोडे. : सामान्य आरक्षिति से अंतरण		**33**	-
जोड़		**1377 58 78**	1257 76 52
IV. विनियोजन			
सांविधि आरक्षिति में अंतरण		**130 95 46**	126 82 47
आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षण में अंतरण		**40 00 00**	25 00 00
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		**11 54 76**	87 89 87
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		**0**	2 37 89
प्रस्तावित लाभांश - ईक्विट शेयर पूंजी (कर सहित)		**137 33 63**	126 79 86
प्रस्तावित लाभांश अधिमान्य शेयर पूंजी (कर सहित)		**94 78 58**	35 09 85
तुलन पत्र में आगे ले जाया शेष		**962 96 35**	853 76 58
जोड़		**1377 58 78**	1257 76 52
प्रति शेयर अर्जन - बेसिक (₹ में)		**9.89**	11.70
- डायलूटड (₹ में)		**9.89**	11.70
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित लेखाकरण नीतियां एवं अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं

एम. एस. उपेन्द्र कामत | **शुभलक्ष्मी पानसे** | **सुमा वर्मा** | **एल. के. मीणा**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | कार्यकारी निदेशक | निदेशक | निदेशक

सुरेश कामत | **रंजन शेट्टी** | **श्रीधर येलकूरी** | **एस. अनंत**
निदेशक | निदेशक | निदेशक | निदेशक

अशोक कुमार | **बी. इब्राहिम** | **अशोक कुमार शेट्टी** | **के. चन्द्रा**
निदेशक | निदेशक | निदेशक | महा प्रबंधक

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.	मेसर्स एम. पी. चिताले एण्ड कं.	मेसर्स पी.चंद्रशेखर	मेसर्स कट्रेकटर, नायक व किशनाडवाला	मेसर्स एस. विश्वनाथन	मेसर्स राव ऐसोसियट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.002736 एन	पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	पंजीकरण सं.000580 एस	पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	पंजीकरण सं.004770 एस	पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई. आर. शर्मा)	(उल्हास चिताले)	(लक्ष्मी सी.)	(जी.एस.नायक)	(चेल्ला के. राघवेन्द्रन)	(जी. सुधीन्द्रा)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.092691	सदस्यता सं. 032292	सदस्यता सं. 028508	सदस्यता सं. 038127	सदस्यता सं. 208562	सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर
Date : 28.04.2011

तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 1 :		
पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	**3000 00 00**	3000 00 00
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर		
जारी, अभिदत्त और मांगी गयी पूंजी		
प्रति ₹10/- के 47,26,66,736 ईक्विटी शेयर	**472 66 68**	433 51 78
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 43,35,17,800 ईक्विटी शेयर)		
प्रति ₹10/- के 120,00,00,000 शास्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर	**1200 00 00**	500 00 00
प्रदत्त पूंजी		
(क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹10/- के 27,26,66,736 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 23,35,17,800 ईक्विटी शेयर)	**272 66 68**	233 51 78
(ख) सार्वजनिक और अन्य द्वारा धारित प्रति ₹10/- के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	**200 00 00**	200 00 00
(ग) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹10/- के 120,00,00,000 शास्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 50,00,00,000 शास्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर) जो वार्षिक अस्थाई कूपन पर है तथा 100 बेसिस पाईंट के विस्तारण के साथ रिपो दर का बेंचमार्क है व जिस संगत तारीख को चालू रिपो दर के आधार पर वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा.	**1200 00 00**	500 00 00
जोड़	**1672 66 68**	933 51 78
28.02.2011 को भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर 94/- ₹ के मूल्य पर आबंटित 3,91,48,936 शेयर (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रीमियम 84/- ₹)		
अनुसूची - 2 :		
आरक्षितियां और अधिशेष		
I. सांविधिक आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**811 13 63**	684 31 16
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**130 95 46**	126 82 47
जोड़	**942 09 09**	811 13 63
II. पूंजी आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**249 50 11**	161 60 24
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**11 54 75**	87 89 87
जोड़	**261 04 86**	249 50 11
III. शेयर प्रीमियम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**140 00 00**	140 00 00
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**328 85 12**	0
जोड़	**468 85 12**	140 00 00
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**311 67 72**	331 22 28
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	-
घटाएं : लाभ व हानि खाते से समायोजित अवमूल्यन के प्रति कटौती	**17 84 62**	19 54 56
जोड़	**293 83 10**	311 67 72

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
V. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
(क) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**162 72 74**	137 72 74
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**40 00 00**	25 00 00
जोड.	**202 72 74**	162 72 74
(ख) सामान्य आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**12 82 50**	10 44 62
जोडें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान अंतरण	**(33)**	2 37 88
जोड.	**12 82 17**	12 82 50
[ग] लाभ व हानि लेखा में शेष राशि	**962 96 35**	853 76 60
जोड.	**962 96 35**	853 76 60
जोड.(क+ख+ग)	**1178 51 26**	1029 31 84
{जोड.I+II+III+IV+V}	**3144 33 43**	2541 63 30
अनुसूची - 3 :		
जमाराशि		
भारत में जमाराशि		
I. **मांग जमा**		
i) बैंकों से	**16 02 23**	19 53 59
ii) अन्य से	**5149 65 42**	4504 10 24
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ**	**13329 95 69**	10721 02 41
III. सावधि जमाराशियाँ		
i) बैंकों से	**50 51 11**	73 34 78
ii) अन्य से	**54702 17 45**	46613 73 53
जोड.	**73248 31 90**	61931 74 55
अनुसूची - 4 :		
उधार		
I. **भारत में उधार**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**100 00 00**	-
ii) अन्य बैंक	**56**	0
iii) अन्य संस्था और अभिकरण	**313 24 29**	187 35 65
iv) गौण ऋण – टियर – II पूंजी के रूप में वर्धित बांड		
1) 7.50% की दर से 7.5 वर्षीय बांड 2010	**0**	150 00 00
2) 7.15% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2015	**250 00 00**	250 00 00
3) 9.25% की दर से 10 वर्षीय बांड 2016	**250 00 00**	250 00 00
4) 10.10% की दर से 15 वर्षीय बांड 2022	**300 00 00**	300 00 00
5) 9.50% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2017	**200 00 00**	200 00 00
6) 9.35% की दर से 10 वर्षीय व 4 महीने के बांड 2018	**200 00 00**	200 00 00
7) 9.45% की दर से 15 वर्षीय बांड 2023	**300 00 00**	300 00 00
II. **भारत से बाहर उधार**	**112 12 50**	101 20 50
जोड.	**2025 37 35**	1938 56 15

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 5 :		
अन्य देनदारियां व प्रावधान *		
(i) देय बिल	362 83 78	996 82 92
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	446 75 23	285 63 21
(iii) 11% की दर से बीआरएस बांड	0	0
(iv) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	223 40 53	223 40 53
(v) पुनर्रचित उप-मानक अग्रिम के प्रति प्रावधान – अवमानक	0	-
(vi) अन्य [प्रावधानों सहित]	563 22 73	1355 71 65
(vii) अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	3 69 85	0
जोड.	1599 92 12	2861 58 31
अनुसूची - 6 :		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोटों सहित)	246 58 61	213 49 98
II. चालू खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	4599 47 22	3849 99 52
III. अन्य खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	35 78 03	36 08 19
जोड.	4881 83 86	4099 57 69
अनुसूची - 7 :		
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	102 01 45	111 75 15
(ख) अन्य जमा खातों में	75 03 30	64 70
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेश राशि		
(क) बैंकों के साथ	1 99 76 02	11 99 19 16
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	-	-
जोड.	376 80 77	1311 59 01
II. भारत के बाहर *		
(क) चालू खातों में	0	129 47 40
(ख) अन्य जमा खातों में	164 92 22	8 61 37
जोड.	164 92 22	138 08 77
जोड. (I+II)	541 72 99	1449 67 78
* नॉस्ट्रो प्रतिरूप शेष में असमायोजित मद तथा विचाराधीन राशि शामिल है.		

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 8 :		
विनिधान		
भारत में विनिधान [कुल]	**25382 98 74**	23123 09 64
घटाएं : अवमूल्यन एवं अनिष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	**244 41 00**	2015 65 00
भारत में निवल विनिधान	**25138 57 74**	21107 44 64
विश्लेषण:		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	**18294 25 99**	17882 95 53
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**13 19 30**	18 85 29
iii) शेयर	**314 38 95**	195 76 55
iv) डिबेंचर और बांड	**1263 00 49**	1014 46 25
v) सह संस्थाओं में निवेश (ईक्विटी पद्धति पर)	**3 92 17**	3 96 39
vi) अन्य (यूनिट,किसान/ इंदिरा विकास पत्र, नाबार्ड-आरआईडीएफ, पीएसयू जमाराशियां)	**5249 80 84**	1991 44 63
जोड.	**25138 57 74**	21107 44 64
अनुसूची - 9 :		
अग्रिम		
[क] i) खरीदे गए व भुनाए गए बिल	**1159 59 40**	1233 44 92
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर दिए ऋण	**21158 14 46**	18147 14 02
iii) सावधि ऋण	**26395 67 31**	22041 56 06
iv) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**5 21 48**	84 52 54
जोड.	**48718 62 65**	41506 67 54
[ख] i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं)	**34073 82 22**	27348 80 28
ii) बैंक /सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा रक्षित	**2411 51 26**	3133 47 05
iii) अप्रतिभूत	**12228 07 69**	10939 87 72
iv) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**5 21 48**	84 52 54
जोड.	**48718 62 65**	41506 67 59
[ग] भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	**14361 89 04**	14407 08 80
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**15542 25 05**	9495 28 45
iii) बैंक	**81 41 79**	44 87 06
iv) अन्य	**18727 85 29**	17474 90 69
v) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**5 21 48**	84 52 54
जोड.	**48718 62 65**	41506 67 54

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण			31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 10 :	31.03.2011	31.03.2010		
अचल आस्तियां				
I. परिसर				
सकल ब्लाक [लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि]				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**577 51 51**	566 28 10		
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	**0**	11 23 41		
वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-		
	577 51 51	577 51 51		
* वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण – शून्य जोड सम्मिलित है				
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**205 70 60**	183 38 48		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**20 68 31**	22 32 12		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-		
अद्यतन–मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के निमित्त 162,10,30 हज़ार रकम सहित (पिछले वर्ष : 142,55,73 हज़ार)	**226 38 91**	205 70 60		
मूल्यह्रासित मूल्य			351 12 60	371 80 91
II. अन्य अचल आस्तियाँ				
[फर्नीचर तथा जुडनार सहित]				
सकल ब्लॉक (लागत पर)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**431 36 16**	378 43 62		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**57 75 63**	58 82 89		
	489 11 79	437 26 51		
वर्ष के दौरान कटौतियां	**4 85 53**	5 90 35		
	484 26 26	431 36 16		
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**310 00 93**	268 08 78		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**43 32 38**	46 15 00		
	353 33 31	314 23 78		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**3 93 82**	4 22 85		
अद्यतन–मूल्यह्रास	**349 39 49**	310 00 93		
मूल्यह्रासित मूल्य *			134 86 77	121 35 23
* ₹10/- की राशिवाले बट्टागत आस्तियों का डब्ल्यूडीवी शामिल है (पिछले वर्ष ₹10/-)				
जोड.			485 99 37	493 16 14

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 11 :		
अन्य आस्तियां		
i. प्रोद्भूत ब्याज	**565 85 17**	458 29 46
ii. अग्रिम रूप से प्रदत्त /स्रोत पर काटा गया कर [प्रावधान का निवल]	**628 96 49**	309 09 48
iii. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	**65 43 95**	150 38 90
iv. लेखन सामग्री और स्टैम्प	**1 05 93**	1 12 77
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियां	**7 62**	7 62
vi. अन्य (प्रावधान का निवल)	**186 00 71**	178 48 22
vii. अपरिशोधन-ग्रेट्युटि व पेंशन	**476 45 00**	
viii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	**0**	453 03 85
जोड.	**1923 84 87**	1550 50 30
अनुसूची - 12 :		
आकस्मिक देयताएं		
i. बैंक के खिलाफ़ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	**9 48 60**	9 61 91
ii. अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयताएं	**-**	-
iii. बकाया अग्रिम विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं	**8480 26 59**	5187 79 95
iv. भारत में घटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियाँ	**3410 20 55**	3023 78 45
v. प्रति-ग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	**1281 06 49**	1110 52 67
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	**800 29 49**	1429 11 37
vii. निष्पादित किए जाने के लिए बाकी पूंजीगत करार	**11 35 16**	3 97 26
जोड.	**13992 66 88**	10764 81 61

[₹ 000 छोड दिया गया है]

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 13 :		
अर्जित ब्याज		
i. अग्रिमों /बिलों पर ब्याज /बट्टा	**4191 89 50**	3838 51 38
ii. विनिधानों पर आय	**1611 01 89**	1281 83 24
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**1 25 60**	23 40
iv. अन्य	**39 89 04**	80 06 61
जोड.	**5844 06 03**	5200 64 63
अनुसूची - 14 :		
अन्य आय		
i. कमीशन,विनिमय और दलाली	**85 67 54**	85 19 20
ii. विनिधानों के विक्रय पर लाभ	**129 79 82**	289 04 04
घटाएं : विनिधानों के विक्रय से हानि	**12 32 78**	5 61 16
	117 47 04	283 42 88
iii. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ /(हानि)	-	-
घटाएं : एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	-	-
	-	-
iv. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	**12 01**	18 53
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	**27 07**	44 76
	- 15 06	- 26 23
v. **विनिमय लेनदेन पर लाभ**	**39 48 41**	42 21 56
घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	**2 68**	3 67
	39 45 73	42 17 89
vi. विविध आय	**290 73 43**	268 91 45
जोड. (i+ii+iii+iv+v+vi)	**533 18 68**	679 45 19

[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण			31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची - 15 :				
व्यय किया गया ब्याज				
i. जमाराशियों पर ब्याज			**3637 23 50**	3523 98 04
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधारों पर ब्याज			**52 81**	95 37
iii. अन्य			**259 52 06**	226 63 19
जोड़			**3897 28 37**	3751 56 60
अनुसूची - 16 :				
प्रचालन व्यय				
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था			**1010 44 19**	705 61 51
ii. किराया, कर और रोशनी			**89 05 22**	78 08 82
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री			**7 99 21**	6 64 93
iv. विज्ञापन और प्रचार			**11 29 59**	5 04 60
	31.03.2011	31.03.2010		
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**64 01 42**	68 47 12		
घटाएं : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से समायोजित मूल्यहास	**17 84 62**	19 54 57	**46 16 80**	48 92 55
vi. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय			**55 65**	61 41
vii. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय [शाखा लेखा परीक्षकों सहित]			**11 39 11**	13 18 29
viii. विधि प्रभार			**63 03**	61 43
ix. डाक, तार और टेलिफोन आदि			**14 47 66**	12 68 46
x. मरम्मत और अनुरक्षण			**1 58 45**	1 86 06
xi. बीमा			**62 34 65**	53 35 10
xii. अन्य व्यय			**177 34 67**	144 93 61
जोड़			**1433 28 23**	1071 56 77

एच. एस. उपेन्द्र कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**सुधा वर्मा** निदेशक	**एन के. बीवेरा** निदेशक
सुरेश कामत निदेशक	**रंजन शेट्टी** निदेशक	**श्रीधर चेरूकूरी** निदेशक	**एस. अनंतन** निदेशक
अशोक कुमार निदेशक	**बी. इब्राहिम** निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**के. चन्द्रा** महा प्रबंधक

हमारी समतिथांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर. बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	मेसर्स एम पी चिताले एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	मेसर्स पी. चंद्रशेखर सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस	मेसर्स कांट्रेक्टर, नायक व किशनाडवाला सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	मेसर्स एस. विश्वनाथन सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004770 एस	मेसर्स राव ऐसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई. आर. शर्मा) साझेदार सदस्यता सं.092691	**(उल्हास चिताले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी पी.)** साझेदार सदस्यता सं. 028508	**(जी.एस.नायक)** साझेदार सदस्यता सं. 038127	**(चेल्ला के. राघवेन्द्रन)** साझेदार सदस्यता सं. 208562	**(जी. सुधीन्द्रा)** साझेदार सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर
Date : 28.04.2011

अनुसूची-17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2010-11

1. **लेखा परिपाटी :**

अन्यथा उल्लिखित बातों को छोडकर, वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित लागू लेखा मानक के अनुकूल है तथा जहाँ तक लागू हो,कंपनी(लेखांकन मानक)नियम,2006 के अनुसार है जो सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार के अनुरूप है.

सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुकूल वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट की गयी आस्तियों की राशि, देयताएं, राजस्व, वित्तीय विवरणियों में व्यय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाले अनुमान तथा आकलन करना जरूरी है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकशील तथा उचित है. लेखा आकलन में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य के लिए अभिज्ञप्त किया जाता है.

2. **विदेशी मुद्रा लेन-देन :**

(I) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से भिन्न लेन-देन

(क) दोनों आस्तियों या देयताओं के अंतर्गत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ विदेशी मुद्रा शेषराशि का बकाया तथा वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्यांकन वर्षांत दरों से एफईडीएआई द्वारा निर्दिष्टानुसार किया गया है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते के रूप में दर्शाया गया है.

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन-देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है.

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयताओं का, जिन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत में विद्यमान विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है.

(II) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन-देन :

उचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों को तथा तदनुरूपी आस्तियों को बाज़ार से जुडी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है,जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. वर्षांत में आस्ति व देयताओं को एफडीएआई द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्याकित किया जाता है. परिणामी लाभ/ हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

3. **विनिधान**

(I) विनिधान को विनिधान वर्गीकरण व मूल्यांकन पर वर्तमान भारतीय रिसर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार लेखांकित किया जाता है तथा निम्न छह समूहों में वर्गीकृत कर तुलन-पत्र में पुन:दर्शाया गया है :

(क) सरकारी प्रतिभूतियां
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
(ग) शेयर
(घ) डिबेंचर और बांड
(ड) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान
(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिटें नाबार्ड-आरआईडीएफ, उद्यम पूंजी निधि आदि)

(II) बैंक के विनिधान संविभाग का निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) परिपक्व होने तक रखे गए
(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध
(ग) व्यापार के लिए रखे गए

बैंक, अभिग्रहण के समय प्रत्येक की श्रेणी निश्चित कर और उसका तदनुसार वर्गीकरण करता है. अंतरण के दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य की निम्नतम दर पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतर किया जाता है. ऐसे अंतरणों पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरी प्रावधान किया जाता है एवं प्रतिभूति के बही मूल्य पर इसे बदल दिया जाता है.

(III) मूल्यांकन

(क) परिपक्व होने तक रखे गए

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत विनिधानों का मूल्यांकन वर्षांत में अभिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है.

(ii) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान के मामले में, मूल्य में कोई ह्रास होने पर अस्थाई से भिन्न विनिधान को पहचाना गया है और अलग-अलग रूप से प्रत्येक विनिधान के लिए प्रावधान किया गया है. आरआरबी तथा उद्यम पूंजी निधि में विनिधान का मूल्यांकन हुलाई लागत पर किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ-हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर 'पूंजीगत आरक्षिति खाते' में विनियोजित किया गया है.बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

क	सरकारी प्रतिभूतियाँ i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/वाईटीएम
	ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफआईएमएमडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
ख	केन्द्र/राज्य सरकार पीएसयू बांड द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियाँ (अग्रिम के स्वरूप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
ग	खजाना बिल	हुलाई लागत पर
घ	ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, बंदि भाव दिया जाता है,अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र(एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा 1₹ प्रति कंपनी की दर से.
ङ	अधिमान्य शेयर	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिदेय मूल्य से अधिक न होते हुए परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
च	बांड एवं डिबेंचर (अग्रिम के स्वरूप का नहीं)	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
छ	म्यूचुअल फंड की यूनिटें	यदि भाव दिया जाता है तो शेयर बाजार भाव दर पर, यदि भाव नहीं दिया जाता है तो पुनःखरीद मूल्य/ एनएवी पर.
ज	वाणिज्यिक कागजात	हुलाई लागत पर.
झ	प्रतिभूति रसीद	आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर.
ञ	उद्यम पूँजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर.
ट	अन्य विनिधान	ह्रास मूल्य घटाकर हुलाई लागत पर.

बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए रखे गए श्रेणी में उपरोक्त मूल्यांकन स्क्रिप आधार पर किया जाता है तथा वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि का कुल किया जाता है. प्रत्येक वर्गीकरण,यदि कोई,के लिए निवल मूल्यह्रास,यदि कोई,निवल मूल्यवृद्धि अनदेखा करते समय उपलब्ध किया जाता है.

निवल आधार पर मूल्यह्रास के कारण प्रावधान यदि अधिक हो तो पहले उसे लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा बाद में वर्तमान भारिबैंक मार्गनिर्देशानुसार "निवेश आरक्षिति खाते" में समायोजित किया जाता है.

IV. विवेकपूर्ण मानदंड

(क) (i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं. तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा.

(ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 31.03.2011 को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, ऐसे मद को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार उसकेलिए प्रावधान किया गया है. आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है.

(ख) प्रतिभूतियां जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : मूलधन/ब्याज/निर्धारित देय है परन्तु वर्ष के अंत में 30.03.2011 को 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

(ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जब मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है.

(घ) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त की गई कोई भी ऋण सुविधा गैर निष्पादक बने तो उनके द्वारा किसी प्रतिभूति से किए गए निवेश को अनुपयोज्य निवेश माना जाता है.

(ङ.) अनुपयोजय निवेशों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अपेक्षा अन्य निष्पादक निवेशों के मामले में वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है.

(च) बैंक के संविभाग में ईक्विटी शेयर को आवधिक आधार पर विपणन के लिए अंकित किया गया है. ईक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान भाव दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयर बाजार के अनुरूप भाव दर नहीं दिए जाते हैं को विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति, यदि कोई, पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है

जो कि कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र से निश्चित किया जाता है (मूल्यांकन तारीख से 1 वर्ष से पूर्व नहीं हो). यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों को ₹1 प्रति कंपनी के दर से मूल्यांकित किया जाता है.

(छ) ईक्विटी शेयरों के मामले में यदि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार भावदर या अद्यतन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी का शेयरों में निवेश के ₹1 की कीमत मानी जाती है तो उन ईक्विटी शेयरों को भी मामले के अनुसार,अनुषयोज्य निवेश माना जाएगा.

4. व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. **प्रतिरक्षा विनिमय:** बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोडकर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है.

समाप्त की गई विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार माना गया है.

ख. **प्रतिरक्षा मदों को पुनर्नामित करना :** यदि प्रतिरक्षा मदों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा. पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाज़ार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है. बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा.

ग. **व्यापारी विनिमय :** व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है. विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है.

5. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास

(I) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में शामिल है, पूर्ण स्वमित्ववाली संपत्ति और पट्टा-धृति संपत्ति, खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पूंजीकरण किया गया है. अन्य अचल आस्तियों को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है. मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोडकर परिसर और दूसरे अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है. ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है.

(ख) पट्टे पर/किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है.

(II) मूल्यह्रास

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथककरण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का 'आय कर नियमों' के अंतर्गत ह्रासमान संतुलन पद्धति के आधार पर निर्धारित दर से मूल्यह्रास किया गया है. कंप्यूटरों का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है. चालू वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफ्टवेयर खर्चों को जिसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है, 100% पर परिशोधित किया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड पर मूल्यह्रास, निर्धारित मूल्यह्रास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यह्रास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो. अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है.

6. पट्टे पर दी गई आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गनिर्देश तथा संबद्ध अवधि के लिए लागू लेखाकरण मानक 19 के अनुसार लेखाकरण किया गया है. गैर- निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं.

7. **गैर-बैंकिंग आस्तियां :**

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है.

8. **अग्रिम:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया गया है. गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया गया है.

(क) भारतीय रिजव बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का "निष्पादक", "अनर्जक" आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को 90 दिनों के बकाया रकम अदा करने संबंधी मानदण्डों सहित "अनर्जक आस्तियों" के रूप में वर्गीकरण किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक कर दिया गया है. अनर्जक आस्तियों को प्रावधान की आवश्यकताओं की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए अग्रिम, (अस्थायी प्रावधानों सहित) अनर्जक अग्रिमों, उचंत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है.

(ख) अग्रिमों में पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है.

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है.

(घ) उधारकर्ता के वर्तमान स्तर के अनुरूप निष्पादक आस्ति के रूप में अब तक अपेक्षित नहीं समझे गए लाभ-हानि खाते में किए गए प्रावधान बट्टे खाते से वापस लाभ-हानि खाते में डाले जाते हैं.

(ङ) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को "अन्य देयताएं और प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(च) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. **मानक आस्तियां** : वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को मानक अग्रिम का 1% प्रत्यक्ष कृषि और लघु व मझौले उद्यम क्षेत्र के अधीन बकाया निष्पादक अग्रिमों का 0.25% तथा अन्य सभी बकाया निष्पादक अग्रिमों पर 0.40%.

2. **अवमानक आस्तियां** : बकाया अग्रिमों के 10% की दर से यद्यपि, अव-मानक आस्तियों के मामले में, जिसे प्रारंभ से "अप्रतिभूत निवेश" के रूप में पहचाना गया है के लिए बकाया शेष के 20% का प्रावधान रखा गया है.

3. **संदिग्ध आस्तियां** : जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 20% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी/सीजीएसटीआई योजनाओं के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर-जमानती अंश का 100%.

4. **हानिपरक आस्तियां** : बकाया अग्रिमों का 100%.

(छ) पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खाते :

पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में दि.27.08.2008 के परिपत्र तथा दि.01.07.2010 के मास्टर परिपत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिमों की पुनर्संरचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संरचित मूल्य के उचित मूल्य में ह्रास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.

अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास का परिकलन पुनर्संरचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर से किया जाता है.

पुनर्संरचना से पूर्व ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना से पूर्व अग्रिम पर प्रभारित वर्तमान दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

पुनर्संरचना के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना पर अग्रिम पर प्रभारित दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार विशेष वितरण, जहां कहीं भी अनुमत है, सहित किया गया है.

9. राजस्व निर्धारण:

नीचे उल्लिखित मामलों को छोडकर आय/व्यय को उपचित आधार पर लेखा बद्ध किया गया है :

(क) अनर्जक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है. जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि / बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है. अनर्जक विनिधान के संबंध में जब तक अन्यथा सहमति प्राप्त न की जाती तब तक उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है.

(ख) केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में, आय को नकदी आधार पर पहचाना जाएगा यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है.

(ग) म्यूचुअल फंड यूनिटों,बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा करोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर किराया, सरकारी करोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

(घ) गैर-निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है.

(ङ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के क्रम में परिपक्व मीयादी जमाओं तथा अपरिचालित बचत जमाराशिओं पर बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर का प्रावधान किया गया है.

(छ) विवाद धीन/समझौते के अधीन कर्मचारियों संबंधी मामलों के संबंध में किए गए दावों के कारण उत्पन्न खर्च को अंतिम समझौता/निर्धारण वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया गया है.

(ज) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है.

(झ) घी आवास ऋणों के संबंध में बैंक द्वारा ली गई बीमा पालिसियों पर प्रीमियम, भुगतान वर्ष में ही प्रभारित किया गया है.

10. निवल लाभ

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान

(ख) अग्रिम/विनिधान के लिए प्रावधान

(ग) विनिधान के मूल्य में समायोजन

(घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छः माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

11. कर्मचारी संबंधी लाभ :

(क) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.

(ख) उपदान निधि में अंशदान, लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

(ग) छुट्टी नकदीकरण, साधिकार छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के प्रति देयता लेखा मानक 15 (संशोधित)बीमांकिक मूल्यांकन के आधार प्रदान किया जाता है.

विवरण निम्नानुसार है:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (कर्मचारी की सेवाकाल के समापन के बाद बारह माह के अंदर देय लाभ)अर्थात्.,बीमारी छुट्टी का परिकलन प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है.

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ(कर्मचारी की सेवाकाल की अवधि के समापन से बारह माह के अंत में देय लाभ),तथा पद नियोजन लाभ (सेवाकाल के समापन के बाद देय लाभ),परियोजित इकाई ऋण प्रणाली द्वारा वार्षिक तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर,बट्टागत आधार पर दिया जाता है. बैंक वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निम्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ प्रदान करता है:

1. छुट्टी भुनाना: प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उस वर्ष में छुट्टी भुनाने के प्रति आस्थगित पात्रता के कारण उपचित देयता बैंक देता है.

2. पेंशन: प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन के लिए जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है के कारण उपचित देयता बैंक देता है. 9 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार,जो कर्मचारी 27.04.2007 को बैंक की सेवा में थे के लिए पेंशन विकल्प पुन:लिया गया. इसके परिणामस्वरूप, पेंशन निधि में अतिरिक्त अंशदान देने की जरूरत थी. जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पाँच वर्ष की अवधि के दौरान दूसरे पेंशन के लिए वर्तमान कर्मचारियों के विकल्प के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन की अनुमति दी गई है, यह छूट दूसरा पेंशन विकल्प लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अतिरिक्त देयता के संबंध में नहीं दिया गया था. बैंक ने 31.03.2011 को तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त किया है तथा तदनुसार पेंशन निधि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अंशदान किया है.

3. उपदान: प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित उपदान के लिए बैंक देता है.कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि 24.05.2010 से 1972 के उपदान भुगतान अधिनियम के संशोधन से 3.50 लाख ₹ से बढ़कर 10.00 लाख ₹ हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उच्चतम सीमा में होनेवाली वृद्धि के कारण अतिरिक्त बोझ के परिशोधन की अनुमति दी है. बैंक ने 31.03.2011 को तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त किया है तथा तदनुसार पेंशन निधि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अंशदान के लिए व्यवस्था की है.

   पेंशन तथा उपदान अंशदान स्व-व्यवस्थित न्यास में अंतरित है.

12. कराधान के लिए प्रावधान :

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

13. अनर्जक:

प्रत्येक तुलन पत्र में बाह्य/आंतरिक तत्व पर आधारित अनर्जक की कोई सूचना के लिए आस्तियों की डुलाई गई राशि की समीक्षा की जाती है. जब भी किसी आस्ति की डुलाई गई राशि अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो तो अनर्जक हानि होती है.

14. खंड रिपोर्टिंग :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

1. **खजाना** : जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यह्रास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.

2. **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

3. **खुदरा बैंकिंग** में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

4. **अन्य बैंकिंग परिचालन** में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है.

15. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (देने योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है. प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित

औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है.

16. आकस्मिक देयताएं तथा प्रावधान :

पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है. यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है. प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान प्रतिफलित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है.

17. अन्य :

नकद प्रवाह विवरणी में नकद तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए तथा शेषराशि (अनुसूची-6) तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची-7) शामिल है.

18. बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है.

एच. एस. उपेन्द्र कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**सुमा वर्मा** निदेशक	**एल. के. मीणा** निदेशक
सुरेश कामत निदेशक	**रंजन शेट्टी** निदेशक	**श्रीधर चेन्नकुरी** निदेशक	**एस. अनंतन** निदेशक
अशोक कुमार निदेशक	**पी. इब्राहिम** निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**के. चन्द्रा** महा प्रबंधक

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर. बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	**मेसर्स एम. पी. चितले एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	**मेसर्स पी. चंद्रशेखर** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस	**मेसर्स कांट्रैक्टर, नायक व किशनाडवाला** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	**मेसर्स एस. विश्वनाथन** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004770 एस	**मेसर्स राव एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई. आर. शर्मा) साझेदार सदस्यता सं.092691	**(उल्हास चितले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी सी.)** साझेदार सदस्यता सं. 028508	**(जी.एस.नायक)** साझेदार सदस्यता सं. 038127	**(चेल्ला के. राघवेन्द्रन)** साझेदार सदस्यता सं. 208562	**(जी. सुधीन्द्रा)** साझेदार सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर
Date : 28.04.2011

अनुसूची – 18 : लेखों पर टिप्पणियां

1. अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2011 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. विदेशी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों,समाशोधन लेन-देन,निधि अंतरण, तार अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेषराशियों,लेखों आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि में बकाया प्रविष्टियों को हटाने का कार्य 31.12.2010 तक समाप्त हो चुका है तथा शेष अवधि के लिए प्रक्रिया जारी है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा स
2. बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत ₹ 7.44 करोड है (पिछले वर्ष य 8.27 करोड रुपए) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.
3. उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबद्ध शाखाओं द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.
4. ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित ₹ 53.78 करोड के दावे भी (पिछले वर्ष ₹ 4.14 करोड), प्रावधान का परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.
5. बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.
6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

i) पूंजी

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2011	31.03.2010
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल I	12.59	11.79
	बेसल II	13.88	12.50
2.	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)		
	बेसल I	8.96	7.28
	बेसल II	9.88	7.69
3.	सीआरएआर -टियर II पूंजी (%)		
	बेसल I	3.63	4.51
	बेसल II	4.00	4.81
4.	भारत सरकार के शेयर धारण का प्रतिशत	57.69%	53.87%
5.	टियर II पूंजी के रूप में जमा की गयी गौण ऋण की राशि (₹ करोडों में)	-	-
6.	वर्ष के दौरान टियर I पूंजी के रूप में जुटाए गए शाश्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि(₹ करोडों में)	700.00	-

ii) निवेश

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2011	31.03.2010
1.	निवेश का मूल्य		
	निवेश का सकल मूल्य	25382.99	21326.34
	भारत में	25382.99	21326.34
	भारत के बाहर	-	-
	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान		
	भारत में	244.41**	218.89**
	भारत के बाहर	-	-
	निवेश का निवल मूल्य	25138.58	21107.45
	भारत में	25138.58	21107.45
	भारत के बाहर	-	-
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का उतार-चढाव		
	अथशेष	199.64	437.43
	जोडें : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	10.44	-
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	15.08	56.21
		225.16	493.64
	घटाएं : अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	-	294.00
	इति शेष	225.16	199.64

** एनपीआई के ₹19.25 करोड के प्रावधान सहित

iii) पुन: खरीद लेनदनों के ब्यौरे (एलएएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार है : (₹ करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31 मार्च 2011 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
पुन: खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	2800.00	627.25	1130.00
पुन: खरीद के विपरीत के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	2800.00	124.01	325.00

रिपो लेनदन 31.03.2010(पिछले वर्ष) : (₹ करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31 मार्च 2010 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	187.21	7.99	0.00
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	2400.00	517.71	0.00

iv) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

गैर-एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना – 31.03.2011 (₹ करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा	"श्रेणी रहित" प्रतिभूतियों की सीमा	" सूची रहित " प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	पीएसयू	377.34	334.12	--	55.09	5.41
02	वित्तीय संस्थाएँ**	2762.04	2491.19	--	2141.02	2203.68
03	बैंक	3174.48	3110.95	--	61.16	-
04	निजी कंपनी	536.42	436.26	39.77	176.51	159.52
05	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	10.13	10.13	--	10.13	10.13
06	अन्य	178.29	2.24	-	178.29	11.56
07	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(207.58)	-	-	-	-
	कुल*	**6831.12**	**6384.89**	**39.77**	**2622.20**	**2390.30**

नोट: *(1) कॉलम 3 के अधीन कुल का तुलन-पत्र की अनुसूची 8 के निम्नलिखित वर्गों के अधीन निवेश के कुल के साथ मेल खाना चाहिए:

क. शेयर

ख. डिबेंचर व बांड

ग. सहायिकी/ संयुक्त उद्यम

घ. अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

** में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 2141.01 करोड का निवेश भी शामिल है.

गैर-एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना – 31.03.2010 (पिछले वर्ष) (₹ करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियोंकी सीमा	"श्रेणी रहित" प्रतिभूतियों की सीमा	" सूची रहित " प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	पीएसयू	308.76	234.60		20.92	10.72
02	वित्तीय संस्थाएँ**	2044.36	1890.25	52.80	1895.38	1895.55
03	बैंक	221.81	102.05		20.00	
04	निजी कंपनी	783.77	564.32	27.10	76.40	42.01
05	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम/सह संस्थाएं	10.38	10.38		10.38	10.38
06	अन्य	-	--	--	--	--
07	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(163.44)	--	--	--	--
	कुल*	**3205.65**	**2801.16**	**79.90**	**2023.08**	**1958.66**

नोट: *(1) कॉलम 3 के अधीन कुल का तुलन-पत्र की अनुसूची 8 के निम्नलिखित वर्गों के अधीन निवेश के कुल के साथ मेल खाना चाहिए:

क. शेयर

ख. डिबेंचर व बांड

ग. सहायिकी/ संयुक्त उद्यम

घ. अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

** में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 1832.89 करोड का निवेश भी शामिल है.

v) क) गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश (₹ करोडों में)

ब्यौरे	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010
अथशेष	**19.25**	19.25
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**0.00**	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**0.00**	0.00
इतिशेष	**19.25**	19.25
कुल धारित प्रावधान	**19.25**	19.25

ख) गैर-निष्पादक विनिधान के लिए प्रावधान में उतार-चढाव (₹ करोडों में)

ब्यौरे	31.03.2011	31.03.2010
अथशेष	**19.25**	19.25
जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**0.00**	0.00
घटाएँ : अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	**0.00**	0.00
इतिशेष	**19.25**	19.25

vi) व्युत्पन्न :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (₹ करोडों में)

ब्यौरे		31.03.2011	31.03.2010
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	**800.00**	1125.00
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपनी दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होनेवाली हानि	**3.79**	11.99
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	--	--
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	--	--
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	**(22.51)**	(64.43)

1) ब्याज दर स्वैप, आस्ति/देयताओं पर ब्याज दर जोखिम की रक्षा और व्यापार के उद्देश्य से की गयी थी

2) स्वैप की शर्तें स्थिर ब्याज दर की तुलना में अस्थिर ब्याज दर तथा अस्थिर ब्याज दर की तुलना में स्थिर ब्याज दर प्राप्त करने के लिए है.

3) स्वैप के लिए प्रतिपक्षी पार्टी बैंक है और प्रत्येक बैंक की जोखिम निहित ऋण, अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर है.

ख) विनिमय से ब्याज दर व्युत्पन्न (₹ करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2011	31.03.2010
01	वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न ब्याज दर (प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
02	31 मार्च 2011 को आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर(प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
03	आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर व 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
04	विनिमय के बाज़ार मूल्य से व्युत्पन्न बकाया ब्याज दर व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है(प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य

vii) व्युत्पन्न में जोखिम जानकारी पर प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और भा.रि. बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रन्ट आफीस,मिड आफीस और बैक आफीस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है. नीति के अनुसार प्रभावी निष्पादन के लिए प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जोखिम कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	शून्य	500
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	300
ii)	बाजार स्थिति में अंकित (1)	शून्य	
	क) आस्ति (+)		3.79
	ख) देयता (-)		26.30
iii)	ऋण जोखिम (2)		11.79
iv)	ब्याज दर में 1% परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100 * पीवी 01)	शून्य	
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर		-30.96
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर		-4.59
v)	वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100 * पीवी 01	शून्य	
	क) प्रतिरक्षा पर - अधिकतम - न्यूनतम		-75.39 -30.27
	ख) व्यापार पर - अधिकतम - न्यूनतम		-7.19 -4.59

viii) आस्ति गुणवत्ता

क) गैर निषादक आस्ति (₹ करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2011	31.03.2010
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	**1.52**	1.40
(ii)	गै.नि.आ. का अंतरण (सकल)		
	अथशेष	**994.45**	698.82
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1362.26**	1207.58
	वर्ष के दौरान हुई कमी	**1097.52**	911.95
	इतिशेष	**1259.19**	994.45
(iii)	निवल गै.नि.आ. में अंतरण		
	अथशेष	**581.83**	292.29
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कमी	**159.33**	289.54
	इतिशेष	**741.16**	581.83
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का अंतरण (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर तथा आस्तिया प्रावधान सहित)		
	अथशेष	**408.40**	400.84
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**405.27**	475.15
	अधिक प्रावधानों को बट्टा खाता डालना/वापस लेना	**307.60**	467.59
	इतिशेष	**506.07**	408.40

ख) पुनर्संरचना हेतु ऋण आस्तियों के विवरण (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2011	31.03.2010
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु ऋण आस्तियों की कुल राशि	**2645.89**	2537.34
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**161.27**	57.82
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु मानक आस्तियों की राशि	**2619.20**	2511.39
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**161.27**	57.82
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु अवमानक आस्तियों की राशि	**26.41**	25.81
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**0.00**	0.00
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु संदिग्ध आस्तियों की राशि *	**0.28**	0.14
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**0.00**	0.00
	नोट: (क = ख + ग + घ)		

एसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना			
		31.03.2011	**31.03.2010**
क	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	**308.59**	304.41
ख	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की मानक आस्तियों की राशि	**290.38**	286.20
ग	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	**15.06**	15.06
घ	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि *	**3.15**	3.15

ग) पुनर्संरचित खातों के विवरण (₹ करोड़ों में)

		सीडीआर संयंत्र	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	7	861	4682
	बकाया राशि	65.28	77.60	746.36
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	2.75	0.17	3.20
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	0.00	1014	2919
	बकाया राशि	0.00	71.44	55.78
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	0.00	0.06	0.56
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम *	उधारकर्ताओं की सं.	2.00	1364	1415
	बकाया राशि	27.84	24.89	133.75
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	0.00	0.14	0.43
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	**9**	**3239**	**9016**
	बकाया राशि	**93.12**	**173.93**	**935.89**
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	**2.75**	**0.37**	**4.19**
* उपरोक्त में से आईआरएसी मानदंडों, एसएमई के अनुसार वर्ष के दौरान हानिपरक आस्तियों में चले गए खाते, एमएसएमई – ₹ 0.97 करोड की बकाया राशि वाले 105 खाते तथा अन्य – ₹ 1.55 करोड की बकाया राशि वाले 73 खातों के साथ ₹ 0.01 करोड के उचित मूल्य में ह्रास				

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 अगस्त, 2008 के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्संरचित अग्रिमों के मामले में बैंक ने, अग्रिमों के उचित मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 7.31 करोड (पिछले वर्ष के ₹ 13.65 करोड) की राशि का प्रावधान किया है, बैंक की राय में इस प्रकार की संरचना, ऐसे पुनर्संरचित अग्रिमों पर ब्याज दर के ऊर्ध्वमुखी संशोधन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है. कथित परिपत्र में पुनर्संरचना के लिए निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.

ङ) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
01	खातों की संख्या	4	2
02	प्र.कं./पु.कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	97.07	4.67
03	कुल प्रतिफल	125.34	38.39
04	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	1.63	–
05	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	29.95	33.72

च) खरीदे/बेचे गए अनिष्पादक आस्तियों के विवरण

i) खरीदे गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1.(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-
2.(क) इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-

ii) बिक्री किए गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1. बिक्री किए गए खातों की संख्या	4	2
2. कुल बकाया	125.34	38.89
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	125.34	38.39

छ) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	223.40	223.40
कुल	223.40	223.40

ज) कारोबार अनुपात (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.03%	7.89%
गैर-ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	0.73%	1.03%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	1.44%	1.60%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	0.72%	0.76%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	9.28	8.36
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.063	0.045

ix) आस्ति देयता प्रबंधन : आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप : (₹ करोडों में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिनों से 1 महीने	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	403.60	3410.23	3067.28	4737.86	14241.26	8659.33	13671.10	24030.25	556.03	464.38	**73248.32**
अग्रिम *	240.19	301.18	315.77	605.62	1833.63	2058.31	4013.40	28451.34	5287.53	5612.66	**48781.63**
निवेश *	110.59	933.99	79.41	148.47	1296.47	292.83	818.76	1651.95	6935.21	12867.88	**25138.56**
उधार **	100.00	30.10	0.00	0.00	0.01	0.70	1.25	278.77	252.27	1250.13	**1913.23**
विदेशी मुद्रा आस्तियां	62.38	158.05	3.69	13.82	141.71	180.52	8.07	0.00	0.00	0.00	**569.24**
विदेशी मुद्रा देयताएं	231.10	1.56	115.03	3.49	15.62	49.01	83.87	55.55	14.01	0.00	**569.24**

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन द्वारा वर्गीकृत किया गया है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है.

* आंकडे स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

** भारत में उधार

x) संवेदनशील क्षेत्र को उधार

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार (₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1)	प्रत्यक्ष उधार		
	क. आवासी बंधक		
	(i) आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	**5952.19**	5700.57
	(ii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	**4311.31**	4318.42
	ख. वाणिज्यिक संपदा		
	वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर,बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटेल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होंगे.	**3979.54**	4100.25
	ग. बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
	(i) आवासीय	**0.40**	0.87
	(ii) वणिज्यिक संपदा	**4.68**	5.00
2)	अप्रत्यक्ष उधार		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधिारित उधार	**260.00**	469.99
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम		**10196.81**	**10276.68**

ख) पूंजी बाज़ार को उधार (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	**386.78**	333.17
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	**0.18**	0.16
(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	-
(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बाँड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपार्श्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बाँड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	-	0.58
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	**20.07**	-
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	-	-
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	-	-
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन जमा व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	-	-
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किया गया सब प्रकार के निवेश को ईक्विटी के समतुल्य माना जाएगा और उसे (प्रत्यक्ष व परोक्ष) पूंजी बाज़ार निवेश सीमाओं के अनुपालन के लिए माना जाएगा.	-	-
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	**407.03**	**333.91**

xi) जोखिम वर्ग-वार देश उधार

(₹ करोडों में)

जोखिम का वर्ग	31.03.2011 को उधार (निवल)	31.03.2011 को धारित प्रावधान	31.03.2010 को उधार (निवल)	31.03.2009 को धारित प्रावधान
कम	208.68	-	221.97	-
मध्यम	228.85	-	156.14	-
बहुत	24.77	-	6.63	-
अत्यधिक	0.96	-	0.08	-
सीमित	--	-	0.57	-
ऋण से पृथक	--	-	--	-
कुल	--	-	--	-
कुल	**463.26**	-	**385.39**	-

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर होने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के साथ पढे दिनांक 17.06.2004 परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.96/ 21.04.103/2003-04 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

xii) ऋण निवेश के ब्यौरे जहाँ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विवेकपूर्ण निवेश से अधिक निवेश किया गया

पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	निवेश सीमा 15% की दर से जैसा कि वैयक्तिक उधारकर्त्ताओं के लिए लागू है	मंजूर सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा को पार किया गया**		मंडल की मंजूरी के ब्यौरे	31.03.2011 की स्थिति
				माह	राशि		
01	पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	726.26	200.00	अप्रैल -10	-	➢ एमसी:ए:118.05 दिनांक 13.07.2005 ➢ एमसी:सीआईआर: 20/2010 दिनांक 24.07.2010 ➢ एमसी:ए:294/2010 दिनांक 12.10.2010	1016.95
		726.26	200.00	मई- 10	-		
		726.26	200.00	जून -10	-		
		831.26	900.00	जुलाई-10	966.95		
		831.26	900.00	अगस्त -10	973.20		
		831.26	900.00	सितंबर -10	972.85		
		831.26	900.00	अक्तूबर -10	973.15		
		831.26	700.00	नवंबर -10	-		
		831.26	950.00	दिसंबर -10	1022.18		
		831.26	950.00	जनवरी -11	1022.30		
		831.26	950.00	फरवरी -11	1022.05		
		831.26	950.00	मार्च -11	1016.95		

** इसमें ₹ 66.95 करोड के निवेश जोखिम शामिल है

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल)

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	निवेश सीमा 15% की दर से जैसा कि व्यैक्तिक उधारकर्त्ताओं के लिए लागू है	मंजूर सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा को पार किया गया**		मंडल की मंजूरी के ब्यौरे	31.03.2011 की स्थिति
				माह	राशि		
01	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	726.26	920.00	अप्रैल -10	925.67	एमसी:सीआईआर: 09/2010-11 दिनांक 03.05.2010 एमसी:ए:189/2010-11 दिनांक 28.07.2010	शून्य
		726.26	920.00	मई- 10	922.97		
		726.26	920.00	जून -10	923.10		
		831.26	920.00	जुलाई-10	923.20		
		831.26	920.00	अगस्त -10	923.20		
		831.26	700.00	सितंबर -10	0		
		831.26	700.00	अक्तूबर -10	0		
		831.26	700.00	नवंबर -10	0		
		831.26	700.00	दिसंबर -10	0		
		831.26	700.00	जनवरी -11	0		
		831.26	700.00	फरवरी -11	0		
		831.26	700.00	मार्च -11	0		

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ करोडों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	निवेश सीमा 15% की दर से जैसा कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए लागू है	निवेश सीमा 20% की दर से जैसा कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं (बुनियादी सुविधा)के लिए लागू है	मंजूर सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा को पार किया गया**		मंडल की मंजूरी के ब्यौरे	31.3.2011 की स्थिति
					माह	राशि		
01	कर्नाटक राज्य पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	726.26	968.35	668.22	अप्रैल -10	-	➢ एमसी:ए:123:2006-07 दिनांक 01.12.2006 ➢ एमसी:ए: 154/2007 दिनांक 17.11.2007 ➢ एमसी:ए:8/2010 दिनांक 12.01.2010 ➢ एमसी:ए:159/2008 दिनांक 26.07.2008 ➢ सीडी:एमसी:ए: 69/2010 दिनांक 29.03.2009 ➢ सीडी:एमसी:ए: 44/2008 दिनांक 25.03.2009 ➢ सीडी:एमसी:[एसएसी-12] ए:165/2010-11 दिनांक 25.06.2010 ➢ सीडी:एमसी:[एसएसी-12] ए:219/2010-11 दिनांक 18.08.2010 ➢ एमसी:[एसएसी-12]: ए:219/2010-11 दिनांक 18.08.2010	1025.31
		726.26	968.35	568.87	मई- 10	-		
		726.26	968.35	868.85	जून -10	868.85		
		831.26	1108.35	869.48	जुलाई-10	869.48		
		831.26	1108.35	670.28	अगस्त -10	-		
		831.26	1108.35	893.92	सितंबर -10	893.92		
		831.26	1108.35	929.67	अक्तूबर -10	929.67		
		831.26	1108.35	930.62	नवंबर -10	930.62		
		831.26	1108.35	939.12	दिसंबर -10	939.12		
		831.26	1108.35	935.33	जनवरी -11	935.33		
		831.26	1108.35	929.70	फरवरी -11	929.70		
		831.26	1108.35	1030.05	मार्च -11	1030.05		

नोट: इस बात पर विचार करते हुए कि ऋण राशि के एक अंश का गैर-आधाभूत ढाँचा सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पीई सिलिंग 15% है, ऋण खातों में बकाया शेष बैंक की पूंजीगत निधि के 15% से अधिक रिपोर्ट किया गया है.

xiii) वर्ष के दौरान बैंक द्वारा मार्जिन जमा व्यापार के लिए वित्तपोषण नहीं किया गया है एवं किसी भी आस्ति को प्रतिभूत नहीं किया गया है.

xiv) जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए का केंद्रीकरण (बैंक द्वारा समेकितानुसार)

क) जमाराशियों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	1102527.98
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं की जमराशियों का प्रतिशत	15.05%

ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे जमाकर्ताओं के कुल अग्रिम	12523.22
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	23.75%

ग) जोखिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल जोखिम	13894.31
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	20.69%

घ) एनपीए का केन्द्रीकरण (₹ करोडों में)

कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	118.71

xv) क्षेत्रवार एनपीए

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	7.35%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	2.23%
3	सेवाएं	2.40%
4	वैयक्तिक ऋण	6.11%

xvi) एनपीए का चलन (₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि ₹ करोड़ों में
1 अप्रैल, 2010 को सकल एनपीए	**994.45**
वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	1362.26
उप-कुल (क)	2356.71
घटाएं :	
(i) उन्नयन	332.19
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	438.04
(iii) बट्टे खाते डालना	327.29
उप-कुल (ख)	**1097.52**
31 मार्च, 2010 को सकल एनपीए (क - ख)	1259.19

xvii) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य

xviii) प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित(जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**समुद्रपारीय**
शून्य	शून्य

xix) प्रावधान कवरेज अनुपात : 31 मार्च, 2011 को कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार 63.69% है (पिछले वर्ष 64.24% था). तथापि, बैंक ने भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 87-21.048/2010-11 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार कथित पीसीआर हासिल कर लिया है.

xx) अप्रतिभूत अग्रिम : बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने भारत में यूएसडी 2,220,619,739.72 राशि के निर्यात किए गए माल के संबंध में 74 आश्वासन पत्र जारी किए. ये आश्वासन पत्र बैंक के वित्तपोषण पर उससे पड़नेवाले प्रभाव के विधिवत मूल्यांकन करने के बाद तथा बैंक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए. तुलन पत्र की तारीख को यूएसडी 24.06 मिलियन (1 यूएसडी = ₹ 45.01 की दर से लगभग ₹ 108.39 करोड़) के 34 आश्वासन पत्र बकाया है जिनका प्रबंधन के विचार से बैंक की वित्तीय स्थिति पर जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा

xxi) 2010-11 के दौरान बैंकबीमा कारोबार से शुल्क/ पारिश्रमिक.

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2010-11 (₹ लाखो में)
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	25.39
2	गैर-जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	79.15
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	शून्य
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य

7. लेखाकरण मानकों का अनुपालन :

i) भौतिक पिछली अवधि की लाभ व हानि खाते में शामिल ऐसी कोई भी मदें नहीं है जिसे "एएस-5" के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.

ii) बैंक की लेखा नीति सं.9 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण "एएस-9" के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.

iii) बैंक द्वारा एएस। ।। के अनुसार लेनदेन की तारीख को दर पर नहीं बल्कि एफईडीएआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय थी कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

iv) कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखाकरण मानकों) नियम,2006 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानक के अनुसार निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	पेंशन
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**		
	बट्टागत दर	8.20%	8.50%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	4.25%	4.25%
	मूल वेतन में मूल्यवर्धन की दर		1.50%
	ह्रास दर	0.75%	0.75%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	8.30%	8.30%
	पेंशन में मूल्यवर्धन की दर		2.75%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**		
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	241.22	651.12
	ब्याज की लागत	17.67	50.37
	चालू सेवा लागत	8.44	35.81
	पूर्व सेवा लागत-मान्य/परिशोधन हेतु पात्र	26.38	481.35
	पूर्व सेवा लागत-अमान्य/परिशोधन हेतु अपात्र	105.50	596.96
	प्रदत्त लाभ	(51.51)	(102.84)
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकडे)	53.04	120.17
	अवधि के अंत में पीवीओ	400.74	1832.94
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	263.06	541.35
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	26.63	96.49
	अंशदान	167.16	1238.37
	प्रदत्त लाभ	(51.52)	(102.84)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकडे)	2.63	(34.09)
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	407.96	1739.28
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**		
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	26.63	96.49
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2.63	(34.09)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	29.26	62.40
V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**		
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	(53.04)	(120.17)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजना आस्तियाँ	2.63	(34.09)
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	50.41	(154.26)
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	50.41	(154.26)
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.74	1832.94
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	407.96	1739.28
	अंतर	(7.22)	93.66
	अमान्य पूर्व सेवा लागत	(105.50)	(385.07)
	पैरा 55 के अधीन निर्धारित नकारात्मक राशि	(112.72)	(291.41)
	भविष्य वापसी तथा भविष्य में योगदान में कमी के लिए उपलब्ध वर्तमान मूल्य	104.18	268.58
	पैरा 59 (बी) के अधीन सीमा	104.18	268.58
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	104.18	268.58

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	पेंशन
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	8.44	35.81
	ब्याज लागत	17.67	50.37
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(26.63)	(96.49)
	वर्ष के दौरान अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	50.42	154.26
	परिशोधन केलिए अपात्र पूर्व सेवा लागत		596.96
	पूर्व सेवा लागत–अभिज्ञप्त	26.37	96.27
	पैरा 59(बी) में सीमा का प्रभाव	8.54	22.83
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	84.81	860.01
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढ़ाव**		
	प्रारंभिक निवल देयता	(21.83)	109.77
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	84.81	860.01
	प्रदत्त अंशदान	(167.16)	(1238.36)
	अंतिम निवल देयता	(104.18)	(268.58)
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.73	1832.95
	योजना आस्तियाँ	407.96	1739.28
	अधिक/(कमी)	7.22	(93.67)
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	(77.05)	(343.33)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	2.63	(34.09)
X.	**योजना आस्तियों के प्रमुख संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**		
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	19.00%	13.20%
	राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	35.35%	37.60%
	उच्च गुणात्मक कंपनी बांड	44.65%	46.00%
	अन्य (स्पष्ट करें)	1.00%	3.20%
	कुल	100.00%	100.00%
XI.	**अगले वर्ष के दौरान उद्यम अंशदान का उत्तम प्राक्कलन**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

v) **वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं** **(₹ करोडों में)**

क्रम सं.	अन्य दीर्घावधि लाभ	31.03.2011	31.03.2010
1	पेंशन	**431.91**	119.77
2	छुट्टी नकदीकरण	**(2.93)**	62.25
3	उपदान	**30.82**	-
4	बीमारी छुट्टी	**0.00**	0.00

वर्ष के दौरान बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए दुबारा पेंशन विकल्प खोला जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया था. इसके परिणामस्वरूप सेवारत 5559 कर्मचारियों के संबंध में बैंक को ₹ 473 करोड की गृहीत देयता हुई.

आगे, वर्ष के दौरान उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 में परिशोधन के अनुरूप बैंक के कर्मचारिवों को भुगतान की जाने वाली उपदान की सीमा में भी बढ़ोत्तरी की गयी. परिणामस्वरूप बैंक की उपदान देयता में ₹ 123 करोड की वृद्धि हुई.

लेखाकरण मानक (एएस) 15, कर्मचारी लाभ की आवश्यकता के अनुरूप ₹ 596 करोड की संपूर्ण राशि को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए.

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प देने को दुबारा खोलने तथा ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोत्तरी– विवेकपूर्ण विनियामक उपचार हेतु दिनांक 09.02.2011 को परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 जारी किया है. उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुरूप बैंक अगले पाँच वर्ष की अवधि तक ₹ 596 करोड की राशि को परिशोधित करेगा. तदनुसार, ₹ 119 करोड (₹ 596 करोड का पाँचवा हिस्सा)

की राशि को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया गया है. उपरोक्त भा रि बैं परिपत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अद्येनीत शेष राशि अर्थात, ₹ 477 करोड में अलग हुए/ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं.

यदि भारिबैं द्वारा इस प्रकार का परिपत्र जारी नहीं किया जाता तो एएस-15 की आवश्यकताओं को लागू करने के अनुरूप बैंक का लाभ ₹ 477 करोड कम होता.

vi) कारोबार खंड **(₹ करोडों में)**

कारोबार खंड #	खजाना		कंपनी/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10
राजस्व	1799.60	1641.69	2435.02	2168.39	1656.87	1670.12	385.75	399.90	6377.24	5880.10
परिणाम	308.39	308.76	417.26	407.81	301.06	314.12	66.10	75.20	1092.83	1105.89
अनाबंटित व्यय									46.16	48.93
परिचालनात्मक लाभ									1046.67	1056.96
प्रावधान व आकस्मिकताएं									362.85	355.82
कर के लिए प्रावधान									160.00	193.85
असाधारण लाभ/हानि									-	-
निवल लाभ									523.82	507.29
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	27737.03	24462.48	34088.43	26651.28	18151.22	17782.41	529.84	373.27	80506.52	69269.44
अनाबंटित आस्तियां									1180.40	952.64
कुल आस्तियां									81686.92	70222.08
खंड देयताएं	26484.10	23514.29	32548.60	25618.24	17331.30	17093.14	505.91	358.80	76869.91	66584.47
अनाबंटित देयताएं									4817.01	3637.61
कुल देयताएं									81686.92	70222.08

एएस-17 की शर्तों के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए तथा भारिबैं मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार बैंक के कारोबार को चार वर्गों में विखंडन किया गया है -
(क) खजाना परिचालन एवं (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन

चूंकि बैंक की कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.

खंड राजस्व के आधार पर व्ययों का विभाजन किया गया है.

जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटित किए गए हैं.

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

vii) सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन एएस-18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञप्त किया है.

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1) श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, कार्यकारी निदेशक

वर्ष के दौरान संबंद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

क) i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार: **(राशि ₹ में)**

श्री आल्बर्ट तावरो, अ.व.प्र.नि. (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	₹ 23,01,980.00
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, का.नि. (01.04.2010 से 31.03.2011 तक)	₹ 14,50,190.50

ii) श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बैंक से ₹ 50.00 लाख का आवास ऋण लिया है तथा यथा 31.03.2011 को ₹.43.98 लाख बकाया है.

ख) अनुषंगी : विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक – बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मालिकाना हक – 35%) (₹ लाखों में)

विवरण	बैंक के साथ सहयोगी संस्थाओं के लेनदेन के ब्यौरे	31.03.2011 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार	नकदी ऋण ओवरड्राफ्ट	0.02 0.00	1114.32 0.54
जमा	सावधि जमा चालू खाता	4335.13 192.03	4820.13 368.16
निवेश	शेयर बांड	3.10 0.00	3.10 0.00
प्रदत्त ब्याज		29.72	0.00
प्राप्त ब्याज		189.17	0.00
शेयरों पर लाभांश		0.72	0.00

viii) प्रति शेयर अर्जन

बैंक, "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है. इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है.

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क.	ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोडों में)	429.03
ख.	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोडों में)	43.39
ग.	मूल प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)	9.89
घ.	प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	10.00

कोई कम किए गए संभाव्य शेयर नहीं है.

ix) आय पर कर के लिए लेखाकरण

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखा" के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है.

क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं : (₹ करोडों में)

क्रम सं.	समय में अंतर	आस्थगित कर आस्ति		आस्थगित कर देयता	
		31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
1.	अग्रेनीत हानि		-	-	-
2.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	46.75	48.98	-	-
3.	पेंशन के लिए प्रावधान	--	-	-	-
4.	धारा 40(ए)(आईए) के अधीन व्यय	-	-	-	-
5.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास	--	-	-	-
6.	कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास	--	-	-	-
7.	स्थावर आस्तियाँ	(0.05)	3.13	-	-
8.	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	--	79.54	-	-
9.	व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	18.74	18.74	-	-

ख) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान : (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
आयकर के लिए प्रावधान	(0.81)	251.64
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	84.95	(58.27)
एमएटी ऋण पात्रता	--	--

x) प्रबंधन की राय में,बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतक रुप से क्षतिग्रस्त नहीं है जसके लिए लेखाकरण मानक-28, क्षतिग्रस्त आस्ति, लागू हो.

8. क) ग्राहकों की शिकायतें :

		31.03.2011
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	21
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1117
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1104
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	34

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :

		31.03.2011
क.	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	2
ख.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	3
ग.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	5
घ.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	0

9. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया है :

10. प्रावधान व आकस्मिक व्यय के विस्तृत ब्यौरे (₹ करोडों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान व आकस्मिक व्यय' के विस्तृत ब्यौरे	31.03.2011	31.03.2010
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	22.63	-181.03
एनपीए के लिए प्रावधान	413.46	474.35
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	0.00	0.00
आयकर के लिए किए गए प्रावधान		
i) चालू कर	-0.81	252.12
ii) आस्थगित कर	84.95	-58.26
iii) अनुषंगी लाभ कर	--	--
iv) एमएटी ऋण पात्रता	--	--
अन्य प्रावधान व आकस्मिक व्यय		
i) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	5.53	20.68
II) अन्य	-0.02	42.05
iii) वापस लिया गया अधिक प्रावधान	(2.88)	(0.24)
कुल	522.86	549.67

11. अस्थिर प्रावधान (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
क.	आरंभिक शेष	**213.00**	213.00
ख.	वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान	--	-
ग.	वर्ष के दौरान आहरित राशि	--	-
घ.	अंतिम शेष	**213.00**	213.00

नोट: अस्थिर प्रावधान का इस्तेमाल अवमानक अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान के परिकलन के लिए किया गया है.

12. बैंक ने व्यपगत माँग ड्राफ्ट के लिए सामान्य आरक्षिति से ₹0.003 करोड़ की राशि का आहरण किया है.

13. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.

14. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहां कहीं आवश्यक हो पुन: समूहन/वर्गीकृत किया गया है.

एम. एस. उपेन्द्र कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**सुमा वर्मा** निदेशक	**एल. के. मीणा** निदेशक
सुरेश कामत निदेशक	**रंजन शेट्टी** निदेशक	**श्रीधर चेलकुरी** निदेशक	**एस. अनंतन** निदेशक
अशोक कुमार निदेशक	**पी. इब्राहिम** निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**के. चन्दा** महा प्रबंधक

हमारे सम्दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	**मेसर्स एम. पी. चितले एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	**मेसर्स पी.चंद्रशेखर** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस	**मेसर्स कांट्रैक्टर, नायक व किशनाडवाला** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	**मेसर्स एस. विश्वनाथन** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004770 एस	**मेसर्स राव एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई आर शर्मा) साझेदार सदस्यता सं.092691	**(उल्हास चितले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी सी.)** साझेदार सदस्यता सं. 028508	**(जी.एस.नायक)** साझेदार सदस्यता सं. 038127	**(चेन्ना के. राघवेन्द्रन)** साझेदार सदस्यता सं. 208562	**(जी. सुधीन्द्रा)** साझेदार सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर
Date : 28.04.2011

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹. 000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**5844 06 03**	5200 64 63
अन्य आय	**533 18 68**	679 45 19
	6377 24 71	5880 09 82
घटाएं		
वर्ष के दौरान जमाराशियों, उधार आदि पर प्रदत्त ब्याज	**3897 28 37**	3751 56 59
प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित परिचालन खर्च	**1956 14 49**	1621 23 36
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	**- 15 06**	- 26 23
	523 96 91	**507 56 10**
जोड़ें		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**46 16 80**	48 92 55
पट्टे पर ली गई आस्तियों पर मूल्यह्रास समायोजन	**-**	-
उपबंध और आकस्मिक व्यय	**360 96 55**	498 85 04
I **परिचालन से उत्पन्न नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)**	**931 10 26**	**1055 33 69**
II **परिचालन आस्तियों व देयताओं से नकदी प्रवाह**		
देयताओं में वृद्धि/(गिरावट)		
जमाराशियां	**11316 57 34**	7396 32 08
अन्य देयताएं व उपबंध	**-1866 79 72**	-278 44 10
आस्तियों में वृद्धि/(गिरावट)		
अग्रिम	**-7211 95 12**	-6039 00 68
निवेश	**-4031 13 10**	-3719 74 38
अन्य आस्तियां	**-373 34 57**	-189 14 11
II का कुल	**-2166 65 17**	**-2830 01 19**
क. परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (I+II)	**-1235 54 91**	**-1774 67 50**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्ति		
खरीद/बिक्री का निवल	**-39 00 03**	-48 84 23
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**-39 00 03**	**-48 84 23**

(रु. 000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी	739 14 90	-
अन्य आरक्षितियाँ व अधिशेष	311 00 50	-19 54 56
उधार	86 81 21	-330 68 01
नए जारी गौण ऋण के ज़रिए चुकाई गयी राशि	-150 00 00	0
प्रदत्त लाभांश : पिछले वर्ष घोषित लाभांश तथा चालू वर्ष केदौरान प्रदत्त	161 89 71	50 81 56
घ. वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	1148 86 32	-299 41 01
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)	-125 68 62	-2122 92 75
I. वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य राशि		
क) भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद व शेषराशि	4099 57 69	5730 40 57
ख) बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	1449 67 78	1941 77 65
I का कुल	5549 25 47	7672 18 22
II. वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य राशि		
क) भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेषराशि	4881 83 86	4099 57 69
ख) बैंकों में शेषराशि व मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	541 72 99	1449 67 78
II का कुल	5423 56 85	5549 25 47
वर्ष केदौरान कुल नकदी प्रवाह	-125 68 62	-2122 92 75
नकदी प्रवाह (I - II) में वृद्धि/(गिरावट)		

बैंक के निदेशक मंडल ने दि 28.04.2011 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

एम. एस. उपेन्द्र कामत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शुभलक्ष्मी पानसे कार्यकारी निदेशक	सुमा वर्मा निदेशक	एन. के. मीणा निदेशक
सुरेश कामत निदेशक	रंजन शेट्टी निदेशक	श्रीधर चेमकुर्ती निदेशक	एस. अनंतन निदेशक
अशोक कुमार निदेशक	पी. इब्राहिम निदेशक	अशोक कुमार शेट्टी निदेशक	के. चन्द्रा महा प्रबंधक

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स आर. बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	मेसर्स एम. पी. चितले एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	मेसर्स पी. चंद्रशेखर सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस	मेसर्स कांट्रैक्टर, नायक व किशनाडवाला सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	मेसर्स एस. विश्वनाथन सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004770 एस	मेसर्स राव एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.0030805 एस
(आई. आर. शर्मा) साझेदार सदस्यता सं.092691	(उल्हास चितले) साझेदार सदस्यता सं. 032292	(लक्ष्मी सी.) साझेदार सदस्यता सं. 028508	(जी.एम. नायक) साझेदार सदस्यता सं. 038127	(चेल्ला के. राघवेन्द्रन) साझेदार सदस्यता सं. 208562	(जी. सुधीन्द्र) साझेदार सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर
Date : 28.04.2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

1. हमने विजया बैंक के 31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र का और साथ ही उस दिनांक को समाप्त वर्ष के बैंक के लाभ - हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण का, जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है, निरीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1007 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं. बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा में उन 172 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है. वे गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 0.72% अग्रिम का, 26.48% जमाराशियों का, 0.50% ब्याज पर आय और 17.62% ब्याज पर व्यय के बनते हैं. ये वित्तीय विवरणियां बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अपना मत जाहिर करने की है.

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हमें योजना बनानी चाहिए एवं यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करनी चाहिए कि वित्तीय विवरणी रिपोर्टिंग ढ़ाचें के अनुसार तैयार की गई है तथा यह उतार-चढ़ाव समुचित है. लेखा परीक्षा में जाँच आधार पर जाँच करना, राशि के समर्थन में साक्ष्य जुटाना और वित्तीय विवरणी में उसे प्रकट करना शामिल है. साथ ही लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा किया गया उल्लेखनीय अनुमान के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत को ठीक से दर्शाती है.

3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' व 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है.

4. उपर्युक्त में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, और आगे निम्न के अधीन :

   क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है.

   ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.

   ग) कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं.

5. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुपाल करते हैं.

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

   i) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए,टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2011 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके ;

   ii) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा.

   ii) नकद प्रवाह विवरण,विवरण की अवधि के लिए नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है.

7. **मामले का महत्व**

   हमारी राय पर ध्यान दिए बिना हम वित्तीय विवरणी के नोट 7(v) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के ज़रिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प खोलने तथा ग्रैच्यूटी सीमा में बढ़ोत्तरी - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार के फलस्वरूप लेखाकरण मानक (एएस) 15 के प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए लागू करने में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी छूट के अनुकरण में ₹ 477 करोड़ तक बैंक की पेंशन तथा ग्रैच्यूटी देयता के आस्थगन का विवरण देता है.

मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.	मेसर्स एम. पी. चितले एण्ड कं.	मेसर्स पी.चंद्रशेखर	मेसर्स कांट्रेक्टर, नायक व किशनाडवाला	मेसर्स एस. विश्वनाथन	मेसर्स राव एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.002736 एन	पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	पंजीकरण सं.000580 एस	पंजीकरण सं.101951 डब्ल्यू	पंजीकरण सं.004770 एस	पंजीकरण सं.0030805 एस
(वाई. आर. शर्मा)	(उल्हास चितले)	(लक्ष्मी पी.)	(जी.एम.नायक)	(श्रेयस के. राघवेन्द्रन)	(जी. सुधीन्द्र)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.092691	सदस्यता सं. 032292	सदस्यता सं. 028508	सदस्यता सं. 038127	सदस्यता सं. 208562	सदस्यता सं.026171

Place : बेंगलूर

Date : 28.04.2011

यथा 31 मार्च 2011 को बेसल II प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1
कार्यान्वयन क्षेत्र

लागू नहीं चूंकि बैंक की कोई सामूहिक इकाइयां नहीं है जहां लेखों का समेकन किया जाता है, यद्यपि विश्वेश्वरय्या बैंक हमारी सहयोगी संस्था है, हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.

तालिका डीएफ – 2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) सभी पूंजी लिखत विशेषकर टियर 1 या उच्चतर टियर 2 में समावेश हेतु पात्र पूंजी लिखतों की मुख्य बातों की शर्त एवं निबंधनों पर सारांश जानकारी	बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 1,500 करोड,से बढ़कर दि.10.11.2009 को ₹ 3000 करोड बन गयी तथा निर्गमित व प्रदत्त ईक्विटी पूंजी ₹ 472.67 करोड है. मार्च 2009 व जून 2010 के दौरान बैंक को भारत सरकार से शाश्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयरों के रूप में ₹ 500 करोड,व ₹ 700 करोड,की क्रमश: पूंजी सहायता प्राप्त हुई. मार्च 2011 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 328.84 करोड प्रीमियम पर बैंक के ₹ 39.16 करोड के अंकित मूल्यवाले इक्विट शेयरों का अभिदान किया. यथा 31.03.2011 को वचन पत्र के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय गौण ऋण के रूप में ₹ 1500 करोड,जुटाया जिसमें से ₹ 1,450 करोड,को टियर II पूंजी के रूप में संगणित किया गया. उपरोक्त ऋण लिखतों की शर्तें व निबंधन निम्नानुसार है.

31.03.2011 को बैंक के टियर I/टियर II निर्गमन के बकाया संबंधी विवरण

क्र. सं.	निर्गमन विवरण	जुटाई गयी राशि (₹ करोड)	स्वरूप	आबंटन की तारीख	देय तारीख	कूपन दर (31 मार्च को वार्षिक रूप से देय)	दर निर्धारण
1.	अमरी टियर II श्रृंखला I	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में मौग विकल्प सहित	20.03.2007	20.03.2022	10.10% प्र.व. यदि मौग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	सीएआरई एए
2.	अमरी टियर II श्रृंखला II	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में मौग विकल्प सहित	17.03.2008	17.03.2023	9.45% प्र.व. यदि मौग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	सीएआरई एए
3.	निचली टियर II श्रृंखला IV (बारक्ले बैंक के साथ ब्याज दर स्वैप)	250.00	123 महीने	15.03.2005	15.06.2015	7.15% प्र.व.	सीएआरई एए +
4.	निचली टियर II श्रृंखला V	250.00	120 महीने	01.08.2006	01.08.2016	9.25% प्र.व.	सीएआरई एए +
5.	निचली टियर II श्रृंखला VI	200.00	123 महीने	31.07.2007	31.10.2017	9.50% प्र.व.	सीएआरई एए +
6.	निचली टियर II श्रृंखला VII	200.00	124 महीने	31.12.2007	30.04.2018	9.35% प्र.व.	सीएआरई एए +
	कुल	**1500.00**					

परिमाणात्मक प्रकटन

₹ करोड़ों में

(ख)	टियर । पूंजी की राशि		
	प्रदत्त पूंजी		**472.67**
	शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर :		**1200.00**
	आरक्षितियाँ		**1887.54**
	अधिशेष		**962.96**
	नवोन्मेष लिखातें		कुछ नहीं
	अन्य पूंजी लिखातें		कुछ नहीं
	तरलहीन निवेश के लिए समायोजन		-
	टियर । पूंजी से घटायी गयी राशि :		
	अन्य अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्ति)		**(-) 65.44**
	कुल टियर । पूंजी		**4457.73**
(ग)	टियर ।। पूंजी की राशि (टियर ।। पूंजी से निबल कटौतियाँ)		
	(i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	132.22	
	(ii) सामान्य प्रावधान	223.41	**355.63**
(घ)	आर टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखात		
	• कुल बकाया राशि	600.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	600.00	**600.00**
(ङ)	निचली टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र गौण ऋण :		
	• कुल बकाया राशि	900.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	850.00	**850.00**
(च)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ यदि हो		**कुछ नहीं**
	कुल टियर ।। पूंजी		**1805.63**
(छ)	**कुल पात्र पूंजी :** टियर । पूंजी	4457.73	
	टियर ।। पूंजी	1805.63	**6263.36**

तालिका डीएफ – 3
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए बैंक की अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	बेसल ।। पर भारिबैं के निदेशानुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक तैयार की गई आईसीएएपी नीति को अपनाएगा. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी की अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(₹ करोडों में)		
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ			
	• मानक पद्धति के अधीन संविभाग	₹ 3554.70 (अन्य आस्तियाँ सहित)		
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	कुछ नहीं – चूंकि प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत बैंक का कोई ऋण जोखिम नहीं है.		
(ग)	बाज़ार जोखिम मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	₹ 258.42		
	• ब्याज दर जोखिम	₹ 191.74		
	• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 1.85		
	• ईक्विटी जोखिम	₹ 64.83		
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ– मूल सूचक पद्धति	₹ 246.90		
	आवश्यक पूंजी	₹ 4060.02 – न्यूनतम पूंजी आवश्यकता		
	रखी गयी पूंजी	₹ 6263.36 – यथा 31.03.2011 को पूंजी निधि		
(ड)	कुल तथा टियर I पूंजी अनुपात		बेसल I	बेसल II
		सीआरएआर – :	**12.59%**	**13.88%**
		सीआरएआर – टियर I पूंजी	8.96%	9.88%
		सीआरएआर – टियर II पूंजी	3.63%	4.00%
	• शीर्ष समेकित समूह के लिए	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.		
	• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए			

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ मंडल के निदेशक व जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संचालित ऋण जोखिम प्रबंधन उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसका माप, प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल II मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम एएनएम तथा एफटीपी के छः समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. **आईआरएसी पर बैंक की नीति (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण) मानदंड** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है.
	• अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए)	
	• बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	

		अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए) : कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'बकाया' बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) जहाँ तक, अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. • 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. # 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** **प्रबंधन नीति :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल II कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात, आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेंद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/ जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया है.
	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**सकल ऋण जोखिम**
	(ख) सकल ऋण जोखिम - - निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग	निधि आधारित : ₹ 67652.91 करोड गैर निधि आधारित : ₹ 4691.26 करोड **कुल ₹ 72344.17 करोड**
	(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण - निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग • समुद्रपारीय • देशी **ऋण व अग्रिम + निवेश	समुद्रपारीय: निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं देशी : निधि आधारित : ₹ 67652.91 करोड. गैर निधि आधारित: ₹ 4691.26 करोड. **कुल ₹ 72344.17 करोड**

	(घ) ऋण का उद्योगवार संवितरण	ऋण का उद्योगवार संवितरण	(₹ करोड़ों में)
		मूलभूत संरचना -बिजली	6948.09
		मूलभूत संरचना - दूरसंचार	221.86
		मूलभूत संरचना - सड़क व पतन	1626.15
		मूलभूत संरचना - अन्य	891.56
		पेट्रोलियम	8.29
		लोहा और इस्पात तथा अन्य धातु उत्पाद	1089.70
		निर्माण	597.53
		खाद्य संसाधन	151.40
		खनन	67.62
		सिमेंट	131.49
		वाहन व परिवहन उपकरण	46.47
		सभी इंजिनीयरिंग व इलेक्ट्रानिक्स	322.12
		हीरे व जवाहरात	23.99
		कपड़ा (कपास, जूट व अन्य)	354.20
		पेय एवं तंबाकू	**29.63**
		कागज़ व कागज़ के उत्पाद	**71.45**
		चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	22.50
		लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	25.19
		रबड़ व रबड़ उत्पाद	75.48
		ड्रग/औषध/रसायन	176.80
		अन्य उद्योग	1664.88
		कुल	**14546.40**

(ङ) यथा 31.03.2011 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(₹ करोड़ों में)**

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन-3 महीने	3 महीनों से 6 महीने तक	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
अग्रिम	240.19	301.18	315.77	605.62	1832.63	2058.31	4013.40	28451.34	5287.53	5612.66	**48718.63**
निवेश	110.59	933.99	79.41	148.47	1299.47	292.83	818.76	1651.95	6935.21	12867.88	**25138.56**
वि.वि.आस्तियाँ	62.38	158.05	3.69	13.82	142.71	180.52	8.07	0	0	0	**569.24**

31.03.2011 **को स्थिति** **(₹ करोड़ों में)**

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	**1259.19**
	• अवमानक	778.38
	• संदिग्ध 1	216.04
	• संदिग्ध 2	192.74
	• संदिग्ध 3	29.80
	• हानि	42.23
(छ)	निवल एनपीए	**741.16**
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	**2.56 %**
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	**1.52 %**
(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	994.45
	• परिवर्धन	1362.26
	• कटौतियाँ	1097.52
	• इतिशेष	1259.19

(₹ करोड़ों में)

	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	581.83
	• परिवर्धन	159.33
	• कटौतियाँ	0.00
	• इतिशेष	741.16
(अ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतर-चढ़ाव (एचएमटी श्रेणी के अधीन)	
	• अथशेष	408.40
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	405.27
	• बट्टे खाता डालना	307.60
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	506.07
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि (हेचटीएम श्रेणी के अधीन)	19.25
(ठ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों की राशि (एनपीआई)	19.25
(ड)	नवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	19.25
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	0.00
	• बट्टे खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	19.25

तालिका डीएफ – 5

ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए	
• प्रयुक्त ऋण का दर्जानिर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित निर्धारण एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/एफआईटीसीएस/सीएआरई के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन चार दर निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है. इस करार में बैंक के ग्राहकों के लिए रियायती शुल्क का प्रावधान है.
• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	₹ 5 करोड से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.
• पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम (₹ करोडों में)**
• 100% जोखिम भार से नीचे	45377.24
• 100% जोखिम भार	19918.66
• 100% से अधिक जोखिम भार	3600.33
• कटौती की गयी	3447.94
• कुल	**72344.17**

तालिका डीएफ - 6
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : - मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :	
• तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल II अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकार रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.
• संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ	सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना शामिल है.
• बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण	
• मुख्य प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता तथा उनकी - ऋण पात्रता	गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी बैंक और सीजीएसटीएमई द्वारा गारंटी शामिल है.
• जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत केन्द्रीकरण जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना	सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विभिन्न है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ों में)

(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित

ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम	गैर-निधि आधारित	निवेश	कुल
जोखिम	**49222.24**	**4691.26**	**18430.67**	**72344.17**
सीआरएम/ वित्तीय संपार्श्विक	2734.16	713.78	0.00	3447.94
निवल ऋण जोखिम	**46488.08**	**3977.48**	**18430.67**	**68896.23**

(₹ करोड़ों में)

(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम	गैर-निधि आधारित	निवेश	कुल
जोखिम	**49222.24**	**4691.26**	**18430.67**	**72344.17**
केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	3526.58	0.00	16207.96*	19734.54
ईसीजीसी/बैंक/ सीजीटीएसआई	1220.60	0.00	0.00	1220.60
कुल गारंटी	4747.18	0.00	16207.96	20955.14
निवल ऋण जोखिम	**44475.06**	**4691.26**	**2222.71**	**51389.03**

* इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.

मानकीकृत पद्धति (निधि व निधियेतर आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.

तालिका डीएफ - 7
प्रतिभूतिकरण
मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ - 8
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, इक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल–II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धति का प्रस्ताव है यथा मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया. संप्रति बैंक ने 'मानकीकृत अवधि प्रक्रिया' लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं. 1. मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है:

31.03.2011 को बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल **(₹ करोड़ों में)**

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम**	**0.00**
	ब्याज दर (क +ख)	**1.22**
	क. सामान्य बाजार जोखिम	1.22
	i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	1.22
	ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	iii) ऊर्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
(ख)	**विशिष्ट जोखिम**	0.00

(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा

(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाज़ार जोखिम

- ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर (क +ख)	**190.52**
क. सामान्य बाजार जोखिम	129.60
i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	129.27
ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
iii) ऊर्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.33
ख. विशिष्ट जोखिम	60.92
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	**108.15**
i) **ब्याज दर संबंधी लिखत (क +(ख या ग जो भी अधिक हो))**	**191.74**
ii) **ईक्विटी (क+ख)**	**64.83**
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	32.32
ख. विशिष्ट जोखिम	32.51

- ईक्विटी स्थिति जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम

iii) **विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण**	**1.85**
iv) **बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार** (I+II+III)	**258.42**
कुल जोखिम भारित आस्तियाँ	**2871.33**

तालिका डीएफ – 9
परिचालन – जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल II से संबंधित मार्गनिर्देशों में दर्शाया गयानुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की. यह समिति सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति बीसीपी, बीसीडीआरपी, 'बाहरी स्रोतों' के जोखिम प्रबंधन केवाईसी शर्तें एवं धन-शोधन निवारक मार्गनिर्देश संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी. बैंक ने कार्यपालक स्तर पर 'जोखिम पर्यवेक्षकों' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 'क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी' के रूप में पहचान की है ताकि जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता की जांच एवं परख की जा सके.

आगे बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है.

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतित किए जाते हैं. नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर धोखाधड़ी तथा अन्य पहलुओं के कारण घटी हानि संबंधी घटनाओं की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केन्द्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इन्ट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक के अपने नेट वर्क तथा डाटा सैंटर सुविधाओं की संवेदनशीलता, मूल्यांकन व भेदन परीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. तीसरी पार्टी के साफ्टवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा बैंक द्वारा की जाती है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा वसूली एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है. विशेषतया संवेदनशील जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, हेचआरएमएस के लिए.
- वर्ष 2008-09 में संशोधित आरबीआइए फ्रेमेंट पर आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अन्तर्गत हमारे बैंक ने 100% उपलब्धित प्राप्त की है एवं सीबीसी प्रौद्योगिकी तथा जोखिम प्रबंधन पहलू दोनों में स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया.
- जोखिम एवं नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यान्वित किया गया तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना के बाह्य सलाहकार की सहायता से मुख्य जोखिम सूचक की पहचान की गई.
- हानि की घटनाओं/परिचालनात्मक जोखिम के कारण हानि संबंधी विस्तृत डाटा आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि आनेवाले दिनों में उन्नत माप दृष्टिकोण की ओर आगे बढ सके.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन
3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(₹ करोड़ों में)

		31.03.08	31.03.09	31.03.10
1	निवल लाभ	361.28	262.48	507.30
	जोड़ें			
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	299.60	636.43	549.67
3	परिचालन व्यय	701.27	924.70	1071.57
4	**उपकुल**	**1362.15**	**1823.61**	**2128.54**
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	0.00	221.51	88.77
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
7	अन्य अति साधारण या अनियमित आय की मद	0.00	0.00	0.00
8	वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का प्रत्यावर्तन	5.37	54.61	0.24
9	चल व अचल संपत्ति मदों के निपटान से प्राप्त आय	6.00	0.23	-0.26
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	**उपकुल**	**11.37**	**276.35**	**88.75**
12	परिचालन जोखिम की गणना के उद्देश्य से सकल आय	**1350.78**	**1547.26**	**2039.79**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन = **₹ 1645.94 करोड**

परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार = **सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)**

= **₹ 246.89 करोड**

समान जोखिम भारित आस्तियाँ = **₹ 2743.24 करोड**

तालिका डीएफ – 10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिस में बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल है.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है.

1) पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का पहला दृष्टिकोण. इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना)
2) बचाव व्यवस्था के ज़रिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्नी उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस)

बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी पाक्षिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं. इसके अलावा तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: समतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी 1999 के मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की पाक्षिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

i) बचत जमा के अस्थित एवं कोर भाग
ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता
iii) निवेश सूची में अत:स्थापन के विकल्प

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की पाक्षिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक के गैप प्रोफाइल पर आधारित होकर एवं ब्याज दर पर बैंक की मद्दे नजर, तुलनपत्र की मदों या बाह्य मदों की बचाव स्थिति की रणनीतियों में परिवर्तन करने वाली ईएआर राशि की पाक्षिक आधार पर निगरानी की जाती है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन) में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)

जोखिम पर आय (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव ₹ 113.18 करोड

बैंक ने छूट सीमा को ₹ 165 करोड निर्धारित किया है

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, ड्राफ्ट भारिबैंक मार्गनिर्देशों के आधार पर अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए नियमित अंतरालों पर किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा भा.रि.बैंक से 4 नवंबर 2010 को प्राप्त अंतिम मार्गनिर्देशों के आधार पर नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर-560 001

निदेशकों का चुनाव – संबंधित अधिनियमों, विनियमों आदि का सार

बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, धारा 3(2बी) (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त करना पड़ेगा. इस संबंध में, शेयरधारकों के सूचनार्थ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराएं, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980 के संबंधित खंड तथा विजया बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2003 के संगत विनियमन नीचे प्रस्तुत किए गए हैं.

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949

उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध – धारा 16(1)

भारत में निगमित ऐसी कोई बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा कोई निदेशक नहीं होगा जो दूसरे बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो.

ऋण तथा अग्रिमों में प्रतिबंध – धारा 20:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित के प्रतिकूल पर विचार किए बिना कोई भी बैंककारी कंपनी –

   (क) अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति के प्रति कोई ऋण या अग्रिम नहीं देगा.

   (ख) निम्न में से किसी को या किसी के कृते कोई ऋण या अग्रिम देने की प्रतिबद्धता नहीं देगा :-

   i. अपने किसी निदेशक या

   ii. ऐसी किसी संस्था में जहां उसका किसी एक निदेशक उसपर साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रुप में रुचि रखता हो या.

   iii. कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी का अनषंगी नहीं हो या जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत न हो या किसी सरकारी कंपनी या धारक कंपनी का अनुषंगी जिसके कोई भी निदेशक उस कंपनी का निदेशक हो, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें वह पर्याप्त रुचि रखता हो, या

   iv. कोई भी एकल कंपनी जिसके संबंध में उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटर हो.

2. जहां किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण या अग्रिम ऐसा है कि उसे प्रदान करने की वचनबद्धता नहीं किया जाता यदि जिस दिनांक को ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया हो उप धारा (1) का खंड (बी) लागू होता या बैंकिंग विधि (संशोधित) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के शुरु होने के बाद दिया गया हो लेकिन ऐसे प्रारंभ होने से पहले बनायी गयी वचनबद्धता के अनुसरण में दिया गया हो तो, उस ऋण या अग्रिम के संबंध में बैंकिंग कंपनी को ब्याज सहित देय राशि को वसूलने हेतु यदि समय सीमा हो तो उसके अंदर या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया हो तो उसे उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले वसूला जाएगा.

   बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कंपनी से लिखित रुप में प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि बढा सकता है परंतु कथित धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्षों की अवधि के अंदर, तथा यह उन शर्तों व निबंधनों के अधीन होगा जो भारिर्बै उचित समझे.

   बशर्ते कि इसके आगे कि या उप-धारा तब लागू नहीं होगा जब संबंधित निदेशक, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक के रुप में पद रिक्त करते हैं.

3. उप-धारा (2) में संदर्भित किसी भी ऋण या अग्रिम या उसका किसी भी भाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विप्रेषित नहीं किया जा सकता तथा इस प्रकार के अनुमोदन के बिना किसी भी अदायगी को शून्य व प्रभावहीन माना जाएगा.

4. जहां उप धारा (2) में संदर्भित ऋण या अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय होता हो तथा उसकी चुकौती कथित उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को नहीं चुकाई जाती है तो, तब वह व्यक्ति यदि कथित अवधि की देय तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो यह समझा जाएगा कि उसने उस दिन को अपना पद रिक्त किया है.

स्पष्टीकरण – इस धारा में

(क) "ऋण व अग्रिम" में वह लेन-देन शामिल नहीं होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट रूप से या सामान्यतया इस उपधारा के उद्देश्य के लिए ऋण व अग्रिम नहीं माना हो व उसमें ये सब बातें शामिल होंगी-लेन-देन का स्वरूप, उस अवधि के दौरान व जिन परिस्थितियों में इस लेन-देन के कारण राशि की उगाही की जानी हो या जमाकर्ताओं की उसमें रुचि व अन्य उचित विचार हो.

(ख) "निदेशक" से तात्पर्य है भारत में किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने कुछ या सभी कार्यों के प्रबंधन करने के उद्देश्य से उसे परामर्श देने के उद्देश्य से गठित मंडल या समिति का सदस्य.

5. इस धारा के लिए यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई भी लेन-देन ऋण है या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3 (2ई) : केंद्र सरकार को छोडकर किसी तत्संबंधी नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को यह हक नहीं होगा कि वह तत्संबधी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार नहीं होगा चाहे उनके पास जितने भी शेयर हों.

मंडल के निदेशकों की संरचना

धारा 9(3) (i): जहां धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अधीन जारी पूंजी इस प्रकार है:

i. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से कम, एक से अधिक निदेशक नहीं.
ii. कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक लेकिन बत्तीस प्रतिशत से कम, दो से अधिक निदेशक नहीं.
iii. कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, केंद्र सरकार को छोडकर, शेयरधारकों द्वारा अपने ही बीच अधिकाधिक तीन निदेशकों को चुनना है.

अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के शेयरधारक अभ्यर्थी जो खंड (आई) के अधीन निदेशक के रूप में चुने जाना चाहते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे :

(क) निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक मामलों में उनका विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हो जैसे कि;

i. कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ii. बैंकिंग
iii. सहकारिता
iv. अर्थव्यवस्था
v. वित्त
vi. विधि
vii. लघु उद्योग
viii. अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में तत्संबंधी नए बैंक को उपयोगी होगी.

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

(ग) कृषकों, कामगार तथा कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो.

धारा 9(3बी)

जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय में यह है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन चुने गए तत्संबंधी नए बैंक के निदेशक, उप-धारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो वह, निदेशक व तत्संबंधी बैंक को समझाने हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए, निदेशक को आदेश के जरिए हटा सकता है. तथा इसके बाद निदेशक मंडल उप-धारा (3ए) की अपेक्षाओं का पूरा करनेवाले किसी भी व्यक्ति को सहयोजित कर सकता है, जब तक कि उसकी जगह तत्संबंधी नए बैंक के वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत् रूप से नए निदेशक का चुनाव नहीं किया जाता, तथा इस प्रकार सहयोजित किए गए व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि वे तत्संबंधी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत् रूप से चुने गए निदेशक हैं.

धारा 13(2)

निष्ठा व गोपनीयता संबंधित बाध्यता

तत्संबंधी नए बैंक के प्रत्येक निदेशक, स्थानीय मंडल या समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अपने कार्य संभालने से पहले तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में निष्ठा व गोपनीयता संबंधी घोषणा करेगा.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980

खंड 9

चुने गए निदेशकों का कार्यकाल

योजना के खंड 9(4) के आगे चुने गए निदेशक तीन वर्षों तक पद में रहेंगे तथा वे पुनर्चुनाव के लिए अर्ह होंगे.

बशर्ते कि कोई भी निदेशक सतत रूप से छः वर्षों की अवधि के लिए पद में नहीं रहे हों.

खंड 10

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 10 के अनुसार किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए निम्न कारण से अनर्ह किया जा सकता हैं :

(क) यदि उन्हें किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है या उन्होंने भुगतान निलंबित किया है या अपने ऋणदाताओं से समझौता किया है या

(ख) यह पाया गया है कि वह विकृत चित्त के हैं तथा उसे किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है.

(ग) नैतिक अधमता संबंधी किए गए अपराध के कारण किसी न्यायालय ने उसे उसे दोषी ठहराया है.

(घ) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड(ई) व (एफ) के अधीन नामित प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद के सिवाय यदि वे भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 की धारा 9 की उप धारा 1 के अधीन गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ पद धारण करते हैं.

खंड 11

निदेशकों के कार्यालय रिक्त करना आदि.

1. यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता के अधीन आते हैं या लगातार तीन से अधिक बैठकों में मंडल की अनुमति के बिना उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने पद को रिक्त किया है अतः उनका कार्यालय रिक्त हो जाएगा.

2. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकते हैं, तथा सरकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने अपने पद को रिक्त किया है. तथा कोई भी निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकते हैं तथा पदत्याग तभी माना जाएगा जब केंद्र सरकार उस त्यागपत्र की सूचना को प्राप्त करती है.

3. जहां चुने गए निदेशक को छोडकर अन्य किसी निदेशक के कार्यालय में पद रिक्त होता है, उसे अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाता है.

खंड 11ए

चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाया जाना

केंद्र सरकार को छोडकर अन्य शेयरधारक जिनके पास, ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के सकल रूप में धारण आधे से कम नहीं है, उनके बहुमत से एक संकल्प पारित कर, धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (आई) के अधीन चुने गए **निदेशक को** हटा सकते हैं, तथा रिक्ति को भरने के लिए उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हैं.

खंड 11बी

चुने गए निदेशक के कार्यालय में रिक्ति को भरना

1. जहां किसी चुने गए निदेशक के कार्यकाल से पहले रिक्ति होती है, रिक्ति को चुनाव के जरिए भरा जाएगा.

   बशर्ते कि जहां रिक्ति छह महीनों से कम अवधि के लिए होती है, उस रिक्तिको शेष निदेशकों द्वारा भरा जाए.

2. उप-खंड (1) के अधीन चुने गए या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की कालावधि के असमाप्त भाग के लिए कार्यभार संभालेंगे.

निदेशकों द्वारा रुचि का प्रकटन

खंड 12 (8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में संविदा किए गए या संविदा हेतु प्रस्तावित कोई भी करार, ऋण, व्यवस्था में यदि कोई निदेशक प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से रुचि दिखाते हैं तो, स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने के तुरंत बाद, मंडल को अपनी रुचि के स्वरूप के बारे में प्रकट करेंगे व इस प्रकार के करार, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के संबंध में चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशक उनकी उपस्थिति चाहते हैं, तथा ऐसे निदेशक इस प्रकार के करार, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत नहीं देंगे.

बशर्ते कि उस निदेशक पर उनकी उपस्थिति के संबंध में इस उप-धारा में कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगा

i. कंपनी अधिनियम, 1956 में (1956 का 1) में परिभाषित किसी सरकारी क्षेत्र कंपनी का, या भारत में संप्रति लागू विधि के अधीन संस्थापित निगम या किसी सहकार समिति के दो प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी,

धारण करनेवाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया है या करने का प्रस्ताव रखता है या

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी, यदि वे धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) के अधीन निदेशक हो.

विजया बैंक
(शेयर व बैठकें) विनियमन 2003

अध्याय II
(शेयर व रजिस्टर)

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो व्यक्तियों के नाम पर होता है तो, रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले आता है, विजया बैंक के संबंध में यह माना जाएगा कि वे मत देने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस भिजवाने के लिए एकल धारक है, परंतु शेयरों के अंतरण के लिए यह लागू नहीं होगा.

अध्याय V

निदेशकों का चुनाव

61. सामान्य बैठक में मतदान

(i) किसी भी सामान्य बैठक में, बैठक में मतदान के लिए पारित संकल्प हाथ दिखाकर किया जा सकता है जब तक कि चुनाव के लिए मांग नहीं किया जाता.

(ii) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोडकर सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मामले पर अधिकांश मतों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

(iii) उप-विनियम (i) के अधीन जब तक कि मतदान की मांग नहीं की जाती, बैठक के अध्यक्ष से घोषणा कि एकमत द्वारा या किसी बहुमत द्वारा हाथ दिखाकर संकल्पना की गयी है या नहीं तथा कार्यवृत्त की बही में उस संबंध में प्रविष्टि इस तथ्य को जाहिर करेगा, इस प्रकार के संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में किए गए मतदान के अनुपात की संख्या न दर्शाते हुए.

(iv) हाथ दिखाने पर किसी संकल्प के मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले या उस समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव पर चुनाव करने का आदेश दिया जाए तथा उसे विजया बैंक के शेयरधारकों द्वारा वहां उपस्थित या प्राक्सी द्वारा किए जाने की मांग पर होगा, जो संकल्प के संबंध में एक में पांचवें भाग से कम शेयरधारकों को मताधिकार से कम नहीं होगा.

(v) चुनाव के लिए मांग करनेवाले व्यक्ति किसी भी समय चुनाव को वापस ले भी सकता है.

(vi) स्थगन संबंधी प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध यदि कोई चुनाव की मांग की जाती है तो उसे तत्काल किया जाएगा.

(vii) किसी भी अन्य प्रश्न पर चुनाव के लिए की गयी मांग को, मांग की समय से अडतालीस घंटों से कम समय में, बैठक के अध्यक्ष के निदेशानुसार किया जाएगा.

(viii) मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता तथा चुनाव के मामले में किसी व्यक्तिद्वारा दिए जानेवाले मतों की संख्या बैठक के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा व यह अंतिम होगा.

63. सामान्य बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

(i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन किसी निदेशक को केंद्र सरकार को छोडकर, रजिस्टर में पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा, अपनों में से किसी को विजया बैंक की सामान्य बैठक के दौरान चुना जाएगा.

(ii) जहां सामान्य बैठक के दौरान निदेशक का चुनाव होना है, बैठक की सूचना के साथ उसकी सूचना भी दी जाएगी. इस प्रकार की हर सूचना में चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या दी जाएगी व रिक्तियों के विवरण भी दिए जाएंगे.

64. शेयरधारकों की सूची

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव के लिए रजिस्टर में पंजीकृत शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें निदेशक को चुनना है.

(ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयर पंजीकृत दिनांक सहित उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या व प्रकट संख्या, बैठक के दिनांक को नियत चुनाव के लिए उनकी मतों की संख्या होगी तथा सूची की प्रतियां खरीद के लिए बैठक के लिए नियत तारीख से तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होंगी तथा उसकी कीमत मंडल या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसे प्रधान कार्यालय में आवेदन देकर लिया जा सकता है.

65. चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

(1) निदेशक के रूप में किसी अभ्यर्थी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि:

(क) वे विजया बैंक के शेयरधारक हैं जिनके पास न्यूनतम 100 शेयर हैं.

(ख) नामांकन प्राप्त किए जाने के अंतिम तारीख को वे अधिनियम या योजना के अधीन निदेशक होने हेतु अनर्ह नहीं हुए हैं.

(ग) उनके अपने एकल नाम से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त नाम से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में मांग के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख को या उससे पहले सभी शेयरों के संबंध में सभी मांगों का भुगतान किया है.

(घ) नामांकन लिखित रूप में कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत संगठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना है जो अधिनियम के अधीन निदेशक को चुनने के लिए अर्ह है, बशर्ते कि शेयरधारक जो कंपनी हो उसके द्वारा किया गया नामांकन, कथित कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के जरिए किया जाए, और जहां कहीं यह किया जाता है, जिस बैठक में वह पारित किया गया उसके अध्यक्ष द्वारा उसे सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित करते हुए उसे विजया बैंक महा प्रबंधक, मंडल सचिवालय, प्रधान कार्यालय 41/2 एम.जी. रोड बेंगलूर में प्रेषित किया जाए व ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से नामांकन समझा जाएगा.

(ङ) नामांकन के साथ अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र संलग्न करना है कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खडे होने के लिए सहमत है और उन्हें अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक बनने से अनर्ह नहीं बनाया गया है.

(2) कोई नामांकन वैध नहीं होगा जब तक वह सभी प्रकार से पूरा हो व उसे महा प्रबंधक (मंडल सचिवालय) विजया बैंक प्रधान कार्यालय 41/2 एम.जी. रोड बेंगलूर 560 001 द्वारा कार्य दिवस पर वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 14 दिन से पहले अर्थात शुक्रवार 15 जुलाई 2011 शाम 5.00 बजे कार्यसमय समाप्ति से पहले प्राप्त किया जाना है. कथित नामांकन फार्म सभी प्रकार से पूरा होना है तथा न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में भरा जाना है, जिसके बगैर उसे अस्वीकार करने की संभावना है.

66. नामांकनों की संवीक्षा :

(i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के अगले पहले कार्य दिवस को ही की जाएगी, और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता तो उसके लिए कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार किया जाएगा. यदि वैध नामांकन, चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों से कम हो तो नामांकित व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से चुना गया माना जाएगा तथा चुने गए के रूप में उनका नाम व पता प्रकाशित किया जाएगा. इस परिस्थिति में, बैठक में चुनाव नहीं होगा तथा यदि बैठक केवल चुनाव के लिए बुलाया गया हो तो उसे रद्द किया जाएगा.

(ii) यदि चुनाव होता है व यदि चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से नामांकन अधिक हो तो, बहु संख्या में मत पानेवाले अभ्यर्थी को चुना गया जाना जाएगा.

(iii) मौजूदा रिक्ति भरने हेतु चुने गये निदेशक के मामले पर यह समझा जाएगा कि उन्होंने चुनाव की तारीख के अगले दिन से अथवा रिक्ति की दिनांक से कार्यभार संभाला है.

67. चुनाव संबंधी विवाद :

(i) चुने गए माने गए या चुने गए घोषित किसी भी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में कोई रोक या विवाद हो या निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में इसमें रुचि रखनेवाले कोई भी व्यक्ति, ऐसे चुनाव में मत देने हेतु हकदार अभ्यर्थी या शेयरधारक, परिणाम घोषित करने के सात दिनों के अंदर लिखित रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विजया बैंक को इसकी सूचना देगा तथा इस सूचना में उसकी शक या चुनाव की वैधता संबंधी विवाद के आधार के पूर्ण विवरण देगा.

(ii) उप-विनियम (i) के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने पर विजया बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक इस शक या विवाद को तत्काल एक समिति के समक्ष रखेंगे, समिति के सदस्य हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के अधीन नामित कोई दो निदेशक.

(iii) उप-विनियम (ii) में संदर्भित समिति तत्संबंधी आवश्यक जांच करेगी तथा यदि वह पाया गया कि चुनाव वैध रहा, वह चुनाव में घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी तथा यदि वह पाया गया कि

चुनाव अवैध रहा तो, जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर ऐसा आदेश जारी करेगी तथा उसके औचित्यानुसार नए चुनाव के आयोजन हेतु निदेश देगी.

(iv) इस विनियमन के अनुवर्तन में समिति का आदेश और निर्देश अंतिम रहेगा.

अध्याय VI

शेयरधारकों के मताधिकार

68. मताधिकार का निर्धारण

(i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन, सामान्य बैठक की तारीख से पहले, रजिस्टर बंद करने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को बैठक के दिन हाथ दिखाकर एक मत डालने तथा चुनाव के मामले में उससे धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत डालने का अधिकार होगा.

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंध के अधीन, उपर्युक्तानुसार मत देने हेतु अर्ह प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, खुद या प्राक्सी के रूप में मौजूद है तथा यदि कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में मौजूद हो तो हाथ दिखाकर एक मत डाल सकता है तथा चुनाव हो तो उपर्युक्त उप-विनियमन (1) में सूचितानुसार उसके पास धारित एक शेयर के लिए एक मत डाल सकता है.

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए 'कंपनी' का तात्पर्य कोई कंपनी निकाय.

(iii) सामान्य बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए बैंक के अर्ह शेयरधारक को यह हक है कि वे अपने प्राक्सी के रूप में बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करे (चाहे वे शेयरधारक हो या नहीं) परंतु नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है.

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

केंद्र सरकार या कोई कंपनी यदि शेयरधारक हो, संकल्प पारित करते हुए अपने किन्हीं अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कर सकता है तथा प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) को विजया बैंक के एकल शेयरधारक के रूप में, केंद्र सरकार या कंपनी की तरफ से वही अधिकार प्रयोग करने का अधिकार है. दिया जानेवाला प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है ताकि विकल्प के मामले में उनमें से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है.

कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति विजया बैंक के शेयरधारकों की बैठक में भाग या मत नहीं दे सकता, जब तक कि, कंपनी द्वारा बैठक में पारित संकल्प की सही प्रति जिसमें बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया है व उसे बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पहले विजया बैंक प्रधान कार्यालय में जमा किया गया हो.

70. प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने व जमा करने के लिए अनुदेश

(i) प्रॉक्सी की कोई भी लिखत विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि –

(क) एकल शेयरधारक के मामले में, यदि उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरित हो.

(ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम के शेयरधारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

(ग) कंपनी निकाय के मामले में अपने किसी अधिकारी या लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

(ii) प्राक्सी की लिखत पर कोई शेयरधारक पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर या किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख पाता/पाती तो उनके अंगूठे का छाप लगाकर उसे किसी, न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, आश्वासन संबंधी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या विजया बैंक के किसी अधिकारी द्वारा इसे साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए.

(iii) प्रॉक्सी को निम्न के साथ :

(क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया हो.

(ख) नोटरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति, महा प्रबंधक, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 41/2, एम.जी. रोड, बेंगलूर – 560 001 के पास ग्यारवीं सामान्य बैठक के चार दिनों से पहले अर्थात शनिवार 23 जुलाई, 2011 को कार्य समय समाप्ति या उससे पहले जमा की जानी है. यदि उचित मुख्तारनामा विजया बैंक या शेयर अंतरण एजेंट पहले से पंजीकृत है, मुख्तारनामे की पंजीकृत संख्या तथा पंजीकरण तारीख का उल्लेख किया जाए.

(iv) बैंक में जमा की गयी प्राक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.

(v) विकल्प के रूप में दो प्रदाताओं के पक्ष में प्रदत्त प्रॉक्सी की लिखात के मामले में, एक से अधिक फार्म कार्यान्वित नहीं किया जाएगा.

(vi) प्राक्सी की लिखात कार्यान्वित शेयरधारक, ऐसे लिखात के संबंध में, बैठक में खुद उपस्थित होने के बावजूद मतदान नहीं कर सकते.

(vii) विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(viii) प्रॉक्सी की कोई भी लिखित वैध नहीं होगा जब तक कि वह फार्म 'बी' में हो व विधिवत स्टांपित हो.

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें	
विवरण	**दिनांक**
लेखों के अनुमोदन व लाभांश की सिफारिश हेतु मंडल की बैठक	28.04.2011 (गुरुवार)
बही बंद करने के संबंध में शेयर बाज़ार को सूचित करना (बही बंद करने के कम-से-कम 15 दिन पहले-एल.ए. शर्त 16)	31.05.2011 (मंगलवार)
वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस दिनांक	31.05.2011 (मंगलवार)
समाचार पत्रों में वार्षिक सामान्य बैठक का प्रकाशन (बही बंद करने की दिनांक से 7 दिन पहले)	01.06.2011 (बुधवार)
लाभांश भुगतान व निदेशकों के चुनाव के लिए बही बंद करना	21.06.2011 (मंगलवार) से 25.06.2011 (शनिवार)
भा.रि.बैं. को लेखों का प्रस्तुतीकरण तथा समाचार पत्रों में लेखों के पूरे पाठ का प्रकाशन (30.06.2011) से पहले	20.06.2011 (सोमवार)
शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण (सूचना कम से कम बैठक के 21 दिन पहले प्रेषित की जाएगी)	27.06.2011 (सोमवार) से 02.07.2011 (शनिवार)
नामांकन दर्ज करना (इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दर्ज करने की अंतिम तारीख) [वार्षिक सामान्य बैठक से 14 दिन पहले]	15.07.2011 (शुक्रवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख	16.07.2011 (शनिवार)
नामांकन समिति की बैठक (नामांकन की जाँच)	16.07.2011 (शनिवार)
यदि कोई चुनाव नहीं है तो चुना गया माने जाने की दिनांक	16.07.2011 (शनिवार)
यदि चुना गया माना गया तो नए निदेशकों के चुनाव के संबंध में शेयर बाज़ार/भारिबैं/भारत सरकार/निदेशकों को सूचना	16.07.2011 (शनिवार)
प्राक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख (बैठक दिनांक से 4 दिन पहले)	23.07.2011 (शनिवार)
लेखों के अनुमोदन, वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश की घोषणा तथा शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख (भा.रि.बैं. को लेखों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से 42 दिनों के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की जानी है)	29.07.2011 (शुक्रवार) प्रात: 10.15 बजे
नए निदेशकों द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण	08.08.2011 (सोमवार)

के. गोपालकृष्णन नायर
कंपनी सचिव

PERFORMANCE HIGHLIGHTS : 2010-11

Business Growth

- Total business during the year reached ₹ 122470 crore (recording 18 per cent increase Y-o-Y).
- Productivity, as measured by 'Average Business per Employee', improved from ₹ 9.30 crore to ₹ 11.05 crore.
- Business per branch increased to ₹ 102 crore as against ₹ 90 crore recorded as at March 2010.
- Total deposits grew by 18.3 per cent to reach ₹ 73248 crore from ₹ 61932 crore last year.
- Savings Bank Deposits reached ₹ 13330 crore, recording Y-o-Y growth of 24.3%.
- Gross advances reached ₹ 49222 crore, recording an annual growth of 17.4%.
- Infrastructure advances increased from ₹ 10445 crore in March 2010 to ₹ 11277 crore as at March 2011, signifying a Y-o-Y growth rate of 8 %.
- In order to give boost to the Jewel loan segment, Jewel Loan Shoppe has been set up at 10 centres.

Priority Sector Operations

- Priority sector advances aggregated to ₹ 14671 crore, of which Agricultural advances account for ₹ 4969 crore.
- Bank financed 69704 new farmers with disbursal of ₹ 648 crore under various agricultural activities. The average number of new farmers financed is 131, as against the Govt. of India' stipulation of minimum of 100 new farmers per rural and semi urban branch.
- Advances to MSME segments clocked a 24.5 per cent growth to reach ₹ 6768 crore.
- Advances to Weaker Section increased to ₹ 3808 crore, constituting 9.1% of ANBC.
- Education loan was of the order of ₹ 603 crore, covering 31191 accounts.
- Bank is implementing Financial Inclusion plan on Pan India Basis to cover 377 villages. Already 113 villages are covered in Karnataka and Kerala states, as against the target of 75 villages.
- Number of Self Help Groups linked during 2010-11 reached 25774, involving disbursal of ₹ 248 crore (cumulatively 144031 SHGs have been financed so far by the Bank).

Bank has won the award for highest share of SHG business among commercial banks in Karnataka for the year 2009-10.

Infotech Progress

- 110 new ATMs were installed during the year, thereby increasing the total number of ATMs to 545.
- The number of debit cum ATM card base increased to 15.27 lakhs from 11.35 lakhs of last year.
- Bank's customers can have now access to over 70000 ATMs connected under National Financial Switch (NFS) across the country.
- The number of registered users with regard to SMS/e-mail alerts for financial transactions, introduced in July 2009, has now exceeded 6.93 lakhs.

Profit & Profitability

- Net Profit touched ₹ 524 crore compared to ₹ 507 crore recorded during last Financial.
- Cost of deposit declined by 35 bps to 5.86% from 6.21%.
- Net Interest Income recorded 34.35% y-o-y growth to reach ₹ 1946.77 crore from ₹ 1449.08 crore. Net Interest Margin increased to 3.04% from 2.54% registering 50 bps improvement.

Capital Adequacy

- Capital Adequacy Ratio (Basel II) stood at 13.88 per cent vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%.
- Tier I Capital Adequacy Ratio worked out to 9.88% where as the Tier II Capital Adequacy ratio was 4.00%

PERFORMANCE AT A GLANCE

(₹ in crore)

KEY PARAMETERS	2008-09	2009-10	2010-11
No. of Branches	1101	1158	**1200**
Capital	934	934	**1673**
Reserves & Surplus	2216	2542	**3144**
Net Worth	2226	2513	**3258**
Gross Profit	899	1057	**1047**
Net Profit	262	507	**524**
Total Deposits	54535	61932	**73248**
% growth	13.73	13.56	**18.27**
CASA Deposits	13085	15225	**18480**
% growth	0.48	16.35	**21.38**
% to Agregate Deposit	24.02	24.62	**25.25**
Gross Credit	35875	41935	**49222**
% growth	12.04	16.89	**17.38**
Total Business	90410	103866	**122470**
% growth	13.05	14.88	**17.91**
Gross NPA	699	994	**1259**
Gross NPA (%)	1.95	2.37	**2.56**
Net NPA	292	582	**741**
Net NPA (%)	0.82	1.40	**1.52**
Investments	17388	21107	**25139**
Advances to Priority Sector	13450	14553	**14671**
% to ANBC	42.00	40.57	**34.98**
Total Staff	11975	11565	**11415**
Business per employee	7.85	9.30	**11.05**
Cost of Deposit	7.56	6.21	**5.86**
Yield on Advances	11.09	10.26	**10.25**
Net Interest Margin	2.04	2.54	**3.04**
Return on Assets	0.59	0.76	**0.72**
Capital Adequacy Ratio % (Basel II)	13.15	12.50	**13.88**

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR TO SHAREHOLDERS

I am happy to share with you the highlights of the performance of your Bank for the year 2010-11. As you are aware, 2010-11 was a year which posed number of challenges both for the Indian economy as well as the banking industry. On the economic landscape, GDP growth during 2010-11 reverted to a high growth trajectory at 8.6%. While growth had moderated in the preceding two years as the global economy slowed down as a result of global financial crisis, the growth during 2010-11 reflects a rebound in agriculture and sustained levels of activity in industry and services. However, the growth story was at least partially camouflaged by a persistent rise in Inflation throughout the year. Inflation at 8.98% as at the end of Mar'11 played the spoil sport on the otherwise good work done on the economic front.

On the monetary front, as inflation stayed above the indicated projections during 2010-11, monetary policy was continually tightened through the year. For the industry as a whole, Credit expansion was above the indicative trajectory for the year, though it moderated towards the later part. Deposit growth which lagged behind the credit expansion, picked up in Q4 of 2010-11, responding to the rise in deposit interest rates. Liquidity conditions were tight for most part of the year with some easing towards the last quarter.

Against this background, let me briefly touch upon specific areas wherein we excelled last year. First and foremost, our core earnings improved throughout during the year. For the year, NII growth worked out to 34% that helped us clock a Net Interest Margin of 3.04%, an improvement of 50bps over the March 2010 position. Growth in NII was an outcome of our persistent efforts towards containment of interest cost. Our interest income for the year registered a growth of 12.4%, while our interest cost grew marginally by 3.9%. During the year, the cost of deposits declined by 35 bps while the yield on advances at 10.25% remained almost at last year's level. Similarly, while the yield on funds increased by 14 bps, Cost of funds declined by 33 bps, resulting in an improvement in Spread by 47 bps. For the year 2010-11, your Bank clocked an operating profit of ₹ 1047 crore.

The net profit for the year was ₹ 524 crore that worked out to a 3.3% growth y-o-y. This was even after additional provision for employee benefits due to second option for pension and increase in gratuity ceiling to the tune of ₹ 301 crore and provision for NPA to the tune of ₹ 413 crore. Otherwise, the Bank would have posted a much higher growth in Net Profit.

Let me now move on to key aspects of our top line growth. We ended the year with an aggregate business of ₹ 122470 crore, notching a growth of 18%. Our business volume comprised deposits of ₹ 73248 crore (18%) and advances of ₹ 49222 crore (17.4%). The CASA deposits as percentage to Aggregate deposits improved, albeit marginally from 24.6% to 25.3% during 2010-11. In the sphere of advances, Bank continued the strategy of rebalancing with a retail centric focus although the headway therein was not so very significant. Our outstanding retail advances at March 31, 2011 were ₹ 10041 crore, recording a growth of 7.4%. As regards operations in the designated priority sectors, advances to these segments aggregated to ₹ 14671 crore, accounting for 34.9% of Adjusted Net Bank Credit as against the 40% norm. Within priority sectors, advances to MSME and weaker section segments recorded a growth of 25% and 10% respectively, reaffirming our continued commitment to issues of national priority. In respect of education loan, one of our priority areas, total outstanding were of the order of ₹ 603 crore, signifying a y-o-y growth of 13%.

Support systems play a vital role in realizing various goals and as such, we continued to accord emphasis on basic aspects like branch expansion, technology up-gradation, expansion of alternative delivery channels, product innovation etc. The Bank launched 'V-Platinum Current Account' a new deposit scheme during the year to improve HNI clientele base and to improve corporate deposits. Similarly, an innovative retail product viz., 'Vijaya Secured Overdraft Scheme (VSOD) was introduced to cater to the financial needs of Micro & Small Enterprises with liberalized terms and conditions. Bank has also been quite active on the 'Financial Inclusion' sphere. As against a target of 75 villages to be covered under Financial Inclusion, the Bank covered 113 Villages in Karnataka and Kerala States as on 31.3.2011. It is proposed to cover all the remaining 264 villages under FIP well before the scheduled date viz., 31.3.2012.

With a view to improving fee based income Bank had entered into Corporate Agency Agreement with LIC of India to cater to the life insurance needs of customers. Bank has also entered into an agreement with M/s Bajaj Allianz Ltd for Group coverage of Individual borrowers. Besides, Bank has taken several new initiatives during the year to provide value added services to customers, viz, tie up with "MoneyGram" and "XpressMoney" for money transfer services, tie up with "Times of Money Ltd" for online transfer of funds etc.

We added 42 new branches and 110 additional ATMs during the year taking the tally of our branches and ATMs to 1200 and 545 respectively. V-Net, the Internet Banking module offered by the Bank was also upgraded during the year, featuring new value propositions for the tech savvy clients. The Mobile banking service, which the Bank launched last year, has picked up very well and as at the end of March 2011, there were 22545 registered users. Also, the SMS alert services which was offered to customers proved to be a instant hit again with over 693726 registered users as at March 2011.

Slippage management was a major task on hand right from the beginning of the year under reference. Towards this end, bank took several measures viz. identifying accounts showing signs of stress, treating them as Special Watch Accounts and monitoring them closely; initiating stringent recovery measures against wilful defaulters etc. Total Cash recovery and upgradation in NPAs was quiet impressive during 2010-11 at ₹ 659 crore and ₹ 332 crore respectively, as against ₹ 425 crore and ₹ 163 crore a year ago. As a result of all these efforts, we have been largely successful in bringing down the NPA ratio progressively although there is a fair distance to cover under absolute NPAs. The Gross Non-Performing Assets of the Bank as at March 2011 as percentage to Gross Advances worked out to 2.56% while the Net NPA ratio was 1.52%.

For the year 2011-12, we have envisaged a business goal of ₹ 1,53,000 crore that works out to a 25% growth y-o-y, comprising ₹ 90,000 crore under deposits and ₹ 63,000 crore under advances. We propose to add further 100 branches and 205 ATMs during the current year. Bank's key focus in the year 2011-12 will be 'Retail and Recovery' and I am sure bank will scale much greater heights in terms of financial performance, deriving its core strength from retail business.

Going forward, FY '12 would throw open both challenges and opportunities for banks. Some of the key challenges would be the persistent Inflation which may lead to a continuous spell of hardening of interest rates. While Banks may transmit this to customers by way of increasing the interest rates for Advances, a persistently higher Inflation continuing since last FY will make the real interest rates at the hands of Depositors negative and this may eventually lead to a situation where Banks have to increase their deposit rates as well; Further, a major paradigm shift is happening on the S.B deposits front; With the RBI likely to deregulate the S.B interest rates sooner or later, banks will face tremendous pressure on their margins; While low cost deposits can no longer be sourced really at low cost, transmitting this to borrower customers continuously may affect loan growth, although not in a proportionate manner; Thus, Banks may have to sharply focus on improving their non-interest income, under the circumstances, to improve their profitability; On the positive side, there is a vibrant economy almost set to achieve a growth in GDP upwards of 8.0%, which will invariably translate into much wider and bigger business opportunities; There is also a growing population of Generation Next, who will continue to spearhead changes in the way banking business is done. While these are some of the emerging trends and circumstances under which your Bank has to carry on its business, I am sure, with your unstinted support, the Bank will achieve much greater heights in business performance in the coming years.

With best wishes

Yours Sincerely

H S UPENDRA KAMATH
Chairman & Managing Director

विजया बैंक और ह्युंडाई मोटर्स इंडिया के बीच सम्झौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आल्बर्ट तावरो तथा कार्यकारी निदेशक श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे उपस्थित थे. समझौता ज्ञापन विजया बैंक के महा प्रबंधक श्री के. जयकर शेट्टी और ह्युंडाई मोटर्स इंडिया लि. के निदेशक श्री अरविंद सक्सेना मंडल सदस्य, विपणन व विक्रय द्वारा हस्ताक्षरित हुआ.

Chairman & Managing Director Shri Albert Tauro and Executive Director Smt. Shubhalakshmi Panse, graced the MoU signing ceremony between Vijaya Bank and Hyundai Motors India Ltd. The MoU was signed by Shri K. Jayakar Shetty, General Manager, Vijaya Bank and Shri Arvind Saxena, Director, Board Member, Marketing & Sales, Hyundai Motor India Ltd.

मनीग्राम इंटरनैशनल की धन अंतरण सुविधा प्रदान करने के लिए विजया बैंक, थॉमस कुक इंडिया लि. व यूएईएक्सचेंज के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया. इस अवसर पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आल्बर्ट तावरो और कार्यकारी निदेशक श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे उपस्थित थे.

Chairman & Managing Director Shri Albert Tauro and Executive Director Smt. Shubhalakshmi Panse, graced the MoU signing ceremony between Vijaya Bank, Thomas Cook India Ltd. and UAE FSL for providing money transfer facility of Moneygram International.

पुणे में हमारे नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए डॉ. बाबा साहेब कल्याणी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, मेसर्स भारत फोर्ज लि.

Dr. Baba Saheb Kalyani, Chairman & Managing Director of M/s Bharath Forge Ltd., inaugurating our new Regional Office at Pune.

वीआईबीएसईटीआई द्वारा आयोजित मोबाइल फोन मरम्मत पाठ्यक्रम में भाग लेते हुए प्रतिभागी.

Participants attending the Mobile phone repairing course organized by Vijaya Bank Self Employment Training Institute (VIBSETI).

अलीपुर शाखा, कोलकाता में एस आर टी ओ योजना के अंतर्गत वित्तपोषित चार हिताधिकारियों को ट्रकों की चाबियों को सुपुर्द करते हुए - श्री रविराज हेगडे, महा प्रबंधक

Shri. Raviraj Hegde, General Manager, handing over the vehicle keys of four trucks financed under SRTO scheme to the beneficiary at Alipore Branch, Kolkata.

हमारी गंगावती शाखा द्वारा कम्बाइन हारवेस्टर के लिए वित्तपोषित किया गया श्री सुधाकर शेट्टी एम, उप महा प्रबंधक, से.का. हुब्ली हिताधिकारी को चाबी सौंपते हुए.

Shri Sudhakar Shetty M, DGM., handing over key of combined harvester to the beneficiary financed by our Gangavathi Branch.

केंद्र वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को लाभांश चेक (2009-10) देते हुए हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आल्बर्ट तावरो. उनके साथ हैं श्री आर गोपालन, सचिव (वि.से), भारत सरकार एवं दिल्ली क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री के रविराज हेगडे.

Chairman & Managing Director Shri Albert Tauro handing over dividend Cheque (2009 - 10) to Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister and Shri R. Gopalan, Secretary (FS), Govt. of India. Shri K. Raviraj Hegde, General Manager, is also seen.

श्री नागेंद्र भटनागर, एमडी व सीईओ, आरसीएमएस लि. की उपस्थिति में आइडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसस के सहयोग से बैंक का ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाओं के प्रवर्तन के संकेत के रूप में घंटा बजाते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आल्बर्ट तावरो. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, कार्यकारी निदेशक साथ में हैं.

Shri Albert Tauro, Chairman & Managing Director, striking the gong to launch the Bank's Online Trading Services in association with IDBI Capital Market Services Ltd., in the presence of Shri. Nagendra Bhatnagar MD & CEO, ICMS Ltd. Smt. Shubhalakshmi Panse, Executive Director, is also seen.

गवर्नर डा. डी. सुब्बराव, भा.रि.बै. व श्रीमती सुमा वर्मा, भ.रि.बै. केक्षेत्रीय निदेशकएनाकुलम केवेंगूर गांव में, भा.रि.बै. द्वारा आयोजित आउट रीच कार्यक्रम केदौरान हमारे बैंककेस्टाल पर आए थे.

Dr. D Subbarao, Governor, RBI and Mrs. Suma Varma, Regional Director, RBI visiting our bank's stall on the occasion of "Out Reach Programme" organised by RBI at Vengoor Village in Eranakulam.

मंड्या जिले केसुनेग्हळ्ळी में वित्तीय समावेशन योजना केउद्घाटन केअवसर पर हितधिकारी को स्मार्ट कार्ड सौंपते हुए हमारे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकश्री आल्बर्ट ताव्रो.

Chairman & Managing Director Shri Albert Tauro handing over Smart Card to a beneficiary during inauguration of Financial Inclusion Plan at Sunegahalli, Mandya district.

यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी आफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद
श्री नन्दन निलेकनी के साथ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री आल्बर्ट तावरो.
साथ में हैं महा प्रबंधक श्री कृष्ण एल. बागलकोट तथा श्री के. रविराज हेगडे.

Shri Albert Tauro, Chairman & Managing Director with Shri Nandan M. Nilekani after signing a MoU with Unique Identification Authority of India. Shri Krishna L Bagalkot and Shri K. Raviraj Hegde, General Managers are also seen

श्री यश चोपड़ा, अध्यक्ष व निदेशक, एफ.आई.सी.सी.आई, यश राज फिल्मस, हमारी माहिम शाखा,
मुंबई के सम्मान्य ग्राहकहैं. चित्र में श्री चोपड़ा जी को मधुबनी चित्र देते हुए
श्री के. शशिधर राव, महा प्रबंधक.

Shri. Shashidhar Rao, General Manager handing over a madhubani painting to Shri. Yash Chopra, President FICCI and Director, Yash Raj Films. He is one of our valued customer of Mahim branch, Mumbai.

विजिनजम शाखा, केरल द्वारा 'तिरुहृदय पुरुष स्वयं सहाय संगम' को
मछली पकड़ने हेतु नाव के लिए वित्तपोषण.

Fishing Boat financed to 'Thiruhridaya Purusha Swayam Sahaya Sangam' by our Vizhinjam Branch, Kerala.

हमारी कार्पोरेट बैंकिंग शाखा, मुम्बई का नए भवन का उद्घाटन करते हुए श्री सज्जन जिंदाल
उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक जे.एस.डब्ल्यू स्टील लि.

Inauguration of new premises of our Corporate Banking Branch by Shri. Sajjan Jindal, Vice Chairman & Managing Director, JSW Steel Ltd., at Mumbai.

श्री कृष्ण एल बागलकोट, महा प्रबंधक, हमारी जानकीपुरम, लखनऊ में स्वयं सहायता समूह की
महिला हितग्राहियों को चेक सौंपते हुए.

Shri Krishna L Bagalkot, Genaral Manager, handing over the cheque to a woman beneficiary of a self help group at our Jankipuram Branch, Lucknow.

असिसी कान्वेन्ट प्राइमरी स्कूल नोयडा में विजया बैंक द्वारा आयोजित वी-जेनयूथ हंगामा
प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं - श्री विजय कुमार भूषण,
सहायक महा प्रबंधक, नोयडा कांप्लेक्स शाखा.

Shri Vijay Kumar Bhushan, AGM, Noida Complex Branch distributing prizes to the winners of V-GenU™ Hunguma contest organised by the branch at Assisi Convent Primary School, Noida.

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE: BANGALORE - 560 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of VIJAYA BANK will be held on **Friday, the 29th July 2011 at 10.15 A.M.** at the Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bangalore - 560 001, to transact the following business:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2: To declare dividend on the shares of the Bank for the Financial Year 2010-11.

Item No.3: To elect three Directors among the shareholders of the Bank other than the Central Government, in terms of Sec.9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein after referred to as the Act) read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 (herein after referred to as the "Scheme") and Vijaya Bank (Shares & Meetings) Regulations,2003 (herein after referred to as the "Regulations") made pursuant to Sec.19 of the Act and pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Sec 9(3)(i) of the act read with Scheme and Regulations made there under , be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 08.08.2011 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption"

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday the 21st June, 2011 to Saturday the 25th June 2011 in connection with the Eleventh Annual General Meeting and to entitle the shareholders to get dividend, if any, and to nominate, contest & vote for election of three shareholder Directors.

By order of the Board of Directors
for VIJAYA BANK

Place : Bangalore
Date : 31.05.2011

(K.GOPALAKRISHNAN NAIR)
COMPANY SECRETARY

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. HOWEVER, THE PROXY SO APPOINTED WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF VIJAYA BANK. The Proxy Form in order to be effective, must be deposited/ lodged at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, 41/2, M.G. Road, Bangalore 560 001, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 2 p.m. of Saturday the 23rd July , 2011.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, H.O., Bangalore – 560 001 at least four days before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 2 p.m. of Saturday the 23rd July , 2011.

3. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS:**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

4. **CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS:**

   Pursuant to Clause 12 of Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain

closed from Tuesday the 21st June, 2011 to Saturday the 25th June 2011 (both days inclusive) in connection with the Eleventh Annual General Meeting and to entitle the shareholders to get final dividend, if any and to nominate, contest and vote for election of three shareholder Directors.

5. PAYMENT OF DIVIDEND:

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members:

a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 20th June 2011 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.
b) As Shareholders whose names are registered in the Register of Members of the Bank as on 25th June, 2011.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or credited through National Electronic Clearing System or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai, within 30 days from the date of declaration, i.e., within 29th August 2011.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (NECS):

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility wherever available. In the absence of NECS facility at certain centers and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with them in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Shares Division & Investors Grievances Cell at Vijaya Bank, Head Office, Bangalore or to our Share Transfer Agent M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai, for necessary updating of the records.

The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection. A proforma of NECS Mandate/Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

7. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ not received dividend for previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issual of the duplicate Dividend Warrants/revalidation of Dividend Warrants.

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of the declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of Vijaya Bank for the year...."

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1980 vide The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) and Financial Institution Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid / unclaimed dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act and also the dividend declared after the commencement of the said Act to "Unpaid Dividend Account".

As per the new Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Sub-Section (1) of Section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and the manner specified in S.205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

8. COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

9. DEMATERIALISATION OF SHARES:

Shareholders who are still holding their share certificates in physical form are requested to get their shares dematerialized as SEBI has included the name of the Bank for the purpose of compulsory dematerialized trading of shares.

10. NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify immediately of any change in address / change in Bank Account numbers and as per Government of India green initiative in Corporate Governance, all Shareholders are requested to submit their e-mail address, if any, to enable us to send the letter / reports in electronic form. The same may be sent to :

a) Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialized form.
b) The Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt Limited, Unit: Vijaya Bank, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road, Bhandup (West), Mumbai-400078 in respect of shares held in physical form.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai for consolidation into a single folio.

12. RECORDING OF CHANGE OF STATUS:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

13. EXPLANATORY STATEMENT

Pursuant to provisions of S.3 (2B) (c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1980 (herein after called the Act), Bank made IPO in the year 2000 and follow on public issue in the year 2003. On 28.03.2011, Bank allotted 3,91,48,936 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 84 per share (issue price of ₹ 94/- per share) to Government of India on preferential basis against infusion of ₹ 367,99,99,984/- to Tier 1 Capital of the Bank. As on 31.03.2011 shareholders other than Government of India holds 42.31% of the existing paid up capital of the Bank. In terms of provision of Section 9(3) (i) of the Act by virtue of the fact that public holds more than 32% of the total paid up capital of the Bank, Bank can elect not more than three Directors from amongst the shareholders, other than Central Government.

Bank had elected three Directors on 25.07.2008, from amongst the shareholders other than Central Government, whose term of three years comes to an end on 07.08.2011. Hence Bank now proposes to elect three directors in the place of the three retiring Directors. A Director elected to fill the said vacancy shall be deemed to have assumed the Office from 08.08.2011.

As per the amendment to Nationalized Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, a Director so elected shall hold office for three years and shall be eligible for re-election provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

None of the Directors other than shareholder Directors eligible for re-election are individually interested or concerned in the aforesaid item of business.

14. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank, from amongst the shareholders, other than Central Government, should submit their nomination forms along with declaration form (enclosed to this notice) and the connected documents to the General Manager, Vijaya Bank, Board Secretariat, HO, 41/2, M.G. Road, Bangalore-560001 on any working day not less than 14 days before the date fixed for the AGM i.e on or before Friday, 15th July, 2011. The said Nomination Form be complete in all respects and be filled in by a minimum of 100 shareholders.

15. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of Vijaya Bank (Shares & Meetings) Regulations. 2003, will be available from the General Manager, Board Secretariat, HO, M.G. Road, Bangalore-560001 from 27.06.2011 onwards for purchase against a payment of ₹ 50,000/- (₹ Fifty Thousand Only) by Demand Draft or by Electronic mode and on application being made for this purpose.

16. SCRUTINY OF APPLICATIONS:

Candidates desiring to withdraw the nomination so filed may do so on or before 2 P.M on Saturday, the 16th July, 2011. Nominations shall be scrutinized on first working day following the last date fixed for the receipt of Nominations i.e on Saturday, the 16th July, 2011 and in case any nomination is found to be not valid, the same shall be rejected recording the reasons thereof.

If valid nominations are equal to or less than the number vacancies of Directors to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to have been elected and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. If valid nominations are more than the number Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be elected.

17. VOTING RIGHTS:

In terms of the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1980, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/ her in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Each shareholder whose name appear in the Register of Members as on the date of book closure shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him. Voting rights may be exercised through proxy or authorized representative. But proxy shall have no right to speak at the meeting.

18. OTHER INFORMATION:

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for **VIJAYA BANK**

Place : Bangalore
Date : 31.05.2011

(K.GOPALAKRISHNAN NAIR)
COMPANY SECRETARY

Directors' Report 2010-11

The Board of Directors have pleasure in presenting the 31st Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as on March 31, 2011 and the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Scenario

World Economy is showing sporadic signs of recovery, but unemployment remains high in advanced economies, and new macroeconomic risks are building in emerging market economies. In advanced economies, the shift from public to private demand is advancing, reducing concerns that diminishing fiscal policy support might cause a "double-dip" recession. Financial conditions continue to improve, although they remain unusually fragile. In many emerging market economies, demand is robust and overheating is a growing policy concern. Developing economies, particularly in sub-Saharan Africa, have also resumed fast and sustainable growth. Rising food and commodity prices pose a threat to poor households, adding to social and economic tensions, notably in the Middle East and North Africa. Oil prices are on an upward spiral since January 2011 and information on supply, including on spare capacity, suggest that the disruptions so far would have some impact on economic activity. An earthquake in Japan has exacted substantial human toll. Its macroeconomic impact is projected to be limited, although uncertainty remains elevated. Overall, with the recovery stronger on the one hand but oil supply growth lower on the other, the World real GDP growth is forecast to be about 4.5 percent in 2011 and 2012, down modestly from 5 percent in 2010.

Coming to the performance of Indian Economy, the Central Statistical Organisation has recently estimated the GDP growth at 8.6 per cent for 2010-11. The growth during 2010-11 reflects a rebound in agriculture and sustained levels of activity in industry and services. The overall growth in the Index of Industrial Production (IIP) was 7.8% during Apr-Mar 2010-11 as compared to 10.5% recorded a year ago. The six core industries grew by 7.4% during Apr-Mar 2010-11, compared to 6.8% during the last year.

Headline WPI inflation as at the end of April 2011 stood at 8.66% compared to 10.99% in April 2010. The manufactured product Inflation was 6.18% in Apr'11 compared to 6.41% in Apr'10. Food inflation recorded a Y-o-Y increase of 7.47% as on 7th May 2011, compared to 22.15% during the same period last year.

While the budgeted level of fiscal deficit for 2011-12 gives some comfort on the demand front, there will be mounting pressure on expenditure. Though the Government has recently hiked the prices of petrol and is proposing to hike diesel prices as well, the oil sector woes are far from over. The oil subsidy burden overweighs any benefit out of the marginal increase in prices of petroleum products, towards reducing the fiscal deficit.

Going by the recent robust export performance, the current account deficit (CAD) for 2010-11 is now estimated at around 2.5 per cent of GDP. While the CAD for 2010-11 has been financed comfortably, it is necessary to focus on the quality of capital inflows with greater emphasis on attracting long-term components, including foreign direct investment (FDI), so as to enhance the sustainability of the balance of payments (BoP) over the medium-term.

Banking Scenario

For the industry as a whole, the non-food credit grew by 21% as at Mar'11 while the Aggregate deposits recorded a Y-o-Y growth of 15.8% during 2010-11.

As the Government's borrowing plan for FY'12 began, Yields are expected to move up. Concerns of high inflation could push yields further. The new 10 year Government bond is also expected to inch up as there is high demand for the paper. As regards liquidity, money supply, as measured by M3, increased by 13.6% during 2010-11, compared to 13.8% in the previous year. The Y-o-Y growth was 16.5% compared to 17% last year.

The RBI, in its Monetary Policy Statement for 2011-12 announced on 3rd May 2011 increased the Repo Rate by 50 basis points to 7.25%. The Reverse repo rate, which is now determined with a spread of 100 basis points below the repo rate, automatically adjusts to 6.25%. These measures are mainly aimed at quelling the spiralling Inflation. With the upside risk to Inflation persisting, Banks will have to work harder in 2011-12 in order to improve their business growth and profitability. In a move widely seen as a precursor to S.B rate deregulation, the RBI has increased the interest rate on S.B deposits by 50 bps to 4.0%, a measure which will affect the NIM of most Banks. While Banks have already transmitted the increase in policy rates by RBI by increasing their Base Rate/ PLR, there will be challenges on the deposit front. With the increase in S.B interest rates, banks have to find ways to at least partially offset the additional interest

cost. However, this will be challenging, given the difficulty being experienced by most banks to augment their low cost deposit base.

Outlook

The challenge for many emerging and some developing economies is to ensure that present boom-like conditions do not develop into overheating over the coming year. Inflation pressure is likely to build further as growing production comes up against capacity constraints, with large food and energy price increases, which weigh heavily in consumption baskets, motivating demands for higher wages. Real interest rates are still low and fiscal policies appreciably more accommodative than before the crisis. Appropriate action differs across economies, depending on their cyclical and external conditions. However, a tightening of macroeconomic policies is needed in many emerging market economies.

As regards Indian Economy, overall growth indicators are mixed. Prospects for agriculture appear encouraging given IMD's forecast of a normal monsoon in 2011-12. Industrial growth, however, is yet to pick up steam. Other indicators, such as direct and indirect tax collections, merchandise exports and bank credit suggest that the growth momentum persists. Indicators on services sector activity also remain robust. However, high energy and commodity prices may impact output and investment climate and pose a threat to maintaining high growth.

Improvement in exports during 2010-11 facilitated moderation of the current account deficit (CAD). However, if oil and other commodity prices stay elevated, CAD may widen in 2011-12. This will necessitate higher external financing.

With high inflation persisting, interest rates will continue to harden for most part of 2011-12. While growth risks are on the downside, the inflation risks are on the upside and it may remain elevated for some more time.

VIJAYA BANK'S PERFORMANCE IN 2010-11

Working Results

Net profit for the year 2010-11 is ₹ 524 crore as compared to ₹ 507 crore in 2009-10, recording a growth of 3.26%, while the operating profit for the year 2010-11 was ₹ 1047 crore as compared to ₹ 1057 crore for 2009-10. On the deposit front, average cost of deposits decreased from 6.21% in 2009-10 to 5.86% in 2010-11 due to better portfolio management. Yield on advances for 2010-11 (10.25%) is almost similar to that of previous year (10.26%).

The trends in financial results of the Bank are highlighted in the tables below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Item	2009-10	2010-11	Annual increase (%)
1.	Interest Income	5201	5844	12.36
2.	Interest Expenditure	3752	3897	3.87
3.	Net Interest Income (1-2)	1449	1947	34.36
4.	Non-interest income	680	533	(-21.62)
i.	Profit on sale of investments	283	118	(-58.30)
ii.	Other non-interest income	397	415	4.53
5.	Net Total Income (3+4)	2129	2480	16.49
6.	Operating expenses	1072	1433	33.68
i.	Staff Expenses	706	1010	43.06
ii.	Other operating expenses	366	423	15.57
7.	Operating profit	1057	1047	(-0.95)
8.	Operating profit (excl. Treasury profit)	774	929	(-20.03)
9.	Provisions and Contingencies	550	523	(-4.91)
10.	Net profit	507	524	3.26

Important Profitability Ratios (%)

Sl. No.	Item	2009-10	2010-11
1.	Yield on funds	7.89	8.03
2.	Cost of funds	5.69	5.36
3.	Interest spread (1-2)	2.20	2.67
4.	Yield on advances	10.26	10.25
5.	Cost of deposits	6.21	5.86
6.	Yield on investments - excluding Trading Profit - including Trading Profit	 6.67 7.05	 6.50 6.97
7.	Other operating expenses to Average working funds	0.56	0.58
8.	Cost-Income Ratio	50.34	57.79
9.	Establishment cost to average working funds	1.07	1.38

Dividend

Taking into consideration the overall profitability position, the Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 2.50 per Equity Share of the face value of ₹ 10/- for the year 2010-11, which works out to ₹ 137.34 crore including Dividend Tax.

Capital Adequacy

The capital adequacy ratio stood at 13.88% as on 31.03.2011 vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%. The Tier I capital of the Bank is ₹ 4458 crore and Tier II is ₹ 1806 crore.

Branch Network

With the opening of 42 branches during the year 2010-11, the network of branches reached the level of 1200, from the level of 1158 during the previous fiscal. There were 47 Extension Counters and 2 Satellite Offices at the beginning of the year 2010-11. Bank opened 2 Extension Counters (EC) during the year taking the total number of ECs and Satellite Offices to 51, ie, 49 Extension Counters and 2 Satellite Offices.

Deposit Mobilisation

Total deposits of the Bank increased from ₹ 61932 crore to ₹ 73248 crore, recording an annual growth rate of 18.27%. CASA deposits recorded a 21.33% growth, accounting for 25.25% in aggregate deposits. CASA deposit growth was driven by 24.3% growth in SB deposits, to reach ₹ 13330 crore during the year.

The average aggregate deposits stood at ₹ 62104 crore during 2010-11, compared to ₹ 56702 crore during 2009-10. The Bank launched V-Platinum Current Account Deposit scheme during the year, to improve HNI clientele base and to improve corporate deposits.

Credit Expansion

During the year 2010-11, Gross Credit increased from ₹ 41,935 crore to ₹ 49,222 crore, registering a growth of 17.38%.

Infrastructure Finance

Amongst other sectors, Bank's lending to Infrastructure stood at ₹ 11,277 crore as at 31st March 2011, accounting for 22.91% of the Gross Credit. The Bank actively participated in lending to key Infrastructure segments like Power Generation, Roads/Highways, Ports, Airports and Educational Institutions. Significant disbursements are also due in the financial year 2011-12, against the sanctions already in place. While keeping the pace of growth linked to the huge credit needs of Infrastructure sector and other core sectors like Industry, Trade and Services, the thrust was on building a balanced Credit portfolio.

Considering the requirements of the Civil Contractors of Mumbai Metropolitan area, the Bank has introduced a new scheme under the style of "V-Contract (Mumbai) Scheme" to exclusively cater to their credit needs based on the commercial practices prevalent in that area.

Retail Credit

Bank continued to accord priority to its Retail Lending Schemes viz., Housing Loan, Education Loan, Jewel Loans etc., in view of the changing economic scenario and phenomenal growth of purchasing power of the population across all levels especially of the middle income segment.

The Bank has disbursed ₹ 4588 crore under Retail credit during the year & the amount outstanding as at March 2011 stood at ₹ 10041 crore. The Retail Credit Portfolio accounted for 20.40% of the Bank's Gross Credit.

The Bank has disbursed ₹ 597 crore under Housing loan, ₹ 129 crore under Education loan, ₹ 550 crore under V-Wheels & ₹ 1158 crore under Jewel loan schemes during the year & the amount outstanding under Housing loan, Education loan, V-Wheels & Jewel Loan schemes, as on 31st March 2011, was ₹ 4213 crore, ₹ 603 crore, ₹ 929 crore & ₹ 902 crore respectively. The year to year growth in Road Transport Operators is 157 % and that under Jewel loan segment is 58 %.

The three major Retail Products viz, Vijaya Home Loan Scheme, V-Rent scheme and advances against gold jewellery has been comprehensively revised to make it more user friendly for availing finance without much hassles. Jewel Shoppe has been set up at 10 centers to give boost to the Jewel loan segment.

An innovative Retail product namely Vijaya Secured Overdraft scheme (VSOD) was introduced by the bank to cater to the financial requirement of mainly Micro and Small Enterprises with liberalized terms and conditions.

RACPCs are administratively de-linked from Regional Offices and have been set up as a separate business entity to enable them to aggressively market Retail lending by disposal of proposal expeditiously.

Priority Sector Lending

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority sector over the years. Total Priority Sector advances of the bank have increased to ₹ 14671 crore as at the end of March 2011.

Agricultural Finance

Outstanding agriculture:

Direct Agricultural advances of the Bank as at March 2011 stood at ₹ 3773 crore, as against ₹ 3608 crore as at March 2010, showing an increase of ₹ 165 crore, registering a growth rate of 4.57 % over March 2010. Total Agricultural advances (with 4.50% cap on Indirect Finance for agriculture) stood at ₹ 4969 crore.

Disbursements to agriculture:

The Bank has done well with regard to agriculture loan disbursements during the year. Under Special Agricultural Credit Plan, the Bank has disbursed ₹ 3961 crore during the year 2010-11, as against the target of ₹ 6432 crore, which works out to an achievement of 61.58%.

Kisan Credit Card scheme:

During the current year, the bank has issued 21426 Kisan Cards and disbursed ₹ 256 crore under the Scheme. The performance comes to 62.61% of the target of 29200 Kisan Cards set for the year.The Bank has launched ATM enabled Kisan Credit Cards at some select branches for the benefit of farmers.

Coverage of new farmers:

During the year, the Bank has financed 69704 new farmers and disbursed ₹ 648 crore under various agricultural activities. The average number of new farmers financed comes to 131 as against the Government of India stipulation of minimum of 100 new farmers per rural and semi urban branch.

Financing Micro Small and Medium Enterprises (MSME):

The advances to Micro Small and Medium Enterprises increased to ₹ 6768 crore as at March 2011 from ₹ 5436 crore as at March 2010, signifying a year on year growth of 24.50%. As per the directives of RBI, advances under Micro Enterprises has to be 50% of MSE advances as at March 2011.The Bank has achieved 52% for the year 2010-11. Online registration of application and tracking system has been put up (w.e.f. 24.12.2010) for speedy disposal of proposals under MSE.

Bank has recently introduced a new scheme titled as "Vijaya Secured Overdraft" formulated mainly to cater to the credit needs of entities under MSE category under the Priority sector. During the year 2010-11 the bank has financed ₹ 345 crore under this scheme.

Advances to Weaker Sections:

As at March 2011,the outstanding weaker section advances of the Bank stood at ₹ 3808 crore, registering a growth of 9.99% over March 2010.

Self Help Groups (SHGs):

During the year 2010-11, the Bank has financed 25774 SHGs and disbursed ₹ 248 crore. Cumulatively, the bank has financed 144031 SHGs and disbursed ₹ 891 crore, with an outstanding of ₹ 511 crore. Our Bank has won the award for highest share of SHG business to overall business among commercial banks operating in Karnataka, for the year 2009-10.

Credit to Women beneficiaries:

Advances to Women beneficiaries stood at ₹ 2784 crore as at March 2011 as against ₹ 2342 crore as at March 2010, showing an increase of ₹ 442 crore, registering a growth rate of 18.87 %. Against the stipulated benchmark level of 5% of net bank credit to women, the Bank's achievement stood at 6.64 %.

Advances to SC / STs:

Total advances to SC / STs stood at ₹ 807 crore as at March 2011, against ₹ 705 crore as at March 2010, showing an increase of ₹ 102 crore during the year with a growth rate of 14.47 %.

Credit to Minority Communities:

Advances to Minority Communities stood at ₹ 1411 crore as at March 2011, constituting 9.62 % of total priority sector advances, against RBI norm of 15%.

Lending under Govt. Sponsored Schemes:

Implementation of Govt. sponsored schemes receive utmost attention of the Bank. The Bank's lendings under various Govt. sponsored schemes are furnished below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Target Groups/ Schemes	No. of beneficiaries	Loan amount outstanding as at March 2011
1.	PMEGP	12376	85.89
2.	SGSY	4557	29.59
3.	SJSRY	4237	28.35
4.	DRI	3317	6.13

Visveshvaraya Grameena Bank :

Visveshvaraya Grameena Bank (VGB), a Regional Rural Bank established by the bank in 1985, has been making good progress. The VGB has a total network of 30 branches in Mandya District of Karnataka State. VGB is fully CBS compliant with effect from 25.08.2010. As at March 2011, the total deposits and advances of the RRB stood at ₹ 242 crore and ₹ 159 crore respectively. The financials of the VGB have been quite encouraging.

Financial Inclusion :

The Bank is implementing Financial Inclusion plan on Pan India Basis to cover 377 villages with population above 2000. As against a target of 75 villages to be covered under FI the Bank has covered 113 villages in Karnataka and Kerala states as on 31.03.2011. It is proposed to cover all the remaining villages under FIP well before the scheduled date viz., 31st March 2012.

The Bank is also implementing the Electronic Benefit Transfer Scheme (EBT) of the Government of Karnataka. Under MNREGS, 52178 accounts are opened and 45028 Smart Cards issued. Similarly 40475 accounts are opened and 39187 Smart Cards issued under SSP Scheme.

The Jnana Jyothi Financial Literacy and Credit Counselling Trust has been formed jointly with Syndicate Bank under the model scheme of RBI. The Trust has already started its centre at Mandya. 2 more centres viz., Haveri and Dharwad will be activated soon. The Bank has also joined with other Banks and has set up a Karnataka Farmers Resource Centre at Bagalkot to reach the rural households more aggressively.

Asset Quality

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. It initiated and continued to emphasize various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress / likely default in dues are identified and treated as Special Watch accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured, with additional need-based credit limits considered in deserving cases, to prevent fresh slippages.
- In case of willful defaulters, stringent recovery measures, including legal options like Securitisation, Lok Adalats / DRTs, etc., are promptly resorted to.
- To facilitate speedy recovery, 'Vijaya Adalats' are regularly conducted to settle dues of defaulters amicably.

During the year, Bank could recover ₹ 46.57 crore under 3675 accounts by way of such settlements.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2011 worked out to 2.56%, while net NPA ratio was 1.52%. During the year 2010-11, Bank could effect total cash recovery of ₹ 659 crore (including interest and recovery under written off Accounts) upgraded NPAs amounting to ₹ 332 crore. Further, the Bank also made provision of ₹ 273 crore for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of ₹ 213 crore as on March 31, 2011. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2011 worked out to 63.69%. However, as per RBI letter No. DBOD.No. BP.BC.87/21.04.048/2010-11 the Provision Coverage Ratio as on 30.09.2010 is 77.95%.

Investment and Fund Management

Total investment portfolio of the Bank increased from ₹ 21107 crore as on March 31, 2010 to ₹ 25138 crore as on March 31, 2011. The average yield on investments (excluding profit on sale of investments) during the year worked out to 6.50% as against 5.79% in 2009-2010. The liquidity position of the Bank was generally comfortable throughout the year under review. The Bank also complied with CRR/SLR requirements as stipulated by Reserve Bank of India consistently during the year.

Implementation of RTGS & NEFT

The Bank joined the Real Time Gross Settlement (RTGS) system on June 14, 2004 and has been undertaking customer transactions with effect from January 12, 2005. The Bank joined the National Electronic Fund Transfer (NEFT) scheme with effect from December 7, 2006. NEFT facility has been extended to cover all our RTGS enabled branches/Offices.

Risk Management

Bank has implemented the Basel II Standardized Approach with effect from March 2009 and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31st March 2011 works out to 13.88% which is above the minimum stipulated norm of 9%. In order to facilitate smooth and effective transition to the advanced approaches, the bank is implementing the Integrated Risk Management System (IRMS) project. The Bank has already approached RBI seeking approval for adoption of Internal Model Approach (IMA) for Market Risk and the Standardized Approach (TSA) for Operational Risk.

Credit Risk

The bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy, which include aspects such as Risk

rating , Risk Based Pricing, Risk Mitigation Strategies etc. The Bank's Credit Risk Management exercise ensures compliance of regulatory guidelines with regard to fixation of prudential limits, substantial exposure, preferred sector growth strategies, Credit Approval process, Loan Review Mechanism etc. During the year, bank took several initiatives to improve the External Rating coverage. Bank's corporate accounts are now covered under the external rating to extent of 80%. The bank has also put in place, two dimensional Credit risk rating software, procured from CRISIL for conducting Risk rating of all Retail and non retail Loans. The Bank conducts Stress test on Credit Risk in terms of Stress Test Policy of the Bank.

ALM and Market Risk

ALM and Market Risk of the bank is managed by Asset Liability Management Committee (ALCO) and Market Risk Management Committee (MRMC). Appropriate tolerance limits have been stipulated for mismatches in different time buckets, both for managing liquidity and interest rate risks. The bank is preparing daily ALM statements for better management of short term liquidity. Contingency funding plan, prudential ratios / limits have been set and actual position is monitored as a part of Liquidity Risk Management. Interest Rate Risk is measured through Earnings at Risk (EAR) and Duration Gap Analysis (DGA). Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex Risks etc are carried out on quarterly basis. Mid-office reports on treasury operations are prepared on daily basis.

The VaR Calculation on trading book is being carried out under three methods viz Historical Simulation, Variance - Covariance and Monte Carlo simulation on daily basis since 1st April 2010. Further, the stress testing and back testing of VaR models are being done as per RBI guidelines on a monthly basis.

Operational Risk

During the year the bank took number of initiatives to improve the operational risk management framework for migrating to The Standardized Approach (TSA). Inline with the business Line Mapping Policy, the Bank computed the capital charge for operational risk under the Standardised approach (TSA) and appraised the position to ORMC/ RMCB/Board of Directors. The operational risk losses are reported to the ORMC regularly. The Board of Directors also reviewed the operational risk loss data for the year 2009-10. The Bank has constituted a Business Continuity Management Committee (BCMC) at the Apex Level and various emergency response teams at HO/RO/Branches to oversee implementation and management of the Business Continuity and related activities. These Committees/ Response Teams met periodically.

Basel-II Compliance

In order to comply with the Basel II norms, the Bank has been carrying out parallel run exercise on the capital adequacy calculation in the RBI prescribed format, on a quarterly basis and apprising the Board, apart from submitting the same to RBI.

Besides, Bank has entered into MOU with all the four rating agencies viz. CRISIL, ICRA, CARE and Fitch, for risk rating of its corporate clients.

In terms of the Disclosure policy and ICAAP policy, the Bank has compiled the requisite information and got it vetted by the Quality Assurance Team for disclosure and submission to the Board and Reserve Bank of India.

Integrated Risk Management System (IRMS) Project

In order to facilitate smooth and effective transition to the Basel-II compliance, the Bank is implementing the Integrated Risk Management System (IRMS). The IRMS Project consists of six solutions, viz., Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution.

International Banking

Bank's export credit as at 31.03.2011 stood at ₹ 1078 crore out of which the quantum of export credit extended in foreign currency was USD 22.81 million. As at March 2011, foreign exchange business turnover of the Bank stood at ₹ 12854 crore as against ₹ 12530 crore during the previous financial year.

The Bank is participating in the Rupee drawing arrangement with six leading exchange houses and two non – resident Banks from Middle East. Besides, the Bank has extended "Speed Remittance" facility to UAE Exchange Centre LLC and Al Ansari Exchange UAE to enable the NRIs from Gulf countries to electronically remit funds to their account with our branches any where in India.

In addition to this the Bank has introduced "V-Remit Xpress" - a web based online remittance facility - for the benefit of NRIs residing in USA to remit money for the credit of their own account or any other person's account either with our bank or with any bank in India.

Merchant Banking & Allied Activities

Bank is a SEBI registered category I Merchant Banker, Bankers to Issue, Debenture Trustee and Depository

participant. The bank is also registered as Self Certified Syndicate Bank for accepting IPO/Rights issue applications under Applications Supported by Blocked Amount (ASBA).

The bank undertakes Payment Bankers Assignments for payment of Interest/Dividend/Refund orders of Corporates. Bank also offers Depository Services to its clients. The Online Trading commenced during the current financial year.

Government Business

Among various Government business, Bank is collecting Direct and Indirect tax at its 288 branches. The bank has also introduced online payment of taxes in all the branches. 153 branches of the bank are designated to open Public Provident Fund accounts. Besides, this, all the branches are authorised to disburse State Pension/Central pension. A separate cell called Centralized Pension Processing Center has been set-up in HO for centralized payment of pensions of Central Government pensioners.

Cash Management Services, Agency Arrangements with Banks in India:

The bank has tie up arrangement with other banks for payment of their Drafts, collection of local cheques with Corporation Bank, Citi Bank, HSBC, HDFC, ING Vysya, ICICI, Deutsche Bank and Standard Chartered Bank.

Corporate Agency with LIC: Bank has entered into the Corporate Agency agreement with LIC of India to cater to the life insurance needs of the customers.

Group Insurance Coverage for borrowers: Bank has entered into an agreement with M/s Bajaj Allianz Ltd for Group coverage of individual borrowers.

Money Transfer Services (Conventional and Online): Bank is a sub-agent for money transfer services of MoneyGram and XpressMoney. Bank has entered into a tie-up with Times of Money Ltd for online transfer of funds (Remit2India) as an additional service to NRIs.

Tie-up with Payment Gateways: Bank has entered into tie-up with Times of Money Ltd for our Internet Banking Customers for Online payment of goods and services purchased/availed. Besides, the Bank also has tie-up with other Payment Gateways namely Bill Desk, C C Avenue and Tech Process Solutions Ltd.

Tie-ups for Vehicle Loans: Bank has tied up with M/s Toyota Motors Ltd, M/s Tata Motors Ltd, M/s Ashok Leyland Ltd, M/s Mahindra and Mahindra Ltd and M/s Hyundai Motors Ltd to extend vehicle loans for personal use.

Credit Card Business

The billing has been centralized at Card Division with Credit Card billing being debited from Card Division, Head Office. At the end of the financial year, the total card issued by the bank stood at 148978. As on 31.03.2011, the Credit Card turn over is ₹ 43194 crore as against the turnover of ₹ 44174 crore as on 31.03.2010.

The total number of merchants enrolled by the bank for the year stood at 1203 as against 1098 merchants as on 31.03.2010. The bank makes direct payments to merchants maintaining account at our Core Banking branches. For few other merchants maintaining accounts with other banks, NEFT of Reserve Bank of India is utilized for payment.

Debit Card

There has been good increase in the issue of Debit Cards. We have totally issued 15.21 lakh Debit/ATM cards as on March 31, 2011 as compared to 11.35 lakh cards issued during the financial year as on March 31, 2010. The Debit Card turnover was ₹ 169.80 crore as against ₹ 95 crore as on March 31, 2010.

To provide prompt & better customer service, V-Instant Debit Cards have been launched wherein the customer will get Debit Card immediately on opening of the account.

Marketing Setup

Marketing Cell at the Bank's Head Office is actively engaged in designing new products, conducting marketing campaigns in potential areas to popularize our retail products, reviewing and fine tuning existing products, taking measures to strengthen CASA base, designing pamphlets/posters/ brochures/ mailers for marketing activities, percolating the perceptions of the Top Management to grass root level, conducting workshops on products and services of the bank and creating awareness on technology-backed Alternate Delivery Channels services offered by the Bank like V-Net Banking, RTGS/NEFT, V-Mobile Banking and SMS Alerts.

In order to nurture the account holders in the new generation segment, V-GenUTH SB Account and the niche segment V-Platinum SB account holders, a number of initiatives were under taken. V-GenUTH SB account holders maintaining balance of ₹ 25,000 and above were offered Blue colored School bags with the V-GenUTH logo. V-GenUTH Drawing Competition was held across the country for school children with attractive prizes. V-GenUTH Hungama event for children were conducted by all Regions in apartment complexes to popularize the product. The 25th V-GenUTH Quiz Contest for High School children of Karnataka State

was held at Bangalore. The highly popular Quiz Contest has become an iconic calendar event, associated with V-GenUTH SB and V-GenUTH Unnati RD products for the generation next.

To nurture the V-Platinum SB account segment, account holders were offered laptop bags, Gift packs of 4 Audio CDs, and complimentary cinema tickets for two, depending upon the balance. In addition to this, the young section in this segment in the age group of 20 to 30 years was offered "Wildrcraft" laptop bags. V-Platinum Current account holders were offered Divine Cards for viewing live proceedings in places of worship in India.

Publicity and Public Relations

During the Financial Year 2010-11, the bank carried out several major advertisement campaigns in print media in English, Hindi and regional languages throughout the country to enhance the visibility of the bank and its products. The bank has also carried out a corporate / product advertisement campaign in Radio Mirchi in its 32 stations during the World Cup Cricket. Simultaneously, the Bank is also continuing the outdoor publicity projects aimed at achieving heightened visibility through displays at Railway stations and bus stands and hoardings at prominent public places, highways and airport roads.

Customer Service and Redressal of Complaints

There is a well defined Grievances Redressal Mechanism in the Bank and efforts are made to resolve the complaints within the time frame. Customer complaints are resolved completely to the satisfaction of customers. The Bank has constituted Customer Service Committees at branch level and Standing Committee of Customer Service at HO level, which includes representative from the customers. These Committees meet periodically to evaluate and monitor customer service and address deficiencies. Customer Service Committee of the Board is also reviewing customer service on quarterly basis.

Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

Bank, being a member of BCSBI has adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises'. Bank has formulated and complied with several policies as per the guidelines of BCSBI. A session on customer service incorporating the provisions of the Codes has been included in the staff general banking training programmes in order to comply with the Codes in true letter and spirit.

Information Technology

The Bank has implemented Integrated Human Resources Management System (HRMS), Integrated Treasury Management system (ITMS), and Integrated Risk Management solution (IRMS). ITMS and HRMS have been operationalised and integrated with the Core Banking System. All major modules of these projects are live now.

Core Banking Solution (CBS):

The bank has implemented Core Banking Solution at all the branches with centralized database as on 28th March 2009 and covered 99.98% business with pending implementation of JND module. The present status of the branches/offices under CBS is here under:

CBS status as on 31.03.2011

CBS - Branches	1200
Extension counters in CBS	44
Offices including service branches	105
Total	1349

The data centre of the bank is located at Head Office Building Bangalore and Disaster Recovery Centre (DRC) has been set-up at Mumbai.

Alternative Delivery Channels

In order to ensure that technology driven Alternate Delivery Channels are utilized to the mutual advantage of the customers and the Bank, Marketing Cell has undertaken a number of activities. Mailers were sent to customers highlighting the advantages of using Alternate delivery Channels like internet banking, use of Debit Card, on-line purchases, funds transfer through RTGS/NEFT etc. In all the training programmes of the Staff College, one session on Alternate Delivery Channel is conducted for the benefit of the frontline staff. In order to ensure that these facilities percolate to the customer, staff members are being familiarized with these channels through workshops.

SMS Alerts:

As part of our continuous efforts to provide speedy and efficient technology based service for the benefit of our customers, Bank introduced in July 2009 SMS/e-mail alerts for financial transactions through finacle. As on 31.03.2011 there were 693726 registered users.

V-Mobile

Launched in September 2009, the product offers balance enquiry, mini statements, funds transfer, bill

payment, mobile currency charging facilities etc. As on 31.03.2011 there were 22545 registered users across 21 Regions.

Internet Banking

V-Net Banking, the Internet banking module of the Bank, facilitates features like online funds transfer to other Banks through NEFT/RTGS, Online Registration of beneficiary, availability of latest challan formats for remittance of service tax, Central Excise etc in addition to the earlier facilities like balance enquiry, account statement, intra bank fund transfer, transaction related SMS alerts, payment of indirect taxes, direct taxes and utility bill payments etc. With all the branches working on Core Banking platform, all customers of the Bank can avail this facility with the convenience of accessing and transacting in their account from any location at any time through Internet. The Bank has initiated steps to implement two–factor authentication (2FA) for internet transactions. So far, 68575 retail clients and 8477 corporate clients are enrolled under the V-Net banking module.

ATMs

110 more ATMs were operationalised during the year 2010-11, taking the number of ATMs to 545 as at the end of March 2011. Bank's customers have now access to over 70000 ATMs connected under National financial Switch (NFS) across the country.

Cheque Truncation system

As directed by the Reserve Bank of India, the Bank has implemented cheque truncation system in NCR of Delhi. Reserve Bank of India (RBI) has mandated National Payments Corporation of India (NPCI) to operationalise CTS in Chennai by March 2011. As per the roadmap of NPCI, Grid Clearing with Chennai as the hub has been envisaged for the States of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala covering 18 centres. In the initial phase, CTS will be operationalised in Chennai by April 2011. Vijaya Bank is also ready to participate in CTS as and when live operations are started.

Human Resources Management

Manpower & Staff Productivity :

The total staff strength of the Bank stood at 11,415 in March 2011 as compared to 11,565 in March 2010. Of the total staff, 5,048 are Officers, 3,904 Clerical Staff, 2,127 Sub-staff, and 336 Part-time Employees in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2011 stood at 2,346 consisting of 890 Officers and 1,456 Award Staff constituting 20.55 % of total employees in the Bank. As at the end of March 2011 there were 203 employees belonging to Handicapped Category and 576 employees belonging to Ex-Servicemen Category.

Business per employee as of March 2011 is ₹ 11.05 crore against ₹ 9.30 crore for the financial year ending March 2010.

Recruitment :

During the year the Bank has appointed 590 Probationary Clerks. Bank has also appointed 47 Part Time Sweepers in 1/3rd Scale wages. The Bank has initiated the process of recruitment of 893 officers in different grades/scales, through direct recruitment mode as well as through campus recruitment mode.

In addition to the above the bank had also conducted Campus Recruitment Exercise to recruit newly qualified Chartered Accountants. Bank has initiated the process of appointing 235 Peons. Bank is in the process of appointing another 250 Part Time Sweeper in 1/3rd scale wages.

Promotions

The promotions effected during the year 2010-11 are furnished hereunder:

Sl. No.	Promotion from	Promotion to	Total promoted
1	TEGS-VI	TEGS-VII	9
2	SMGS-V	TEGS-VI	18
3	SMGS-IV	SMGS-V	40
4	MMGS-III	SMGS-IV	142
5	MMGS-II	MMGS-III	269
6	JMGS-I	MMGS-II	395
7	Clerical	JMGS-I	233

Training :

The training system in the Bank has been strengthened by providing additional competent manpower and increasing the budgetary allocation. The courses have been redesigned keeping in mind the essential inputs required for the employees to effectively handle the present & future assignments and to perform their duties and responsibilities effectively in the highly competitive tech-based customer-driven banking environment. The Bank is also imparting training to its employees through some reputed external

training institutions in certain specialized areas like Treasury Management, Risk Management, FOREX, HR, Marketing, etc. During the last financial year the Bank has imparted training to 6,777 employees constituting 59.40 % of the total employees. Out of which, 6,175 employees had undergone training in the Bank's own establishments and 602 were trained at the reputed external training institutions including some overseas institutions.

SC/ST Employees :

Out of the total manpower of 11,415 as at the end of March 2011, 1,724 employees belong to SC category and 605 to ST category. A separate Cell for SC/ST has been created in Personnel Dept, HO to look into the matters pertaining to the SC/ST employees and also to supervise prompt implementation of Government of India guidelines in service matters in respect of SCs/STs. SC/ST Cells are functioning in all the Regional Offices as well. Each Cell has a designated liaison officer to attend to the grievances of the SC/ST employees. At the Head Office, one of the officers in Top Executive Cadre has been designated as the Chief Liaison Officer for SC/ST employees in the Bank and he is being assisted by a separate Cell consisting of senior officials. The Chief Liaison Officer is involved in all the policy decisions concerning SC/ST employees. Besides, quarterly meetings are being held between representatives of SC/ ST employees welfare association and the management. Relationship between the Bank and SC/ST employees association continues to be cordial. The Bank is arranging pre-recruitment/ pre-promotion training for SCs/STs regularly.

Further, the Bank has designated one General Manager as Chief Liaison Officer to attend to the grievances of OBC and Minority Community Employees. Our Bank is complying with all the Policy Guidelines laid down by the Govt. of India pertaining to reservation of posts for SC/ST employees, OBC & Minority employees including Persons with Disability.

Staff Relation :

The pro-active and humanistic approach undertaken by the Bank has yielded positive results and the Bank is showing progressive growth consistently with the collective efforts of the management and employees of the Bank. The climate is positive and the same is echoed in the form of exponential growth of the Bank during the financial year ending March 2011. The industrial relations in the Bank have been cordial and harmonious. There was no agitation or unrest during the year by the employees relating to issues pertaining to our Bank. The consultative committee meetings and negotiating committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and settle the disputes, if any, amicably and the said meetings are attended by the top executives of the Bank.

Sports Activities :

During the year under reference, Bank continued to accord emphasis on promotion of Sports and Sports personalities on its rolls. Several sports personnel of the Bank participated in the various events and won prizes during the year.

BASKETBALL:

Our Basketball team participated and won the Karnataka State Senior Division League Championship & Mahindra NBA League Championship held in Bangalore during September-October 2010. Sri. Sanjay Raj and Sri. Srinivas Naik have represented Karnataka State for the National basketball Championship held at New Delhi during January 2011. Sri Srinivasa Gowda, Sri Basavaraj & Sri Srinivasa Naik have represented the Karnataka State in the National Games held at Ranchi during February 2011.

CRICKET:

Sri. R. Vinay Kumar has represented the Indian Cricket Team for the T-20 world Championship 2010-11 held in the West Indies. He has also been nominated as captain of the Karnataka State team for Ranji Trophy. Sri. C.M.Goutham and Sri. S.I. Akshay have represented the Karnataka State for Buchi Babu Tournament held at Chennai. Sri. R. Vinay Kumar and Sri. C.M. Goutham have also represented the South Zone team for the Duleep trophy and Deodhar trophy championships 2010-11.

KABADDI :

Our Kabaddi Team participated in the Karnataka State level tournament held at Bangalore and won the Title. Sri. K Manoj, member of our Kabaddi team has been selected to attend the National Kabaddi Coaching Camp held at SAI Sports Complex, Sonipet during October 2010.

WEIGHT LIFTING:

Sri. S. Prakasha, member of our weight lifting team, working at our Vanivilas Road Branch, Bangalore as Asst. Manager, participated and secured second place [silver medal- in 77kg weight class] in the state weight lifting championship held in Puttur, Dakshin Karnataka.

Staff welfare measures :

The Bank is having various staff welfare schemes such as Canteen Subsidy, Conveyance expenses reimbursement,

Annual Health Check up, Health Clinic at HO, Annual Medical Aid to the employees retired on superannuation, Newspaper reimbursement, Grant of Silver Jubilee awards, House Rent Reimbursement, Holiday Homes at Bangalore, Mysore, Ooty, Delhi & Mumbai, etc.,

The Bank is having a separate Staff Welfare Fund Trust with an objective to provide welfare facilities to the employees and their dependents viz., Awarding scholarships to the wards of the employees, reimbursement of residual claim of hospitalization expenses, reimbursement of cost of spectacles, funeral expenses to the dependents of the deceased employee and incentive to the employees who retire from the services of the bank on attaining the age of superannuation etc.,

The bank is also administering Family Welfare Scheme under which amounts collected from the members of scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

Human Resources Management System :

With a view to streamline the process of faster decision making and enable error-free data management pertaining to the employees at a centralized location at Head Office, the Bank has implemented HRMS (Peoplesoft) Software.

Housekeeping

Reconciliation with regard to all inter bank transactions have been drawn upto 31.03.2011. As against the Reserve Bank of India Benchmark of six months for reconciliation of outstanding inter branch entries, our present status is 3 months. All outstanding entries under different sensitive accounts are being followed up promptly. Except entries relating to pending court cases, all other long outstanding entries have been eliminated.

Internal Inspection

The Bank has put in place a well-defined Audit policy. The Audit Committee of the Board oversees the performance of audit functions on a regular basis, providing guidance and directions for improvement in the audit system and internal controls in the Bank.

The Bank conducts regularly Risk Based Internal Audit. The Bank has conducted Risk Based Internal Audit of 777 branches out of the 777 programmed branches.

In addition, inspection of 38 Forex Branches, 12 Service Branches, 29 Currency Chests, 10 Regional Offices and 9 Head Office Departments were conducted during the year. Branches are also subjected to IS Audit in accordance with the IS Audit Policy.

Bank has covered 77.31% of its business under Concurrent Audit by external firms of Chartered Accountants whereas 16 branches were subjected to Concurrent Audit by our Internal Inspectors (viz., Total 271 including 5 H.O. Departments). Bank is making use of Information Technology in its audit system including Automation in Risk Based Internal Audit System (RBIA).

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC), ANTI MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM (CFT)

Bank has a Policy on "Know Your Customer", "Anti Money Laundering" and "Combating of Financing of Terrorism". It is being overseen by the KYC Cell constituted at H.O. and at Regional Offices by a designated Nodal Officer. The policy Guidelines was first issued in 2005 and is being updated from time to time.

KYC compliance for old accounts was achieved in April 2010. The ongoing implementation of KYC Norms and AML guidelines are being checked by the Internal Inspectors and Concurrent Auditors, Vigilance inspectors and Executives on their Branch visit. The Nodal Officer overlooks to the implementation of the KYC norms at the branches and submits a monthly certificate confirming implementation of KYC Norms. The top Management is being informed of the developments periodically.

Now a System support is also available to know the level of KYC Norms of any account whenever a new cheque book is applied for.

The necessary changes are made in the Account Opening Forms to collect details on KYC Norms, Customer Profile and Risk Categorisation. System support is made to check the level of KYC compliance in an account before a cheque book is issued to any account.

Implementation of Anti Money Laundering :

A System support, to check the customers' names with that in the UN list of terrorists and also on the level of KYC compliance in each account is made available. As a part of Anti money laundering control transactions are being viewed at H.O. through exclusive AMLock Software. System support is also available, whenever a new account is opened, to get the name checked with the UN List of Terrorists and entities. Monitoring of large value transactions, generation of; Cash Transaction Reports on cash transactions of ₹ Ten lakhs

and above, Suspicious Transaction Reports and Counterfeit Currency Reports are being carried out through the AMLock software.

The branches and the currency chests are instructed to inform to the KYC Cell and submit Counterfeit Currency Reports as and when it is found. Based on the information a CCR is generated at H.O. through the System and is being submitted to FIU-IND.

The Staff and Officers are being imparted the training on KYC, AML and CFT at the Staff Training College.

Vigilance

The Vigilance Department at Head Office is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Chief General Manager who is on deputation from State Bank of Hyderabad. The Fraud Prevention & Monitoring Cell is also functioning under the Vigilance Department. The Vigilance Department overseas all vigilance functions of the Bank as per the guidelines of Central Vigilance Commission. Cases of frauds involving ₹ 1 lakh & above are placed before the Board of Directors, reports forwarded to RBI as and when frauds are detected and reported. The Audit Committee of the Board is also apprised of frauds of ₹ 1 lakh & above on quarterly basis. In compliance with RBI guidelines, a Special Committee of the Board is constituted to review large value frauds involving ₹ 1 crore & above. After studying modus operandi of frauds detected, Bank issues suitable instructions to the field functionaries as a preventive Vigilance measure. In addition, Vigilance Department carries out surprise inspection of branches, concentrating on preventive vigilance. These are done by Field Vigilance Officers stationed at Regional Offices. All efforts are made to plug the loopholes in the exiting system to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance.

Compliance

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank has adopted Compliance Policy. The Compliance Department, H.O. ensures compliance with various communications received at Head Office from Govt of India, Reserve Bank of India, IBA and others by sending all such communications to the concerned operational Departments for necessary action. The compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is of the rank of a Deputy General Manager.

Right to Information Act, 2005

Government of India has enacted Right to Information Act, 2005 which has come into force on October 12, 2005. The Act provides right to every citizen to secure/ access to information under the control of Public Authorities, consistent with interest. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matter connected therewith or incidental thereto.

The second line Executive at Regional Office is designated as the Public Information Officer and the Regional Head of the Regional Office is designated as the Appellate Authority under the Act. At the Head Office Deputy General Manager (R&R) is designated as Public Information officer and General Manager (R&R) of the Bank as the Appellate Authority.

Information sought under the Act is being provided within the prescribed time frame. During 2010-11 bank received and disposed of 586 applications and 47 appeals under the Act.

Security Arrangements

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure with clear cut delegation of authority and responsibility.

The Department has reviewed and strengthened security arrangements at all Currency Chests and Bank branches. The Regional Security Officers carry-out Branch Inspection visits at regular intervals to assess the security arrangements in vogue and suggest means for strengthening these arrangements. The Regional Security Officers maintain close liaison with the law enforcing agencies. The security arrangements in the Bank have been geared up to meet the prevailing security scenario.

Bank security is being strengthened to be more effective, modern and an unobtrusive Security System. The Access Control System at all Banks Currency Chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained. Biometric access control systems have been installed at all currency chest of the Bank to strengthen access control measures.

Essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided to almost all branches. Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided to 1100 branches.

The Bank has a total of 29 (twenty nine) currency chests. Police guards have been provided to 28 currency chests. The Bank has outsourced round the clock guarding of

Bhubaneshwar Currency Chest to a Private Security Agency sponsored by DGR. Efforts are continuing for deployment of Armed Police Guards at Bhubaneshwar Currency Chest.

Training including firing practice for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Security Committees formed at Regional Offices and at Head Office meet periodically to review security aspects.

CCTV Surveillance System have been installed at 206 identified vulnerable branches in the first phase, keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance. CCTV systems shall be installed at remaining vulnerable branches in a phased manner.

Implementation of Official Language

Bank could achieve Hindi correspondence percentage of 86.61% in area 'A', 90.02% in area 'B' and 64.35% in area 'C' as on 31.03.2011, thanks to enterprise-vide initiatives and efforts.

Ten of the Bank's Regional Offices conducted Hindi symposium in which teachers & students of various Colleges/Universities, customers and staff members participated. Special Hindi workshops were conducted for 124 Bank Executives. Training on 'Unicode' is being imparted in all Hindi Workshops as per the recommendation of Parliamentary Committee on Official Language. 77 Hindi workshops were conducted for staff members in which 1350 staff members were trained. The Bank has a Bilingual website which is updated from time-to-time.

The Parliamentary Committee on Official Language (Draft and Evidence Committee) had discussions with the Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) of Coimbatore and Jhansi in which our branches participated. The Third Sub-Committee on Parliamentary Committee on Official Language inspected Regional Office, Kochi and appreciated the work done by the Bank in progressive use of O.L. Hindi.

Awards

The Bank has been awarded I prize in Region 'C' in the competition for Progressive Use of Hindi under Reserve Bank Rajbhasha Shield Scheme for the year 2009-10.

BTM Layout Branch was awarded II Prize under Non-Member Office Category and Staff College, Bangalore was awarded II Prize under Training Centre Category by TOLIC, Bangalore for effective Implementation of Official Language for the year 2009-10. Regional Office, Mangalore was awarded II Prize by TOLIC, Mangalore ; Sadashivpet, Pune branch was awarded III Prize by TOLIC, Pune ; Regional Office, Hassan was awarded II Prize under Public Sector Bank Category by TOLIC, Hassan and Regional Office, Delhi was awarded III Prize by TOLIC, Delhi.

The staff members working in Bangalore city participated in the Inter-Bank competitions conducted under the aegis of TOLIC. 12 competitions were conducted, in which our Bank bagged 5 prizes.

Under the Bank's Internal Rajbhasha Shield Scheme for the year 2009-10 Department of Information Technology was awarded I Prize, Staff College-Bangalore II Prize and Card Division was awarded III Prize under HO Department Category for effective implementation of Official Language. Under Best Region Category Nagpur Region was awarded I Prize, Mumbai Region II Prize and Chandigarh Region III Prize.

Corporate Social Responsibility

As a responsible and responsive corporate citizen, Vijaya Bank consistently engages itself in community and social investment.

For the cause of promoting education, the Bank contributed ₹ 50,000/- to the Malnad Progressive Education Society, Honavar, Uttara Kannada District, towards construction of a new building to house its CBSE School. The Bank has also contributed towards purchase of sports equipment to Govt. Higher Primary School, Belve, Udupi District.

In a move towards promoting healthcare, the Bank has contributed ₹ 3,00,000/- to the Sevekshethra Hospital, Bangalore, managed by the Canara Bank Relief & Welfare Society towards purchase of 3 Multi Parameter Patient Monitor equipment. The Bank has also spent ₹ 30,000/- per year to provide free treatment to poor patients by providing bed charges and cost of medicines for 2 beds at Nazareth Hospital, Lucknow.

Bank contributed ₹ 20 lakh for the Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) to conduct various trainings, free health camps, scholarships to meritorious students hailing from villages and studying in government schools, etc.

Vijaya Rural Development Foundation:

Vijaya Rural Development Foundation was promoted by the bank in 1990 at Mangalore. During the year, VRDF has

conducted 108 training /awareness programmes, covering a wide range of subjects, benefiting 6360 persons. Free health camps have also been organised for the benefit of rural poor. The Foundation has also granted scholarships to poor meritorious students hailing from villages and studying in government schools. The Foundation has expanded its activities to other districts like Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility. Bank has granted ₹ 20 lakhs to the Foundation during the current year for diversification of activities and expansion of their service to other areas.

VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes):

The bank has established a self-employment training institute called Vijaya Bank Self Employment Training Institute (VIBSETI) in Mandya on 1-1-2000. The institute has its own Campus at Mandya with residential facilities for the trainees. It has been conducting various vocational training / skill-upgradation / awareness programmes and product development workshops etc. During the current year, the Institute has conducted 60 Programmes involving 475 training days and trained 3267 beneficiaries, of whom 3142 have settled by setting up own ventures / gainful self-employment. The Bank has also established another VIBSETI at Haveri, on 1.9.2003. VIBSETI, Haveri, has conducted 73 programmes involving 284 training days and trained 2893 candidates, of whom 2584 have settled down with various gainful self-employment ventures.During the current year the Bank has opened one more VIBSETI at Indore, which started functioning from 03.02.2011 and conducted one training programme during the year benefitting 14 people.

Board Meetings and meetings of other Sub-Committees of the Board

During the year, 12 Meetings of the Board of Directors, 23 Meetings of the Management Committee of the Board, 10 Meetings of the Audit Committee of the Board, 4 Meetings of the Directors' Promotion committee, 7 Meetings of the Risk Management Committee of the Board, 5 Meetings of the Committee to Review Large Value Frauds of ₹ 1 crore and above, 1 Meeting of the Remuneration Committee, 1 Meeting of the Nomination committee, 5 Meetings of the Customer Service Committee, 4 Meetings of the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee, 17 Meetings of the Share Transfer Committee, 1 Meeting of the Committee to consider appeals preferred by employees against final orders passed by Chairman & Managing Director as Disciplinary Authority and 1 Meeting of the Share Allotment Committee were held.

Board of Directors

During the year 2010-11, the following changes have taken place in the Constitution of Bank's Board:

1. Smt. Suma Varma, was nominated as RBI Director, vice Shri. K Venkatappa w.e.f 30.07.2010.
2. Shri. G B Singh, Government Nominee Director retired from the services on attaining his superannuation on 30.09.2010.
3. Shri. L K Meena has been nominated as Government Nominee Director w.e.f. 29.10.2010 vice Shri. G B Singh
4. Shri. Suresh Kamath has been appointed as Workmen Director vice Shri. P Shantharam Shetty w.e.f. 02.11.2010
5. Shri. Nishank Kumar Jain, Non Official Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. 02.01.2011, on completion of his three year tenure.

The Bank's Board as on 31st March 2011 comprised the following Directors :

1. Shri. Albert Tauro, Chairman & Managing Director
2. Smt. Shubhalakshmi Panse, Executive Director
3. Shri. L K Meena, Government Nominee Director
4. Smt. Suma Varma, RBI Nominee Director
5. Shri. Ashok Kumar, I.A.S (Retd.), Shareholder Director
6. Shri. Ashok Kumar Shetty, Shareholder Director
7. Shri. S Ananthan, Shareholder Director
8. Shri. Ranjan Shetty, Officer-employee Director
9. Shri. Sridhar Cherukuri, Non-Official Director
10. Shri. B Ibrahim, Non Official Director
11. Shri. Suresh Kamath, Workmen Employee Director

The Board of Directors placed on record its appreciation of the valuable services rendered by Shri. K Venkatappa, Shri. G B Singh, Shri. P Shantharam Shetty, and Shri. Nishank Kumar Jain, Directors during their respective tenure in the Bank.

Acknowledgement

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the excellent support and co-operation extended to the Bank by all customers, shareholders, staff members, financial institutions and other Banks, the Reserve Bank of India, the State Governments, the Securities and Exchange Board of India and the Government of India in improving its overall performance during the year 2010-11.

For and on behalf of the Board of Directors

Head Office, Bangalore — H.S. Upendra Kamath
Dated the 28th April, 2011 — Chairman & Managing Director

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VIJAYA BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2010-11

1. INTRODUCTION

Bank aims to attain highest standard of Corporate Governance mandated by the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and also as per the recommendations by Dr. Ganguly Committee Report on Corporate Governance. Bank remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The philosophy of Corporate Governance ensures that it is practiced in letter and spirit in all functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted.

2. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance stands for responsible and value creating management and control of the Bank and the existence of a sound system of Corporate Governance is fundamental to the sound functioning of any organization. Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but are also based on its commitment to operate in the best interest of the Stakeholders. No amount of controls, systems or procedures can be a replacement for a sound system of Corporate Governance.

Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which Organisations are directed and controlled to enhance their wealth generating capacity. Since Corporates employ a vast quantum of resources of the society, it is necessary that these resources are utilized in a manner that meets stakeholders' aspirations and society's expectations. As part of Corporate Governance, the Bank strives to adopt the best business practices that enable the institution to retain its competitive edge through innovation and delivery of highest standards of products and services.

Bank's Corporate Governance principles are based on the following broad ethos:

1. Generating profitable Growth to ensure sustainable success. This helps wealth maximization of our stakeholders.
2. Satisfying the spirit of the Law and not just the letter by maintaining high degree of transparency and disclosure level.
3. Maintaining a work force as a network of Knowledge and learning. Our Corporate Culture is by open dialogue, mutual respect, clear goals and decisive leadership.
4. A Management which is open, transparent, proactive, merit based and free from bias ensuring fair justice to all sections of the society.

Thus bank considers itself as a Trustee of the Shareholders and Stake holders and acknowledges the responsibility, towards them by creating and safeguarding their wealth. Bank adopts this through efficient Corporate Strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy ethical and legal responsibilities.

3. BOARD OF DIRECTORS

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1980, which satisfies the requirements of Corporate Governance.

3.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2011

EXECUTIVE	2
NON-EXECUTIVE	09
TOTAL	**11**

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank. The composition of the Board is in conformity of the Listing Agreements with Stock Exchanges.

3.2. Particulars of Board of Directors

Sl. No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri Albert Tauro+	Chairman & Managing Director	Executive	w.e.f. 02.08.2008
2.	Smt Shubhalakshmi Panse	Executive Director	Executive	w.e.f.20.11.2009
3.	Shri G B Singh *	Nominee-GOI	Non Executive	w.e.f.20.08.2007
4.	Shri L K Meena **	Nominee-GOI	Non Executive	w.e.f.29.10.2010
5.	Shri Venkatappa ***	Nominee-RBI	Non Executive	w.e.f.27.02.2007
6.	Smt Suma Varma ****	Nominee-RBI	Non Executive	w.e.f.30.07.2010
7.	Shri P.Shantharam Shetty #	Workmen Director	Non Executive	w.e.f. 02.11.2007
8.	Shri Suresh Kamath ##	Workmen Director	Non Executive	w.e.f.02.11.2010
9.	Shri Ashok Kumar Shetty	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f. 08.08.2008
10.	Shri Ashok Kumar, IAS (Retd)	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f.08.08.2008
11.	Shri Nishank Kumar Jain ###	Non-official Director	Non Executive Independent	w.e.f. 03.01.2008
12.	Shri Sridhar Cherukuri	Non Official Director	Non Executive Independent	w.e.f. 10.07.2008
13.	Shri S. Ananthan	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f.08.08.2008
14.	Shri Ranjan Shetty	Officer-Employee Director	Non Executive	w.e.f 09.09.2008
15.	Shri B. Ibrahim	Non Official Director	Non Executive Independent	w.e.f 02.03.2009

GOI – Government of India
RBI – Reserve Bank of India

\+ Shri.Albert Tauro, Chairman & Managing Director of the Bank retired from the services of the Bank on 31.03.2011, on attaining superannuation.

* Shri G B Singh, ceased to be Director of the Bank on his retirement from the services of the Government of India on superannuation on 30.09.2010.

** Shri L K Meena, has been appointed as Government of India Nominee Director of the Bank by the Government of India, vide notification F.No.9/9/2009-BO.1 dated 29.10.2010.

*** Shri Venkatappa ceased to be RBI-Nominee Director of the Bank on the expiry of term on 29.07.2010

**** Smt Suma Verma has been appointed as the RBI Director by the Government of India, vide notification No.F.No.9/2/2007-BO.1 dated 30.07.2010.

\# Shri P Shantharam Shetty Workmen Director has been ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2010.

\## Shri Suresh Kamath has been appointed as the workmen Director by the Government of India w.e.f. 02.11.2010.

\### Shri Nishank Kumar Jain ceased to be Director of the Bank on his retirement from Board on 02.01.2011.

3.3 Profile of Directors Appointed During the Year 2010-11

NAME	**Smt Suma Varma**
DATE OF BIRTH	05.01.1957
AGE	54 Years
QUALIFICATION	B.Sc., PGDM
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Nominee - RBI Smt. Suma Varma was appointed as RBI Nominee Director of the Bank by Government of India, under sub section 3 (c) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1980 vide notification No.F.No.9/2/2007-BO.1 dated.30.07.10.
EXPERIENCE	Smt.Suma Varma is a Post Graduate in Management from Indian Institute of Management , Calcutta. She joined RBI in 1982 & has worked in various areas, such as Foreign Exchange, Banking operations, Currency Management, Rural Planning & Credit Development in various centres. She was the member Secretary of the Task Force on Financial Sector Plan for Sikkim and of the Working Group on Financial Problems of the Jute industry, Member Secretary of Empowered Task Force to accelerate the resolution of relief measures to the Tsunami affected borrowers in the Union Territory of Andaman & Nikobar islands. She also functioned as Banking Ombudsman for Kerala, Lakshadweep and Mahe. Smt. Suma Varma was the Regional Director of RBI, for Andhra Pradesh. At present she is the Regional Director for Kerala & Lakshadweep.

NAME	**Mr L K Meena**
DATE OF BIRTH	26.02.1961
AGE	50 Years
QUALIFICATION	M.A.
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Nominee-GOI Shri. L.K.Meena was appointed as GOI Nominee, Director of the Bank by Government of India, under clause (b) of sub section (3) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970/1980 , read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1980, vide Government of India Notification F.No.9/9/2009-BO.I dated 29.10.2010.
EXPERIENCE	L K Meena is a Post Graduate in Political Science. He Joined as a section officer (ICS Allied) in Government of India, in the year 1989. He was promoted as Under Secretary in the year 1995 and posted in Ministry of Defence, New Delhi and was later promoted as Deputy Secretary in the year 2007 and was posted to Banking Division, Ministry of Finance, New Delhi. In 2010 he was promoted as Director in Banking Division of Ministry of Finance, New Delhi. Shri Meena was earlier on the Board of State Bank of Indore and at present is a Director in National SCs Financial Development Corporation.

NAME	**Mr Suresh Kamath**
DATE OF BIRTH	15.01.1954
AGE	57
QUALIFICATION	B.Com
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Workmen Director Shri Suresh Kamath was appointed as workmen Director, of the Bank by the Government of India, under clause(e) of the sub section 3 of Sec 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings)1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) scheme 1970/1980.
EXPERIENCE	Shri Suresh Kamath is very active in trade union movement and is presently treasurer of Vijaya Bank Worker's Organisation. He has rich experience of more than 36 years in banking and trade union Movement. Shri Kamath worked in various Branches of the bank and is at present working as a Special Assistant in Bank's Residency Road Branch, Bangalore.

3.4. Board Meetings:

During the year under review,12 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) scheme 1980.

30.04.2010	05.06.2010	08.07.2010	22.07.2010	31.08.2010	25.09.2010
22.10.2010	27.11.2010	29.12.2010	24.01.2011	22.02.2011	30.03.2011

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenure are as under.

3.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendence in last AGM
1.	SHRI ALBERT TAURO	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	YES
2.	SMT SHUBHALAKSHMI A PANSE	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	YES
3.	SHRI G.B.SINGH	01.04.2010 - 30.09.2010	6	3	NO
4.	SHRI L K MEENA	29.10.2010 - 31.03.2011	5	5	NO
5.	SMT SUMA VARMA	30.07.2010 - 31.03.2011	8	8	NO
6.	SHRI P.SHANTHARAM SHETTY	01.04.2010 - 01.11.2010	7	7	NO
7.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI	01.04.2010 - 31.03.2011	12	4	NO
8.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY	01.04.2010 - 31.03.2011	12	7	YES
9.	SHRI ASHOK KUMAR, IAS, (RETD)	01.04.2010 - 31.03.2011	12	9	YES
10.	SHRI K.VENKATAPPA	01.04.2010 - 29.07.2010	4	4	NO
11.	SHRI NISHANK KUMAR JAIN	01.04.2010 - 02.01.2011	9	8	YES
12.	SHRI S. ANANTHAN	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	YES
13.	SHRI RANJAN SHETTY	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	YES
14.	SHRI B. IBRAHIM	01.04.2010 - 31.03.2011	12	12	YES
15.	SHRI SURESH KAMATH	02.11.2010 - 31.03.2011	5	5	NO

4. COMMITTEES OF BOARD

In line with the requirements of SEBI and RBI, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines of SEBI and RBI. The Board constituted the following committees:-

1.	Management Committee	8.	Customer Service Committee
2.	Audit Committee	9.	Remuneration Committee
3.	Shareholders' / Investors' Grievances Committee	10.	Nomination Committee
4.	Share Transfer Committee	11.	Special Committee for Settling Election Disputes
5.	Risk Management Committee	12.	Committee to dispose appeals by employees in disciplinary cases where CMD is Disciplinary Authority
6.	Committee to Review High Value Frauds		
7.	Directors' Promotion Committee	13.	Share Allotment Committee

4.1. Management Committee of Board

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India. Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like approval for introduction of new deposit schemes, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/write-off, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 23 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of director members are as detailed below:

19.04.2010	29.04.2010	19.05.2010	04.06.2010	25.06.2010	08.07.2010
28.07.2010	16.08.2010	01.09.2010	18.09.2010	25.09.2010	12.10.2010
21.10.2010	09.11.2010	27.11.2010	16.12.2010	29.12.2010	13.01.2011
31.01.2011	14.02.2011	07.03.2011	24.03.2011	29.03.2011	

4.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	23	23
2.	SMT.SHUBHALAKSHMI PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	23	23
3.	SMT SUMA VARMA * Non Executive Director	MEMBER	30.07.2010 - 31.03.2011	16	15
4.	SHRI SURESH KAMATH ** Workmen - Director	MEMBER	02.01.2011 - 31.03.2011	6	6
5.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI *** Non executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 24.09.2010	10	4
6.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY **** Non Executive Director	MEMBER	09.07.2010 - 08.01.2011	11	10

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
7.	SHRI ASHOK KUMAR, IAS,(Rtd) #1 Non Executive Director	MEMBER	06.09.2010 - 05.03.2011	11	8
8.	SHRI K.VENKATAPPA #2 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 29.07.2010	7	7
9.	SHRI NISHANK KUMAR JAIN #3 Non Executive Director	MEMBER	25.09.2010 - 02.01.2011	7	5
10.	SHRI S. ANANTHAN #4 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 09.07.2010 & 06.03.2011 - 31.03.2011	9	8
11.	SHRI RANJAN SHETTY #5 Officer - Employee Director	MEMBER	01.04.2010 - 05.09.2010	9	9
12.	SHRI B IBRAHIM #6 Non Executive Director	MEMBER	09.01.2011 - 31.03.2011	6	6

* Smt Suma Varma has become a member of the committee on her appointment as RBI Nominee Director vide GOI notification no.F.No.9/2/2007-Bo.1 dated 30.07.2010.

** Shri Suresh Kamath has become a member of the committee on 02.11.2010.

*** Shri Sridhar Cherukuri was a member of the committee during the period from 01.04.2010 to 24.09.2010.

**** Shri Ashok Kumar Shetty was a member of the committee during the period from 09.07.2010 to 08.01.2011.

#1 Shri Ashok Kumar IAS,(Rtd) was a member of the committee during the period from 06.09.2010 to 05.03.2011.

#2 Shri Venkatappa K ceased to be member of the committee on his retirement from Board on 29.07.2010.

#3 Shri Nishank Kumar Jain ceased to be member of the committee on his retirement from Board on 02.01.2011.

#4 Shri S Ananthan was a member of the committee from 01.04.2010 to 09.07.2010 & from 06.03.2011 to 31.03.2011.

#5 Shri Ranjan Shetty was a member of the committee during the period from 01.04.2010 to 05.09.2010.

#6 Shri B Ibrahim is a member of the committee from 09.01.2011 to 31.03.2011.

4.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 1956 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

The functions of Audit Committee include the following :

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information;
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transaction, etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism.

- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, etc.,
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:
  a) Inter Branch Adjustment Accounts
  b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts
  c) Arrears in balancing of books at various branches
  d) Frauds and
  e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of 5 Directors with Non-Executive Independent Director with financial knowledge as the Chairman of the Committee.

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times a year. During the year, the Audit Committee met 10 times on the following dates.

03.04.2010	30.04.2010	09.07.2010	22.07.2010	26.09.2010
22.10.2010	16.12.2010	28.12.2010	24.01.2011	30.03.2011

4.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI S ANANTHAN Shareholder Director - Chartered Accountant	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	10	10
2.	SMT SHUBHALAKSHMI A PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	10	10
3.	SHRI K VENKATAPPA* Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 29.07.2010	4	4
4.	SHRI G.B.SINGH ** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 30.09.2010	5	3
5.	SHRI ASHOK KUMAR.I.A.S. *** Shareholder Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	4	3
6.	SMT SUMA VARMA **** Non Executive Director	MEMBER	31.07.2010 - 31.03.2011	6	6
7.	SHRI L K MEENA# Non Executive Director	MEMBER	03.11.2010 - 31.03.2011	4	4
8.	SHRI B IBRAHIM ## Non Executive Director	MEMBER	01.09.2010 - 31.03.2011	6	6

* Shri K Venkatappa ceased to be member w.e.f. 29.07.2010 on his retirement from the Board.
** Shri G B Singh ceased to be member w.e.f. 30.09.2010 on his retirement from Board.
*** Shri Ashok Kumar, IAS (Rtd) was a member of the committee from 01.04.2010 to 22.08.2010.
**** Smt Suma Varma was nominated as a member of the committee w.e.f. 31.07.2010.
# Shri L K Meena was nominated as a member of the committee w.e.f. 03.11.2010.
Shri B Ibrahim was nominated as a member of the committee w.e.f. 01.09.2010.

4.3 Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Shareholder's/Investors' Committee has been constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee met **4** times during the year under review on the following dates.

04.06.2010	31.08.2010	27.11.2010	24.01.2011

4.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Shareholders'/Investors' Grievances Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during The Period of their tenure	Meeting Attended
1.	SHRI S.ANANTHAN Non Executive Director	CHAIRMAN	31.08.2010 - 31.03.2011	3	3
2.	SMT SHUBHALAKSHMI PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
3.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 30.08.2010	1	1
4.	SHRI NISHANK KUMAR JAIN* Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 02.01.2011	2	2
5.	SHRI ASHOK KUMAR IAS(RTD) Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	4	3
6.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 30.08.2010	1	-
7.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY *** Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	3	1
8.	SHRI RANJAN SHETTY **** Non Executive Director	MEMBER	03.01.2011 - 31.03.2011	1	1
9.	SHRI S ANANTHAN Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 30.08.2010	1	1

* Shri Nishank Kumar Jain was a member of the committee from 31.08.2010 to 02.01.2011.

** Shri Sridhar Cherukuri was a member of the committee from 01.04.2010 to 30.08.2010.

*** Shri Ashok Kumar Shetty was a Chairman of the Committee during the period 01.04.2010 to 30.08.2010.

*** Shri Ranjan Shetty has become a member of the committee w.e.f. 03.01.2011.

Shri K.Gopalakrishnan Nair, Company Secretary has been functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies and for monitoring the share transfer process etc.

4.4. Share Transfer Committee:

Besides the Directors' sub committee on Share holders/ Investors' Grievances, the Bank constituted a Share Transfer Committee of Directors with Chairman and Managing Director or Executive Director (in the absence of CMD) and two non-official Directors as its members. The committee meets at least once in a fortnight with a view to effect speedy

transfer of Shares. The Committee met 17 times during the period under review with details as under. Further, some of the share transfers were approved by agendas sent to the Committee members by circulation, which were subsequently approved and ratified in the regular meetings.

19.04.2010	29.04.2010	19.05.2010	05.06.2010	25.06.2010
08.07.2010	22.07.2010	28.07.2010	16.08.2010	31.08.2010
25.09.2010	22.10.2010	27.11.2010	29.12.2010	24.01.2011
22.02.2011	30.03.2011			

4.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman &Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	17	17
2.	SHRI P.SHANTHARAM SHETTY* Workmen- Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.10.2010	3	3
3.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	17	7
4.	SHRI RANJAN SHETTY** Officer-Employee Director	MEMBER	01.04.2010 - 30.08.2010	9	9
5.	SHRI SURESH KAMATH *** Workmen-Director	MEMBER	02.11.2010 - 31.03.2011	5	5

* Shri P. Shantharam Shetty was a member of the committee from 31.08.2010 to 01.11.2010.

** Shri Ranjan Shetty was a member of the committee 01.04.2010 to 30.08.2010.

*** Shri Suresh Kamath has become a member of the committee w.e.f. 02.11.2010.

4.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank.

Functions of the Committee

1. To devise the Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effeciveness of all systems used to calculate risk.

The Committee met **7** times during the period under review with details as under.

19.04.2010	19.05.2010	21.07.2010	18.09.2010	09.11.2010	13.01.2011	07.03.2011

4.5.1. Details of Attendancse of the Directors at the Risk Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	7	7
2.	SMT. SHUBHALAKSHMI A PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	7	7
3.	SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 29.07.2010	3	3
4.	SMT SUMA VARMA # Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 30.11.2010	2	2
5.	SHRI RANJAN SHETTY #1 Officer Employee Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	4	4
6.	SHRI.NISHANK KUMAR JAIN #2 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	3	3
7.	SHRI ASHOK KUMAR IAS (Retd) #3 Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	4	3
8.	SHRI S ANANTHAN #4 Non Executive Director	MEMBER	29.12.2010 - 31.03.2011	2	1
9.	SHRI SHANTHARAM SHETTY #5 Workmen- Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	3	3

Smt Suma Varma was a member of the committee during 31.08.2010 to 30.11.2010

#1 Shri Ranjan Shetty has become a member of the committee w.e.f. 31.08.2010.

#2 Shri N K Jain was a member of the committee during 01.04.2010 to 22.08.2010.

#3 Shri Ashok Kumar has become a member of the committee w.e.f. 31.08.2010 .

#4 Shri Ananthan has become a member of the committee w.e.f. 29.12.2010 .

#5 Shri Shantharam shetty was a member of the committee during 01.04.2010 to 31.07.2010.

4.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of rupees one crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The Committee met **5** times during the period under review as under:

29.04.2010	31.08.2010	29.12.2010	07.03.2011	30.03.2011

4.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
2.	SMT.SHUBHALAKSHMI A PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
3.	SHRI ASHOK KUMAR IAS (Retd) * Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
4.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY ** Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	4	4
5.	SHRI RANJAN SHETTY*** Officer –Employee Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1
6.	SHRI B IBRAHIM**** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 22.08.2010	1	1
7.	SHRI. SRIDHAR CHERUKURI #1 Non Executive Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	4	2
8.	SHRI SURESH KAMATH #2 Workmen- Director	MEMBER	02.11.2010 - 31.03.2011	3	3
9.	SHRI SHANTHARAM SHETTY #3 Workmen-Director	MEMBER	31.08.2010 - 01.11.2010	1	1

* Shri Ashok Kumar was a member of the committee during 01.04.2010 to 22.08.2010.

** Shri Ashok Kumar Shetty has become a member of the committee w.e.f. 31.08.2010.

*** Shri Ranjan Shetty was a member of the committee during 01.04.2010 to 22.08.2010.

**** Shri B Ibrahim was a member of the committee from 01.04.2010 to 22.08.2010

#1 Shri Sridhar Cherukuri has become a member of the committee w.e.f. 31.08.2010.

#2 Shri Suresh Kamath has become a member of the committee w.e.f. 02.11.2010.

#3 Shri Shantharam Shetty was a member of the committee during 31.08.2010 to 01.11.2010

4.7. Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer Services;
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service; and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee met **5** times during the period under review as under:

19.05.2010	28.07.2010	18.09.2010	29.12.2010	07.03.2011

4.7.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
2.	SMT SHUBHALAKSHMI A PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
3.	SHRI K.VENKATAPPA * Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 29.07.2010	2	2
4.	SMT.SUMA VARMA Non Executive Director	MEMBER	30.7.2010 - 30.11.2010	1	1
5.	SHRI B.T. RUDRAPPA Representative of customers	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	5	5
6.	SHRI RANJAN SHETTY** Officer - Employee Director	MEMBER	31.08.2010 - 31.03.2011	3	3
7.	SHRI B IBRAHIM*** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.08.2010	2	2
8.	SHRI ASHOK KUMAR SHETTY**** Shareholder - Director	MEMBER	01.01.2011 - 31.03.2011	1	1

* Shri K Venkatappa ceased to be member of the committee w.e.f. 29.07.2010 on retirement from Board.
** Shri Ranjan Shetty has become a member of the committee w.e.f. 31.08.2010.
*** Shri B Ibrahim was a member of the committee during 01.04.2010 to 31.08.2010.
**** Shri Ashok Kumar Shetty became member of the committee from 01.01.2011.

4.8. Directors Promotion Committee

A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-V and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of Top Executives (Scale VII) of the Bank.

It was constituted for the purpose of review and retirement of officer employees on or at any time after the completion of 55 years of age or at any time after completion of 30 years of total service. The membership comprises of CMD, Executive Director, Government Director and the RBI Nominee Director.

The Committee met **4** times during the period under review as under:

30.04.2010	31.08.2010	27.11.2010	30.03.2011

4.8.1. Details of Attendance of the Directors at the Directors Promotion Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
2.	SMT SHUBHALAKSHMI PANSE Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	4	4
3.	SHRI G.B. SINGH * Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 30.09.2010	2	1
4.	SHRI L K MEENA ** Non Executive Director	MEMBER	29.10.2010 - 31.03.2011	2	2
5.	SHRI K. VENKATAPPA *** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 29.07.2010	1	1
6.	SMT SUMA VARMA **** Non Executive Director	MEMBER	30.07.2010 - 31.03.2011	3	3

Besides the above four quarterly meetings, the Committee met twice on 12.06.2010 and 28.12.2010 for effecting promotion to Top Executive Scale VII during the year, where the Chairman & Managing Director, Government Nominee Director and RBI Director are members of the Committee.

* Shri G B Singh ceased to be member of the on his retirement from Board w.e.f. 30.09.2010.
** Shri L K Meena has become a member of the committee w.e.f. 29.10.2010.
*** Shri K Venkatappa ceased to member of the commi:tee on his retirement from Board w.e.f.29.07.2010
**** Smt Suma Varma has become member of the committee w.e.f. 30.07.2010.

4.9. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Directors is paid as per Government of Irdia guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007,Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration Committee on 30.07.2007.The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives towhole time Directors, viz., Chairman & Managing Director and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31st March of the relevant year.

The details of remuneration including performance linked incentive paid to CMD and ED during the year 2010-2011 as detailed below:

Particulars	Sri Albert Tauro(CMD)	Smt Shubhalakshmi (ED)	Sri S C Kalia (Ex-ED)
Salary *	₹ 20,87,200.00	₹ 13,51,547.50	₹ 3,51,000.00
Allowances	----	----	----
Contribution to P.F	₹ 96,000.00	₹ 79,755.00	----
Others (LFC,etc)	₹ 99,196.00	----	----
Other Perquisities	₹ 19,584.00	₹ 18,888.00	----
Total	₹ 23,01,980.00	₹ 14,50,190.50	₹ 3,51,000.00
Stock Option	----	----	----

* Includes Performance linked incentive as follows :

1. Sri Albert Tauro (CMD) - ₹ 7.00 Lakh
2. Smt Shubhalakshmi Panse (ED) - ₹ 1.99 Lakh
3. Sri S C Kalia (Former ED) - ₹ 3.51 Lakh

The non-executive/independent Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India.

The Committee met on 25.09.2010 during the period under review.

4.9.1. Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI G B SINGH Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 30.09.2010	1	1
2.	SMT SUMA VARMA Non Executive Director	MEMBER	30.07.2010 - 31.03.2011	1	1
3.	SHRI B IBRAHIM Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	1	1
4.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 31.03.2011	1	-

4.10. NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001/2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the persons to be elected as directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of the following members:

1. Government Nominee Director	:	Chairman of the Committee
2. RBI Nominee Director	:	Member
3. Non-Official Director	:	Member

The Committee met once during the period under review on 25.09.2010 and found that the persons elected as directors fulfill the 'fit & proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

4.10.1. Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	SHRI G.B.SINGH Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2010 - 30.09.2010	1	1
2.	SMT SUMA VARMA Non Executive Director	MEMBER	30.07.2010 - 31.03.2011	1	1
3.	SHRI NISHANK KUMAR JAIN Non Executive Director	MEMBER	01.04.2010 - 02.01.2011	1	1
4.	SHRI SRIDHAR CHERUKURI Non Executive Director	MEMBER	03.01.2011 - 31.03.2011	-	-

4.11 COMMITTEE TO SETTLE ELECTION DISPUTES

A Special Committee was formed in terms of Clause (b) & (c) of Subsection (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. As per this Clause the Committee consists of the following members:

1. Chairman and Managing Director	:	Chairman of the Committee
2. Government Nominee Director	:	Member
3. RBI Nominee Director	:	Member

During the year no meeting of the committee was held as there was no dispute to be settled.

Particulars of Shareholdings of Non-Executive/Shareholder Directors:

Name of Director	Number of shares held
1. Shri Ashok Kumar Shetty	3,900
2. Shri Ashok Kumar IAS (Retd)	100
3. Shri S. Ananthan	1,200

5. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/ top management personnel on an annual basis for compliance of the same.

6. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Body Meeting held are furnished below:

DATE	TIME	VENUE
25.07.2008	10.15 A.M.	MULKI SUNDERRAM SHETTY AUDITORIUM VIJAYA BANK M.G. ROAD BANGALORE.
10.07.2009	10.15 A.M.	
09.07.2010	3.00 P.M	

The following Directors were present during the Tenth Annual General Body Meeting. There was no special resolution passed in this meeting.

1. Shri Albert Tauro	-	Chairman & Managing Director
2. Smt Subhalakshmi Panse	-	Executive Director
3. Shri Ananthan	-	Share holder Director
4. Shri Ashok Kumar, IAS (Retd)	-	Shareholder Director
5. Shri Ashok Kumar Shetty	-	Shareholder Director
6. Shri Nishank Kumar Jain	-	Non Official Director
7. Shri Ranjan Shetty	-	Officer-Employee Director
8. Shri B Ibrahim	-	Non Official Director

Shri R S Bora, Section Officer, Ministry of Finance, was present at the meeting as an observer, representing the Government of India, Ministry of Finance.

Extra Ordinary General Meeting

During the year 2010-2011 an Extra Ordinary Meeting of the Shareholders of the Bank was held on 22.03.2011 at Mulki Sunderram Shetty Auditorium at Vijaya Bank, HO, Bangalore for obtaining Shareholders' approval for preferential issue of 3,91,48,936 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 84 per share (i.e total issue price of ₹ 94 per share) against the infusion of ₹ 367,99,99,984/- into the Tier 1 Capital of the Bank.

The following Directors were present during the Extra Ordinary General Body Meeting.

1. Shri Albert Tauro	-	Chairman & Managing Director
2. Smt. Subhalakshmi Panse	-	Executive Director
3. Shri. Ananthan	-	Share holder Director
4. Shri Ashok Kumar, IAS (Retd)	-	Shareholder Director
5. Shri Ashok Kumar Shetty	-	Shareholder Director
6. Shri Ranjan Shetty	-	Officer-Employee Director.
7. Shri B Ibrahim	-	Non Official Director

Shri Anil Kumar, Section Officer, Ministry of Finance, was present at the meeting as an Observer, representing the Government of India, Ministry of Finance.

7. SHARE TRANSFER SYSTEM & REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES:

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of Shares is duly effected within the period of one month from the date of their lodgement. The Board has constituted Investors' Grievances Committee and Share Transfer Committee to redress shareholders grievances, to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides confirming transfer of Shares.

The Bank appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Transfer Agent whose duty is to process Share transfers, dividend payments, recording of Shareholders' requests and resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

M/s Link Intime India Private Limited
(Unit: Vijaya Bank)
C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
L.B.S.Road, Bhandup (West)
MUMBAI-4000078
Tel: (022) 25963838, 25946970-78
Fax: (022) 25946969
E-mail: mumbai@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bangalore at the following address:

General Manager,
Board Secretariat (Shares Division)
Vijaya Bank, Head Office,
41/2, M.G.Road,
Bangalore – 560 001
Karnataka.

Telephone	:	080 25594737. 080 25584066 Extn.271 or Extn.514
Fax	:	080 25594737.
e-mail	:	sdigc@vijayabank.co.in
website	:	www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The Transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, is processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the Share Transfer Committee of the Board for approval. The Meeting of the share Transfer Committee is held on fortnightly basis for this purpose. After getting the approval from the Share Transfer Committee, M/s Link Intime India Private Limited, effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfer of Shares is duly effected within the period of one month from the date of their lodgement.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2010-2011 and pending as on 31.03.2011 are as follows:

	Pending As on 01.04.2010	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2011
a) No. of Requests	NIL	4217	4217	NIL
b) No. of Complaints	NIL	2488	2488	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2011, no share transfer requests were pending at our end.

8. DISCLOSURE, COMMUNICATION AND RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities during the financial year 2010-11. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

Information relating to bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's statement, the Directors Report, audited accounts, cash flow statements and consolidated accounts etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in News Papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.vijayabank.com.

During the year the quarterly/ half yearly/ annual results of the bank, were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2010	Business Standard & Economic Times	Udayavani	01.05.2010
Quarter ended June 2010	Business Standard & Economic Times	Udayavani	23.07.2010
Half year ended September 2010	Business Standard & Deccan Herald	Udayavani	23.10.2010
Quarter ended December 2010	Business Standard & Financial express	Udayavani	25.01.2011

9. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

9.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.1	A non-executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.2	The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly Financial Results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.
9.2.3	Postal Ballot	The Bank has not taken up for consideration any of the critical matters, which require to be decided by postal ballot.

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bangalore. The Bank has its presence in all parts of the country with 1,200 network of Branches as on 31.03.2011. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1) **Bombay Stock Exchange Limited**
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE CODE : 532401

2) **National Stock Exchange of India Ltd.**
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051
NSE CODE : Vijaya Bank EQ AE BE BT

3) **Banglore Stock Exchange Limited**
P.B.No.27024,
No.51, Stock Exchange Towers,
1st cross, J.C.Road,
Banglore-560027

The annual listing fee to the stock exchanges for the year 2010-11 have been paid within prescribed due dates.

10.1 Dematerialisation of Securities:

Dematerialisation of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Demated with National Securities Depository Ltd. and Central Depository of Securities Ltd. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialized Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at three Stock Exchanges.

Bank has complied with SEBI requirements with regard to audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practising Company Secretary.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Equity shareholders as of 31.03.2011 are as under:

	No of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
DEMAT			
President of India	1	23,35,17,800	49.41
Others in NSDL	1,48,689	15,08,19,427	31.91
Others in CDSL	61,396	2,24,72,703	4.75
Total	**2,10,086**	**40,68,09,930**	**86.07**
PHYSICAL President of India	1	3,91,48,936	8.28
OTHERS	79494	2,67,07,870	5.65
Grand Total	**2,89,581**	**47,26,66,736**	**100**

10.2 Electronic Clearing Services (ECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc., where the amount due to investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders to avail the NECS facility at all centres identified by RBI.

The NECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent. The option to receive dividend through NECS may be discontinued at any time at the instance of the Shareholder.

Dividend paid by the Bank during the year 2010-2011:

During the year 2010-11, Bank paid a dividend of 25% to the shareholders pertaining to the financial year 2009-10. The dividend was recommended by the Board of Directors of the Bank in its Board Meeting held on 30.04.2010 and the same was declared by the shareholders in the Tenth Annual General Meeting held on 09.07.2010. Book closure for the purpose of AGM and payment of Final Dividend for the year 2009-10 was fixed from 06.07.2010 to 09.07.2010. All the Dividend Warrants were dispatched/ECS credit was effected by 09.08.2010.

10.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking)Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorised Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorised Capital shall not exceed three thousand crore shall not or be less than one thousand five hundred crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorised Capital of the Bank from ₹ 1500 crore to ₹ 3000 crore. Accordingly Capital of the Bank at present is ₹ 3000 crore divided into 300 crore fully paid shares of ₹ 10 each.

Government of India holds 57.69% Equity Share Capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The Government of India infused an additional equity of ₹ 367,99,99,984 against preferential issue of 391,48,936 shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 84 (i.e total issue price of ₹ 94 per share) and Bank made the allotment of the said shares on 28.03.2011. Accordingly the present Paid up Capital of the Bank is as follows:

	(₹ crore)
Authorised Capital:	
300 crore Shares of ₹ 10 each	₹ 3000.00
Paid up Capital:	
120 crore Perpectual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10 each	₹ 1200.00
47, 26, 66,736 Equity Shares of ₹ 10 each	₹ 472.67
Total Paid up Capital	₹ 1672.67

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2011

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters - Indian Promoters (Govt. of India) - Foreign Promoters	27,26,66,736 -	57.69 -
2	Persons Acting In Concert	-	-
	Sub –Total	**27,26,66,736**	**57.69**
B	**Non – Promoters Holding**		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	14,86,449	0.31
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/State Institutions/Non – Government Institutions)	5,01,75,613	10.61
	c) FIIs/FMFs	3,74,82,860	7.93
	Sub – Total	**8,91,44,922**	**18.85**
C	**Others**		
	a) Private Corporate Bodies	1,54,30,397	3.26
	b) Indian Public	9,12,92,539	19.32
	c) NRIs / OCBs	26,25,300	0.56
	d) Any Other (Clg Member & Market Maker)	15,06,742	0.32
	e) Foreign Nationals	100	0
	Sub – Total	**11,08,55,078**	**23.46**
	GRAND TOTAL	**47,26,66,736**	**100.00**

Table 2: Total Foreign shareholding as on 31.03.2011

Sl. No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	----- Nil -----	----- Nil -----
2	Foreign Promoters	----- Nil -----	----- Nil -----
3	Foreign Institutional Investors	3,31,26,109	7.00
4	Foreign Mutual Funds	43,56,751	0.93
5	NRIs	26,25,300	0.56
6	Foreign Banks	----- Nil -----	----- Nil -----
7	Foreign National	100	0.00
	Total	**4,01,08,260**	**8.49**

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2011.

Sl. No.	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	27,26,66,736	57.69	Indian promoter
2	LIC of India	1,76,67,005	3.74	Govt. Sponsored Financial Institution
3	LIC of India Money Plus	1,23,45,725	2.61	Govt. Sponsored Financial Institution

10.4 Whistle Blower Policy:

Bank reiterated time and again through internal circulars, that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints/ suggestions / grievances through proper channel.

In case of urgency/exigency it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is in the interest of the organization and needs to be checked/rectified

10.5 Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on for NSE and BSE for the period April 2010 to March 2011 are as follows:

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)						
Month	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April 2010	54.75	47.50	**53.65**	30.04.2010	61612866	5278.00
May 2010	59.35	52.45	**58.95**	31.05.2010	103091417	5086.30
June 2010	65.90	57.00	**64.55**	30.06.2010	111515704	5312.50
July 2010	73.00	60.20	**72.50**	30.07.2010	79209450	5367.60
August 2010	87.85	72.80	**78.95**	31.08.2010	105591595	5402.40
September 2010	87.50	79.00	**81.50**	30.09.2010	73791131	6029.95
October 2010	113.85	81.90	**106.75**	29.10.2010	251110347	6017.70
November 2010	115.35	87.25	**96.20**	30.11.2010	87175628	5862.70
December 2010	114.50	86.65	**101.80**	31.12.2010	84763811	6134.50
January 2011	103.50	88.25	**90.65**	31.01.2011	57669195	5505.90
February 2011	91.50	73.60	**75.80**	28.02.2011	48819791	5333.25
March 2011	81.80	70.20	**79.45**	31.03.2011	48427648	5833.75

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED (BSE)						
Month	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	BSE SENSEX
April 2010	54.75	47.60	**53.65**	30.04.2010	11676550	17558.71
May 2010	59.35	52.20	**59.05**	31.05.2010	22670682	16944.63
June 2010	65.95	57.80	**64.55**	30.06.2010	23761848	17700.90
July 2010	73.00	60.50	**72.50**	30.07.2010	17406668	17868.29
August 2010	87.95	72.70	**79.00**	31.08.2010	23883779	17971.12
September 2010	86.45	79.10	**81.50**	30.09.2010	11106746	20069.12
October 2010	114.00	82.25	**106.45**	29.10.2010	32085609	20032.34
November 2010	115.35	87.25	**96.15**	30.11.2010	14963963	19521.25
December 2010	108.00	86.70	**101.75**	31.12.2010	14486411	20509.09
January 2011	103.70	88.15	**90.60**	31.01.2011	9041362	18327.76
February 2011	91.90	73.80	**75.75**	28.02.2011	8679351	17823.40
March 2011	81.55	70.50	**79.35**	31.03.2011	7881530	19445.22

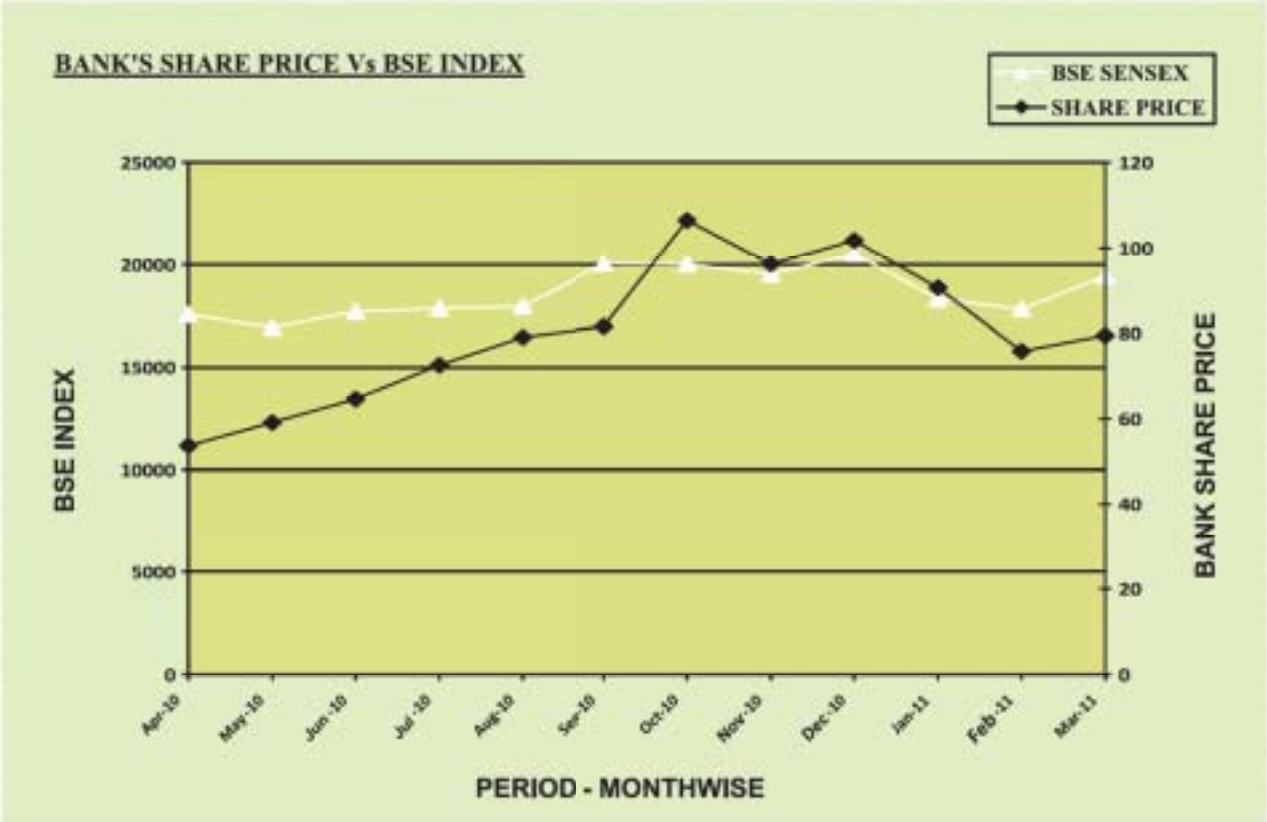

10.6. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2011

Shareholding of Nominal value ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	₹	Percentage
Up to 2500	215276	74.34	235736190	4.99
2501 to 5000	40425	13.96	167685800	3.55
5001 to 10000	23395	8.08	202553980	4.28
10001 to 20000	6707	2.32	101998260	2.16
20001 to 30000	1367	0.47	34995750	0.74
30001 to 40000	696	0.24	25546450	0.54
40001 to 50000	439	0.15	20857620	0.44
50001 to 100000	632	0.22	46428270	0.98
100001 and above	644	0.22	3890865040	82.32
TOTAL	**289581**	**100**	**472,66,67,360**	**100.00**

H.S. Upendra Kamath
Chairman & Managing Director

Shubhalakshmi Panse
Executive Director

L. K Meena
Director

Smt Suma Varma
Director

Suresh Kamath
Director

Ranjan Shetty
Director

Sridhar Cherukuri
Director

Ashok Kumar Shetty
Director

Ashok Kumar
Director

S. Ananthan
Director

B. Ibrahim
Director

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by VIJAYA BANK for the year ended on 31st March 2011, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stpulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders'/Investors' Grievances Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

M/s R. Bansal & Co Chartered Accountants	**M/s M.P. Chitale & Co** Chartered Accountants	**M/s P. Chandrasekar** Chartered Accountants
(Y.R. Sharma) Partner Membership No. 092691	**(Ulhas Chitale)** Partner Membership No. 032292	**(Lakshmy C.)** Partner Membership No. 028508
M/s Contractor, Nayak & Kishnadwala	**M/s S Viswanathan**	**M/s Rao Associates**
G.S. Nayak Partner Membership No. 038127	**Chella K Raghavendran** Partner Membership No. 208562	**G. Sudhindra** Partner Membership No. 26171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2011

PARTICULARS	Schedule No.	As on 31.03.2011	[₹ 000's omitted] As on 31.03.2010
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**1672 66 68**	933 51 78
Reserves and Surplus	2	**3144 33 43**	2541 63 30
Deposits	3	**73248 31 90**	61931 74 55
Borrowings	4	**2025 37 35**	1938 56 15
Other Liabilities and Provisions	5	**1599 92 12**	2861 58 31
TOTAL		**81690 61 48**	70207 04 09
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	**4881 83 86**	4099 57 69
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**541 72 99**	1449 67 78
Investments	8	**25138 57 74**	21107 44 64
Advances	9	**48718 62 65**	41506 67 54
Fixed Assets	10	**485 99 37**	493 16 14
Other Assets	11	**1923 84 87**	1550 50 30
TOTAL		**81690 61 48**	70207 04 09
Contingent Liabilities	12	**13992 66 88**	10764 81 61
Bills for Collection		**1396 42 18**	1185 37 77
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

H.S. UPENDRA KAMATH CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**SUMA VARMA** DIRECTOR	**L.K. MEENA** DIRECTOR
SURESH KAMATH DIRECTOR	**RANJAN SHETTY** DIRECTOR	**SRIDHAR CHERUKURI** DIRECTOR	**S. ANANTHAN** DIRECTOR
ASHOK KUMAR DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**K. CHANDRA** GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[Y.R. SHARMA]** Partner Membership No: 092691	**For M/s M.P. CHITALE & CO** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No: 032292	**For M/s P. CHANDRASHEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No: 028508
For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA Chartered Accountants Registration No: 101961W **[G.S. NAYAK]** Partner Membership No:038127	**For M/s S. VISWANATHAN** Chartered Accountants Registration No: 004770S **[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]** Partner Membership No:208562	**For M/s RAO ASSOCIATES** Chartered Accountants Registration No: 003080S **[G. SUDHINDRA]** Partner Membership No:026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

[₹ 000's omitted]

	PARTICULARS	Schedule No.	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**5844 06 03**	5200 64 63
	Other Income	14	**533 18 68**	679 45 19
	TOTAL		**6377 24 71**	5880 09 82
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**3897 28 37**	3751 56 60
	Operating Expenses	16	**1433 28 23**	1071 56 77
	Provisions and Contingencies		**522 86 26**	549 66 60
	TOTAL		**5853 42 86**	5372 79 97
III.	**PROFIT / LOSS**			
	Net Profit for the year		**523 81 85**	507 29 85
	Add: Profit brought forward		**853 76 60**	750 46 67
	Add: Transfer from General Reserve		**33**	
	TOTAL		**1377 58 78**	1257 76 52
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Statutory Reserve		**130 95 46**	126 82 47
	Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		**40 00 00**	25 00 00
	Transfer to Capital Reserve		**11 54 76**	87 89 87
	Transfer to General Reserve		**0**	2 37 89
	Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		**137 33 63**	126 79 86
	Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		**94 78 58**	35 09 85
	Balance carried forward to Balance Sheet		**962 96 35**	853 76 58
	TOTAL		**1377 58 78**	1257 76 52
	Earnings Per Share - Basic (In ₹)		**9.89**	11.70
	- Diluted (In ₹)		**9.89**	11.70
	Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		

Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

H.S. UPENDRA KAMATH CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**SUMA VARMA** DIRECTOR	**L.K. MEENA** DIRECTOR
SURESH KAMATH DIRECTOR	**RANJAN SHETTY** DIRECTOR	**SRIDHAR CHERUKURI** DIRECTOR	**S. ANANTHAN** DIRECTOR
ASHOK KUMAR DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**K. CHANDRA** GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 002736N
[Y.R. SHARMA]
Partner
Membership No: 092691

For M/s M.P. CHITALE & CO.,
Chartered Accountants
Registration No: 101851W
[ULHAS CHITALE]
Partner
Membership No: 032292

For M/s P. CHANDRASHEKAR
Chartered Accountants
Registration No: 000580S
[LAKSHMY C.]
Partner
Membership No:028508

For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA
Chartered Accountants
Registration No: 101961W
[G.S. NAYAK]
Partner
Membership No: 038127

For M/s. S. VISWANATHAN
Chartered Accountants
Registration No: 004770S
[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]
Partner
Membership No: 208562

For M/s RAO ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 003080S
[G. SUDHINDRA]
Partner
Membership No: 026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
SCHEDULE - 1 :		
CAPITAL		
AUTHORISED CAPITAL	**3000 00 00**	3000 00 00
300,00,00,000 Shares of ₹ 10/- each		
ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL		
47,26,66,736 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 43,35,17,800 Equity shares of ₹ 10/- each)	**472 66 68**	433 51 78
120,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10/- each	**1200 00 00**	500 00 00
PAID UP CAPITAL		
(a) Held by Central Government 27,26,66,736 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 23,35,17,800 Equity shares of ₹ 10/- each)	**272 66 68**	233 51 78
(b) Held by the Public and Others 20,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	**200 00 00**	200 00 00
(c) Held by Central Government 120,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10/- each (Previous year 50,00,00,000 perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10/- each) at annual floating coupon to be benchmark to repo rate with a spread of 100 basis points to be readjusted annually based on prevailing repo rate on the relevant date.	**1200 00 00**	500 00 00
TOTAL	**1672 66 68**	933 51 78
(3,91,48,936 shares alloted on preferential basis to Govt of India on 28.03.2011 at a price of ₹ 94/-, (face value ₹ 10/- at premium of ₹ 84/-)		
SCHEDULE - 2 :		
RESERVES AND SURPLUS		
1. STATUTORY RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**811 13 63**	684 31 16
Add : Additions during the year	**130 95 46**	126 82 47
TOTAL	**942 09 09**	811 13 63
II. CAPITAL RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**249 50 11**	161 60 24
Add : Additions during the year	**11 54 75**	87 89 87
TOTAL	**261 04 86**	249 50 11
III. SHARE PREMIUM		
Balance as per last Balance Sheet	**140 00 00**	140 00 00
Add : Additions during the year	**328 85 12**	0
TOTAL	**468 85 12**	140 00 00
IV. REVALUATION RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**311 67 72**	331 22 28
Add : Additions during the year	**-**	-
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	**17 84 62**	19 54 56
TOTAL	**293 83 10**	311 67 72

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
V. REVENUE AND OTHER RESERVES		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	**162 72 74**	137 72 74
Add : Additions during the year	**40 00 00**	25 00 00
TOTAL	**202 72 74**	162 72 74
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	**12 82 50**	10 44 62
Add/(Less) : Transfer during the Year	**(33)**	2 37 88
TOTAL	**12 82 17**	12 82 50
[c] Balance in Profit & Loss Account	**962 96 35**	853 76 60
TOTAL	**962 96 35**	853 76 60
TOTAL [a+b+c]	**1178 51 26**	1029 31 84
TOTAL { I+II+III+IV+V}	**3144 33 43**	2541 63 30
SCHEDULE - 3 :		
DEPOSITS		
DEPOSITS IN INDIA		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**16 02 23**	19 53 59
ii) From Others	**5149 65 42**	4504 10 24
II. Savings Bank Deposits	**13329 95 69**	10721 02 41
III. Term Deposits		
i) From Banks	**50 51 11**	73 34 78
ii) From Others	**54702 17 45**	46613 73 53
TOTAL	**73248 31 90**	61931 74 55
SCHEDULE - 4 :		
BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	**100 00 00**	-
ii) Other Banks	**56**	0
iii) Other Institutions & Agencies	**313 24 29**	187 35 65

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
SCHEDULE - 4 : (Contd..)		
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds raised as Tier- II Capital		
1) 7.5 Year Bonds 2010 @ 7.50%	**0**	150 00 00
2) 10 Years & 3 months Bonds 2015 @ 7.15%	**250 00 00**	250 00 00
3) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	**250 00 00**	250 00 00
4) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	**300 00 00**	300 00 00
5) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	**200 00 00**	200 00 00
6) 10 Years & 4 Months Bonds 2018 - 9.35%	**200 00 00**	200 00 00
7) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	**300 00 00**	300 00 00
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**112 12 50**	101 20 50
TOTAL	**2025 37 35**	1938 56 15
SCHEDULE - 5 :		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
(i) Bill Payable	**362 83 78**	996 82 92
(ii) Interest Accrued	**446 75 23**	285 63 21
(iii) VRS Bonds @ 11%	**0**	0
(iv) Provision against standard assets *	**223 40 53**	223 40 53
(v) Provision against Restructured Advances sub-standard	**0**	
(vi) Others [including Provisions]	**563 22 73**	1355 71 65
(vii) Inter Office Adjustments [net]	**3 69 85**	0
TOTAL	**1599 92 12**	2861 58 31
SCHEDULE - 6		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	**246 58 61**	213 49 98
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**4599 47 22**	3849 99 52
III. Balances with Reserve Bank of India in Other Accounts	**35 78 03**	36 08 19
TOTAL	**4881 83 86**	4099 57 69
SCHEDULE - 7 :		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**102 01 45**	111 75 15
b) in Other Deposit Accounts	**75 03 30**	64 70
II. Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	**1 99 76 02**	11 99 19 16
b) with Other Institutions		
TOTAL	**376 80 77**	1311 59 01

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
SCHEDULE - 7 : (Contd..)		
II. OUTSIDE INDIA *		
a) in Current Accounts	**0**	129 47 40
b) in Other Deposit Accounts	**164 92 22**	8 61 37
TOTAL	**164 92 22**	138 08 77
TOTAL {I+II}	**541 72 99**	1449 67 78
* Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
SCHEDULE - 8 :		
INVESTMENTS		
INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]	**25382 98 74**	23123 09 64
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	**244 41 00**	2015 65 00
Net Investments in India	**25138 57 74**	21107 44 64
Break up :		
i) Government Securities	**18294 25 99**	17882 95 53
ii) Other Approved Securities	**13 19 30**	18 85 29
iii) Shares	**314 38 95**	195 76 55
iv) Debentures & Bonds	**1263 00 49**	1014 46 25
v) Investments in Associates (on Equity Method)	**3 92 17**	3 96 39
vi) Others (Units, Kissan/Indira Vikas Patra, NABARD- RIDF, PSU Deposits)	**5249 80 84**	1991 44 63
TOTAL	**25138 57 74**	21107 44 64
SCHEDULE - 9 :		
ADVANCES		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	**1159 59 40**	1233 44 92
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	**21158 14 46**	18147 14 02
iii) Term Loans	**26395 67 31**	22041 56 06
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**5 21 48**	84 52 54
TOTAL	**48718 62 65**	41506 67 54
[B] i) Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]	**34073 82 22**	27348 80 28
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**2411 51 26**	3133 47 05
iii) Unsecured	**12228 07 69**	10939 87 72
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**5 21 48**	84 52 54
TOTAL	**48718 62 65**	41506 67 59
[C] Advances in India		
i) Priority Sector	**14361 89 04**	14407 08 80
ii) Public Sector	**15542 25 05**	9495 28 45
iii) Banks	**81 41 79**	44 87 06
iv) Others	**18727 85 29**	17474 90 69
v) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008	**5 21 48**	84 52 54
TOTAL	**48718 62 65**	41506 67 54

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
SCHEDULE - 10 :	**31.03.2011**	31.03.2010		
FIXED ASSETS				
I. PREMISES				
Gross Block [at cost/re-valued amount]				
As per last Balance Sheet	577 51 51	566 28 10		
Additions during the year*	**0**	11 23 41		
Deductions during the year	-	-		
	577 51 51	577 51 51		
*Includes addition of Nil on account of revaluation during the year				
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**205 70 60**	183 38 48		
Add : Depreciation charged during the year	**20 68 31**	22 32 12		
Less : Deduction during the year	-	-		
Depreciation to date - includes on account of revaluation ₹ 162,10,30 thousands				
(Previous year: 142,55,73 thousands)	**226 38 91**	205 70 60		
Written Down Value			**351 12 60**	371 80 91
II. OTHER FIXED ASSETS				
[including Furniture & Fixture]				
Gross Block (at cost)				
As per last Balance Sheet	**431 36 16**	378 43 62		
Additions during the year	**57 75 63**	58 82 89		
	489 11 79	437 26 51		
Deductions during the year	**4 85 53**	5 90 35		
	484 26 26	431 36 16		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**310 00 93**	268 08 78		
Add : Depreciation charged during the year	**43 32 38**	46 15 00		
	353 33 31	314 23 78		
Less : Deduction during the year	**3 93 82**	4 22 85		
Depreciation to date	**349 39 49**	310 00 93		
Written Down Value*			**134 86 77**	121 35 23
* Includes WDV of leased assets amounting to ₹ 10/- (Previous Year ₹ 10/-)				
TOTAL			**485 99 37**	493 16 14

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
SCHEDULE - 11 :		
OTHER ASSETS		
i. Interest accrued	**565 85 17**	458 29 46
ii. Tax paid in Advance / Tax Deducted at Source [net of provision]	**628 96 49**	309 09 48
iii. Deferred Tax Asset (Net)	**65 43 95**	150 38 90
iv. Stationery & Stamps	**1 05 93**	1 12 77
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**7 62**	7 62
vi. Others [net of provision]	**186 00 71**	178 48 22
vii. Unamortisation-Gratuity & Pension	**476 45 00**	
viii. Inter-office adjustments (Net)	**0**	453 03 85
TOTAL	**1923 84 87**	1550 50 30
SCHEDULE - 12 :		
CONTINGENT LIABILITIES		
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**9 48 60**	9 61 91
ii. Liability for Partly Paid Investments	**-**	-
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts	**8480 26 59**	5187 79 95
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India	**3410 20 55**	3023 78 45
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**1281 06 49**	1110 52 67
vi. Other items for which the Bank is contingently liable	**800 29 49**	1429 11 37
vii. Capital contracts remaining to be executed	**11 35 16**	3 97 26
TOTAL	**13992 66 88**	10764 81 61

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
SCHEDULE - 13 :		
INTEREST EARNED		
i. Interest / Discount on advances/bills	**4191 89 50**	3838 51 38
ii. Income on Investments	**1611 01 89**	1281 83 24
iii. Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	**1 25 60**	23 40
iv. Others	**39 89 04**	80 06 61
TOTAL	**5844 06 03**	5200 64 63
SCHEDULE - 14 :		
OTHER INCOME		
i. Commission, Exchange & Brokerage	**85 67 54**	85 19 20
ii. Profit on Sale of Investments	**129 79 82**	289 04 04
Less: Loss on Sale of Investments	**12 32 78**	5 61 16
	117 47 04	283 42 88
iii. Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	-	-
Less: Amortisation of premium on HTM securities	-	-
	-	-
iv. Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	**12 01**	18 53
Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	**27 07**	44 76
	- 15 06	- 26 23
v. Profit on Exchange Transactions	**39 48 41**	42 21 56
Less: Loss on Exchange Transactions	**2 68**	3 67
	39 45 73	42 17 89
vi. Miscellaneous Income	**290 73 43**	268 91 45
TOTAL { i+ii+iii+iv+v+vi }	**533 18 68**	679 45 19
SCHEDULE - 15 :		
INTEREST EXPENDED		
i. Interest on Deposits	**3637 23 50**	3523 98 04
ii. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	**52 81**	95 37
iii. Others	**259 52 06**	226 63 19
TOTAL	**3897 28 37**	3751 56 60

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
SCHEDULE - 16 :				
OPERATING EXPENSES				
i. Payments to and provisions for employees			**1010 44 19**	705 61 51
ii. Rent, Taxes and Lighting			**89 05 22**	78 08 82
iii. Printing & Stationery			**7 99 21**	6 64 93
iv. Advertisement and Publicity			**11 29 59**	5 04 60
	31.03.2011	31.03.2010		
v. Depreciation on Banks' Property	**64 01 42**	68 47 12		
Less: Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	**17 84 62**	19 54 57	**46 16 80**	48 92 55
vi. Directors' Fees, Allowances & Expenses			**55 65**	61 41
vii. Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]			**11 39 11**	13 18 29
viii. Law charges			**63 03**	61 43
ix. Postage, Telegrams, Telephones etc.,			**14 47 66**	12 68 46
x. Repairs and Maintenance			**1 58 45**	1 86 06
xi. Insurance			**62 34 65**	53 35 10
xii. Other Expenditure			**177 34 67**	144 93 61
TOTAL			**1433 28 23**	1071 56 77

H.S. UPENDRA KAMATH
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SHUBHALAKSHMI PANSE
EXECUTIVE DIRECTOR

SUMA VARMA
DIRECTOR

L.K. MEENA
DIRECTOR

SURESH KAMATH
DIRECTOR

RANJAN SHETTY
DIRECTOR

SRIDHAR CHERUKURI
DIRECTOR

S. ANANTHAN
DIRECTOR

ASHOK KUMAR
DIRECTOR

B. IBRAHIM
DIRECTOR

ASHOK KUMAR SHETTY
DIRECTOR

K. CHANDRA
GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 002736N

[Y.R. SHARMA]
Partner
Membership No: 092691

For M/s M.P CHITALE & CO
Chartered Accountants
Registration No: 101851W

[ULHAS CHITALE]
Partner
Membership No: 032292

For M/s P. CHANDRASHEKAR
Chartered Accountants
Registration No: 000580S

[LAKSHMY C.]
Partner
Membership No: 028508

For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA
Chartered Accountants
Registration No: 101961W

[G.S. NAYAK]
Partner
Membership No: 038127

For M/s S. VISWANATHAN
Chartered Accountants
Registration No: 004770S

[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]
Partner
Membership No: 208562

For M/s RAO ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No: 003080S

[G. SUDHINDRA]
Partner
Membership No: 026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2010-11

1) ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis except as otherwise stated and in accordance with Company(Accounting Standard) Rules, 2006 to the extent applicable read with guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the banking industry in India.

The preparation of the financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, expenses and disclosure of contingent liabilities in the financial statements. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revisions to the accounting estimates are recognised prospectively in current and future periods.

2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

I. Transactions other than FCNR/EEFC/RFC Accounts

a) Foreign Currency balances both under assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are evaluated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/loss are included in Profit / Loss Account.

b) Income and expenditure items have been translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.

c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet are valued at the exchange rates prevailing at the year end.

II. Transactions relating to FCNR/EEFC/RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/RFC accounts including interest accrued and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the year end are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant profit / loss is shown as income / loss.

3) INVESTMENTS

I. Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and valuation and are regrouped, shown in balance sheet under the following six groups:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures
f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, NABARD-RIDF, Venture Capital Funds etc.)

II. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

a) Held to Maturity
b) Available for Sale
c) Held for Trading

Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Transfer of securities from one category to another is done at the least of the acquisition cost/book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for and the book value of the security is changed.

III. Valuation

a) Held to Maturity

i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.

ii) In the case of investments in subsidiaries/ joint ventures, any diminution in value, other than temporary, is recognized and provided for each investment individually. Investment in RRB and venture capital fund is valued at carrying cost.

iii) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the "Capital Reserve Account". Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Available for Sale

A	Govt. Securities i) Central Govt Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)
	ii) State Govt Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
B	Securities guaranteed by Central / State Govt. PSU Bonds (Not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA / RBI guidelines.
C	Treasury Bills	At carrying cost
D	Equity Shares	At market price, if quoted, otherwise at break up value of the shares as per latest balance sheet (Not more than one year old) otherwise at ₹ 1/- per Company.
E	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines.
F	Bonds and Debentures (Not in the nature of advance)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity as per RBI/ FIMMDA guidelines.
G	Units of mutual funds	As per Stock Exchange quotation, if quoted; at repurchase price / NAV, if unquoted.
H	Commercial Papers	At carrying cost
I	Security Receipts	At net asset value of the asset declared by the Asset Reconstruction Company.
K	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
L	Other Investments	At carrying cost less diminution value.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for classification. Net depreciation for each classification if any, is provided for while net appreciation is ignored. Provisions on account of depreciation on net basis if found to be in excess, is first taken to Profit & Loss Account and thereafter appropriated to the "Investment Reserve Account" as per the extant RBI guidelines.

IV. Prudential Norms

(a) (i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.

(ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days as on 31.03.2011, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.

(b) Securities not guaranteed by the Central Government/State Governments/Preference shares: Where the Principal/Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days as on 31.03.2011 are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.

(c) In the case of debentures/bonds where principal/ interest is in arrears, provision is made as in the case of advances.

(d) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non Performing Investments.

(e) The depreciation/provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

(f) The equity shares in the Bank's portfolio has been marked to market on periodical basis. Equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the stock exchanges, are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) which is ascertained from the Company's

latest balance sheet (Not more than one year prior to the date of valuation). In case the latest balance sheet is not available the shares are valued at ₹ 1 per company.

(g) In the case of Equity Shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non availability of the quotation or latest balance sheet in accordance with the RBI guidelines, those equity shares would also be reckoned as Non Performing Investment on case to case basis.

4) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

a) **Hedge Swaps:** The interest rate swaps which hedges interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In that case the swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b) **Re-designation of Hedge items:** If a hedge is redesignated from one item of asset/liability to another item of asset/liability, such redesignaion is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of another. On the date of redesignation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the redesignated asset/liability or remaining term of the swap whichever is shorter.

c) **Trading Swaps:** The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

5) FIXED ASSETS/DEPRECIATION

(I) Fixed Assets

(a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost except those which were revalued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under 'Other Assets'.

(II) Depreciation

a) Fixed Assets (other than Computers including software) are depreciated at the rates prescribed under the 'Income Tax Rules' on reducing balance method including on the composite cost of certain properties where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum. Other software expenses treated as intangible assets are amortized at 100% in the current year. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is provided in the year of sale/disposal of fixed assets.

b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account.

6) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per the Guidance Note of the Institute of Chartered Accountants of India and the Accounting Standard 19 as applicable for the respective period. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

7) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

8) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the RBI guidelines.

a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" with 90 days delinquency norms. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/DICGC claims received.

b) Advances include the Bank's participation in/ contributions to Pass Through Certificates (PTCs) and /or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks / financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.

c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised to the Profit and Loss account.

d) Provisions no longer considered necessary in context of the current status of the borrower as a performing asset, are written back to the Profit and Loss account to the extent such provisions were charged to the Profit and Loss account.

e) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".

f) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:

1. **Standard Assets:** 1% of standard advances to Commercial Real Estate Sector, 0.25% of the outstanding advances under direct agriculture & SME Sectors and 0.40% on all other outstanding advances.
2. **Sub Standard Assets:** 10% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 20% of the outstanding balance is made.
3. **Doubtful assets:** 20% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of DICGC scheme and realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/CGSTI Schemes.
4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.

g) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI vide circular dated August 27, 2008 and Master Circular dated July 01, 2010.

The erosion in fair value of the advances is computed as the difference between fair value of the loan before and after restructuring.

Fair value of the loan before restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the existing rate charged on the advance before restructuring and the principal, discounted at a rate equal to the Bank's BPLR as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

Fair value of the loan after restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the rate charged on the advance on restructuring and the principal, discounted at a rate equal to Bank's BPLR as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

The restructured accounts have been classified in accordance with RBI guidelines, including special dispensation wherever allowed.

9) REVENUE RECOGNITION

Income/Expenditure is accounted on accrual basis except in the following cases:

a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Assets accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing Investments, the same accounting treatment as above is followed except on mutually agreed terms.

b) In the case of advances guaranteed by the Central/ State Governments, income is recognized on cash basis if the interest is not realized for more than 90 days.

c) Income from Units of Mutual Funds, Commission on insurance and depositary participants business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, sale of mutual fund products, locker rent, commission on Government business, etc. are accounted on cash/ realisation basis.

d) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.

e) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.

f) Pursuant to revised guidelines issued by the Reserve Bank of India, Savings Bank Deposit Rate of Interest is provided for on Matured Term Deposits and Inoperative Savings Deposits.

g) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/negotiation are accounted during the year of final settlement/ determination.

h) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

i) Premium on insurance policies taken by the Bank in respect of V-Housing Loans is charged in the year of payment.

10) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

a) Provisions for Income Tax & Wealth Tax in accordance with statutory requirements

b) Provision on advances/investments

c) Adjustments to the value of investments

d) Transfers to provisions and contingencies

e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms

f) Other usual and necessary provisions

11) EMPLOYEES' BENEFITS

a) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised).

b) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised).

c) Liability towards leave encashment, privilege leave and sick leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised).

Details are as under:

Short term employee benefits:

Short term employee benefits (benefits which are payable within twelve months after the end of the period in which the employees render service) ie., sick leave is measured as per the actuarial valuation report obtained as of each year end balance sheet date.

Long term employee benefits:

Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which employees render service), and post employment benefits (benefits which are payable after completion of employment), are measured on a discounted basis by the projected Unit Credit Method, on the basis of annual third party actuarial valuations. The bank provides for

the following long term employee benefits as per actuarial valuation:

1. **Leave encashment:** The Bank provides for liability accruing on account of deferred entitlement towards leave encashment in the year in which the employees concerned render their services based on third party actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

2. **Pension:** The Bank provides for liability accruing on account of the employees who have opted for pension based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date. As per IX Bipartite settlement, pension option was re-opened for the employees who were in the service of the Bank as on 27.04.2007. Consequent to this, there was requirement for providing additional contribution to the pension fund. While Reserve Bank of India has permitted amortization of the additional liability due to the existing employees opting for 2nd pension option over of a period of five years, this relaxation was not extended in respect of the additional liability arising out of the retired employees exercising 2nd pension option. The Bank has obtained third party actuarial valuation report as of 31.03.2011 and accordingly made the additional contribution required for the pension fund.

3. **Gratuity**: The Bank provides for gratuity liability based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date. Maximum amount of Gratuity payable to the employees has been increased from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10.00 lacs wef 24.05.2010 by amendment to the Payment of Gratuity Act of 1972. Reserve Bank of India has permitted amortization of the additional burden arising due to increase in the ceiling over a period of five years. The Bank has obtained third party actuarial valuation report as of 31.03.2011 and accordingly made the additional contribution required for the pension fund.

   The pension and gratuity contributions are transferred to self-managed trusts.

12) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act, 1961. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

13) IMPAIRMENTS:

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14) SEGMENT REPORTING:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. **Treasury** includes all investment portfolio, profit / loss on sale of investments, profit/loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.

2. **Corporate/ Wholesale Banking** includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.

3. **Retail Banking** includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.

4. **Other Banking Operations** includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.

15) EARNINGS PER SHARE:

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity

shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

16) CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event if it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

17) OTHERS:

Cash and cash equivalents in the cash flow statement comprise cash and balances with RBI (Schedule 6) and balances with banks and money at call and short notice (Schedule 7).

18) The Bank has followed the same accounting policies as in the previous years subject to regulatory changes, if any.

H.S. UPENDRA KAMATH CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**SUMA VARMA** DIRECTOR	**L.K. MEENA** DIRECTOR
SURESH KAMATH DIRECTOR	**RANJAN SHETTY** DIRECTOR	**SRIDHAR CHERUKURI** DIRECTOR	**S.ANANTHAN** DIRECTOR
ASHOK KUMAR DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**K. CHANDRA** GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[Y.R. SHARMA]** Partner Membership No: 092691	**For M/s M.P. CHITALE & CO** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No: 032292	**For M/s P. CHANDRASHEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No: 028508
For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA Chartered Accountants Registration No: 101961W **[G.S. NAYAK]** Partner Membership No:038127	**For M/s S. VISWANATHAN** Chartered Accountants Registration No: 004770S **[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]** Partner Membership No:208562	**For M/s RAO ASSOCIATES** Chartered Accountants Registration No: 003080S **[G. SUDHINDRA]** Partner Membership No:026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

SCHEDULE – 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2011 in the inter-branch and other accounts has been drawn. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances with foreign banks and Reserve Bank of India, drafts accounts, suspense accounts, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets, etc. is complete upto 31.12.2010 and is under progress for the remaining period. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.

2. In respect of certain premises acquired by the Bank having written down value of ₹ 7.44 crore, (previous year ₹ 8.27 crore) documentation / registration are yet to be completed pending legal or other formalities.

3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches have been adopted.

4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to ₹ 53.78 crore (previous year ₹ 4.14 crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions.

5. No provision has been considered necessary by the Management in respect of disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Further, certain deductions have been considered while working out tax provisions in respect of some claims under Income Tax Act based on the legal opinions obtained.

6. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

i) Capital (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1.	CRAR (%)		
	Basel I	**12.59**	11.79
	Basel II	**13.88**	12.50
2.	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel I	**8.96**	7.28
	Basel II	**9.88**	7.69
3.	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel I	**3.63**	4.51
	Basel II	**4.00**	4.81
4.	Percentage of the shareholding of Government of India	**57.69%**	53.87%
5.	Amount of sub-ordinated debt raised as Tier –II Capital (₹ in crore)	**--**	-
6.	Amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) raised as Tier I Capital during the year (₹ in crore)	**700.00**	--

ii) Investments (₹ in crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1.	Value of Investments		
	Gross value of investments	**25382.99**	21326.34
	In India	**25382.99**	21326.34
	Outside India	**-**	-
	Provisions for depreciation and NPI		
	In India	**244.41****	218.89**
	Outside India	**--**	-
	Net value of investments	**25138.58**	21107.45
	In India	**25138.58**	21107.45
	Outside India	**--**	-
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	**199.64**	437.43
	Add: i) Provision made during the year	**10.44**	-
	ii) Diminution on shifting of investments	**15.08**	56.21
		225.16	493.64
	Less: Write off / write back of excess provisions	**--**	294.00
	Closing balance	**225.16**	199.64

**Includes provision of ₹ 19.25 cr made of NPI

iii) **The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:**

(₹ in crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2011
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos	0.00	2800.00	627.25	1130.00
Securities purchased under reverse Repos	0.00	2800.00	124.01	325.00

Repo Transactions 31.03.2010(Previous Year)

(₹ in crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2010
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos	0.00	187.21	7.99	0.00
Securities purchased under reverse Repos	0.00	2400.00	517.71	0.00

iv) **Non-SLR Investment Portfolio**

Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2011 (₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of 'below investment grade' securities	Extent of 'unrated' securities	Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	377.34	334.12	--	55.09	5.41
(ii)	FIs**	2762.04	2491.19	--	2141.02	2203.68
(iii)	Banks	3174.48	3110.95	--	61.16	-
(iv)	Private Corporate	536.42	436.26	39.77	176.51	159.52
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	10.13	10.13	--	10.13	10.13
(vi)	Others	178.29	2.24	-	178.29	11.56
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	(207.58)	-	-	-	-
	TOTAL*	**6831.12**	**6384.89**	**39.77**	**2622.20**	**2390.30**

Note: (1) *Total under column 3 should tally with the tctal of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:
a. Shares
b. Debentures & Bonds
c. Subsidiaries/joint ventures
d. Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
** Includes the investment under RIDF of ₹ 2141.01 Cr.

Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2010 (Previous Year) (₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of 'below investment grade' securities	Extent of 'unrated' securities	Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	308.76	234.60	-	20.92	10.72
(ii)	FIs**	2044.36	1890.25	52.80	1895.38	1895.55
(iii)	Banks	221.81	102.05	-	20.00	-
(iv)	Private Corporate	783.77	564.32	27.10	76.40	42.01
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	10.38	10.38		10.38	10.38
(vi)	Others	-	-	-	-	-
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	(163.44)	-	-	-	-
	TOTAL*	**3205.55**	**2801.16**	**79.90**	**2023.08**	**1958.66**

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:
a. Shares
b. Debentures & Bonds
c. Subsidiaries/joint ventures
d. Others
(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
** Includes the investment under RIDF of ₹ 1832.89 Cr.

v) a) Non-Performing Non-SLR Investments (₹ in crore)

Particulars	Amount 31.03.2011	Amount 31.03.2010
Opening balance	19.25	19.25
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the above period	0.00	0.00
Closing balance	19.25	19.25
Total provisions held	19.25	19.25

b) Movement in provision for Non Performing Investments (₹ in crore)

Particulars	Amount 31.03.2011	Amount 31.03.2010
Opening balance	**19.25**	19.25
Add: Provision made during the year	**0.00**	0.00
Less: Write off / write back of excess provisions	**0.00**	0.00
Closing balance	**19.25**	19.25

vi) Derivatives :

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap (₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
a. The notional principal of swap agreements	**800.00**	1125.00
b. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	**3.79**	11.99
c. Collateral required by the bank upon entering into swaps	--	--
d. Concentration of credit risk arising from the swaps	--	--
e. The fair value of the swap book	**(22.51)**	(64.43)

1) Interest Rate Swaps were undertaken for the purpose of hedging interest rate risk on assets/liabilities and for trading purpose.

2) The terms of swaps are to receive fixed interest rate against floating interest rate or vice versa.

3) The counterparties for the swaps are banks anc the exposure with each bank is within the approved credit exposure limits.

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
01	Notional principal amount of exchange traced interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	**Nil**	Nil
02	Notional principal amount of exchange traced interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011(instrument-wise)	**Nil**	Nil
03	Notional principal amount of exchange traced interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	**Nil**	Nil
04	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument –wise)	**Nil**	Nil

vii) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place a comprehensive derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and servicing customers' purpose as per RBI guidelines duly approved by the Board. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight the Derivatives desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back Office with clear segregation of portfolio. The derivative hedges are continuously monitored for effective performance as per laid down policy and corrective measures are taken for mitigating the risk.

b) Quantitative Disclosures (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	**Derivatives (Notional Principal Amount)**		
	a) For Hedging	NIL	500
	b) For Trading	NIL	300
ii)	**Marked to Market Positions [1]**	NIL	
	a) Asset (+)		3.79
	b) Liability (-)		26.30
iii)	**Credit Exposure [2]**		11.79
iv)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**	NIL	
	a) on hedging derivatives	-	-30.96
	b) on trading derivatives	-	-4.59
v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**		
	a) on hedging - Maximum - Minimum	- -	-75.39 -30.27
	b) on trading - Maximum - Minimum	- -	-7.19 -4.59

viii) Asset Quality

a) Non Performing Asset (₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	**1.52**	1.40
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
Opening balance	**994.45**	698.82
Additions during the year	**1362.26**	1207.58
Reductions during the year	**1097.52**	911.95
Closing balance	**1259.19**	994.45
(iii) Movement of Net NPAs		
Opening balance	**581.83**	292.29
Additions / reductions during the year	**159.33**	289.54
Closing balance	**741.16**	581.83
(iv) Movement of provisions for NPAs*		
Opening balance	408.40	400.84
Provisions made during the year	**405.27**	475.15
Write-off / write-back of excess provisions	**307.60**	467.59
Closing balance	**506.07**	408.40

* (Excluding provision on Standard Assets and including floating provision).

b) **Details of Loan Assets subjected to Restructuring** (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**2645.89**	2537.34
	Of which under CDR	**161.27**	57.82
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**2619.20**	2511.39
	Of which under CDR	**161.27**	57.82
c.	The amount of sub standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**26.41**	25.81
	Of which under CDR	**0.00**	0.00
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation*	**0.28**	0.14
	Of which under CDR	**0.00**	0.00
	Note: (a = b + c + d)		

	Debt restructuring for SME accounts	31.03.2011	31.03.2010
a.	Total amount of assets of SMEs subjected to restructuring (b+c+d)	**308.59**	304.41
b.	Amount of standard assets of SMEs subjected to restructuring	**290.38**	286.20
c.	Amount of sub-standard assets of SMEs subjected to restructuring	**15.06**	15.06
d.	Amount of doubtful assets of SMEs subjected to restructuring*	**3.15**	3.15

c) **Particulars of Accounts Restructured** (₹ in crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	7	861	4682
	Amount Outstanding	65.28	77.60	746.36
	Sacrifice (diminution in the fair value)	2.75	0.17	3.20
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0.00	1014	2919
	Amount Outstanding	0.00	71.44	55.78
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.06	0.56
Doubtful Advances Restructured*	No. of Borrowers	2	1364	1415
	Amount Outstanding	27.84	24.89	133.75
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.14	0.43
TOTAL	No. of Borrowers	**9**	**3239**	**9016**
	Amount Outstanding	**93.12**	**173.93**	**935.89**
	Sacrifice (diminution in the fair value)	**2.75**	**0.37**	**4.19**

* Out of the above accounts migrated to loss assets during the year as per IRAC Norms, SME- 105 accounts with balance outstanding of ₹ 0.97 crore and others – 73 accounts with balance outstanding ₹ 1.55 crore along with Diminution in fair value of ₹ 0.01 crore.

d) In respect of the advances restructured under the Prudential Guidelines of the Reserve Bank of India dated 27th August 2008 and the subsequent clarifications / guidelines issued from time to time in this respect, the Bank has provided a sum of ₹ 7.31 crore (previous year ₹ 13.55 crore) as diminution in the fair value of advances on account of such restructuring which in the Bank's opinion is considered adequate in view of upward revision in rate of interest on such restructured advances. The full implementation of the conditions laid down for restructuring in the said Circular are being complied with.

e) **Details of Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company, for Assets Reconstruction**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
01	Number of accounts	4	2
02	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	97.07	4.67
03	Aggregate consideration	125.34	38.39
04	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	1.63	-
05	Aggregate gain / loss over net book value	29.95	33.72

f) **Details of non-performing financial assets purchased/sold**

i) **Details of non-performing financial assets purchased**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1. (a) No. of accounts purchased during the year	-	-
(b) Aggregate outstanding	-	-
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
(b) Aggregate outstanding	-	-

ii) **Details of non-performing financial assets sold**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1. No. of accounts sold	**4**	2
2. Aggregate outstanding	**125.34**	38.89
3. Aggregate consideration received	**125.34**	38.39

g) **Provision on Standard Asset**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provisions towards Standard Assets	223.40	223.40
TOTAL	**223.40**	223.40

h) **Business Ratios**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Interest Income as a percentage to Working Funds	8.03%	7.89%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.73%	1.03%
Operating Profit as percentage to Working Funds	1.44%	1.60%
Return on Average Assets	0.72%	0.76%
Average Business [Deposits + Advances] per employee	9.28	8.36
Net profit per employee	0.063	0.045

ix) **Asset Liability Management :** Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in crore)

	1 day	2 – 7 days	8 – 14 days	15 – 28 days	29 days - 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	403.60	3410.23	3067.28	4737.86	4248.26	8659.33	13671.10	24030.25	556.03	464.38	**73248.32**
Advances*	240.19	301.18	315.77	605.62	1832.63	2058.31	4013.40	28451.34	5287.53	5612.66	**48781.63**
Investments*	110.59	933.99	79.41	148.47	1299.47	292.83	818.76	1651.95	6935.21	12867.88	**25138.56**
Borrowings**	100.00	30.10	0.00	0.00	0.01	0.70	1.25	278.77	252.27	1250.13	**1913.23**
Foreign Currency Assets	62.38	158.05	3.69	13.82	142.71	180.52	8.07	0.00	0.00	0.00	**569.24**
Foreign Currency Liabilities	231.10	1.56	115.03	3.49	15.62	49.01	83.87	55.55	14.01	0.00	**569.24**

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India, compiled by the management and relied upon by the auditors

* Figures are broadly net of provision

** Borrowings in India

x) **Lending to Sensitive Sectors**

a) **Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**5952.19**	5700.57
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	**4311.31**	4318.42
b. Commercial Real Estate and Income Producing Real Estate		
Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	**3979.54**	4100.25
c. Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
i) Residential	**0.40**	0.87
ii) Commercial Real Estate	**4.68**	5.00
2) Indirect Exposure		
Fund based and non fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**260.00**	469.99
Total exposure to real estate sector	**10196.81**	10276.68

b) **Exposure to Capital Market**

(₹ in crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**386.78**	333.17
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	**0.18**	0.16
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	-	-
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	-	0.58
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market markers.	**20.07**	-
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	-	-
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	-	-
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	-	-
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	-	-
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	-	-
	Total exposure to capital market	**407.03**	333.91

xi) **Risk Category-wise Country Exposure** (₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2011	Provision held as at 31.03.2011	Exposure (net) as at 31.03.2010	Provision held as at 31.03.2010
Insignificant	**208.68**	-	221.97	-
Low	**228.85**	-	156.14	-
Moderate	**24.77**	-	6.63	-
High	**0.98**	-	0.08	-
Very High	-	-	0.57	-
Restricted	-	-	-	-
Off credit	-	-	-	-
Total	**463.28**	-	**385.39**	-

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is requirec to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.04.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD.BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

xii) **Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year**

Power Finance Corporation Limited (₹ in crore)

Sl No	Name of the Borrower	Exposure ceiling @ 15% as applicable to individual borrowers	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded**		Board Sanction details:	Position as on 31.03.2011
				Month	Amount		
1	**Power Finance Corporation Limited**	726.26	200.00	April-10	-	➢ MC: A: 118.05 Dated 13.07.2005 ➢ MC: Cir: 20/2010 Dated 24.07.2010 ➢ MC: A: 294/2010 Dated 12.10.2010	
		726.26	200.00	May- 10	-		
		726.26	200.00	June-10	-		
		831.26	900.00	July-10	966.95		
		831.26	900.00	August-10	973.20		
		831.26	900.00	September-10	972.85		
		831.26	900.00	October-10	973.15		1016.95
		831.26	700.00	November-10	-		
		831.26	950.00	December-10	1022.18		
		831.26	950.00	January-11	1022.30		
		831.26	950.00	February-11	1022.05		
		831.26	950.00	March-11	1016.95		

**Includes an investment exposure of ₹ 66.95 crore.

Steel Authority of India [SAIL] (₹ in crore)

Sl No	Name of the Borrower	Exposure ceiling @ 15% as applicable to individual borrowers	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded		Board Sanction details	Position as on 31.03.2011
				Month	Amount		
1	Steel Authority of India Limited	726.26	920.00	April-10	925.67	MC: Cir: 09/2010-11 Dated 03.05.2010 MC: A: 189/2010-11 Dated 28.07.2010	NIL
		726.26	920.00	May- 10	922.97		
		726.26	920.00	June-10	923.10		
		831.26	920.00	July-10	923.20		
		831.26	920.00	August-10	923.20		
		831.26	700.00	September-10	0		
		831.26	700.00	October-10	0		
		831.26	700.00	November-10	0		
		831.26	700.00	December-10	0		
		831.26	700.00	January-11	0		
		831.26	700.00	February-11	0		
		831.26	700.00	March-11	0		

Karnataka Power Transmission Corporation Limited (₹ in crore)

Sl No	Name of the Borrower	Exposure ceiling @ 15% as applicable to individual borrowers	Exposure ceiling @ 20% as applicable to individual borrowers [infrastructure]	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded [Maximum amount]			Position as on 31.03.2011
					Month	Amount		
1	Karnataka State Power Transmission Corporation Limited	726.26	968.35	668.22	April-10	-	➢ MC: A: 123:2006-07 Dated 01.12.2006 ➢ MC: A: 154/2007 Dated 17.11.2007 ➢ MC: A: 8/2010 Dated 12.01.2010 ➢ MC: A: 159/2008 Dated 26.07.2008 ➢ CD: MC: A: 69/2010 Dated 29.03.2009. ➢ CD: MC: A: 44/2008 Dated 25.03.2009 ➢ CD: MC:[sac-12] A: 165/2010-11 Dated 25.06.2010 ➢ CD: MC:[sac-12] A: 219/2010-11 Dated 18.08.2010 ➢ MC: [SAC-12]:A: 219/2010-11 Dated 18.08.2010	1025.31
		726.26	968.35	568.87	May- 10	-		
		726.26	968.35	868.85	June-10	868.85		
		831.26	1108.35	869.48	July-10	869.48		
		831.26	1108.35	670.28	August-10	-		
		831.26	1108.35	893.92	September-10	893.92		
		831.26	1108.35	929.67	October-10	929.67		
		831.26	1108.35	930.62	November-10	930.62		
		831.26	1108.35	939.12	December-10	939.12		
		831.26	1108.35	935.33	January-11	935.33		
		831.26	1108.35	929.70	February-11	929.70		
		831.26	1108.35	1030.05	March-11	1030.05		

Note: Considering, that a part of loan amount is utilized for Non-infrastructure purpose, where, PE ceiling is 15%, the balance outstanding in the loan accounts in excess of 15% of Banks Capital Funds is reported.

xiii) The Bank has not made any financing for margin trading and also not securitised any assets during the year.

xiv) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by the Bank)

a) Concentration of Deposits (₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	**1102527.98**
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**15.05%**

b) Concentration of Advances (₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	**12523.22**
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**23.75%**

c) Concentration of Exposures (₹ in crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	**13894.31**
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**20.69%**

d) Concentration of NPAs (₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	**118.71**

xv) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	**7.35%**
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	**2.23%**
3	Services	**2.40%**
4	Personal Loans	**6.11%**

xvi) Movement of NPAs (₹ in crore)

Particulars	Amount in
Gross NPAs as on 1st April 2010	**994.45**
Additions (Fresh NPAs) during the year	1362.26
Sub-total (A)	2356.71
Less:-	
(i) Upgradations	332.19
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	438.04
(iii) Write-offs	327.29
Sub-total (B)	**1097.52**
Gross NPAs as on 31st March 2010 (A-B)	1259.19

xvii) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL

xviii)Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

xix) Provision coverage ratio: Coverage ratio as of 31.03.02011 is 63.69% (previous year 64.24%) as per RBI guidelines. However, the Bank has achieved the PCR as envisaged in RBI circular DBOD. No.BP.BC.87-21.048/2010-11 dt.21.04.2011

xx) Unsecured advances : The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

During the year 2010 - 2011, the bank had issued 74 letters of comfort amounting to USD 2,220,619,739.72 covering import of goods into india. These letters of comfort have been issued after due assessment of its financial impact on the bank and with the approval of the competent authority. As on the date of the balance sheet 34 letters of comfort amounting to USD 24.06 million (approximately ₹ 108.39 crore @ USD 1 = ₹ 45.01) are outstanding which, in the opinion of the management, will not have any significant impact on the bank's financial position

xxi) Fees / remuneration from bancasurance business during 2010-11

Sl no	Nature of Income	2010-11 (₹ Lacs)
1	For selling life insurance policies	25.39
2	For selling non life insurance policies	79.15
3	For selling mutual fund products	Nil
4	Others (Specify)	Nil

7. Compliance with Accounting Standards

i) There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per "AS -5".

ii) In terms of accounting policy No.9 of the bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under "AS-9".

iii) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.

iv) The following information is disclosed in terms of Accounting Standards notified by Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Pension
I.	**Principal Actuarial Assumptions**		
	Discount Rate	8.20%	8.50%
	Salary escalation rate	4.25%	4.25%
	Rate of Escalation in Basic Pay		1.50%
	Attrition rate	0.75%	0.75%
	Expected rate of return on Plan Assets	8.30%	8.30%
	Rate of escalation in pension		2.75%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**		
	PVO as at the beginning of the period	241.22	651.12
	Interest Cost	17.67	50.37
	Current Service Cost	8.44	35.81
	Past service cost-recognised/eligible for amortisation	26.38	481.35
	Past service cost-unrecognised/not eligible for amortisation	105.50	596.96
	Benefits Paid	(51.51)	(102.84)
	Actuarial gain / (loss) on obligation (balancing figure)	53.04	120.17
	PVO as at the end of the period	400.74	1832.94
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**		
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	263.06	541.35
	Expected return on Plan Assets	26.63	96.49
	Contributions	167.16	1238.37
	Benefits Paid	(51.52)	(102.84)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets (balancing figures)	2.63	(34.09)
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	407.96	1739.28
IV.	**Actual Return on Plan Assets**		
	Expected return on Plan Assets	26.63	96.49
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	2.63	(34.09)
	Actual return on Plan Assets	29.26	62.40
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**		
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	(53.04)	(120.17)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	2.63	(34.09)
	Total gain / (loss) for the period	50.41	(154.26)
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	50.41	(154.26)
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**		
	Present Value of the obligation	400.74	1832.94
	Fair Value of Plan Assets	407.96	1739.28
	Difference	(7.22)	93.66
	Unrecognised past service cost	(105.50)	(385.07)
	Negative amount determined under paragraph 55	(112.72)	(291.41)
	Present value available for future refunds and reduction in future contribution	104.18	268.58
	Limit under Para 59(b)	104.18	268.58
	Amount recognised in the Balance Sheet	104.18	268.58

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Pension
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**		
	Current Service Cost	8.44	35.81
	Interest Cost	17.67	50.37
	Expected return on Plan Assets	(26.63)	(96.49)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	50.42	154.26
	Past service cost-not eligible for amortisation		596.96
	Past service cost – recognised	26.37	96.27
	Effect of the limit in Para 59 (b)	8.54	22.83
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	84.81	860.01
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**		
	Opening net liability	(21.83)	109.77
	Expense as above	84.81	860.01
	Contribution Paid	(167.16)	(1238.36)
	Closing Net Liability	(104.18)	(268.58)
IX.	**Amount for the Current Period**		
	Present Value of obligation	400.73	1832.95
	Plan Assets	407.96	1739.28
	Surplus / (Deficit)	7.22	(93.67)
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	(77.05)	(343.33)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	2.63	(34.09)
X.	**Major categories of Plan Assets (As percentage of Total Plan Assets)**		
	Government of India Securities	19.00%	13.20%
	State Government Securities	35.35%	37.60%
	High Quality Corporate Bonds	44.65%	46.00%
	Others (to specify)	1.00%	3.20%
	Total	100.00%	100.00%
XI.	**Enterprise's Best Estimate of Contribution during next year**	**NA**	**NA**

v) **Details of Provisions made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:**

(₹ in crore)

Sl. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2011	31.03.2010
1.	Pension	431.91	119.77
2.	Leave Encashment	(2.93)	62.25
3.	Gratuity	30.82	-
4.	Sick Leave	0.00	0.00

During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of which in respect of 5559 number of employees in service, the Bank has incurred a liability of ₹ 473 crore.

Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 123 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 596 crore is required to be charged to the Profit and Loss Account.

However, the Reserve Bank of India has issued a circular no.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory

Treatment, dated 9th February, 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortize the amount of ₹ 596 over a period of five years. Accordingly, ₹ 119 crore (representing one-fifth of ₹ 596 crore) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward ie., ₹ 477 crore include any employees relating to separated / retired employees.

Had such a circular not been issued by RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 477 crore pursuant to application of the requirement of AS-15

vi) Business segments (₹ in crore)

Business Segments #	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retails Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10	31.03.11	31.03.10
Revenue	1799.60	1641.69	2435.02	2168.39	1656.87	1670.12	385.75	399.90	6377.24	5880.10
Result	308.39	308.76	417.28	407.61	301.06	314.12	66.10	75.20	1092.83	1105.69
Unallocated Expenses									46.16	48.93
Operating Profit									1046.67	1056.96
Provisions & Contingencies									362.85	355.82
Provision for Taxes									160.00	193.85
Extraordinary Profit/Loss									-	-
Net Profit									523.82	507.29
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	27737.03	24462.48	34088.43	26651.28	18151.22	17782.41	529.84	373.27	80506.52	69269.44
Unallocated Assets									1180.40	952.64
Total Assets									81686.92	70222.08
Segment Liabilities	26484.10	23514.29	32548.60	25618.24	17331.30	17093.14	505.91	358.80	76869.91	66584.47
Unallocated Liabilities									4817.01	3637.61
Total Liabilities									81686.92	70222.08

For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d)Other Banking Operations.

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under geographic segment is not applicable.

Apportionment of expenses has been made based on segment revenue.

Assets and liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

vii) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures :

a) Key Management Personnel :

1) Shri Albert Tauro, Chairman & Managing Director
2) Smt Shubhalakshmi Panse, Executive Director

The transactions with Related parties during the year are as under:

a) (i) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year. **Amount (in ₹)**

Shri. Albert Tauro, C & MD (01.04.10 to 31.03.2011)	₹ 23,01,980.00
Smt. Shubhalakshmi Panse, ED (01.04.10 to 31.03.2011)	₹ 14,50,190.50

(ii) Shri Albert Tauro, Chairman and Managing Director availed housing loan of ₹ 50.00 lacs from the Bank and o/s as on 31.03.2011 is ₹ 43.98 lacs

b) Associates: Visvesvaraya Grameena Bank- Regional Rural Bank sponsored by the Bank (Ownership Interest- 35%)

(₹ in lacs)

Particulars	Details of Transaction by Associate with Bank	Amount outstanding as on 31.03.2011	Maximum during the year
Borrowings	Cash Credit	0.02	1114.32
	Overdraft	0.00	0.54
Deposits	Fixed Deposits	4335.13	4820.13
	Current Account	192.03	368.16
Investments	Shares	3.10	3.10
	Bonds	0.00	0.00
Interest received		29.72	0.00
Interest paid		189.17	0.00
Dividend on shares		0.72	0.00

viii) Earning Per Share

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS	
a. Net Profit after tax available for equity share holders (₹ in crore)	429.03
b. Weighted average number of equity shares (Numbers in crore)	43.39
c. Basic EPS (in rupees)	9.89
d. Nominal Value per share (in rupees)	10.00

There are no diluted potential shares.

ix) Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Taxes on Income in compiance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

a) The components of deferred tax are as under: (₹ in crore)

Timing Difference	Deferred Tax Asset		Deferred tax liability	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
1. Carry forward loss	-	-	-	-
2. Provision for leave encashment	**46.75**	48.98	-	-
3. Provision for Pension	-	-	-	-
4. Expenditure u/s 40(a)(ia).	-	-	-	-
5. Depreciation on Computer Software	-	-	-	-
6. Depreciation on Computer	-	-	-	-
7. Fixed Assets	**(0.05)**	3.13	-	-
8. Provision for Wage Revision	-	79.54	-	-
9. Loss on Derivative Transactions	**18.74**	18.74	-	-

b) Amount of provisions made for Income Tax during the year: (₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provision for Income Tax	**(0.81)**	251.64
Provision for Fringe Benefit Tax	**NIL**	NIL
Provision for deferred tax	**84.95**	(58.27)
MAT Credit entitlement	--	--

x) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 – Impairment of Assets.

8. a) Customer Complaint

		31.03.2011
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	21
(b)	No. of complaints received during the year	1117
(c)	No. of complaints redressed during the year	1104
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	34

b) Awards passed by the Bank's ombudsman

		31.03.2011
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	3
(c)	No. of Awards implemented during the year	5
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

9. Reserve Bank of India has not imposed any penalty durirg the year

10. Break up of provisions and contingencies (₹ in crore)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	**31.03.2011**	**31.03.2010**
Provision for depreciation on investment	**22.63**	-181.03
Provisions towards NPA	**413.46**	474.35
Provisions towards Standard Assets	**0.00**	0.00
Provisions made towards Income Tax :		
i) Current Tax	**-0.81**	252.12
ii) Deferred Tax	**84.95**	-58.26
iii) Fringe Benefit Tax	--	--
iv) MAT credit entitlement	--	--
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	**5.53**	20.68
ii) Others	**-0.02**	42.05
iii) Excess Provision written back	**(2.88)**	(0.24)
Total	**522.86**	**549.67**

11. Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(a)	Opening balance	**213.00**	213.00
(b)	Floating provisions made during the year	-	-
(c)	Amount withdrawn during the year	-	-
(d)	Closing balance	**213.00**	213.00

Note: Floating provision has been utilised for reckoning the provision required in respect of substandard advances

12. The bank has draw down a sum of ₹ 0.003 crore from General Reserve on account of Lapsed Demand Drafts.

13. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.

14. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

H.S. UPENDRA KAMATH CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**SUMA VARMA** DIRECTOR	**L.K. MEENA** DIRECTOR
SURESH KAMATH DIRECTOR	**RANJAN SHETTY** DIRECTOR	**SRIDHAR CHERUKURI** DIRECTOR	**S. ANANTHAN** DIRECTOR
ASHOK KUMAR DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**K. CHANDRA** GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[Y.R. SHARMA]** Partner Membership No:092691	**For M/s M.P. CHITALE & CO** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No:032292	**For M/s P. CHANDRASHEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No:026508
For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA Chartered Accountants Registration No: 101961W **[G.S. NAYAK]** Partner Membership No:038127	**For M/s S. VISWANATHAN** Chartered Accountants Registration No: 004770S **[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]** Partner Membership No:208562	**For M/s RAO ASSOCIATES** Chartered Accountants Registration No: 003080S **[G. SUDHINDRA]** Partner Membership No:026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Interest Earned during the year	**5844 06 03**	5200 64 63
Other Income	**533 18 68**	679 45 19
	6377 24 71	5880 09 82
Less:		
Interest paid during the year on deposits, borrowings etc.,	**3897 28 37**	3751 56 59
Operating Expenses, Provisions & Contingencies	**1956 14 49**	1621 23 36
Profit on Sale of Assets	**- 15 06**	- 26 23
	523 96 91	**507 56 10**
Add:		
Depreciation on Fixed Assets	**46 16 80**	48 92 55
Depreciation adj on leased assets	**-**	-
Provision & Contingencies	**360 96 55**	498 85 04
	931 10 26	**1055 33 69**
I CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)		
II CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS & LIABILITIES		
Increase/ (Decrease) in Liabilities		
Deposits	**11316 57 34**	7396 32 08
Other Liabilities and Provisions	**-1866 79 72**	-278 44 10
(Increase) / Decrease in Assets		
Advances	**-7211 95 12**	-60 39 00 68
Investments	**-4031 13 10**	-3719 74 38
Other Assets	**-373 34 57**	-189 14 11
TOTAL OF II	**-2166 65 17**	**-2830 01 19**
A. NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**-1235 54 91**	**-1774 67 50**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Fixed Assets		
Net of purchase/sale	**-39 00 03**	-48 84 23
B. NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**-39 00 03**	**-48 84 23**

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2011	For the year ended 31.03.2010
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital	**739 14 90**	-
Other Reserves & Surplus	**311 00 50**	-19 54 56
Borrowings	**86 81 21**	-330 68 01
Amount raised through fresh issue of Sub-Ordinated Debt	**-150 00 00**	0
Dividend paid: Dividend declared previous year and paid during the current year	**161 89 71**	50 81 56
D. NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**1148 86 32**	**-299 41 01**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)	**-125 68 62**	**-2122 92 75**
I. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
A) Cash and Balances with the RBI	**4099 57 69**	5730 40 57
B) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**1449 67 78**	1941 77 65
TOTAL I	**5549 25 47**	**7672 18 22**
II. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
A) Cash and Balances with the RBI	**4881 83 86**	4099 57 69
B) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**541 72 99**	1449 67 78
TOTAL- II	**5423 56 85**	**5549 25 47**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	**-125 68 62**	**-2122 92 75**
Increase / (Decrease) in Cash Flow (I - II)		

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 28.04.2011

H.S. UPENDRA KAMATH CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**SUMA VARMA** DIRECTOR	**L K MEENA** DIRECTOR
SURESH KAMATH DIRECTOR	**RANJAN SHETTY** DIRECTOR	**SRIDHAR CHERUKURI** DIRECTOR	**S. ANANTHAN** DIRECTOR
ASHOK KUMAR DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**K. CHANDRA** GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s R. BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[Y.R. SHARMA]** Partner Membership No: 092691	**For M/s M P CHITALE & CO** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No: 032292	**For M/s P. CHANDRASHEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No: 028508
For M/s CONTRACTOR NAYAK & KISHNADWALA Chartered Accountants Registration No: 101961W **[G.S.NAYAK]** Partner Membership No: 038127	**For M/s S. VISWANATHAN** Chartered Accountants Registration No: 004770S **[CHELLA K RAGHAVENDRAN]** Partner Membership No: 208562	**For M/s RAO ASSOCIATES** Chartered Accountants Registration No: 003080S **[G SUDHINDRA]** Partner Membership No: 026171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India

1) We have audited the attached Balance Sheet of Vijaya Bank as at 31st March, 2011 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us and 1007 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 172 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.72% of advances, 26.48% of deposits, 0.50% of interest income and 17.62% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2) We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

5) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards..

6) In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us.

i) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011, in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7) Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 7 (v) to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 477 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from of application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment."

For M/s R. BANSAL & CO	For M/s M.P. CHITALE & CO	For M/s P.CHANDRASEKAR	For M/s CONTRACTOR, NAYAK & KISHNADWALA	For M/s S VISWANATHAN	For M/s RAO ASSOCIATES
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Registration No: 002736N	Registration No: 101851W	Registration No: 000580S	Registration No: 101961W	Registration No: 004770S	Registration No: 003989S
[Y.R. SHARMA]	[ULHAS CHITALE]	[LAKSHMY C.]	[G.S. NAYAK]	[CHELLA K. RAGHAVENDRAN]	[G SUDHINDRA]
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No:092691	Membership No:032292	Membership No:028508	Membership No:038127	Membership No:208562	Membership No:26171

Place : Bangalore
Date : 28.04.2011

BASEL II DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31ST MARCH 2011

TABLE DF-1

SCOPE OF APPLICATION

Not applicable as the Bank does not have any group entities where consolidation of accounts takes place, though we have an affiliate - Visvesvaraiah Grameena Bank. Our Bank has no subsidiary.

TABLE DF-2

CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	
(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Bank's authorized capital is enhanced from ₹ 1500 crore to ₹ 3000 crore on 10.11.2009. The issued & paid up equity capital is ₹ 472.67 crore. In March 2009 and June 2010, the Bank has received capital support of ₹ 500 crore and ₹ 700 crore respectively from Govt. of India in the form of Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares. In March 2011, Govt. of India has subscribed to the equity shares of the Bank with face value of ₹ 39.16 crore at a premium of ₹ 328.84 crore. Unsecured Redeemable Subordinated Debts in the form of Promissory note, as on 31.03.2011 aggregates to ₹ 1500 crore of which ₹ 1450 crore is reckoned for Tier II capital. The terms & conditions of the above debt instruments are as under:

Details of outstanding Tier I/Tier II issues of the Bank as on 31.03.2011

Sl. No.	Issue Details	Amount raised (₹ cr.)	Tenor	Date of Allotment	Due Date	Coupon Rate (Payable annually on 31st March)	Rating
1.	Upper Tier II Series I	300.00	180 months with call option at the end of 10th year	20.03.2007	20.03.2022	10.10% p.a. with step up of 50 bps after 10th year, if call option not exercised	CARE AA
2.	Upper Tier II Series II	300.00	180 months with call option at the end of 10th year	17.03.2008	17.03.2023	9.45% p.a. with step up of 50 bps after 10th year, if call option not exercised	CARE AA
3.	Lower Tier II Series IV	250.00	123 months	15.03.2005	15.06.2015	7.15 %p.a.	CARE AA +
4.	Lower Tier II Series V	250.00	120 months	01.08.2006	01.08.2016	9.25% p.a.	CARE AA +
5.	Lower Tier II Series VI	200.00	123 months	31.07.2007	31.10.2017	9.50% p.a.	CARE AA +
6.	Lower Tier II Series VII	200.00	124 months	31.12.2007	30.04.2018	9.35% p.a.	CARE AA +
	Total	**1500.00**					

Quantitative Disclosures **₹ in Crore**

(b)	The amount of Tier 1 capital		
	Paid up capital :		**472.67**
	Perpetual non-cumulative Pref. shares :		**1200.00**
	Reserves :		**1887.54**
	Surplus :		**962.96**
	Innovative instruments		Nil
	Other capital instruments		Nil
	Adjustment for illiquid investment		-
	Amounts deducted from Tier 1 capital :		
	Other intangible assets (Deferred Tax Asset)		**(-) 65.44**
	Total Tier I capital		**4457.73**
(c)	The amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)		
	(i) Revaluation Reserve	132.22	
	(ii) General Provision	223.41	**355.63**
(d)	Debt Capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital :		
	• Total amount outstanding	600.00	
	• Of which amount raised during the year	Nil	
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	600.00	**600.00**
(e)	Subordinated debt eligible for inclusion in lower Tier II capital:		
	• Total amount outstanding	900.00	
	• Of which raised during the year	Nil	
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	850.00	**850.00**
(f)	Other deductions from capital if any:		**NIL**
	Total Tier 2 Capital:		**1805.63**
(g)	**Total eligible capital:** Tier 1 Capital :	4457.73	
	Tier 2 Capital :	1805.63	**6263.36**

TABLE DF-3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures		
a)	A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	As per RBI directives on Basel II, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional Capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.

Quantitative Disclosures		(₹ in Crore)		
(b)	Capital requirements for Credit Risk:			
	• Portfolios subject to standardised approach	₹ **3554.70 (including other assets)**		
	• Securitisation exposures	**NIL** - as the Bank has no exposure under securitisation.		
(c)	Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:	₹ **258.42**		
	• Interest rate risk	₹ 191.74		
	• Foreign Exchange Risk	₹ 1.85		
	• Equity Risk	₹ 64.83		
(d)	Capital requirements for Operational Risk – Basic Indicator Approach	₹ **246.90**		
	Capital required:	₹ **4050.02 - Minimum Capital required**		
	Capital Maintained:	₹ **6253.36 - Capital Funds as at 31.03.2011**		
(e)	Total and Tier 1 Capital Ratio		**Basel I**	**Basel II**
		CRAR ---- :	**12.59%**	**13.88%**
		CRAR – Tier 1 Capital :	8.96%	9.88%
		CRAR – Tier 2 Capital :	3.63%	4.00%
	• For the top consolidated group)	Not applicable, as our Bank has no subsidiary.		
	• For significant Bank subsidiaries)			

TABLE DF-4

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures		
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including	The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors & Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee headed by Chairman & Managing Director ensures its implementation. Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have beer detailed. To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operation Risk, ALM & FTP. **The Bank's policy on IRAC (Income Recognition & Asset Classification) norms** is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as 'performing' & 'non-performing' assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets.
	• Definitions of past due and impaired (for accounting purposes)	
	• Discussion on the Bank's Credit Risk Management Policy	

		Definition of impaired assets (for accounting purposes): An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/or installment of the loan remains 'overdue' (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan (b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire. * 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment. # 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days. **Discussions on Bank's Credit Risk** **Management Policy:** The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee, Basel II Working Group etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism / Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration / monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensive Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.
Quantitative Disclosures		**Gross Credit exposure:**
(b)	Total gross Credit Risk exposures - fund based & non-fund based	Fund based ** : ₹ 67652.91 crore Non fund based : ₹ 4691.26 crore **Total : ₹ 72344.17 crore**
(c)	Geographical distribution of exposures - fund based & non fund based separately • Overseas • Domestic **** loans & advances + Investments**	**Overseas: Fund based & Non fund based: Nil** Domestic: Fund based : ₹ 67652.91 crore Non fund based : ₹ 4691.26 crore **Total : ₹ 72344.17 crore**

(d) Industry type distribution of credit	INDUSTRYWISE DEPLOYMENT OF CREDIT	(₹ in Crore)
	Infrastructure - Power	6948.09
	Infrastructure - Telecommunications	221.86
	Infrastructure – Roads & Ports	1626.15
	Infrastructure – Others	891.56
	Petroleum	8.29
	Iron & Steel and other Metal products	1089.70
	Construction	597.53
	Food Processing	151.40
	Mining	67.62
	Cement	131.49
	Vehicles & Transport equipments	46.47
	All Engineering and Electronics	322.12
	Gems & Jewellary	23.99
	Textiles (Cotton, Jute & Others)	354.20
	Beverages & Tobacco	**29.63**
	Paper & paper products	**71.45**
	Leather & leather products	22.50
	Wood & Wooc products	25.19
	Rubber & Rubber Products	75.48
	Drugs / Pharmaceuticals/ Chemicals	176.80
	Other Industries	1664.88
	TOTAL	**14546.40**

(e) Residual contractual maturity breakdown of assets **as at 31.03.2011 :** **(₹ in Crore)**

	1 day	2-7 days	8-14 days	15-28 days	29 days-3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	240.19	301.18	315.77	605.62	1832.63	2058.31	4013.40	28451.34	5287.53	5612.66	**48718.63**
Investment	110.59	933.99	79.41	148.47	1299.47	292.83	818.76	1651.95	6935.21	12867.88	**25138.56**
F.C.Assets	62.38	158.05	3.69	13.82	142.71	180.52	8.07	0	0	0	**569.24**

Position as on 31.03.2011 **(₹ in Crore)**

(f)	Amount of NPAs (Gross)	**1259.19**
	• Substandard	778.38
	• Doubtful 1	216.04
	• Doubtful 2	192.74
	• Doubtful 3	29.80
	• Loss	42.23
(g)	Net NPAs	**741.16**
(h)	NPA Ratios:	**2.56 %**
	• Gross NPAs to gross advances	**1.52 %**
	• Net NPAs to net advances	
(i)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	994.45
	• Additions	1362.26
	• Reductions	1097.52
	• Closing balance	1259.19

	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	581.83
	• Additions	159.33
	• Reductions	0.00
	• Closing balance	741.16
	•	
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	408.40
	• Provisions made during the period	405.27
	• Write off	307.60
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	506.07
(k)	Amount of Non-Performing Investments (Under HTM Category)	19.25
(l)	Amount of provisions for depreciation on investments (NPI)	19.25
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments:	
	• Opening balance	19.25
	• Provisions made during the period	0.00
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	19.25

TABLE DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) For portfolios under the standardised approach:	
• Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes	The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / FITCH / CARE only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with these four credit rating agencies. The agreement provides for concessional fees for Bank's customers.
• Types of exposure for which each agency is used	All Corporate exposure above ₹ 5 Crore and exposure to public sector entities.
• A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book	Bank has used only bank ratings which are available in public comain. Further the Bank has not used any public issue ratings.
Quantitative disclosures	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	**Credit exposure (₹ in Crore)**
• Below 100% risk weight	45,377.24
• 100% risk weights	19,918.66
• More than 100% risk weight	3,600.33
• Deducted - Financial Collaterals	3,447.94
• **TOTAL**	**72,344.17**

TABLE DF-6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:	
• Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting	The general prirciples, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch & maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of Credit Risk Mitigation (CRM) is not double counted.
• Policies and processes for collateral valuation and management.	The financial collaterals taken for the purpose of CRM mainly includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs and gold benchmarked to 99.99 purity.
• A description of the main types of collateral taken by the bank.	
• The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness.	Guaranteed exposure includes those guaranteed by central / state Governments, ECGC, Bank and CGTSI.
• Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken.	The CRM / Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diversed.

Quantitative disclosures

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).

₹ in crore

Credit risk exposure	Loans & advance	Non fund based	Investment	Total
Exposure	**49222.24**	**4691.26**	**18430.67**	**72344.17**
CRM / fin. collaterals	2734.16	713.78	0.00	3447.94
Net exposure	**46488.08**	**3977.48**	**18430.67**	**68896.23**

₹ in crore

Guarantee Status	Loans & Advance	Non fund based	Investment	Total
Exposure	**49222.24**	**4691.26**	**18430.67**	**72344.17**
Central/ State Govt.	3526.58	0.00	16207.96*	19734.54
ECGC/BANK /CGTSI	1220.60	0.00	0.00	1220.60
Guarantee Total	**4747.18**	**0.00**	**16207.96**	**20955.14**
Net exposure	**44475.06**	**4691.26**	**2222.71**	**51389.03**

* this includes bonds/instruments issued by the Central/State Government and/or guaranteed by Central Government.

For the credit risk portfolio under the standardised approach (func & non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.

TABLE DF-7

SECURITISATION

DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank has not securitised any asset during the financial year 2010-11 either in Banking book or in trading book.

TABLE DF-8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

<table>
<tr><td>Qualitative disclosure</td><td></td></tr>
<tr><td>(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach</td><td>Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices.
Basel-II proposes two approaches for Market Risk viz Standarised Duration Approach and Internal Model Approach. At present, the bank has implemented "Standardized Duration Approach" and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardized Duration Approach has got following features.
1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate risk, Equity price risk, Foreign Exchange risk and Commodity risk.
2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield.
3. The specific risk is calculated based on external risk rating , duration of the instrument etc.</td></tr>
<tr><td>Quantitative disclosures

(b) The capital requirements for
• Interest rate risk

• Equity position risk

• Foreign Exchange risk</td><td>For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted 'Standardised Duration Approach', as detailed below:

Aggregation of the capital charge for Market Risk as on 31.03.2011

₹ in crore
<table>
<tr><th colspan="4">Risk Category</th><th>Capital charge</th></tr>
<tr><td>(A)</td><td colspan="3">Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Interest Rate (a+b)</td><td>1.22</td></tr>
<tr><td></td><td>a.</td><td colspan="2">General Market Risk</td><td>1.22</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(i)</td><td>Net position (parallel shift)</td><td>1.22</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii)</td><td>Horizontal disallowance (curvature)</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(iii)</td><td>Vertical disallowance (basis)</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>b.</td><td colspan="2">Specific risk</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>(B)</td><td colspan="3">Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Interest Rate (a+b)</td><td>190.52</td></tr>
<tr><td></td><td>a.</td><td colspan="2">General Market Risk</td><td>129.60</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(i)</td><td>Net position (parallel shift)</td><td>129.27</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii)</td><td>Horizontal disallowance (curvature)</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(iii)</td><td>Vertical disallowance (basis)</td><td>0.33</td></tr>
<tr><td></td><td>b.</td><td colspan="2">Specific risk</td><td>60.92</td></tr>
<tr><td>(C)</td><td colspan="3">Alternative total capital charge for securities held under AFS</td><td>108.15</td></tr>
<tr><td></td><td>I.</td><td colspan="2">Interest rate related instruments {A+ (B or C whichever is more)}</td><td>191.74</td></tr>
<tr><td></td><td>II.</td><td colspan="2">Equity (a+b)</td><td>64.83</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>a.</td><td>General market risk</td><td>32.32</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>b.</td><td>Specific risk</td><td>32.51</td></tr>
<tr><td></td><td>III.</td><td colspan="2">Foreign Exchange & Gold</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td></td><td>IV.</td><td colspan="2">Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</td><td>258.42</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Risk Weighted Assets</td><td>2871.33</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

TABLE DF - 9

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per 'Basic Indicator Approach'. The Bank has set up Operational Risk Management Committee to identify, monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy guidelines on BCP, BCDRP, managing risks on 'outsourcing', KYC norms and Anti-Money Laundering guidelines. The Bank has identified 'Risk Monitors' at executive level and 'Regional Risk Officers' at senior officers level at Regional Offices to take care of all the requirements in respect of risk management areas.

Further the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:-

- Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual level.
- Loss Events on account of fraud and other aspects are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis
- The Bank has put in IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been subjecting its network and data centre facilities to vulnerability assessment and penetration testing to find the loop holes if any and taking steps to correct. The Bank has been subjecting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources.
- In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms and measures specially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, IRMS, HRMS.
- Risk Based Internal Audit (RBIA) is made applicable for all the branches from the year 2008-09 based on the revised RBIA format.
- Our Bank has achieved 100% coverage under the Core Banking Solution (CBS) and adequate training is imparted to staff members both on CBS technology & risk management aspects.
- Risk & Control Self Assessment (RCSA) process is being put in place and Key Risk Indicators are being identified through the assistance of external consultant for the Integrated Risk Management System (IRMS) project
- The process of building a comprehensive data base of loss Events / losses due to operational risks is initiated so as to move towards Advanced Measurement Approach at a later date.

Quantitative disclosures:

Calculation of capital charge on Operational Risk

AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS

(₹ in Crore)

		31.03.08	31.03.09	31.03.10
1	Net Profit	361.28	262.48	507.30
	ADD			
2	Provisions & contingencies	299.60	636.43	549.67
3	Operating Expenses	701.27	924.70	1071.57
4	**Sub Total**	**1362.15**	**1823.61**	**2128.54**
	LESS			
5	Realised Profit / Loss from the sale of securities in the HTM category	0.00	221.51	88.77
6	Income from insurance activities and insurance claims in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
7	Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	0.00	0.00	0.00
8	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the year	5.37	54.61	0.24
9	Income from the disposal of items of movable and immovable property	6.00	0.23	-0.26
10	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11	**Sub Total**	**11.37**	**276.35**	**88.75**
12	GROSS INCOME FOR THE PURPOSE OF COMPUTATION OF OPERATIONAL RISKS	**1350.78**	**1547.26**	**2039.79**

Average of 3 years gross income = ₹ 1645.94 Crore

CAPITAL CHARGE FOR OPERATIONAL RISKS = Average of gross income * alpha (15%)

= ₹ 246.89 crore

Equivalent Risk weighted Assets: : ₹ 2743.24 crore.

TABLE DF - 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).
2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its fortnightly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.

Analytics used by the Bank:

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC fortnightly and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at fortnightly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

(i) Volatile and Core portion of Savings deposits.

(ii) Repricing character of CC/OD accounts.

(iii) Embedded options in the investment portfolio

Earnings at Risk (EaR):

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the fortnightly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile up to 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

Quantitative disclosure:

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover):

Earnings at Risk (EaR):

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizon : **₹ 113.18 crore.**

The Bank has fixed the tolerance limit at ₹ 165 crore.

Economic value approach:

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method based on draft RBI guidelines. As a prudential measure, limits shall be fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same shall be monitored at regular intervals based on final guidelines received from RBI on 4th November 2010.

VIJAYA BANK

Head Office: Bangalore - 560 001

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS, ETC.

In terms of Sec. 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of Capital issued under Section 3 (2B)(c). The relevant Sections of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, the relevant Clauses of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme,1980 and the relevant Regulations of the Vijaya Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 respectively in this regard, are reproduced below for information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

   (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -

      i. any of its Directors, or

      ii. any firm in which any of its Directors is interested as Partner, Manager, Employee or Guarantor, or

      iii. any company not being a subsidiary of the Banking Company or a company registered under Sec.25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or Guarantor or in which he holds substantial interest, or

      iv. any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2. Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

   Provided that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit.

   Provided further that, this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this Section:

(a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.

(b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION & TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Restriction on voting rights

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)(i) : Where the Capital Issued under clause (c) of sub-section(2B) of Section 3 is –

i. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one Director.

ii. more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than two Directors.

iii. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three Directors, to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

In terms of Section 9(3A) of the Act, candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director under Clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters, namely :

i. Agriculture and rural economy,
ii. Banking,
iii. Co-operation,
iv. Economics,
v. Finance,
vi. Law,
vii. Small Scale Industry
viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new Bank.

(B) Represent the interest of the depositors: or

(C) Represent the interest of Farmers, Workers and Artisans.

Section 9(3B):

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfil the requirements of sub-section (3A), it may, after giving to such Director and the Bank, a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Section 13(2):

Obligation as to fidelity and secrecy:

Every Director, member of local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the third Schedule.

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT & MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Clause 9:

Term of office of elected Directors:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10:

Disqualification from being elected as a Director of the Bank.

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified from being appointed as, and for being, a Director -

(a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude.

(d) If he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under Sub Sec. 1 of Sec. 9 of State Bank of India Act 1959 or any subsidiary Bank as defined in Sec.3 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director including the Managing Directors and Directors nominated under Clause (e) & (f) of Sub. Sec.3 of Sec. 9 of the Act from among the employees of the Bank.

Clause 11:

Vacation of office of Directors, etc.:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole time director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) or Clause (d) of sub-section(3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A:

Removal from office of an elected Director:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a Resolution passed by the majority of votes of such shareholders holding in aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his place another person to fill the vacancy.

Clause 11B:

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in by election;

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub clause shall apply to such Director by reason only of his being :

i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act 1956 (1

of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or

ii. an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section(3) of Section 9 of the Act.

VIJAYA BANK

(SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2003

CHAPTER II

(SHARES AND REGISTER)

10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two of more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Vijaya Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

61. Voting at General Meeting:

i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of or against such resolution.

iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Vijaya Bank, which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or person who made the demad.

vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to number of votes any person is competent to exercise shall be final.

63. Directors to be elected at General Meeting:

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Govt. , from amongst themselves in the General Meeting of Vijaya Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the Register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election:

1. No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid, unless:
   a) He is a shareholder holding not less than 100 shares in the Vijaya Bank.
   b) He is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the scheme.
   c) He / she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him/her whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
   d) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted Attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a Resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the Resolution certified to be a True Copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Vijaya Bank, General Manager, Board Secretariat, Head Office, 41/2, M.G.Road, Bangalore 560 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
   e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director.

2. No nomination shall be valid, unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received by the General Manager (Board Secretariat), Vijaya Bank, Head Office, 41/2, M.G. Road, Bangalore - 560 001, on a working day not less than fourteen days before the date of Annual General meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e. 5 p.m. on Friday the 15th July, 2011. The said nomination forms should be complete in all respects and shall duly be filled in by minimum 100 shareholders in the format annexed to this Notice, failing which nominations are liable to be rejected.

66. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of Nominations and in case any Nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for. If valid nominations are less than the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

ii) In the event of an election being held, if valid Nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii) A Director elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she deemed to be elected, or from the date on which the vacancy arises.

67. Election disputes:

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may with in seven days of the date of declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Vijaya Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of such an intimation under Sub-regulation (i), the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director of Vijaya Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a Committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director and any of two Directors nominated under Clauses (b) & (c) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The Committee referred to in Sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds

that the election was not valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the Committee.

iv) An order and direction of such Committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

Voting Rights of Shareholder

68. Determination of Voting Rights

i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder, who has been registered as a shareholder on the date of closure of the Register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll, shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-regulation (1).

Explanation-For this Chapter, "Company'" means any body corporate.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a General Meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorized representative:

A shareholder being the Central Govt. or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Govt. or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Vijaya Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Govt./Company.

No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Vijaya Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of Vijaya Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Instructions for signing and lodging the proxy form:

i) No instrument of proxy shall be valid unless,

a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/ her attorney duly authorised in writing

b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney duly authorised in writing.

c) In the case of a body corporate, signed by its officer or any attorney duly authorised in writing.

ii) An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Vijaya Bank.

iii) The Proxy together with:

a) The Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or

b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with the General Manager, Vijaya Bank, Board Secretariat, Head Office, 41/2, M G Road, Bangalore-560 001, not later than four days before the date of the Eleventh Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday the 23rd July, 2011.

In case the relevant power of attorney is already registered with Vijaya Bank or Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.

iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vi) The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

vii) No person who is an officer or an employee of Vijaya Bank shall be appointed as duly authorised representative or a proxy for a shareholder.

viii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in form "B" and is duly stamped.

Important Dates of the Programme

Particulars	Date
Board Meeting for approval of accounts & recommendation of dividend	28.04.2011 (Thursday)
Inform Stock exchanges about Book closure (At least 15 days before book closure- L.A.Clause 16)	31.05.2011 (Tuesday)
AGM Notice dated	31.05.2011 (Tuesday)
AGM Notice to be published in the newspapers (7 days before the date of Book closure)	01.06.2011 (Wednesday)
Book closure for the purpose of dividend payment & Electior of Directors.	21.06.2011 (Tuesday) to 25.06.2011 (Saturday)
Submission of Accounts to the RBI and publishing full text of accounts in newspapers. (Before 30.06.2011)	20.06.2011 (Monday)
Dispatching of Annual Reports to shareholders (Notice shall be dispatched at least 21 clear days before the meeting)	27.06.2011 (Monday) to 02.07.2011 (Saturday)
Filing of Nominations (Last date for filing nominations by intending Candidates(14 days prior to AGM))	15.07.2011 (Friday)
Last date for withdrawal of nomination	16.07.2011 (Saturday)
Nomination Committee Meeting (Scrutiny of Nominations)	16.07.2011 (Saturday)
If there is no contest – deemed elected on	16.07.2011 (Saturday)
Intimation to stock exchanges/RBI/GOI/Directors regarding elections of new directors in case deemed elected	16.07.2011 (Saturday)
Last date to receive proxy forms (4 days prior to meeting date)	23.07.2011 (Saturday)
Date of AGM for approval of accounts, Declaration of Dividend for the year 2010-11, and election of shareholder Directors. (AGM to be conducted within 42 days from the date of submission of accounts to RBI)	29th July 2011 (Friday) at 10.15 a.m.
Assumption of office of new Directors	08.08.2011 (Monday)

K.GOPALAKRISHNAN NAIR
COMPANY SECRETARY

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं. 41/2, एम. जी. रोड,बेंगलूर - 560 001

प्रिय शेयरधारक,

विषय : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के जरिए लाभांश का भुगतान (एनईसीएस)

अगर आपने, हमारे रजिस्ट्रार, मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा आपके निक्षेपी सहभागीदार (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को एनईसीएस/बैंक खाते के विवरण न भेजे हों तो, हमारा अनुरोध है कि आप, नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वक्त पर, सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से घोषित होते ही लाभांश का भुगतान किया जा सके.

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार/निक्षेपी सहभागीदार को प्रस्तुत किए गए आपके ब्यौरे सही हों, क्योंकि उसमें कोई गलती होने पर संभव है कि लाभांश की रकम गलत खाते में जमा हो जाए.

एनईसीएस के जरिए और/अथवा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में, जो लाभांश वारंट पर दिखाई देगा, लाभांश का भुगतान करने से लाभांश वारंटों में धोखाधडी से भुनाई नहीं हो सकेगी.

कृपया हमें, आपकी बेहतर सेवा करने का मौका दें.

भवदीय,
कृते विजया बैंक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एनईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म

मैं/हम,_____ विजया बैंक को प्राधिकार देता हूं/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्यौरे छपाए
- मेरी लाभांश रकम, ईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नं: एचबी _____

डीपीआईडी नं._____ ग्राहक आईडी सं._____

बैंक खाते के विवरण

क	बैंक का नाम	:	_____
ख.	शाखा का नाम	:	_____
	पता (केवल आदेश के लिए)	:	_____
ग.	एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक की 9 अंकवाली कूट सं. और शाखा	:	_____
घ.	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	:	_____
ङ.	चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या	:	_____
च.	शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं.	:	_____

अगर एनईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह बैंक, एनईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे.

इस पते पर भेजें * लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपउण्ड, एल.बी.एस रोड भांडूप (पश्चिम) मुम्बई - 400 078, महाराष्ट्र.

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

9 अंकोवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक अथवा रद्द किए गए चेक की फोटो प्रति संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह,आपके बैंक खाते के विवरण/ एनईसीएस आदेश को नोट करें.

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, No.41/2, M.G.ROAD, BANGALORE - 560001

Dear Shareholders (s)

Re.: Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)

In case you have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through NECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully

For **Vijaya Bank**

Authorised Signatory

FOR NECS MANDATE / BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We_____ do hereby authorise Vijaya Bank

- Print the following details on my / our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by NECS

(* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No. : _____

DPID No._____ Client ID No._____

Particulars of Bank Account	:	
A. Bank Name	:	_____
B. Branch Name	:	_____
Address (for Mandate only)	:	_____
C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque	:	_____
D. Account Type (Saving/Current)	:	_____
E. Account No. as appearing in the Cheque Book	:	_____
F. STD Code & Telephone No. of Shareholder	:	_____

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS could not be implemented or the Bank discontinue the NECS for any reason.

Mail to ----------> Link Intime India Pvt. Limited. Unit : Vijaya Bank
C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road,
Bhandup (West), Mumbai-400078, Maharashtra.

Signature of the shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/NECS mandate.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं. 41/2, एम. जी. रोड,बेंगलूर - 560 001

नामांकन फार्म

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
विजया बैंक
प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड
बेंगलूर 560 001

प्रिय महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी नोटिस दिनांक 31 मई 2011 के संदर्भ में, मैं ..... प्रत्येक 10/- रु. के ..... इक्विटी शेयर रखनेवाला विजया बैंक का शेयरधारक, 29 जुलाई, 2011 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i) में यथा उपबंधित बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में विजया बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए श्री /श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, जो .....

.....

में निवास करते हैं, एतद्वारा नामित करता हूं.

हस्ताक्षर .....

नाम .....

शेयरों की संख्या .....

पंजीकृत फोलियो सं (अगर अमूर्तीकरण न हुआ हो तो) .....

डीपीआईडी सं. (अगर अमूर्तीकरण हुआ हो तो) .....

ग्राहक आई डी सं. (अगर अमूर्तीकरण हुआ हो तो) .....

स्थान :

दिनांक :

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, No.41/2, M.G.ROAD, BANGALORE - 560001

NOMINATION FORM

The Chairman & Managing Director
Vijaya Bank
Head Office
41/2, M.G.Road,
Bangalore - 560 001

Dear Sir,

Election of Directors

With reference to your Notice dated 31st May 2011, I .....

.....a shareholder of Vijaya Bank holding..... equity shares of Rs.10/- each do hereby nominate Shri/Smt.....

..... son/daughter/wife of .....

residing at.....

..... for being elected as a Director of Vijaya Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980 at the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on 29th July, 2011.

Signature .....

Name .....

No. of shares .....

Registered Folio No. (if not Dematerialised) .....

DPID No. (if Dematerialised) .....

Client ID No. (if Dematerialised) .....

Place :

Date :

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं. 41/2, एम. जी. रोड,बेंगलूर - 560 001

घोषणा–पत्र

मैं,..... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती .....
..... निवासी ..... एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि :

क) मैं , बैंक का शेयरधारक हूं और मेरे पास .....इक्विटी शेयर हैं और

ख) *मुझे, (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थव्यवस्था, (v) वित्त, (vi) कानून, (viii) लघु उद्योग में विशेष ज्ञान है अथवा व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा \ की उप-धारा उए के अनुसार, मैं, जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधि हूं और उसके सबूत के तौर पर मैं संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूं और

ग) मैं नामांकन स्वीकार करता हूं जिनकी संख्या .....है और

घ) मैं, विजया बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लडने के लिए इच्छुक हूं और

ड) मुझे, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है.

च) मेरे पास न तो कोई आर्थिक लाभ का पद है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3(1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंकों) अधिनियम 1959 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ.

हस्ताक्षर .....

नाम .....

शेयरों की संख्या .....

पंजीकृत फोलियो सं (अगर अमूर्तीकरण न हुआ हो तो) .....

डीपीआईडी सं. (अगर अमूर्तीकरण हुआ हो तो) .....

ग्राहक आई डी सं. (अगर अमूर्तीकरण हुआ हो तो) .....

स्थान :
दिनांक :

उक्त घोषणा-पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, आधासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा विजया बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उनकी मुहर.

* जो लागू न हो उसे काट दें.

नोट:

1. अगर नामांकन, किसी कंपनी निकाय ने किया हो तो नामांकन फार्म के साथ, बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी.
2. अभ्यर्थी का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, No.41/2, M.G.ROAD, BANGALORE - 560001

DECLARATION

I,.....Son/daughter/

wife of Shri/Smt..... a resident of .....

hereby confirm that:

a) I am a shareholder holding ..... equity shares of the Bank, and

b) *I have special knowledge or practical experience in (i) Agriculture & Rural Economy (ii) Banking (iii) Co-operation (iv) Economics (v) Finance (vi) Law (vii) Small Scale Industry and I represent the interest of Depositors or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials and

c) I accept the nominations numbering ..... and

d) I am willing to contest for the election as Director of Vijaya Bank, and

e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the Provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings)Act, 1980, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Vijaya Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2003.

f) I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State bank of India constituted under Section 3 (1) of the State bank of India Act, 1955, or any subsidiary Bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

Signature .....

Name .....

No. of shares .....

Registered Folio No. (if not Dematerialised) .....

DPID No. (if Dematerialised) .....

Client ID No. (if Dematerialised) .....

Place :

Date :

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or Vijaya Bank or any Nationalised Bank.

* Delete whatever is not applicable.

Notes:

1. In case Nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the Resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर – 560 001.

फार्म 'ख'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाएं)

पंजीकृत फोलियो सं. :
.....
(अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)
डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.
.....
(अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)

मैं/हम, ... निवासी ....., ज़िला ....., राज्य.....,विजया बैंक का/के शेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती..... निवासी ....., ज़िला ....., राज्य ..... को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती.....निवासी.....,ज़िला.....,राज्य ....., मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर – 560 001 में शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयर धारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... के दिन, ... 2011 को हस्ताक्षरित

कृपया एक पंद्रह पैसे का राजस्व टिकट चिपकाएं

.....
(प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

.....
(प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)

नाम .....

पता .....

.....

.....

VIJAYA BANK

Head Office : Bangalore - 560 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.
(if not Dematerialised)
DPID / Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We , ----------resident of---------- in the District of----------in the state of----------, being a shareholder/ shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt---------- resident of---------- ----------in the District of ----------in the State of---------- or failing him, Shri/Smt ---------- resident of ---------- ---------- in the district of ---------- in the State of ---------- as my/our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 29th July, 2011, at the MULKI SUNDER RAM SHETTY AUDITORIUM, VIJAYA BANK, H.O, Bangalore and at any adjournment thereof.

Please affix 15 paise Revenue Stamp

Signed this..... Day of.....2011

.....
(Signature of the Proxy)

.....
(Signature of the first holder/sole holder)

Name .....

Address .....

.....

.....

महा प्रबंधक
General Managers

श्री के जयकर शेट्टी
Shri. K Jayakar Shetty

श्री सी आर चन्द्रमौळी
Shri. C R Chandramouli

श्री जे पाडियन
Shri. J Padiyan

श्री के शान्ताराम कामत
Shri. K Shantharama Kamath

श्रीमती के चन्द्रा
Smt. K Chandra

श्री के शशिधर राव
Shri. K Shashidhar Rao

श्री के रविराज हेग्डे
Shri. K Raviraj Hegde

श्री के वीर ब्रह्माजी राव
Shri. K Veera Brahmaji Rao

श्री एन देवदास
Shri. N Devadas

श्री कृष्ण एल बागलकोट
Shri. Krishna L Bagalkot

श्री बी वसंत शेट्टी
Shri. B Vasantha Shetty

श्री टी एस जयन्त
Shri. T S Jayanth

श्री एच नारायण शेट्टी
Shri. H Narayana Shetty

श्री के बी सुबोधय शेट्टी
Shri. K B Subhodaya Shetty

श्री एन हरीन्द्रनाथ शेट्टी
Shri. N Harindranath Shetty

उप महा प्रबंधक
Deputy General Managers

श्री एम राम अड्यंताया
Shri. M Rama Adyanthaya

श्री वेंकण्ण टी नायक
Shri. Venkanna T Naik

श्री मुरली रामस्वामी
Shri. Murali Ramaswami

श्री विजय दुबे
Shri. Vijay Dube

श्री एच पूर्ण प्रकाश राव
Shri. H Pooma Prakash Rao

श्री एन गोपाल शेट्टी
Shri. N Gopala Shetty

श्री ए एस सतीशा
Shri. A S Satheesha

श्री टी पी जॉय
Shri. T P Joy

श्री एन राधाकृष्ण रै
Shri. N Radhakrishna Rai

श्री भुजंग मोगेरा
Shri. Bhujanga Mogera

श्री उदय कुमार
Shri. Udaya Kumar

श्री वाइ नागेश्वर राव
Shri. Y Nageshwara Rao

श्री ए एस राजीव
Shri. A S Rajeev

श्री टी जयंत पै
Shri. T Jayanth Pai

श्री एम सुधाकर शेट्टी
Shri. M Sudhakar Shetty

श्री एम सीताराम शेट्टी
Shri. M Seetharama Shetty

श्री एच एस शेषाद्री
Shri. H S Sheshadri

श्री के श्रीधर शेट्टी
Shri. K Sridhar Shetty

श्री पी के जयप्रकाश
Shri. P K Jayaprakash

श्री बी हरदीश कुमार
Shri. B Harideesh Kumar

श्री बी जयराम शेट्टी
Shri. B Jayarama Shetty

श्री सुब्रत कुमार
Shri. Subrat Kumar

श्री अनन्त चरण स्वाईं
Shri. Ananta Charan Swain

श्री जी ए वासुदेव
Shri. G A Vasudev

श्रीमती ए मणिमेखलै
Smt. A Manimekhalai

श्री सुरेशचन्द्र शेट्टी
Shri. Sureshchandra Shetty

श्री अतनु कुमार दास
Shri. Atanu Kumar Das

श्री के बाबुराय शेणै
Shri. K Baburaya Shenoy

श्री एम एस सनाथ बाबु
Shri. M S Sanath Babu

श्री सी सतीश बल्लाल
Shri. C Satish Ballal

विजया बैंक
VIJAYA BANK
A friend you can bank upon

प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी रोड, बेंगलूर-560001
फोन: 080-25584066 (20 लाईन) फैक्स: 080-2559 8040
वेबसाईट:www.vijayabank.com

Head Office:
41/2, M.G. Road, Bangalore- 560 001.
Ph: 080 2558 4066 (20 lines) Fax: 080 2559 8040
Website: www.vijayabank.com